


वार्षिक प्रतिवेदन

ANNUAL REPORT

2 0 1 2 - 1 3



यूको बैंक
सम्मान आपके विश्वास का



UCO BANK
Honours Your Trust

हमसे संपर्क करें Visit us at - www.ucobank.com

हमारा विज़न

*एक ऐसी विश्वस्तरीय
वित्तीय संस्था के रूप में
सामने आना जो अत्यंत विश्वस्त
और प्रशंसनीय
हो तथा जिसे प्रत्येक ग्राहक
व निवेशक बहुत
पसंद करते हों एवं जिस पर उसके
कर्मचारियों को गर्व हो।*

OUR VISION

*“To emerge as the most trusted,
admired and sought-after world
class financial institution
and to be the most preferred
destination for every
customer and investor and a place of
pride for its employees.”*

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001
Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

विषय-सूची / CONTENTS

मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.	मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.
• सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक Statutory Central Auditors	02	• कारपोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र Auditor's Certificate on Corporate Governance	77-80
• निदेशक मंडल Board of Directors	03	• तुलन-पत्र 2012-13 / Balance Sheet 2012-13	81-82
• वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना एवं कार्यसूची Notice for AGM and Agenda	04-08	• लाभ-हानि लेखा / Profit & Loss A/c	83-84
• वित्तीय विशिष्टताएं Financial Highlights	09	• लेखों से संबंधित अनुसूची/Schedule to Accounts	85-133
• शाखा नेटवर्क /प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (तालिका I एवं II) Branch Network/Priority Sector Credit (Table I & II)	10	• भारत के राष्ट्रपति को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditor's Report to the President of India	134-136
• निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	11-49	• नकदी प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement	137-138
• कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट Report on Corporate Governance	50-76	• बासेल-II प्रकटीकरण / Basel-II Disclosures	139-155
		• परोक्षी फार्म / Proxy Form	156-157
		• ईसीएस अधिदेश / ECS Mandate	158-159
		• उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip	160

महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं तारीखें / IMPORTANT PROGRAMME & DATES

कार्यक्रम / Programme	तारीख / Date	कार्यक्रम / Programme	तारीख / Date
• वार्षिक आम बैठक 2012-13 हेतु बही-खाता बंद रहने की अवधि 19.06.2013 से 28.06.2013 Period of Book closure for AGM 2012-13	19.06.2013 से to 28.06.2013	वार्षिक आम बैठक 2012-13 की तारीख, समय एवं बैठक-स्थल Date, time & Venue of Annual General Meeting 2012-13	28.06.2013 प्रातः 11.00 A.M.
• परोक्षी फार्म की प्राप्ति की अंतिम तारीख Last date for receipt of proxy form	22.06.2013	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700 027 Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road Alipore, Kolkata 700 027	

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / STATUTORY CENTRAL AUDITORS

मे. बावेजा एंड कौल
सनदी लेखाकार
M/s Baweja & Kaul
Chartered Accountants

मे. एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
M/s SBA Associates
Chartered Accountants

मे. वेद एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
M/s Ved And Company
Chartered Accountants

मे. दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
M/s Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants

मे. गुप्ता शर्मा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
M/s Gupta Sharma & Associates
Chartered Accountants

मे. ए. कैस एंड कं.
सनदी लेखाकार
M/s A. Kayes & Co.
Chartered Accountants

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट/REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
(इकाई : यूको बैंक)
प्लॉट नं. 17 से 24, विठ्ठलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद - 500 081
टेलीफोन सं. (040) 44655000
फैक्स सं. (040) 23420814
ई.मेल आईडी einword.ris@karvy.com
वेबसाइट www.karvycomputershare.com

M/s Karvy Computershare Private Limited
(Unit : UCO Bank)
Plot Nos. 17 to 24 Vittalrao Nagar
Madhapur, Hyderabad - 500 081
Telephone No. (040) 44655000
FAX No. (040)23420814
E.Mail ID einword.ris@karvy.com
Website www.karvycomputershare.com

शेयरधारक आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार के निम्नलिखित कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं

The Shareholders may also contact the following offices of the Registrar in case of need.

- मुंबई : महाराष्ट्र चेम्बर ऑफ कॉमर्स लेन, फोर्ट, मुंबई - 400 023
फोन : 022-2286-2425/2427
- At Mumbai : Maharashtra Chamber of Commerce Lane, Fort, Mumbai - 400 023**
Phone 022-2286-2425 / 2427
- चेन्नै : 22, विजय राघवन रोड, टी. नगर, चेन्नै - 600 017
फोन : 044-2815-1034/3445
- At Chennai : 22, Vijaya Raghavan Rd. T. Nagar, Chennai - 600 017**
Phone : 044-2815-1034 / 3445
- नई दिल्ली : 105-108 अरुणाचल भवन, कनाॅट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
फोन : 011-4350-9200
- At New Delhi : 105-108 Arunachal Building, Connaught Place, New Delhi - 110 001**
Phone : 011-4350-9200
- कोलकाता : 49, जतीन दास रोड (देशोप्रिय पार्क के पास), कोलकाता - 700 029
फोन : 033-2464-7231/ 32
- At Kolkata : 49, Jatin Das Road (Opp. Deshapriya Park), Kolkata - 700 029**
Phone : 033-2464-7231 / 32

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



श्री अरुण कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri ARUN KAUL
Chairman & Managing Director



श्री एन.आर. बद्दीनारायणन
कार्यपालक निदेशक
Shri N.R. BADRINARAYANAN
Executive Director



श्री एस. चन्द्रशेखरन्
कार्यपालक निदेशक
Shri S. CHANDRASEKHARAN
Executive Director



श्री प्रवीण रावल
निदेशक
Shri PRAVIN RAWAL
Director



प्रो. एस.एल.मॉरिस
निदेशक
Prof. S.L. MORRIS
Director



सीए मनोज कुमार गुप्ता
निदेशक
CA MANOJ KUMAR GUPTA
Director



श्री बी. पी. विजयेन्द्र
निदेशक
Shri B. P. VIJAYENDRA
Director



श्री डी. एन. ठाकुर
निदेशक
Shri D. N. THAKUR
Director



श्री पी. चन्द
निदेशक
Shri P. CHANDA
Director

यूको बैंक  UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001
Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

सूचना

NOTICE

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की दसवीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, दिनांक 28 जून, 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700 027 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्यवाही की जाएगी:-

1. दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखे, लेखे की अवधि के लिए बैंक के क्रियाकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र एवं लेखे के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने एवं उन्हें अंगीकृत करने हेतु।
2. दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी एवं अधिमानी शेयरों पर लाभांश अनुमोदित एवं घोषित करने हेतु।

NOTICE is hereby given that the Tenth Annual General Meeting of the Shareholders of UCO Bank will be held on Friday, the 28th June, 2013 at 11.00 A.M. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027 to transact the following business:-

1. To discuss approve and adopt the Balance Sheet as at 31st March 2013, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To approve and declare Dividend on Preference and Equity Shares for the year ended 31st March 2013.

निदेशक मंडल के
आदेश से

By order of the Board
of Directors

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29 मई, 2013

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध
निदेशक

Place: Kolkata
Date: 29th May, 2013

(Arun Kaul)
Chairman & Managing
Director

नोट

1. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए हकदार कोई शेयरधारक अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी परोक्षी को नियुक्त करने का भी हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का कोई शेयरधारक ही हो। परोक्षी फार्म को प्रभावी करने के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक को उसके शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3रा तल, कोलकाता-700001 में उक्त बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी शनिवार, दिनांक 22 जून, 2013 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व प्राप्त हो जाए। बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति बैंक के किसी शेयरधारक निगमित निकाय के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने या मतदान करने का तबतक हकदार नहीं होगा जबतक प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे सम्यक् रूप से नियुक्त करनेवाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति हो, जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3रा तल, कोलकाता-700001 में उक्त बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी शनिवार, दिनांक 22 जून, 2013 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व प्राप्त न हो जाए। ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित प्रोक्सी फार्म तभी प्रभावी होगा, जब यह उपर्युक्त दस्तावेज के साथ उक्त पते पर शनिवार, दिनांक 22 जून, 2013 के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व बैंक को जमा कर दिया जाए।

बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

3. उपस्थिति पर्ची -सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों/परोक्षीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए खाली स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा बैठक-स्थल पर उसे अभ्यर्पित करें। शेयरधारकों के परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास में यथास्थिति "परोक्षी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" उल्लिखित करना चाहिए। शेयरधारकों/परोक्षीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि कृपया अपने साथ पैन कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, पासपोर्ट आदि लाएं और सही पहचान के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

4. शेयरधारकों के रजिस्टर की बंदी

वार्षिक खाताबंदी एवं बैठक में घोषित लाभांश के भुगतान के प्रयोजनार्थ बुधवार, दिनांक 19 जून, 2013 से शुक्रवार, दिनांक 28 जून, 2013 (दोनों दिन सहित) तक शेयरधारकों का रजिस्टर एवं बैंक की अंतरण बही बंद रहेगी।

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office of the Bank at its Share Section, Finance Department, at No. 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Saturday, 22nd June, 2013 An employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

2. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank with Share Section, Finance Department, at No. 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on Saturday, 22nd June, 2013. The proxy form if any, executed by such authorized representative will be effective provided the same is also deposited with the Bank along with the above documents on or before the closing hours of the Bank on Saturday, 22nd June, 2013 at the above mentioned address.

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

3. ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to the Annual Report. Shareholders/Proxy holders /Authorised Representative are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as 'Proxy or Authorised Representative' as the case may be. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives must carry a valid Photo identity card like PAN Card, Election ID, Passport etc with them and will be allowed entry only after proper identification.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders and the Transfer Books of the Bank will remain closed from Wednesday, 19th June, 2013 to Friday, 28th June, 2013 (both days inclusive) for the purpose of Annual Book Closure and payment of dividend declared at the Meeting.

5. लाभांश का भुगतान

बोर्ड ने (i) ₹10/- के सांकेतिक मूल्य के प्रत्येक शेयर हेतु वर्ष 2012-13 के लिए ₹1.60/- के इक्विटी लाभांश (ii) निर्गम की शर्तों के अनुसार पीएनसीपीएस पर अधिमानी लाभांश की संस्तुति की है-

यदि वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश के भुगतान की घोषणा की जाती है तो उन शेयरधारकों को इसका भुगतान किया जाएगा:-

- क) जो मंगलवार, 18 जून, 2013 को कार्य-समय की समाप्ति पर निक्षेपागारों, यानी एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करते हैं, या
- ख) जो मंगलवार, 18 जून, 2013 को या 28 जून 2013 को बैंक के कार्य समय की समाप्ति के पूर्व शेयरधारकों से प्राप्त वैध अंतरण को प्रभावी करने के बाद शेयरधारकों के रजिस्टर में मूर्त रूप में शेयर धारित करने हैं।

बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा की तारीख के 30 दिन के भीतर ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट उनके रजिस्ट्रीकृत पते पर रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भेजा जाएगा।

6. अदत्त / अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10 ख के अनुसार यदि कोई राशि अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की जाती है और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त /अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 ग(1) के अधीन स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

तदनुसार वर्ष 2003-04 और उसके आगे का लाभांश अदत्त लाभांश खाते में इसके अंतरण की संबंधित तारीख से सात वर्ष के बाद "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2011-12 तक लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के पास वैध दावा(वे) प्रस्तुत करें।

7. डाक पता / बैंक अधिदेश में परिवर्तन एवं एनईसीएस के माध्यम से लाभांश का भुगतान

क) मूर्त रूप में धारित शेयर

मूर्त रूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि डाक पता, बैंक खाता विवरण यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश आदि में परिवर्तन होने की सूचना रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., 17 से 24, विट्टल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद - 500 081, को दें ताकि वे अपना लाभांश सीधे अपने खाते में प्राप्त कर सकें और इसकी सूचना समय रहते ही दी जा सके। ईसीएस अधिदेश फार्म का प्ररूप वार्षिक प्रतिवेदन में संलग्न है।

ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों का धारण

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करनेवाले हिताधिकारी मालिकों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अपने निक्षेपागार भागीदार के पास पता, बैंक का विवरण यानी बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश आदि अद्यतित हैं ताकि वे अपना

5. PAYMENT OF DIVIDEND

The Board has recommended (i) Equity Dividend of ₹1.60/- for the year 2012-13 for each share for nominal value of ₹10/- (ii) Preference Dividend on PNCPS as per terms of issue.

Payment of dividend, if declared by the Shareholders in the Annual General Meeting, will be paid to those shareholders:-

- a) who hold in electronic form, as per the list furnished by the depositories, i.e., NSDL/CDSL as at the close of business hours on Tuesday 18th June, 2013 or
- b) who hold in physical form in the Register of Shareholders as on Tuesday 18th June, 2013 or after giving effect to the valid transfer requests from the shareholders received before close of business hours of the Bank on 28th June, 2013.

Dividend warrants to such shareholders would be sent by the Bank through Registrar and Share Transfer Agents viz, M/s Karvy Computershare Private Limited within 30 days from the date of declaration of dividend on their registered addresses.

6. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C(1) of the Companies Act 1956.

Accordingly, the dividend for the year 2003-04 and onward will be transferred to "Investor Education and Protection Fund" after seven years from the date on which it has been transferred to unpaid dividend account.

Shareholders who have not claimed their dividend upto the financial year 2011-12 are requested to lodge valid claim(s) with Registrar and Transfer Agent M/s Karvy Computershare Private Limited.

7. CHANGE IN ADDRESS/BANK MANDATE AND PAYMENT OF DIVIDEND THROUGH NECS:

a) Holding of shares in Physical Form

Shareholders holding shares in physical form are requested to inform the Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., 17 to 24, Vittal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad – 500 081, in respect of change of address, Bank Account details, viz, Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate so that they receive dividend directly in their account & communication etc. in time, if not already done. The format for ECS Mandate form is enclosed in Annual Report.

b) Holding of shares in Electronic Form

Beneficial owners holding shares in electronic form, are requested to ensure that the address, Bank details i.e. Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate etc. are duly updated with their Depository Participant so that they may

लाभांश सीधे अपने खाते में प्राप्त कर सकें और अन्यथा इसकी सूचना समय रहते दी जा सके।

शेयरधारक कृपया यह नोट करें कि अपने खाते में लाभांश सीधे प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (एनईसीएस) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिपादित एक पद्धति है। यह सुविधा उन शेयरधारकों को उपलब्ध है जिनका खाता वैसे बैंक में है जिसकी सभी शाखाएं सीबीएस से जुड़ी हैं एवं हिताधिकारी मालिकों के एनईसीएस अधिदेश निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास दर्ज है। मूर्त रूप से शेयरधारण करनेवाले शेयरधारक रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास ईसीएस अधिदेश प्रस्तुत कर इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। इस पद्धति से लाभांश वारंट के मार्ग में खोने या अन्य किसी प्रकार की हानि से बचा जा सकता है।

8. अदावाकृत शेयर

बैंक के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद जारी कुछ शेयर प्रमाणपत्र शेयरधारकों के आवेदन पत्र में उल्लिखित पत्र अधूरे डाक पते एवं तदनुसार परिवर्तित पते की वजह से हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास वापस लौट आए। बैंक को ऐसे शेयरों के असली शेयरधारकों / मालिकों से दावा / अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। सूचीबद्ध करार के अनुसार बैंक ऐसे शेयरों को अमूर्तिकृत घोषित करेगा जिनका दावा असली शेयरधारकों / मालिकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दिनांक 31.03.2013 तक अदावाकृत शेयरों के विवरण निम्नप्रकार हैं :

क्रम सं. SI. No.	विवरण Particulars	शेयरधारकों की संख्या No. of shareholders	शामिल शेयरों की संख्या No. of shares involved
i.	दिनांक 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 01.04.2012	298	46250
ii.	वर्ष 2012-13 के दौरान दावा किए गए और / हिताधिकारी के खाते में अंतरित शेयर Shares claimed / transferred to Beneficiary account during the year 2012-13	92	17850
iii.	दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 31.03.2013	206	28400

अदावाकृत शेयरों के के मामले में सही मालिक द्वारा दावा नहीं किए जाने तक मताधिकार अवरुद्ध रखे जाएंगे।

9. बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से अमूर्तिकृत(डिमाट) रूप में क्रय - विक्रय

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दिए गए दिशानिर्देश के अनुसरण में सभी निवेशकों के लिए बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय अमूर्तिकृत रूप में किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक की आईएसआईएन कूट संख्या आईएनई 691ए01018 है।

बैंक के शेयरों के अमूर्तिकरण हेतु निर्गमनकर्ता कंपनी के रूप में राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लि. (सीडीएसएल) के साथ बैंक ने करार किया है।

receive dividend directly in their account & the communications, well in time, if not already done.

Shareholders please note that National Electronic Clearing System (NECS) is a procedure stipulated by Reserve Bank of India for receiving dividend directly in their account. This facility is available to the shareholder provided his account is with a branch of a Bank having all of its branches under Core Banking Solution (CBS) and NECS Mandate of the Beneficial owners recorded with their Depository Participant (DP). The shareholders holding shares in physical form can also avail this facility by submitting ECS mandate to Registrar & Share Transfer Agent. This procedure avoids loss of dividend warrant (s) in transit or otherwise.

8. UNCLAIMED SHARES

Few of the share certificates issued after the Bank's Initial Public Offer returned undelivered to our Registrar & Share Transfer Agents on account of improper address mentioned in the application forms and subsequent change in addresses of the shareholders. Bank is yet to receive claim/request from the bonafide shareholders/owners of such shares. As per the Listing Agreement, the Bank is required to dematerialize the shares which remained unclaimed by the bonafide shareholders/owners of such shares.

Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2013 :

The voting rights in respect of the unclaimed shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

9. COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALISED (DEMAT) FORM

Pursuant to the directive of SEBI, trading of our Bank Shares in dematerialised form has been made compulsory for all investors. ISIN Code Number of the Bank is INE691AO1018

The Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) as an issuer Company for dematerialisation of Bank's Shares.

संबंधित निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से अमूर्तीकरण का अनुरोध हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के पास भेजा जा सकता है।

10. तुलन-पत्र/ वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक के स्थल पर वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी।

11. शेयरधारकों द्वारा पूछताछ

हमें प्रसन्नता होगी यदि शेयरधारक विचारार्थ कार्यसूची की मदों से संबंधित पूछताछ, यदि कोई हो, बैंक में पर्याप्त समय रहते प्रस्तुत करें, ताकि बैंक को प्रभावी रूप से प्रत्युत्तर देने में सहूलियत हो।

12. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत पते या किसी अन्य प्रकार के विवरण में परिवर्तन, यदि कोई हो, संबंधी सूचना अमूर्तीकृत शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से एवं मूर्त शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को इस पते पर दें :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : यूको बैंक

प्लॉट सं. 17 से 24, विठ्ठलराव नगर, माधपुर, हैदराबाद -500 081

दूरभाष : (040) 44655000; फैक्स (040)23420814

ऑनलाइन पूछताछ/शिकायत दर्ज करने हेतु बैंक के शेयरधारक मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.karvycomputershare.com पर लॉग ऑन करें और अपनी पूछताछ/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज करने हेतु निवेशक सेवा पृष्ठ पर क्लिक करें।

13. शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को शीघ्र एवं बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता के लिए इस कक्ष से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं :

श्री एन.पूर्णचंद्र राव, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 2 - इंडिया एक्सचेंज प्लेस (3रा तल), कोलकाता- 700001

दूरभाष : 033-44557227, फैक्स : (033) 22485625

निदेशक मंडल के
आदेश से

(अरुण कौल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 29.05.2013

Request for dematerialisation may be sent through respective depository participants to our Registrars and Share Transfer Agent.

10. COPIES OF BALANCE SHEET/ANNUAL REPORT

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting.

11. SHAREHOLDERS QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, on the agenda items to be considered at the Meeting sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank.

12. COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

M/S Karvy Computershare Private Limited

Unit : UCO BANK,

Plot No. 17 to 24, Vittalrao Nagar, Madhapur,

Hyderabad – 500 081

Tel : (040) 44655000; Fax : (040)23420814

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s Karvy Computershare Private Limited i.e., www.karvycomputershare.com and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

13. SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank, Head Office : 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata – 700 001

Telephone : 033-44557227, Fax : (033) - 22485625

By Order of the
Board of Directors

(Arun Kaul)
Chairman & Managing Director

Place: Kolkata

Date: 29.05.2013

दिनांक 31.03.2013 को समाप्त 7 वर्ष की अवधि के महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन निर्देशक
KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2013

(करोड़ ₹. में/ ₹. in Crore)

कारोबार मानदंड Business Parameters	मार्च 2013 March 2013	मार्च 2012 March 2012	मार्च 2011 March 2011	मार्च 2010 March 2010	मार्च 2009 March 2009	मार्च 2008 March 2008	मार्च 2007 March 2007
कुल जमा / Total Deposits	173431	154003	145278	122416	100222	79909	64860
कुल अग्रिम / Total Advances	131569	117504	100561	83371	69669	55627	47471
कुल कारोबार / Total Business	305000	271507	245839	205787	169891	135536	112331
निवेश / Investment	52515	46185	43124	43700	29512	24629	19789
ब्याज आय / Interest income	16752	14632	11371	9526	8121	6509	5318
ब्याज व्यय / Interest Expenditure	12170	10730	7526	7202	6477	5021	3623
निवल ब्याज आय / Net Interest Income	4582	3902	3845	2324	1644	1488	1695
परिचालन लाभ / Operating Profit	3357	2811	2695	1706	1202	954	945
निवल लाभ / Net Profit	618	1109	907	1012	558	412	316
ऋण जमा अनुपात / Credit Deposit Ratio	75.86	76.30	69.22	68.10	69.51	69.61	73.19

दिनांक 31.03.2013 को समाप्त 7 वर्ष की अवधि की वित्तीय विशिष्टताएं
FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2013

विवरण Particulars	मार्च 2013 March 2013	मार्च 2012 March 2012	मार्च 2011 March 2011	मार्च 2010 March 2010	मार्च 2009 March 2009	मार्च 2008 March 2008	मार्च 2007 March 2007
कुल आय के % के रूप में शुद्ध ब्याज आय Net Interest Income as % to Total Income	25.88	25.02	31.27	22.15	17.98	20.44	29.43
जमा की औसत लागत (%) Average Cost of Deposits (%)	7.12	7.30	5.74	6.44	7.25	6.74	5.66
अग्रिमों से औसत आय (%) Average Yield on Advances (%)	10.63	11.28	10.00	10.13	10.67	9.96	8.65
निवल ब्याज मार्जिन (%) / Net Interest Margin (%)	2.34	2.77	3.07	2.19	1.97	1.87	2.51
पूंजी पर्याप्तता (%) / Capital Adequacy (%)							
बासेल-I / BASEL-I	12.43	11.03	11.87	11.35	9.75	10.09	11.56
बासेल-II / BASEL-II	14.15	12.35	13.71	13.21	11.93	11.02	NA
प्रति शाखा कारोबार (करोड़ ₹) Business per Branch (₹ Crore)	116.95	113.60	111.44	95.63	82.15	69.12	60.62
प्रति कर्मचारी कारोबार (करोड़ ₹) Business per Employee (₹ Crore)	13.43	12.47	11.36	9.01	7.32	5.80	4.64
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) / Gross NPA Ratio (%)	5.42	3.48	3.13	1.99	2.21	2.97	3.17
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) / Net NPA Ratio (%)	3.17	1.96	1.84	1.17	1.18	1.98	2.14
आस्तियों पर प्रतिफल (%) / Return on Assets (%)	0.33	0.69	0.66	0.87	0.59	0.52	0.47
प्रति शेयर बही मूल्य/ Book Value per Share (in ₹)	97.19	94.72	82.00	65.74	50.88	31.08	27.66
प्रति शेयर अर्जन (₹ में) Earning Per Share (in ₹)*	*6.28	*15.02	*14.29	17.47	*7.63	5.16	3.95

*शेयरों की संख्या का भारित औसत/*Weighted average number of Share

तालिका/TABLE — I

शाखा नेटवर्क \ Branch Network

क्रम संख्या Sl. No.	स्थान/देश Places/Countries	18.07.1969 की स्थिति के अनुसार As on 18.07.1969	31 दिसम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार As on 31st December 1985	31 मार्च की स्थिति के अनुसार			
				2010	2011	2012	2013
1	भारत में (देशी) \ In India (Domestic)	351	1712	2148	2202	2390	2610
2	भारत के बाहर \ Overseas	6	9	4	4	4	4
3	यूनाइटेड किंगडम \ United Kingdom	1	2	-	-	-	-
4	सिंगापुर \ Singapore	3	3	2	2	2	2
5	हांग कांग \ Hong Kong	2	4	2	2	2	2
6	शाखाओं की कुल संख्या (वैश्विक) Total Number of Branches (Global)	357	1721	2152	2206	*2394	*2614
7	विस्तार काउंटरों की संख्या No. of Extension Counters	-	80	7	4	3	3

*दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार सभी शाखाएं सीबीएस समर्थित हैं।

*As on 31.3.2013 All Branches are CBS enabled.

तालिका/TABLE — II

वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की क्षेत्रवार स्थिति Sector-wise Position of Priority Sector Advances of the Bank for the Years 2009-10 to 2012-13

(राशि करोड़ ₹ में) (₹ in Crore)

क्रम संख्या Sl. No.	निम्नलिखित को वित्तपोषण Financing of	निम्नलिखित के अनुसार बकाया शेष Balance Outstanding as on			
		मार्च March 2010	मार्च March 2011	मार्च March 2012	मार्च March 2013
1	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances	27600	28253	28301	34962
2	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम/एएनबीसी / Priority Sector Advances/ANBC (%)*	43.91	39.16	33.56	32.13
3	कृषि क्षेत्र को अग्रिम / Agriculture Advances	14309	11643	9653	12625
4	कृषि क्षेत्र को अग्रिम / एएनबीसी / Agriculture Advances/ANBC (%)*	22.76	16.14	11.45	11.60
5	कमजोर वर्गों को अग्रिम / Advances to Weaker Sections	6733	7496	7861	10327
6	कमजोर वर्गों को अग्रिम/एएनबीसी / Adv. To Weaker Sections/ANBC (%)*	10.71	10.39	9.32	9.49
7	एमएसएमई अग्रिम / MSME Advances	12316	14790	17860	20871
8	जिनमें से एमएसई अग्रिम / Of Which MSE Advances	9077	11973	13437	16421

* समायोजित निवल बैंक ऋण / *Adjusted Net Bank Credit

निदेशक मंडल की रिपोर्ट : 2012-13

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS : 2012-13

1. प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण:

भारतीय अर्थव्यवस्था

स्थिर कीमतों (2004-05) एवं स्थायी लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर वर्ष 2011-12 में 6.2 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2012-13 में 5.00 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2003-04 से 2012-13 के दशकीय औसत 7.9 प्रतिशत की तुलना में कम हुई है।

स्थायी लागत पर सकल घरेलू उत्पाद/GDP at Factor Cost								
वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि प्रतिशत/Year-on-Year Growth per cent								
2011-12				2011-12	2012-13			2012-13
प्र.ति./Q1	द्वि.ति./Q2	तृ.ति./Q3	चौ.ति./Q4		प्र.ति./Q1	द्वि.ति./Q2	तृ.ति./Q3	अग्रिम अनुमान Advance Estimates
7.5	6.5	6.0	5.3	6.2	5.5	5.3	4.5	5.0

वर्ष 2012-13 में संवृद्धि में कमी के मुख्य रूप से निम्नांकित कारण हैं:

- वर्ष 2012-13 में अधिकतर अवधि में अपनाई गई कठोर मौद्रिक नीति के संदर्भ में औद्योगिक संवृद्धि का कमजोर होना और
- वैश्विक अर्थव्यवस्था में निरंतर रही अनिश्चितता

औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि वर्ष 2011-12 में 3.5 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2012-13 में 3.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। कृषि क्षेत्र की संवृद्धि वर्ष 2011-12 में 3.6 प्रतिशत के मुकाबले कम होकर 1.8 प्रतिशत रह जाने की अपेक्षा की जा रही है। सेवा क्षेत्र की संवृद्धि भी वर्ष 2011-12 में 8.2 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 6.6 प्रतिशत रह जाने की अपेक्षा है।

क्षेत्र/Sector	2011-12	2012-13			
		प्र.ति./Q1	द्वि.ति./Q2	तृ.ति./Q3	ए.ई./A.E.
कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन /Agriculture, forestry & fishing	3.6	2.9	1.2	1.1	1.8
उद्योग/Industry	3.5	3.6	2.7	3.3	3.1
सेवाएं/Services	8.2	7.0	7.2	6.1	6.6

यूरो-ज़ोन क्षेत्र के संकट और कई अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं, जो भारत के साथ व्यापार के प्रमुख भागीदार भी हैं, के मंद पड़ जाने से उत्पन्न वैश्विक परिदृश्य की अनिश्चितताओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला है। देश के भीतर, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति में सख्ती बरतने से विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र की गति और संवृद्धि धीमी पड़ी है।

कृषि:

कृषिगत उत्पादन अब भी दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा से काफी हद तक प्रभावित होता है। वर्ष 2012-13 के दौरान देश में दीर्घावधि औसत से आठ प्रतिशत कम वर्षा हुई थी। इससे वर्ष 2012-13 के खरीफ उत्पादन पर प्रभाव पड़ा, जिससे दालों को छोड़कर अधिकांश प्रमुख फसलों, जैसे चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना, तिलहन के उत्पादन में वर्ष 2011-12 के मुकाबले वर्ष 2012-13 में गिरावट आने की संभावना है। कमजोर मानसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात में सूखा पड़ा था, जिसका असर फसल उत्पादन पर पड़ा।

I. Management Discussion & Analysis:

Indian Economy

The Indian Economy in terms of gross domestic product at factor cost at constant prices (2004-05) is estimated to register a growth rate of 5.00 per cent in 2012-13 vis-à-vis 6.2 per cent in 2011-12 and is on lower side compared to decadal average of 7.9 per cent during 2003-04 to 2012-13.

The lower growth in 2012-13 is attributable mainly to

- Weakening of industrial growth in the context of tight monetary policy followed through most of 2012-13 and
- Continued uncertainty in the global economy.

The industrial sector is estimated to grow at 3.1 per cent in 2012-13 as against 3.5 per cent in 2011-12. The agricultural sector growth is expected to be lower at 1.8 per cent as compared to growth rate of 3.6 per cent in 2011-12. The growth in services sector is also expected to be lower at 6.6 per cent compared to 8.2 per cent achieved in 2011-12.

The uncertainties in the global arena has impacted Indian Economy through crisis in the euro-zone area and slowdown in many other advanced economies as also India's major trading partners. On domestic side, tightening of monetary policy to control inflation resulted in slowing down of movement and growth particularly in the industrial sector.

Agriculture:

Agricultural Production continues to be significantly influenced by South West monsoon rain fall. During the year 2012-13, the country as a whole received **eight** per cent less rainfall than the long period average. This has affected Kharif production of 2012-13 with most of the major crops namely Rice, Wheat, Cotton, Sugarcane, Oilseeds except pulses likely to witness a decline in production in 2012-13 compared to 2011-12. The drought in Maharashtra, Karnataka, Rajasthan and Gujarat, because of poor monsoon had affected crop production.

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र ने वर्ष 2012-13 की पहली छमाही के दौरान 2.1 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की, जो वर्ष 2011-12 की पहली छमाही की संवृद्धि दर 3.4 प्रतिशत से कम है। अनियमित और कम वर्षा के कारण खरीफ फसलों के लिए उपयोग किए गए क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है। मोटे अनाज और दालों के फसल क्षेत्र में सबसे ज्यादा गिरावट आई है जो मुख्यतः वर्षा-सिंचित स्थितियों में उगाई जाती हैं। खाद्य फसलों के क्षेत्र में कुल गिरावट का लगभग 83 प्रतिशत इन्हीं फसलों के कारण रहा।

दिनांक 8.2.2013 को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012-13 में खाद्यान्नों का उत्पादन 250.14 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2011-12 में यह 250.42 मिलियन टन (द्वितीय अग्रिम अनुमान) था।

हालांकि वर्ष 2012-13 में प्रमुख कृषि फसलों के लिए खरीफ उत्पादन कम होने का अनुमान है, यह अपेक्षा की जा रही है कि रबी फसलों के अतिरिक्त फसल क्षेत्र, मिट्टी में अधिक आर्द्रता, साथ ही साधनों की पर्याप्त और सामयिक आपूर्ति तथा बेहतर विस्तार सेवाओं के कारण अधिक रबी उत्पादन से उस कमी की आंशिक रूप से भरपाई हो जाएगी।

देश में कृषि उत्पादन बहुत हद तक मूल्य निर्धारण, प्रापण, भंडारण आदि जैसी नीतियों से प्रभावित होता है। वर्ष 2012 में सरकार द्वारा प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में अच्छी वृद्धि की गई है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा इस क्षेत्र में और अधिक निवेश एवं उत्पादन को प्रोत्साहित करना भी है।

सरकार का प्रयास रहा है कि सामयिक एवं पर्याप्त रूप से कृषि ऋण प्रवाह की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि वर्ष 2012-13 के ₹ 5,75,000 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2013-14 के ₹ 7,00,000 करोड़ के लक्ष्य अर्थात् 21.74 प्रतिशत की वृद्धि के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। अगस्त, 1998 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना अब स्थायित्व प्राप्त कर चुकी है और फसल ऋणों का अधिकांश हिस्सा उसी के माध्यम से दिया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा के मुद्दे से व्यापक रूप से निपटने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल प्रस्तुत किया। यह बिल, अन्य बातों के साथ साथ, महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन हेतु प्रावधान करने के अलावा, लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या के 75% और शहरी जनसंख्या के 50% को अनुदानयुक्त खाद्यान्न उपलब्धता के अंतर्गत लाने पर केन्द्रित है।

उद्योग:

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)

वर्ष 2012-13 के लिए संचयी औद्योगिक उत्पादन संवृद्धि दर (आईआईपी) 1.0 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 2.9 प्रतिशत थी।

As per the National Accounts Statistics, the agriculture and allied sector registered a growth of 2.1 per cent during the first half of 2012-13 and is lower than the growth rate of 3.4 per cent in the first half of 2011-12. Due to erratic and deficient rainfall area coverage under Kharif crops has declined as compared to the same last year. Coarse cereals and pulses, grown mostly in rain fed conditions have suffered a major decline in their area under cultivation. These accounted for nearly 83 per cent of the total decline in area under food crops.

As per the 2nd advance estimates released by Ministry of Agriculture on 8.2.2013, production of food grains during 2012-13 is estimated at 250.14 million tonnes compared to 250.42 million tonnes (2nd advance estimates) in 2011-12.

Though kharif output in 2012-13 is estimated to be lower for major agricultural crops, it is expected that this would partly be made up by higher rabi production through additional coverage under rabi crops, greater soil moisture, as well as through adequate and timely supply of inputs and better extension services.

Agricultural production in the country is greatly influenced by policies such as pricing, procurement, storage etc. The Minimum Support Prices for major crops have been raised substantially by the government in 2012, in line with the objective of ensuring remunerative prices to farmers for their produce and with a view to encouraging higher investment and production in the sector.


It has been the endeavor of the government to ensure timely and adequate availability of agricultural credit flow to enable achievement of the target for 2013-14 which is ₹ 7,00,000 Cr vis-à-vis target of ₹ 5,75,000 Cr for 2012-13, an increase of 21.74 per cent. The Kisan Credit Card Scheme introduced in Aug 1998 has since stabilized with a major share of crop loans being routed through it.

In order to address the issue of food security in a comprehensive manner, the government introduced National Food Security Bill. The Bill, inter alia, envisages coverage of 75% of the rural and 50% of the urban population for subsidized food grains under the targeted Public Distribution System, besides provision for nutrition support to women and children.

Industry:

Index of Industrial Production (IIP)

The cumulative industrial production growth rate (IIP) for the year 2012-13 stood at 1.0 per cent compared to 2.9 percent in the same period last year.



वर्ष 2012-13 में न्यून औद्योगिक उत्पादन के पीछे के प्रमुख कारण ये रहे हैं: (1) खनन क्षेत्र से पूरे वर्ष संकुचन के समाचार आते रहे। (2) पूंजीगत माल क्षेत्र में भी वर्ष 2012-13 में संघर्षी आधार पर संकुचन दर्ज किया गया। (3) ऊर्जा एवं कोयला जैसे महत्वपूर्ण साधनों की आपूर्ति में कमी रही।

पूंजीगत माल क्षेत्र ने वर्ष 2012-13 में लगातार दूसरे वर्ष नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। यह एक विताजनक घटना थी, क्योंकि पूंजीगत माल में संकुचन निवेशों में कमी और उसके कारण समग्र संवृद्धि में कमी का संकेत है।

कर्नाटक की कुछ खदानों से प्रतिबंध हटाए जाने से उम्मीद है कि आनेवाले महीनों में खनन क्षेत्र में कुछ सकारात्मक संवृद्धि होगी। इसके अलावा सामान्य मानसून न केवल कृषि उत्पादन बल्कि जल विद्युत के उत्पादन में योग देने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विनिर्माण क्षेत्र में संवृद्धि लाने के लिए परियोजनाओं को शीघ्र अनुमोदित करने और नीतिगत बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। साथ ही, हाल के महीनों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई नीतिगत ब्याज दर कटौतियों के संचारण के विलंबित प्रभाव से भी आनेवाले महीनों में संवृद्धि हो सकती है।

क्षेत्रवार विश्लेषण:

फरवरी, 2013 की तुलना में मार्च, 2013 में संकुचन का प्रभाव धीमा पड़ गया, फिर भी खनन क्षेत्र का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा। सितंबर, 12 के माह को छोड़कर 2012-13 के अन्य सभी महीनों में खनन क्षेत्र ने ऋणात्मक संवृद्धि दर्ज की। पूरे 2012-13 वर्ष के लिए खनन क्षेत्र ने 2.5 प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया, जो पिछले वर्ष के 1.9 प्रतिशत संकुचन से भी बदतर स्थिति है। कर्नाटक एवं गोआ में खनन पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण खनिज निकासी में कमी आई। हाल ही में कर्नाटक के कुछ लौह अयस्क खदानों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिससे इस क्षेत्र में कुछ हद तक संवृद्धि वापस आ सकती है।

जल विद्युत उत्पादन में गिरावट के कारण वर्ष 2012-13 में विद्युत क्षेत्र की संवृद्धि पिछले वर्ष के 8.2 की तुलना में कम होकर 4.0 प्रतिशत रह गई। तथापि फरवरी, 13 में घटने के बाद ताप एवं जल विद्युत के क्षेत्र में मार्च, 2013 में सुधार हुआ और विद्युत क्षेत्र में 3.5 प्रतिशत की संवृद्धि आई।

फरवरी, 2013 में 1.9 प्रतिशत की तुलना में संवृद्धि दर के बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो जाने के कारण मार्च, 13 में विनिर्माण क्षेत्र ने कुछ सुधार दर्ज किया गया। विनिर्माण क्षेत्र में आने वाले बाईस उद्योगों में से पिछले माह के तेरह की तुलना में मार्च, 13 में दस ने धनात्मक संवृद्धि दर्ज की।

Main factors behind subdued industrial production growth in 2012-13 are (1) Mining sector reported contraction throughout the year (2) Capital Goods sector also reported contraction on a cumulative basis in 2012-13. (3) Shortages in supply of crucial inputs like power and coal.

Capital goods sector has reported negative growth for the second successive year in 2012-13. This was a worrying development as contracting capital goods indicates slowdown in investments and hence overall growth.

Lifting of ban on some mines in Karnataka is expected to lead to some positive growth in the Mining sector in the coming months. Further a normal monsoon is crucial not only for agricultural output but also for aiding in hydro electricity generation. In order to support growth in the manufacturing sector, expediting clearances on projects and clearing policy log jams are required. Also the lagged impact of transmission of policy rate cuts by RBI in the recent months may support growth in the coming months.

Sector-wise Analysis:

Mining sector continued to report dismal performance though the pace of contraction slowed in Mar-13 compared to February 2013. Barring the month of Sep-12, mining sector reported negative growth in all the other months in 2012-13. For the full year 2012-13 mining sector reported contraction of 2.5 per cent worse than a contraction of 1.9 per cent seen in the previous year. Imposition of ban on mining in states of Karnataka and Goa, had led to decline in output of minerals. Recently ban lifted on some iron ore mines in Karnataka could lead to some growth returning to this sector.

The growth in electricity sector in the year 2012-13 was lower at 4.0 per cent compared to 8.2 per cent in the previous year because of a decline in hydro electricity generation. However, Electricity sector rose by 3.5 per cent in March'2013 aided by a growth in thermal and hydel electricity after contracting in the month of February'13.

Manufacturing sector reported some improvement in Mar-13 as growth rose to 3.2 per cent compared to 1.9 per cent in the month of February 2013. Out of the twenty two industries covered by the manufacturing sector, ten reported positive growth in Mar-13 compared to thirteen in the previous month.

अप्रैल- मार्च/Apr-Mar	खदान/Mining		विनिर्माण/Manufacturing		विद्युत/Electricity		सामान्य/General	
	(141.57)		(755.27)		(103.16)		(1000.00)	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
	-1.9	-2.5	3.0	1.2	8.2	4.0	2.9	1.0

(figures in brackets are respective weightages)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित भारांक हैं)

प्रयोग आधारित वर्गीकरण :

वर्ष 2012-13 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं में संचयी आधार पर संवृद्धि में 6.3% का संकुचन दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह 4.0% रहा था। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की संवृद्धि में पिछले वर्ष की 2.6% की कमी की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान 2.1% की कमी आई।

Use-Based Classification:

Growth in capital goods during 2012-13 on a cumulative basis reported contraction of 6.3% compared to contraction of 4.0% in the previous year. During the year 2012-13 growth in consumer durables stood a shade lower at 2.1% compared to 2.6% in the previous year.

अप्रैल- मार्च/Apr-Mar	बुनियादी वस्तुएं/Basic Goods (456.82)		पूंजीगत वस्तुएं/Capital Goods (88.25)		मध्यवर्ती वस्तुएं/Intermediate Goods (156.860)	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
	5.5	2.3	-4.0	-6.3	-0.6	1.2

अप्रैल- मार्च/Apr-Mar	उपभोक्ता वस्तुएं/ Consumer Goods (298.08)		टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं/ Consumer durables (84.60)		गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं/ Consumer non-durables (213.47)	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
	4.4	2.4	2.6	2.1	5.9	2.7

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित भारांक हैं)
(figures in brackets are respective weightages)


महत्वपूर्ण उद्योग

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में आठ महत्वपूर्ण उद्योगों का सम्मिलित भारांक 37.90 प्रतिशत है। सम्मिलित भारांक की संवृद्धि दर मार्च, 2012 के लिए 3.0 प्रतिशत की तुलना में मार्च, 2013 में 2.9 प्रतिशत रही। अप्रैल-मार्च, 2012-13 के दौरान महत्वपूर्ण उद्योगों की सम्मिलित संवृद्धि दर 2011-12 की समान अवधि के लिए 5.0 प्रतिशत की तुलना में 2.6 प्रतिशत रही।

Core Industries

The Eight core industries have a combined weight of 37.90 per cent in the Index of Industrial Production (IIP). The combined Index had a growth rate of 2.9 per cent in March 2013 compared to their 3.0 per cent growth in March 2012. During April-March 2012-13, the cumulative growth rate of the Core industries was 2.6 per cent compared to their growth at 5.0 per cent during the corresponding period in 2011-12.

**उत्पादन में क्षेत्रवार संचयी संवृद्धि दर
SECTORWISE CUMULATIVE GROWTH RATE IN PRODUCTION**



सेवा :

सेवा क्षेत्र की संवृद्धि 6.1 प्रतिशत की सकती में डालने वाली दर तक गिर गई, जो समयावधि श्रृंखला में वर्ष 2004-05 से अब तक की सबसे कम संवृद्धि दर है। इससे पहले सबसे कम 6.2 प्रतिशत की संवृद्धि दर सेवा क्षेत्र में वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही में दर्ज की गई थी। यह सेवा क्षेत्र की लगातार चौथी तिमाही गिरावट है। सेवा क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 65 प्रतिशत थी, जिसमें उद्योग की 18 प्रतिशत तथा कृषि की 17 प्रतिशत भागीदारी थी। सेवा क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2012-13 की दूसरी तिमाही में 70 प्रतिशत देखी गई थी, जिसकी संवृद्धि दर अब गिरावट के नए स्तर को छू रही है।

Services:

The services sector grew at a shocking low of 6.1 per cent, the lowest growth rate in the time-series since 2004-05. The lowest growth rate in services sector was at 6.2 per cent reported during Q4 2008-09. This is the fourth successive quarterly decline in services growth rate. Services constitute nearly 65 per cent of GDP in Q3 2012-13 with share of industry at 18 per cent and agriculture at 17 per cent. The share of services has declined from 70 per cent seen in Q2 2012-13 as growth rate in the sector has plunged to a new low.

	2011-12			2012-13			2011-12	2012-13
	प्र.ति./Q1	द्वि.ति./Q2	तृ.ति./Q3	प्र.ति./Q1	द्वि.ति./Q2	तृ.ति./Q3		अग्रिम अनुमान Advance Estimates
सेवाएं/Services	8.9	8.5	8.3	7.0	7.2	6.1	8.2	6.6
व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार/ Trade, hotels, transport & communication	9.5	7.0	6.9	4.0	5.5	5.1	7.00	5.2
वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा एवं व्यावसायिक सेवाएं/ Financing, insurance, real estate & bus service	11.6	12.3	11.4	10.8	9.4	7.9	11.7	8.6
सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं/ Community, social & personal services	3.5	6.5	6.8	7.9	7.5	5.4	6.0	6.8

मुद्रास्फीति:


वर्ष 2012-13 में थोक मूल्य सूचकांक के रूप में आकलित हेडलाइन मुद्रास्फीति का औसत मान 7.34 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष यह 8.94 प्रतिशत था। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का स्तर मार्च, 2013 में तीन वर्ष के सबसे निचले स्तर 5.96 प्रतिशत पर पहुंच गया, जबकि फरवरी, 2013 में यह 6.84 प्रतिशत था। मुद्रास्फीति में व्यापक रूप से और सभी प्रमुख उपसमूहों (प्राथमिक, ईंधन एवं विनिर्मित उत्पाद) में कमी आई है, जिसका कारण अंशतः आधारभूत प्रभाव एवं प्रोटीन बहुल सामग्रियों (अंडे, मांस एवं मछली, दूध, दालें), चीनी, खाद्य तेल, धातु एवं वस्त्र के मूल्यों में कमी होना है। खाद्य मुद्रास्फीति भी फरवरी, 2013 माह में 10.23 प्रतिशत से घटकर 8.12 प्रतिशत हो गई है। गैर-खाद्य विनिर्माण मुद्रास्फीति में गिरावट जारी है और फरवरी माह में यह 3.79 प्रतिशत से घटकर 3.48 प्रतिशत हो गई है। बिल्डअप मुद्रास्फीति पिछले वर्ष की समान अवधि की 7.69 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष मार्च से 5.96 प्रतिशत के स्तर पर है।

Inflation:


The headline inflation measured in terms of wholesale price Index in 2012-13 averaged to 7.34 per cent as compared to 8.94 per cent during the corresponding year. The WPI inflation has declined to three year low of 5.96 per cent in March 2013 as against 6.84 per cent in February 2013. Inflation has declined across the board for all major subgroups (Primary, fuel and manufactured products) partly on account of base effect and moderation in prices of protein rich items (eggs, meat & fish, milk, pulses), sugar, edible Oil, metals and textiles. Food inflation has also declined to 8.12 per cent from 10.23 per cent in the month of February 2013. Non-food manufacturing inflation has continued to remain moderated and stood at 3.48 per cent as against 3.79 per cent in month of February. The buildup inflation since March stood at 5.96 per cent as against 7.69 per cent in the corresponding period last year.

प्रमुख समूह/Major Groups	भारांक/Weight(%)	मुद्रास्फीति/Inflation (%)		मुद्रास्फीति/Inflation (%)	
		2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
				(12माह का औसत/Avg. of 12 months)	
				(वार्षिक औसत/Yearly Avg.)(वार्षिक औसत/Yearly Avg.)	
सभी वस्तुएं/All Commodities	100	5.96	7.69	7.34	8.94
प्राथमिक वस्तुएं/Primary Articles	20.12	7.60	10.41	9.76	9.80
खाद्य वस्तुएं/Food Articles	14.34	8.73	10.11	9.86	7.30
ईंधन एवं ऊर्जा/Fuel & Power	14.91	10.18	12.82	10.53	13.96
विनिर्मित उत्पाद/Manufactured Products	64.97	4.07	5.16	5.37	7.26

थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति / WPI Inflation




क्षेत्रवार मुद्रास्फीति / Sector Wise Inflation



अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति फरवरी, 2013 के 10.91 प्रतिशत से कम होकर मार्च, 2013 में 10.39 प्रतिशत हो गई, जिसका कारण मुख्य रूप से दालों, अंडे, मांस एवं मछली तथा दूध के मूल्य में कमी आना है। जैविक उत्पादों (अंडा, मांस एवं मछली) की कीमतों में लगातार वृद्धि, उर्वरकों (गैर-यूरिया) के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के साथ-साथ अनाज एवं दालों की कीमतों में उछाल और डीजल के नियंत्रित मूल्य में वृद्धि के कारण समय-समय पर खाद्य मुद्रास्फीति में विविध दरों से वृद्धि होती रही और यह वर्ष 2012-13 में औसतन 9.08 प्रतिशत रही, जबकि वर्ष 2011-12 में यह 7.91 प्रतिशत थी। प्रमुख सूचकांकों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के मामलों में भी यही रुझान रहा। वर्ष 2012-13 में औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की औसत मुद्रास्फीति 10.00 प्रतिशत दर्ज की गई जो पिछले वर्ष 8.82 प्रतिशत थी। हालांकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का बढ़ा स्तर अंशतः उपभोक्ता वस्तुओं की सूची में से खाद्य वस्तुओं के ऊंचे भारांक को प्रदर्शित करता है, सेवा एवं आवास क्षेत्रों में मूल्य का दबाव भी लगातार बढ़ता रहा है, जिन्हें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की सूची में शामिल किया गया है।

The all India CPI inflation has declined to 10.39 per cent in March 2013 from 10.91 per cent in the Feb-2013 mainly on account of moderation in pulses, egg, meat & fish and milk. The persistently elevated prices for animal products (eggs, meat & fish), rise in the prices of cereals & pulses along with the international prices of fertilizers (non-urea) and the increase in administered prices of diesel have contributed to food inflation to differing degrees overtime which averaged at 9.08 per cent in 2012-13 as compared to 7.91 per cent during the corresponding year 2011-12. The consumer Price Inflation for major indices followed a similar trend. The CPI - IW inflation in 2012-13 averaged 10.00 per cent as compared to 8.82 per cent in the last year. While part of the higher CPI inflation reflects the high weight of food in the consumption basket, price pressures have persisted in services and housing which are included in the CPI basket.

हेडलाइन बनाम महत्वपूर्ण / Headline vs. Core




चालू खाता घाटा

वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही के लिए चालू खाता घाटा (सीएडी) अमरीकी डॉलर 32.6 बिलियन था, जिसका मान सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में 6.7% बैठता है। यह निरपेक्ष रूप से और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भी अधिकतम तिमाही चालू खाता घाटा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चालू खाता घाटा लगातार एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। तीन तिमाहियों के लिए चालू खाता घाटे का औसत स्तर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5.3% है और पूरे वर्ष के लिए इसके 5% रहने की संभावना है। यह पिछले वर्ष के चालू खाता घाटा, सकल घरेलू उत्पाद के रिकार्ड स्तर 4.2% से भी अधिक है। स्वर्ण आयात अभी भी ऊंचे स्तर पर बना हुआ है और तीसरी तिमाही के दौरान इसमें वृद्धि हुई है। इसके अलावा, चालू खाता घाटे के एक बड़े हिस्से की प्रतिपूर्ति विदेशी संस्थागत निवेशकों के प्रवाह से होती है, जो अस्थिर होने के कारण स्वाभाविक रूप से जोखिम भरे होते हैं। यह अक्सर कहा जाता है कि इतने बड़े चालू खाता घाटे को वित्त प्रदान करने से पूंजी प्रवाह के बाहर चले जाने और अर्थव्यवस्था के अचानक थम जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। बहुत हद तक यह पूंजी प्रवाह अल्पावधि लाभ कमाने के लक्ष्य से किया जाता है। यदि पूंजी के बाहर निकल जाने का जोखिम वास्तविक हो जाए तो विनिमय दर अस्थिर हो जाएगी, जिससे समष्टि आर्थिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

Current Account Deficit

The current account deficit (CAD) for Q3 2012-13 was at US\$ 32.6 billion, implying a ratio of 6.7% of GDP. This is the highest quarterly current account deficit in both absolute terms and in terms of percentage of GDP. CAD continues to pose a serious challenge for Indian economy. **The average CAD levels for the three quarters is around 5.3% of GDP and is likely to be around 5% of GDP for the whole year. This is higher than previous year record level of CAD at 4.2% of GDP.** Gold imports continue to be high and have risen during the third quarter. Moreover, large portion of CAD was financed by FII flows which are volatile and risky in nature. It is said that in trying to finance such a large CAD, the economy is getting exposed to the risk of sudden stop and exit of capital flows. This will be the case to the extent capital flows is in pursuit of short-term profits. Should the risk of capital exit materialize, the exchange rate will become volatile causing knock-on macroeconomic disruptions.



निर्यात, आयात एवं व्यापार घाटा :

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान निर्यात अमरीकी डॉलर में 301 बिलियन रहा। वर्ष 2012-13 के लिए निर्यात वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 1.76 प्रतिशत की दर से घटा। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान आयात में 0.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह अमरीकी डॉलर में 492 बिलियन रहा। फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यापार घाटा 4.12 प्रतिशत बढ़ा और वित्तीय वर्ष 13 अमरीकी डॉलर में 191 बिलियन हो गया। व्यापार घाटे में वृद्धि से अर्थव्यवस्था की ढांचागत कमजोरी का पता चलता है - निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में कमी के साथ आयात की मांग में वृद्धि। कच्चे माल की ऊंची लागत, निम्न श्रम उत्पादकता, ढांचागत बाधाएं, भूमि

Exports, Imports and Trade Deficit :

Exports during FY 2012-13, stood at US\$ 301 billion. For the year 2012-13, exports contracted by 1.76 per cent on a y-o-y basis. Imports, during FY 2012-13 grew by 0.44 per cent and stood at US\$ 492 billion. As a result, trade deficit for FY 2012-13 widened by 4.12 per cent to US\$ 191 billion in FY 13. The increase in trade deficit reflects a wider structural weakness in the economy - high import demand combined with a loss of export competitiveness. India's export competitiveness is on a decline due to structural issues like high raw material cost, lower labour productivity, infrastructural bottlenecks, difficulty in land

अधिग्रहण में कठिनाई, भारत एवं प्रमुख व्यापारिक सहयोगियों के बीच उच्चतर मुद्रास्फीति विभेदक, आदि ढांचागत समस्याओं के कारण भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में गिरावट आ रही है। यद्यपि प्रमुख निर्यात स्थलों पर सुदीर्घ आर्थिक मंदी के कारण भारत का निर्यात प्रभावित हो रहा है, अब मौसम के आधार पर माह-दर-माह समायोजित रूप में निर्यात गति पकड़ने लगा है। मार्च, 2013 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 6.97 प्रतिशत की दर से निर्यात बढ़ा है। दूसरी ओर आयात में 2.87 प्रतिशत की कमी आई है। मार्च में पिछले वर्ष से 16.56 प्रतिशत कम तेल आयात किया गया। तेल आयात बिल के कम होने का मूल कारण कच्चे तेल की कीमतों में कमी आना था। वित्तीय वर्ष 2012-13 का गैर-तेल आयात पिछले वर्ष से 5.4 प्रतिशत अधिक रहा। तथापि स्वर्ण के मूल्य में हाल ही में आई गिरावट के कारण आने वाले महीनों में गैर-तेल आयात के बिल में कमी आने की संभावना है।

acquisition, higher inflation differential between India and major trading partners, etc. Although prolonged economic slowdown in key export destinations has been affecting India's exports, it has gained momentum recently on a seasonally adjusted m-o-m basis. Exports in March 2013 grew by 6.97 per cent on y-o-y basis. Imports on the other hand, contracted by 2.87 per cent. Oil imports in March were 16.56 per cent lower than the previous year. Lower crude oil prices were primarily the reason for lower oil import bill. Non-oil imports for FY 2012-13 grew by 5.4 per cent over the previous year. However, the recent plunge in the gold prices is expected to reduce the non-oil import bill in the coming months.

निर्यात और आयात (मिलियन अमरीकी डॉलर में)/Exports and Imports (in US \$ million)						
मद/Item	2011-12 (अप्रैल-मार्च)/ (Apr-Mar)	2012-13 (अप्रैल-मार्च)/ (Apr-Mar)	वर्ष-दर-वर्ष/ Y-o-Y	मार्च/March		मार्च 2013 में % परिवर्तन/ % Change in March 2013
				2012	2013	
निर्यात/Exports	305964	300571	-1.76	28839	30850	6.97
आयात/Imports	489320	491487	0.44	42381	41165	-2.87
तेल आयात/Oil Imports	154968	169253	9.22	15972	13327	-16.56
गैर-तेल आयात/ Non-Oil Imports	334352	322234	-3.62	26408	27838	5.4
व्यापार शेष/Trade Balance	-183356	-190917	4.12	-13542	-10315	-23.83


विनिमय दर

रुपया वित्तीय वर्ष 2008 में एक डॉलर के लिए 45.9 रुपये की वार्षिक औसत दर से अवमूल्यित होकर वित्तीय वर्ष 2012 में एक डॉलर के लिए 48.0 रुपये रह गया। वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान इसमें 5.0% और अवमूल्यन हुआ और यह एक डॉलर के लिए 54.4 रुपये हो गया। साथ ही एक ही वर्ष के दौरान कई बार ऐसे दिन भी आए जब रुपया बहुत अधिक अवमूल्यित होकर एक डॉलर के लिए 57 रुपये की दर को भी पार कर गया। रुपये की गति के निर्धारण में यूरो-डॉलर विनिमय दर में परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ा।

Exchange Rate

The rupee has depreciated from an annual average rate of ₹ 45.9 to a dollar in FY08 to ₹ 48.0 to a dollar in FY12. This has further depreciated by 5.0%, to ₹ 54.4 to a dollar during FY13; also there have been days of considerable depreciation when the exchange rate has crossed even the ₹ 57 to a dollar rate during the year. Dynamics in the Euro-Dollar exchange rate would also have a bearing on movement of the rupee derived thereof.

वित्तीय वर्ष 13 में रुपये-डॉलर विनिमय दर
Rupee-Dollar Exchange Rate in FY 13



डॉलर की मांग ऊंची बनी रहने के कारण रुपये में कमजोरी आनी तय है। चालू खाता शेष में सुधार और बढ़ते पूंजी प्रवाह के कारण थोड़ी राहत मिलने की आशा की जा रही है। कमजोर रुपया निर्यात में हो रही वृद्धि को और बढ़ाएगा, भारत के लिए आयात और महंगा होगा।

विदेशी मुद्रा भंडार


22 मार्च, 2013 को विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर 293.37 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जिसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का योगदान 260.42 था जबकि 22 फरवरी, 2013 को विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर 291.92 बिलियन अमरीकी डॉलर ही था। वर्ष 2009 के दौरान 250 बिलियन के स्तर तक गिरावट के बाद यह एक उल्लेखनीय वृद्धि है। भंडार में मौजूदा वृद्धि मुख्य रूप से भारतीय बाजार में अधिक विदेशी निवेश आने के कारण है। शेयर बाजार सूचकांकों में उछाल बड़ी मात्रा में विदेशी संस्थागत निवेश को आकर्षित कर रहा है। भारत और शेष विश्व के बीच उच्च ब्याज दर अंतराल भी इस वृद्धि में सहायक हुई है, जो आगे भी कुछ समय के लिए बनी रहेगी।

विदेशी संस्थागत निवेश

भारतीय अर्थव्यवस्था में औसत मासिक विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) मार्च, 2013 में 2741.49 मिलियन अमरीकी डॉलर था, जिसमें इक्विटी का हिस्सा 1675.48 मिलियन अमरीकी डॉलर था। जबकि फरवरी, 2013 में यह 5318.21 मिलियन अमरीकी डॉलर था जिसमें इक्विटी का हिस्सा 4575.26 मिलियन अमरीकी डॉलर था। भारत सरकार द्वारा घोषित सुधार पैकेज को बुनियादी स्तर से लागू करना यदि संभव हो पाया तो प्रवाह और भी बढ़ेगा, जिससे शेयर बाजार सूचकांक और ऊपर चढ़ेंगे।

शेयर बाजार

वित्तीय वर्ष 2012 तथा वित्तीय वर्ष 2013 के अधिकांश हिस्से में निम्न स्तर पर रहने के बाद शेयर बाजार अब ऊपर चढ़ने लगा है। भारतीय बाजार के बारे में यह आम धारणा है कि यह विदेशी संस्थागत निवेशों से संचालित होता है। विदेशी संस्थागत निवेशों और शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव में 0.83 का मजबूत अंतर्संबंध स्पष्ट है।



With demand for dollars remaining high, the rupee is bound to reflect some weakness. Mild comfort is expected to come from improved current account balance and increased capital inflows. While a weaker rupee would aid in exports growth, imports for India would also become more expensive.

Foreign Exchange Reserves


Foreign exchange reserves on March 22, 2013 stood at US\$ 293.37 billion to which foreign currency assets contributed US\$ 260.42 billion, as against US\$ 291.92 billion on February 22, 2013.. This is a substantial gain from the below 250 billion mark during 2009. The recent rise in reserves is mainly due to the rise in inflow of foreign investment into Indian market. The rise in the stock market indices attracting huge FII inflows. The high interest rate differentials between India and the rest of the world, which is also likely to continue for some time, must have helped in this increase.

Foreign Institutional Investment

The average monthly foreign institutional investments (FIIs) in the Indian economy was at US\$ 2741.49 million in March, 2013 of which equity was of US\$ 1675.48 million, as against US\$ 5318.21 million for February, 2013 of which equity was US\$ 4575.26 million. The reform packages by the Indian government if implemented at the ground level then inflows may rise pushing up the stock market indices further.

Stock Markets

After being subdued in FY12 and for most part of FY13, stock markets have begun an upward move. Indian markets are widely regarded to be driven by FII inflows. There has been a strong correlation between FII inflows and stock market movements at 0.83.




राजकोषीय घाटा

2013-14 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटे को 5.13 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा संशोधित करते हुए 5.2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि बजट अनुमान के अनुसार जीडीपी के 5.1% की तुलना में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.2% है। अक्टूबर, 2012 में जारी सरकार की राजकोषीय समेकन योजना में पूर्व प्रस्तावित 5.3% के आंकड़े से भी यह संशोधित आंकड़ा कम ही है। इसका कारण यह है कि मजबूत नकदी स्थिति के कारण सरकार ने फरवरी, 2013 में होने वाली रु. 12,000 करोड़ की नीलामी को रद्द कर दिया है।

Fiscal Deficit

The Union Budget 2013-14 revised the fiscal deficit slightly upwards to ₹ 5.2 lakh cr from 5.13 lakh cr. This implies fiscal deficit at 5.2% of GDP compared to budgeted estimate of 5.1% of GDP. The revised number was even lower than earlier projected number of 5.3% of GDP in Government's fiscal consolidation plan released in Oct-12. This was because Government cancelled an auction of ₹ 12,000 Cr in Feb-13 because of its healthy cash position.



I. राजस्व पहलू

कर राजस्व : सरकार ने वर्ष 2012-13 के लिए अनुमानित निवल कर राजस्व को ₹ 7.7 लाख करोड़ से घटाकर ₹ 7.4 लाख करोड़ कर दिया है। करों के अंतर्गत निगम कर, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क में वृद्धि के अनुमानों को घटा दिया गया है और आय कर एवं सेवा कर में वृद्धि के अनुमानों को बढ़ा दिया गया है। अप्रैल-फरवरी की अवधि में सरकार ने ₹ 7.4 लाख करोड़ के संशोधित अनुमान की तुलना में ₹ 5.7 लाख करोड़ की वसूली की है।

अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद प्रत्यक्ष करों में लगातार अच्छी वृद्धि हो रही है। फरवरी, 2012 तक कारपोरेट कर वसूली ₹ 2.58 लाख करोड़ के स्तर पर थी, जो पिछले वर्ष से 7.7% की वृद्धि प्रदर्शित करती है। अप्रत्यक्ष करों में से सीमा शुल्क में 10.4 प्रतिशत की लक्ष्य दर की तुलना में बहुत कम दर से वृद्धि हो रही है। उत्पाद शुल्क वसूली ₹ 1.39 लाख करोड़ के स्तर पर रही, जो 18.1% के लक्ष्य दर की तुलना में 19.6% की दर से बढ़ी है। सेवा कर में लक्ष्य दर की अपेक्षा ऊंची दर से वृद्धि जारी है। सेवा कर वसूली में बजट में निर्धारित 36.1% की तुलना में दिसंबर, 2012 तक 34.9% की वृद्धि दर्ज की गई है।

I. Revenue Side

Tax Revenues: The government has lowered the projected net tax revenue for 2012-13 from ₹ 7.7 lakh cr to 7.4 lakh cr. Within taxes, growth projections have been lowered for Corporation tax, Custom duties, and Excise duties and raised for income tax and services tax. In Apr-Feb period, government has collected ₹ 5.7 lakh cr against revised estimate of ₹ 7.4 lakh cr.

Direct taxes continue to grow at a healthy pace despite slowdown in the economy. Corporate tax collections at end Feb-12 stood at ₹ 2.58 lakh cr representing an increase of 7.7% from last years. Amongst indirect taxes, customs duties continue to grow in single digits much lower than the targeted rate of 10.4 per cent. Excise duty collections stood at ₹ 1.39 lakh cr marking a growth rate of 19.6% compared to target of 18.1%. Service tax continues to grow at a rate higher than the target rate. Service tax collections reported growth of 34.9% as at end Dec-12 compared to 36.1% set in the budget.

गैर-कर राजस्व : संघीय बजट 2012-13 में सरकार ने इस श्रेणी के अंतर्गत ₹ 1.64 लाख करोड़ की राशि अनुमानित की थी, जिसे 2013-14 के बजट में संशोधित करके ₹ 1.29 लाख करोड़ तक घटा दिया गया। कमी का यह संशोधन ब्याज प्राप्तियों और ₹ 40,000 करोड़ के मूल्य के स्पेक्ट्रम की बिक्री जैसी अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्तियों को देखते हुए किया गया था। स्पेक्ट्रम की बिक्री की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं रही और इसके कारण 2012-13 के अनुमान में कमी का संशोधन करना पड़ा।

गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां : इस श्रेणी में सरकार ने लक्ष्य को ₹ 41,650 करोड़ से संशोधित करके ₹ 38,073 करोड़ कर दिया है। यह संशोधन मुख्य रूप से निम्नतर विनिवेश लक्ष्य के कारण किया गया है। अप्रैल-फरवरी की अवधि में सरकार को विनिवेश के जरिये ₹ 33,352 करोड़ सहित इस श्रेणी में कुल ₹ 22797 करोड़ की आय हुई है।

II. व्यय पहलू

गैर-योजना व्यय : बजट में गैर-योजना व्यय ₹ 9.69 लाख करोड़ था, जिसे ऊपर की ओर संशोधित कर ₹ 10.01 लाख करोड़ किया गया था। यह संशोधन उच्चतर सब्सिडी बिल के कारण किया गया था, जिसे ऊपर की ओर संशोधित करके ₹ 1.79 लाख करोड़ से ₹ 2.48 लाख करोड़ किया गया था। सब्सिडियों के अंतर्गत तेल सब्सिडी को ₹ 43,580 करोड़ से अत्यधिक ऊपर की ओर संशोधित करके ₹ 96,880 करोड़ कर दिया गया था।

अप्रैल-फरवरी, 2012 की अवधि के लिए गैर-योजना व्यय ₹ 8.67 लाख करोड़ था। बीई के प्रतिशत के रूप में गैर योजना व्यय आरई का 86.5% था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के बीई के 87.3% की अपेक्षा कम था।

योजना व्यय: संशोधित अनुमान में योजना व्यय को ₹ 5.2 लाख करोड़ से बहुत अधिक घटाकर ₹ 4.3 लाख करोड़ कर दिया गया था। मुख्य रूप से इस खंड के व्यय में कटौती करके ही सरकार राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.2% तक सीमित रख पाई थी। अप्रैल-फरवरी की अवधि में योजना व्यय ₹ 3.53 लाख करोड़ दर्ज किया गया था।

मुद्रा और बैंकिंग

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी): भारत में कारोबार

मुद्रा आपूर्ति में संवृद्धि 2012-13 की पहली तिमाही में लगभग 14.0 प्रतिशत रही, लेकिन उसके बाद मीयादी जमा में संवृद्धि में कमी के कारण इसकी दर नीचे गिर कर दिसंबर में 11.2 तक पहुंच गई। चौथी तिमाही में जमा अभियान ने गति पकड़ी और मार्च के अंत तक जमा में संवृद्धि 14.3 प्रतिशत तक पहुंच गई। फलस्वरूप, मुद्रा आपूर्ति में संवृद्धि मार्च, 2013 के अंत तक 13.3 प्रतिशत पहुंच गई, जो 13.0 प्रतिशत के संशोधित संकेतक प्रक्षेप-पथ से कुछ ऊपर ही थी।

गैर-खाद्य ऋण में संवृद्धि की दर 2012-13 की शुरुआत में 18.2 प्रतिशत थी, जो कम होकर अधिकांश वर्ष में 16.0 प्रतिशत के आसपास बनी रही। मार्च, 2013 तक गैर-खाद्य ऋण में संवृद्धि की दर गिर कर 14.0 प्रतिशत हो गई, जो 16.9 प्रतिशत के संकेतक प्रक्षेप से कम थी, जिससे जोखिम उठाने के प्रति अनिच्छा और कमजोर मांग का पता चलता था।

ब्याज दर (प्रतिशत प्रति वर्ष): 29 मार्च, 2013 को बैंक दर पिछले वर्ष इसी समय की दर 9.50 की तुलना में 8.50 थी। मांग मुद्रा दर (भारत औसत) पिछले वर्ष के इसी समय के 9.95 प्रतिशत की तुलना में 7.77 प्रतिशत थी।

Non Tax Revenues: In the Union Budget 2012-13, the government had projected revenues under this category at ₹ 1.64 lakh cr which was revised lower to ₹ 1.29 lakh Cr in 2013-14 Budget. The lower revision was on account of interest receipts and other Non-tax revenue receipts like sale of spectrum worth ₹ 40,000 cr. The response to spectrum sale was poor and this has resulted in lower revised estimate for 2012-13.

Non debt capital receipts: The Government has revised target under this category from ₹ 41,650 cr to 38,073 cr. This is mainly on account of lower disinvestment target. In Apr-Feb period, Government has collected ₹ 33,352 cr in this category with ₹ 22797 cr proceeds via disinvestments.

II. Expenditure Side

Non-Plan Expenditure: The Non-Plan expenditure was budgeted at ₹ 9.69 lakh cr which was revised upwards 10.01 lakh cr. This was because of higher subsidy bill which was revised upwards from 1.79 lakh cr to 2.48 lakh cr. Within subsidies, oil subsidy was revised significantly higher from ₹ 43,580 cr to 96,880 cr.

In Apr-Feb-12 period Non Plan expenditure was at ₹ 8.67 lakh cr. As a % of BE, Non Plan spending stands at 86.5% of RE lower than 87.3% of BE seen in the same period last year.

Plan Expenditure: Plan expenditure was reduced drastically from ₹ 5.2 lakh cr to ₹ 4.3 lakh cr in revised estimate. The Government has managed its fiscal deficit at 5.2% of GDP mainly via cutting this section of expenditure. In Apr-Feb period, Plan expenditure was noted at ₹ 3.53 lakh cr.

Money and Banking

Scheduled Commercial Banks (SCBs): business in India

Money supply growth was around 14.0 per cent during Q1 of 2012-13 but decelerated thereafter to 11.2 per cent by end-December as time deposit growth slowed down. There was some pick up in deposit mobilization in Q4, taking deposit growth to 14.3 per cent by end-March. Consequently, money supply growth reached 13.3 per cent by end- March 2013, slightly above the revised indicative trajectory of 13.0 per cent.

Non-food credit growth decelerated from 18.2 per cent at the beginning of 2012-13 and remained close to 16.0 per cent for the major part of the year. By March 2013, non-food credit growth dropped to 14.0 per cent, lower than the indicative projection of 16.9 per cent, reflecting some risk aversion and muted demand.

Interest rates (per cent per annum) As on March 29, 2013, Bank Rate was 8.50 per cent as compared to 9.50 per cent on the corresponding date of last year. Call money rates (weighted average) was 7.77 per cent as compared with 9.95 per cent on the corresponding date of last year.

नीतिगत दरें/ब्याज दरें / Policy Rates/Interest Rates
(प्रतिशत प्रति वर्ष)/(per cent per anum)

मद/सप्ताहांत / Item/Week Ended	2012	2013
	मार्च/March 30	मार्च/March 29
नकदी आरक्षित अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾ /Cash Reserve Ratio (per cent) ⁽¹⁾	4.75	4.00
बैंक दर/Bank Rate	9.50	8.50
रेपो दर/Repo Rate	8.50	7.50
रिवर्स रेपो दर/Reverse Repo Rate	7.50	6.50
मूल उधार दर ⁽²⁾ /Prime Lending Rate ⁽²⁾	10.00 / 10.75	9.70 / 10.25
जमा दर ⁽³⁾ /Deposit Rate ⁽³⁾	8.50 / 9.25	7.50 / 9.00
मांग मुद्रा दर (भारित औसत) ⁽⁴⁾ /Call Money Rate (Weighted Average) ⁽⁴⁾	9.95	7.77

⁽¹⁾ नकदी आरक्षित अनुपात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), ⁽²⁾ मूल उधार दर पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है, ⁽³⁾ जमा दर एक वर्ष से अधिक परिपक्वता वाली मीयादी जमाओं के लिए प्रमुख बैंकों से संबंधित है, ⁽⁴⁾ इन आंकड़ों में प्रतिभागियों द्वारा रिपोर्ट किए गए कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत को शामिल किया गया है।
⁽¹⁾Cash Reserve Ratio relates to Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks). ⁽²⁾Prime Lending Rate relates to five major Banks.
⁽³⁾Deposit rate relates to major Banks for term deposits of more than one year maturity. ⁽⁴⁾Data cover 90-95 per cent of total transactions reported by participants.

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक/Source: RBI

चलनिधि :

चलनिधि पर पूरे वर्ष दबाव बना रहा, क्योंकि अधिकांश वर्ष में सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निरंतर उच्च नकदी शेष रखा गया और वृद्धिशील ऋण जमा अनुपात ऊंचाई पर बना रहा। दैनिक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत निवल औसत चलनिधि अंतःप्रवाह, जो वर्ष की पहली छमाही के दौरान ₹ 730 बिलियन के स्तर पर था, दूसरी छमाही में बहुत अधिक बढ़ा और ₹ 1,012 बिलियन के स्तर तक पहुंच गया। चलनिधि पर से दबाव को हटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात को तीन बार में कुल मिलाकर 75 आधार बिन्दु घटाया, साथ ही सांविधिक चलनिधि अनुपात में 100 आधार बिन्दु की कमी की। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) क्रय नीलामी के जरिये ₹ 1,546 बिलियन के परिमाण में चलनिधि का अंतःप्रवाह किया। एलएएफ के अंतर्गत चलनिधि का निवल अंतःप्रवाह, जो वर्षांत की मांग को देखते हुए 28 मार्च, 2013 तक ₹ 1,808 बिलियन के शिखर पर पहुंच गया था, अप्रैल, 2013 के अंत तक तेजी से गिरकर ₹ 842 बिलियन हो गया।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति संयुक्त राज्य अमरीका की राजकोषीय गिरावट की समस्या और यूरो जोन के परिक्षेत्र की अनिश्चितताओं के कारण कमजोर बनी हुई है। ग्रीक ऋण संकट के बदतर होने, स्पेन में राजकोषीय एवं बैंकिंग समस्याएं, आसपास के देशों में अशांति, बैंकिंग यूनियन की प्राप्ति में धीमी प्रगति तथा प्रमुख मुद्दों पर राजनीतिक रूप से आम सहमति बनाने में आ रही कठिनाई के कारण यूरो जोन के सामने विशिष्ट जोखिम की स्थिति पैदा हो गई है।

हालांकि यूरोपियन केन्द्रीय बैंक द्वारा घोषित एकमुश्त मौद्रिक लेनदेन (ओएमटी) ने अस्थायी रूप से राहत दी है, बाजार पर निवेशकों के जोखिम लेने और जोखिम से बाहर हो जाने का व्यवहार अभी भी हावी है, जिसके कारण मुद्रा एवं शेयर बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। साथ ही, विकसित देशों में निम्न ब्याज दर के रिकार्ड स्तर और मात्रा के स्तर पर सुस्ती के कारण 2008 संकट के तुरंत पहले वाली स्थिति की भांति "प्रतिफल की खोज" व्यवहार देखा जा रहा है। 2008 संकट के बाद मजबूती से बढ़ने वाली चीन, ब्राजील और भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भी मंदी दिखने से वैश्विक अर्थव्यवस्था की परेशानियां और बढ़ गई हैं।

Liquidity

Liquidity remained under pressure throughout the year because of the Government maintaining a persistently high cash balances with the Reserve Bank and elevated incremental credit to deposit ratio for much of the year. The net average liquidity injection under the daily liquidity adjustment facility (LAF), at ₹ 730 billion during the first half of the year, increased significantly to ₹ 1,012 billion during the second half. In order to alleviate liquidity pressures, the Reserve Bank lowered the CRR of SCBs cumulatively by 75 bps on three occasions and the statutory liquidity ratio (SLR) by 100 bps during the year. Additionally, the Reserve Bank injected liquidity to the tune of ₹ 1,546 billion through open market operation (OMO) purchase auctions. The net injection of liquidity under the LAF, which peaked at Rs.1,808 billion on March 28, 2013 reflecting the year-end demand, reversed sharply to ₹ 842 billion by end-April 2013.

Global Economy


The global economic climate continues to be fragile with the problem of fiscal cliff in US and uncertainties surrounding the Euro zone. The Euro zone is at particular risk due to worsening Greek debt crisis, fiscal and banking problems in Spain, social unrest in peripheral countries, slow progress in achieving banking union and difficulty in building political consensus on major issues.

While the Outright Monetary Transactions (OMT) announced by European Central Bank has provided a temporary reprieve, the risk on/ risk off behavior of investors continues to rule markets, contributing to heightened currency and stock market volatility. At the same time, record low interest rates in advanced countries and quantitative easing has contributed to "search-for-yield" behavior similar to what prevailed immediately prior to the 2008 crisis. The slowdown in emerging economies like China, Brazil and India that grew strongly after the 2008 crisis, is adding to the global economic woes.


2012 के दौरान वास्तविक जीडीपी संवृद्धि में पुनः तेजी आई और इसके बने रहने का अनुमान है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में यूरो क्षेत्र में संवृद्धि के मंद रहने का अनुमान लगाया गया है। उमरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विकासशील एशिया और लैटिन अमरीका क्रमशः भारत और ब्राजील के कार्यकलाप के पुनः गतिवर्धन पर प्रभावी रूप से निर्भर करते हैं।

Real GDP growth reaccelerated during 2012 and is forecast to continue to do so. Among the advanced economies, growth is projected to stay subdued in the euro area. Among emerging market and developing economies, the performance of developing Asia and Latin America depend importantly on a reacceleration of activity in India and Brazil, respectively.


1. संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान (वार्षिक आधार पर तिमाही में प्रतिशत परिवर्तन)
United States and Japan
(annualized quarterly percent change)




2. यूरो क्षेत्र (वार्षिक आधार पर तिमाही में प्रतिशत परिवर्तन)
Euro Area
(annualized quarterly percent change)



3. विकसित एशिया (वार्षिक आधार पर छमाही-दर-छमाही प्रतिशत परिवर्तन)
Developing Asia
(Half-over-half annualized percent change)



4. लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (वार्षिक आधार पर छमाही-दर-छमाही प्रतिशत परिवर्तन)
Latin America and Caribbean
(half-over-half annualized percent change)



स्रोत: आईएमएफ स्टाफ एस्टिमेट्स
Source: IMF staff estimates

आईएमएफ ने अपने हाल के वैश्विक आर्थिक मूल्यांकन (वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक अप्रैल, 2013) में वैश्विक आर्थिक वातावरण में बेहतरी और बढ़ते जोखिम के संकेत दिए हैं। इसी प्रकार, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के 2013 में 1.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने के अनुमान के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2013 में 3.3 प्रतिशत और 2014 में 4.0 प्रतिशत की दर से बढ़ने का आकलन किया गया है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं की संवृद्धि को आईएमएफ ने और अधिक नीचे की ओर संशोधित करके 2013 के लिए 5.3 प्रतिशत कर दिया है। अग्रणी उभरते बाजार, जैसे चीन और भारत की संवृद्धि दर 2013 में और कम होने की संभावना है। भारत की जीडीपी (2004-05 के मूल्यों पर) के 2013 में 5.7 प्रतिशत एवं 2014 में 6.2 प्रतिशत से बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। चीन के 2013 एवं 2014 में क्रमशः 8.0 एवं 8.2 प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है। वैश्विक व्यापार के आकार में संवृद्धि दर के इस वर्ष 3.6 प्रतिशत तक गिर जाने की संभावना है, जो वर्ष 2012 में 2.5 प्रतिशत, 2011 में 6.0 प्रतिशत एवं 2014 में 5.3 प्रतिशत थी।

The IMF in its latest global economic assessment (World Economic Outlook April 2013) indicates the improvement in the world economic environment and signs of increasing risks. Accordingly, global economy is estimated to grow 3.3 per cent in 2013 and 4.0 per cent in 2014 with advanced economies projected to grow by 1.2 per cent in 2013. Growth of emerging economies has been revised downward further by the IMF to 5.3 per cent in 2013. Leading emerging markets such as China and India are projected to show lower growth in 2013. India's GDP (2004-05 prices) is projected to grow to 5.7 per cent in 2013 and 6.2 per cent in 2014. China is projected to grow at 8.0 per cent in 2013 and 8.2 per cent in 2014. Growth in the volume of world trade is projected to slump to 3.6 per cent this year from 2.5 per cent in 2012, 6.0 per cent in 2011 and 5.3 per cent in 2014.

वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण प्रोजेक्शन का विहंगावलोकन/Overview of the World Economic Outlook Projections									
(प्रतिशत परिवर्तन, जब तक अलग तरह से नोट न किया गया हो)/(Percent change unless noted otherwise)									
	वर्ष दर वर्ष/ Year over Year				जनवरी 2013 से अंतर डब्ल्यूईओ अपडेट/ Difference from January 2013 WEO Update		चौथी तिमाही दर चौथी तिमाही/ Q4 over Q4		
	प्रोजेक्शन/ Projections		2013	2014	2013	2014	अनुमान/ Estimate	प्रोजेक्शन/ Projections	
	2011	2012	2013	2014	2013	2014	2012	2013	2014
वैश्विक उत्पादन ¹ /World Output ¹	4.0	3.2	3.3	4.0	-0.2	0.0	2.7	3.6	4.0
विकसित अर्थव्यवस्थाएं/Advanced Economies	1.6	1.2	1.2	2.2	-0.1	0.1	0.8	2.0	2.3
संयुक्त राज्य अमेरिका/United States	1.8	2.2	1.9	3.0	-0.2	-0.1	1.7	2.2	3.4
यूरो क्षेत्र/Euro Area	1.4	-0.6	-0.3	1.1	-0.2	0.0	-0.9	0.6	1.1
जर्मनी/Germany	3.1	0.9	0.6	1.5	0.1	0.0	0.4	1.5	1.1
फ्रांस/France	1.7	0.0	-0.1	0.9	-0.4	0.0	-0.3	0.4	1.0
इटली/Italy	0.4	-2.4	-1.5	0.5	-0.4	0.0	-2.8	-0.4	0.6
स्पेन/Spain	0.4	-1.4	-1.6	0.7	-0.1	-0.1	-1.9	-0.7	1.1
जापान/Japan	-0.6	2.0	1.6	1.4	0.4	0.7	0.4	3.8	-0.1
युनाइटेड किंगडम/United Kingdom	0.9	0.2	0.7	1.5	-0.3	-0.3	0.3	1.1	1.5
कनाडा/Canada	2.6	1.8	1.5	2.4	-0.3	0.1	1.1	2.0	2.5
अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं ² / Other Advanced Economies ²	3.3	1.8	2.5	3.4	-0.3	0.1	2.0	3.0	3.4
उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं ³ / Emerging Market and Developing Economies ³	6.4	5.1	5.3	5.7	-0.2	-0.1	5.2	5.7	5.9
विकासशील एशिया/Developing Asia	8.1	6.6	7.1	7.3	0.0	-0.1	7.2	7.0	7.4
चीन/China	9.3	7.8	8.0	8.2	-0.1	-0.3	7.9	7.8	8.3
भारत/India	7.7	4.0	5.7	6.2	-0.2	-0.1	4.1	5.8	6.2
एशियान 5 ⁴ /ASEAN-5 ⁴	4.5	6.1	5.9	5.5	0.3	-0.2	9.0	5.3	5.5
विश्व व्यापार की मात्रा (वस्तुएं एवं सेवाएं)/ World Trade Volume (goods and services)	6.0	2.5	3.6	5.3	-0.2	-0.1
आयात/Imports									
विकसित अर्थव्यवस्थाएं/Advanced Economies	4.7	1.0	2.2	4.1	0.0	0.0
उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं/ Emerging Market and Developing Economies	8.6	4.9	6.2	7.3	-0.3	-0.4
निर्यात/Exports									
विकसित अर्थव्यवस्थाएं/Advanced Economies	5.6	1.9	2.8	4.6	0.0	0.1
उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं/ Emerging Market and Developing Economies	6.4	3.7	4.8	6.5	-0.8	-0.4

स्रोत: आईएमएफ वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक अप्रैल, 2013/Source: IMF World Economic Outlook April 2013

जीडीपी के आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की मंदी के लंबे समय तक जारी रहने का संकेत देते हैं। संवृद्धि को वापस लाने के लिए गंभीर चिंतन जरूरी है। लेकिन यह ऊपर चढ़ते उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की पृष्ठभूमि में चालू खाता तथा राजकोषीय घाटे के स्तर के विस्तृत होने के कारण अत्यधिक दबाव में है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां बनकर खड़ी हैं। यद्यपि राजकोषीय पहलू में समेकन के कुछ संकेत मिल रहे हैं, सीएडी स्तरों का ऊपर चढ़ना जारी है।

इसी तरह, वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण मिश्रित बना हुआ है। हालांकि यूरो क्षेत्र संकट की स्थिति से एक के बाद दूसरे सदस्य का प्रभावित होना जारी है, हाल ही में खर्च में की गई कटौतियों के बावजूद अमेरिका के उबरने के संकेत दिख रहे हैं। जापान में, अर्थव्यवस्था को अवस्फीति की अवस्था से बाहर लाने के उद्देश्य से केन्द्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में ढील देने के लिए दृढ़ता से उठाए गए उपायों के कारण अर्थव्यवस्था में विश्वास वापस लौटा है।

भविष्य से अपेक्षाएं

फिर भी, मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और सामान्य मानसून की संभावना के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत उपायों, जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (सब्सिडियों का), ईंधन की कीमतों को स्वतंत्र करना, स्वर्ण आयात पर कठोर नियंत्रण, विदेशी निवेश को आसान बनाना आदि से अर्थव्यवस्था के निश्चितता के स्तर तक ऊपर उठने की संभावना जगी है। फलस्वरूप, वैश्विक संवृद्धि के आसार को देखते हुए कुछ समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के इस विक्षोभ से बाहर निकल आने की संभावना है।

II. 2012-13 में बैंक का कार्य-निष्पादन:

3. यूको के डिलिवरी चैनल:

पारंपरिक नेटवर्क:

मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार बैंक के 10 सर्किल कार्यालय, 41 अंचल एवं 2614 शाखाएं थीं जिनमें चार विदेशी शाखाएं, सिंगापुर एवं हांग-कांग में दो-दो, शामिल हैं। मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार बैंक में तीन विस्तार पटल हैं।

बैंक ने वर्ष 2012-13 के दौरान 220 शाखाएं खोलकर अपने अखिल भारतीय नेटवर्क को मजबूत किया है जिससे शाखाओं की कुल संख्या मार्च, 2012 के 2390 की तुलना में मार्च, 2013 में 2610 हो गई है। वर्ष 2012-13 के दौरान टीयर-V केन्द्रों में 80 और टीयर-VI केन्द्रों में 25 शाखाएं खोली गईं।

	मार्च/March, '09	मार्च/March, '10	मार्च/March, '11	मार्च/March, '12	मार्च/March, '13
शाखा/Branch	2068	2152	2206	2394	2614

वर्ष 2012-13 में बैंक द्वारा बैंक-रहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए 701 अति लघु शाखाएं (यूएसबी) खोली गईं। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार अति लघु शाखाओं की कुल संख्या 763 थी। बैंक के पास 24 "यूको बैंक ऑन व्हील्स" हैं जो 18 अंचलों में परिचालित हैं।

शाखाओं के कार्य-निष्पादन पर बेहतर तरीके से ध्यान देने और निगरानी के लिए बैंक ने वर्ष 2012-13 में पांच और अंचल, कोयंबतूर, सूरत, देहरादून, लुधियाना एवं हरियाणा खोले थे। इससे बैंक के अंचलों की कुल संख्या मार्च, 2012 में 36 से मार्च, 2013 में 41 हो गई। इसके अतिरिक्त दो और सर्किल कार्यालय, एक समग्र उत्तर-पूर्व को शामिल करने के लिए गुवाहाटी में और एक अन्य बिहार एवं झारखंड राज्यों को शामिल करने के लिए पटना में, वर्ष 2012-13 के दौरान जोड़े गए, जिससे सर्किल कार्यालयों की संख्या बढ़कर 10 हो गई।

जनसंख्या श्रेणीवार शाखाओं का वर्गीकरण नीचे दिया गया है:

GDP data continues to show prolonged slow down for Indian economy. Serious thinking on reviving the growth is an imperative. But it is constrained in the backdrop of rising CPI inflation and widening current account and fiscal deficit levels which pose serious challenges to Indian Economy. Though there are some signs of consolidation on fiscal front, CAD levels continue to rise.

At the same time, the global economic outlook remains mixed. While within the Euro zone crisis situation continues to haunt one member after another, the US shows signs of recovery despite the recent spending cuts. In Japan, the Central Bank's bold monetary easing measures, to get the economy out of the deflationary regime, have infused confidence into the economy.

Expectations Ahead

However, some important policy measures like direct benefit transfer (of subsidies), freeing fuel prices, stringent control of gold imports, easing foreign investment, etc. supported with tamed inflationary trend and on expectation for normal monsoon are likely to generate buoyancy in the economy at a comfortable level. As a result, Indian economy subject to global growth prospects is expected to spear out of the current turmoil in the medium term.

II. PERFORMANCE OF THE BANK 2012-13 :

3. UCO's Delivery Channels:

BRICK and MORTAR Network:


As of March, 2013, the Bank had 10 Circle Offices., 41 Zones and 2614 branches which include four overseas branches, two each in Singapore and Hong Kong. The Bank has three Extension Counters as of March, 2013.

The Bank has strengthened its PAN-India network by opening 220 branches during the year 2012-13 which takes the total number from 2390 in March, 2012 to 2610 in March, 2013. During the year 2012-13, 80 branches in Tier-V and 25 in Tier-VI centres were opened.

In the year 2012-13, 701 Ultra Small Branches (USBs) were opened by the Bank to enhance Financial Inclusion in the unbanked regions. The total number of Ultra Small Branches stood at 763 as of 31st March, 2013. The Bank has 24 "UCO Bank-on-Wheels" operating in 18 Zones.

To have a better focus and monitoring over the performance of branches, the Bank had opened five more Zones namely, Coimbatore, Surat, Dehradun, Ludhiana and Haryana in the year 2012-13. It takes the total number of Zones of the Bank from 36 in March, 2012 to 41 in March, 2013. Further, two more Circle Offices, one at Guwahati to cover the entire North-East and another at Patna to cover the states of Bihar and Jharkhand, were added during the year 2012-13, thereby increasing the number of Circle offices to 10.

The population category-wise break-up of branches is given below.



विशेषीकृत शाखाएं :

मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार बैंक में छः फ्लैगशिप कारपोरेट शाखाएं, 15 मिड-कारपोरेट शाखाएं, 22 सेवा शाखाएं, 11 आस्ति प्रबंधन शाखाएं और मुंबई में एक एकीकृत कोष प्रबंधन शाखा थी। वर्ष 2012-13 के दौरान एक और आस्ति प्रबंधन शाखा हैदराबाद में खोली गई। मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार बैंक में 39 रिटेल लोन हब तथा 12 एसएमई हब भी हैं।

31 मार्च, 2013 की समाप्ति पर बैंक में 76 सिटी बैंक कार्यालय हैं जो 911 शाखाओं को सेवा प्रदान करते हैं।

वैकल्पिक डिलिवरी चैनल:

वैकल्पिक डिलिवरी चैनल अर्थात् एटीएम नेटवर्क के माध्यम से नेटवर्क के विस्तार के मामले में, वर्ष 2012-13 के दौरान खोले गए एटीएम की संख्या 497 थी जिसके फलस्वरूप 31 मार्च, 2013 को इसकी कुल संख्या 1361 हो गई।

मॉडल/Model	31 मार्च 2012/ 31 March 2012			31 मार्च 2013/ 31 March 2013			वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि/ Y-o-Y increase
	ऑनसाइट/Onsite	ऑफसाइट/Offsite	कुल/Total	ऑनसाइट/Onsite	ऑफसाइट/Offsite	कुल/Total	
केपेक्स/CAPEX	551	222	773	587	225	812	39
ओपेक्स/OPEX	0	91	91	0	137	137	46
सीपीपी/CPP	0	0	0	299	113	412	412
कुल/Total	551	313	864	886	475	1361	497

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने वैकल्पिक डिलिवरी चैनल में कई नई पहल की है जिनमें केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) का प्रारंभ, सभी एटीएम में नकदी वापस खींचने की सुविधा को समाप्त करना, एटीएम से रु. 1000 मूल्यवर्ग के नोटों का संवितरण (केवल चुनिंदा केन्द्रों पर), चालू खाते (प्रोपराइटरशिप) एवं एफडीआर के एवज में सीसी खाते में डेबिट कार्ड जारी करने की शुरुआत, डीसीआर (डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट मॉड्यूल) में इंवेंटरी मॉड्यूल की शुरुआत, सामान्य ग्राहकों के लिए रु. 1000 के कार्ड की शुरुआत और क्षे.ग्रा.बैंक (पीबीजीबी) में रु. 1000 के डेबिट कार्ड की शुरुआत शामिल है।

इंटरनेट बैंकिंग में बैंक की पहल में सावधि जमा खाता खोलने में ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत, प्रधानमंत्री राहत योजना को दान, आवर्ती जमा एवं ऋणों में निधि अंतरण तथा "इंस्टा पे" के जरिये युटिलिटी बिल भुगतान। इनके अतिरिक्त बैंक ने पश्चिम बंगाल के वाणिज्यिक कर के भुगतान (जीआरआईपीएस - शासकीय प्राप्ति पोर्टल प्रणाली) और उत्तराखंड के वाणिज्यिक कर के भुगतान की शुरुआत की है।

Specialized Branches:

As of March, 2013, the Bank had six Flagship Corporate branches, 15 Mid-Corporate branches, 22 Service branches, 11 Asset Management branches and one Integrated Treasury Management Branch at Mumbai. During the year 2012-13, one more Asset Management branch was opened at Hyderabad. The Bank continues to have 39 Retail Loan Hubs and 12 SME Hubs as of March, 2013.

As at the end 31st March, 2013, the Bank had 76 City Back Offices covering 911 branches.

Alternative Delivery Channels:

In terms of expansion of network through alternative delivery channels i.e. through ATM network, the number of ATMs opened during the year 2012-13 was 497, thereby reaching a total of 1361 as of 31st March, 2013.

During the year 2012-13, the Bank has taken several new initiatives in alternative delivery channels which include introduction of KCC (Kisan Credit Card), Cash retraction facility disabled in all ATMs, dispensation of Rs. 1000 denomination notes from ATM (only from selected sites), introduction of debit card issuance in current account (proprietorship) and CC account against FDR, introduction of inventory module in DCR (Debit Card request module), introduction of RuPay card for general customers and introduction of RuPay Debit card in RRB (PBGB).

In Internet Banking, the Bank has taken initiatives which include, introduction of online facility in FD account opening, donation to Prime Minister's Relief Fund, Fund transfer to RD and Loan accounts and Utility Bill payments through "Insta Pay". In addition, the Bank has introduced Payment of Commercial Tax of West Bengal (GRIPS - Govt. receipt portal system) and Payment of Commercial Tax of Uttarakhand.

डेबिट कार्ड/Debit Card			
किस तारीख को/as on	मार्च/March 2012	मार्च/March 2013	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि/Y-o-Y increase
डेबिट कार्ड/Debit Card	18,92,745	27,42,100	8,49,355
प्रकार/Type	पंजीकृत इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता/INTERNET BANKING USERS REGISTERED		
रिटेल उपयोगकर्ता/RETAIL Users	1,02,868	1,55,579	52,711
कारपोरेट उपयोगकर्ता/Corporate Users	27,629	38,451	10822
कुल ई-बैंकिंग/Total e-Banking	1,30,497	1,94,030	63,533
मोबाइल-बैंकिंग हेतु पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या/Number of registered users for Mobile-Banking			
	15,046	26,431	11,385

4. कारोबार रूपरेखा:

बैंक 31 मार्च, 2013 को ₹ 3,00,000 लाख करोड़ का कारोबार पार कर चुका है जो बैंक के इतिहास में मील का पत्थर है।

वर्ष 2012-13 बैंक का 'रिटेल कारोबार वर्ष' था। बैंक ने रिटेल कारोबार मॉडल के अनुसरण द्वारा अपने आप को स्थांतरित करने में कामयाबी हासिल की है। आस्तियों की ओर, रिटेल अग्रिमों पर, विशेषकर 'यूको होम', 'यूको कार' और 'यूको गोल्ड' के वित्तपोषण पर बैंक ने जो बल दिया था उसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 के दौरान 22.30 प्रतिशत की संवृद्धि हुई।

एलसी बिल भुनाई के संविभाग पर जोर दिए जाने से कारपोरेट ऋण पर निर्भरता कम हुई। एलसी बिल भुनाई संविभाग 31.03.2012 के ₹ 4215 करोड़ से बढ़कर 31.03.2013 को ₹ 12615 करोड़ हो गया जिसमें ₹ 8400 करोड़ की वृद्धि हुई। वास्तव में वर्ष 2012-13 के दौरान वृद्धिशील अग्रिमों की अधिकांश संवृद्धि एलसी बिल भुनाई संविभाग सहित रिटेल और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की देन थी।

देयताओं की ओर, कासा संविभाग में हुई संवृद्धि, विशेषकर ईरान की निधियों और उसके साथ ही मीयादी ₹ 5 करोड़ से कम के जमा संविभाग में हुई वृद्धि से भी बड़ी जमा पर निर्भरता कम हो गई, तदनुसार बड़ी जमाएं+सी-डी का अनुपात 31 मार्च, 2012 के 46 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च, 2013 को 28 प्रतिशत रह गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने सभी कारोबारी मानदंडों में सम्मानजनक वृद्धि प्रदर्शित की है। बैंक का वैश्विक कारोबार 31 मार्च, 2012 के ₹ 2,71,507 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2013 को ₹ 3,05,000 करोड़ हो गया जिससे 12.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जमा में वृद्धि 12.62 प्रतिशत रही जो 31 मार्च, 2012 के ₹ 1,54,003 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2013 को ₹ 1,73,431 करोड़ हो गई। अग्रिम में वृद्धि 11.97 प्रतिशत रही।

4. BUSINESS PROFILE:

The Bank has crossed ₹ 3,00,000 lakh crore of business as of 31st March, 2013, which is a milestone in Bank's history.

The year 2012-13 was 'Retail Business Year' for the Bank. The Bank has been successfully able to transform itself in following retail business model. On Asset side, the focus which the Bank laid on retail advances, particularly financing of 'UCO Home', 'UCO Car' and 'UCO Gold' resulted into a growth of 22.30 per cent during the year 2012-13.

The emphasis on portfolio of LC Bill discounting resulted in reducing the dependence on corporate credit. LC bill discounting portfolio increased from ₹ 4215 crore as of 31.03.2012 to ₹ 12615 crore as of 31.03.2013, thereby showing an increase of ₹ 8400 crore. In fact, the major growth of incremental advances during the year 2012-13 was from Retail and Priority Sectors along with LC bill discounting portfolio.

On Liability side, the increase in CASA portfolio, particularly that of Iranian funds as also increase in term deposits portfolio of less than Rs. 5 crore brought down the dependence on bulk deposits, thereby the proportion of bulk deposits + C-D getting reduced from 46 per cent as of 31st March, 2012 to 28 per cent as of 31st March, 2013.

During the year 2012-13, the Bank showed a respectable growth in all business parameters. The global business of the Bank increased from Rs.2,71,507 crore as of 31st March, 2012 to ₹ 3,05,000 crore as of 31st March, 2013, with a growth of 12.34 per cent. In deposits, the growth was 12.62 per cent, increasing from ₹ 1,54,003 crore as of 31st March, 2012 to Rs. 1,73,431 crore as of 31st March, 2013. In advances, the growth was 11.97 per cent.

क्र.सं./SL NO.	विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष/FY 12	वित्तीय वर्ष/FY 13	वृद्धि/GROWTH	
	वैश्विक/Global -	(₹ करोड़ में)/(In ₹ Cr)		समग्र/Absolute	प्रतिशत/Percentage
(i)	जमाराशि/Deposits	154003	173431	19428	12.62
(ii)	अग्रिम/Advances	117504	131569	14065	11.97
(iii)	कुल व्यवसाय/Total Business	271507	305000	33493	12.34

बैंक के घरेलू कारोबार में 11.10 प्रतिशत या समग्र रूप से ₹ 27734 करोड़ की वृद्धि हुई और यह 31 मार्च, 2013 को ₹ 277591 करोड़ रहा। कुल घरेलू जमा 31 मार्च, 2012 के ₹ 142017 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2013 को ₹ 158386 करोड़ हो गया जिसमें ₹ 16369 करोड़ या 11.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल घरेलू अग्रिम 10.54 प्रतिशत की वृद्धि कर समग्र रूप से ₹ 11365 करोड़ हुआ एवं ₹ 119205 करोड़ पर पहुंच गया।

The **domestic business** of the Bank showed an increase of 11.10 per cent or in absolute terms ₹ 27734 crore and stood at ₹ 277591 crore as of 31st March, 2013. The total domestic deposits increased from ₹ 142017 crore as on 31st March, 2012 to Rs. 158386 crore as on March 31, 2013; thereby showing an increase of Rs. 16369 crore or 11.53 per cent. Total domestic advances increased by 10.54 per cent with an absolute growth of Rs. 11365 crore and stood at Rs. 119205 crore.

क्र.सं./SL NO.	विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष/FY 12		वृद्धि/GROWTH	
		वित्तीय वर्ष/FY 12	वित्तीय वर्ष/FY 13	समग्र/Absolute	प्रतिशत/Percentage
	घरेलू/Domestic -	(₹ करोड़ में)/(In ₹ Cr)			
(i)	जमाराशि/Deposits	142017	158386	16369	11.53
(ii)	अग्रिम/Advances	107840	119205	11365	10.54
(iii)	कुल व्यवसाय/Total Business	249857	277591	27734	11.10

प्रति शाखा कारोबार मार्च, 2012 के ₹ 104.54 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2013 में ₹ 106.36 करोड़ हो गया। प्रति शाखा जमा मार्च, 2012 के ₹ 59.42 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2013 में ₹ 60.68 करोड़ हो गई। प्रति शाखा अग्रिम भी मार्च, 2012 के ₹ 45.12 करोड़ से सुधरकर मार्च, 2013 में ₹ 45.67 करोड़ हो गया।

Per branch business improved from ₹ 104.54 crore as of March, 2012 to ₹ 106.36 crore as of March, 2013. In terms of Per branch deposits, it increased from ₹ 59.42 crore as of March, 2012 to ₹ 60.68 crore as of March, 2013. Per branch advances also improved from ₹ 45.12 crore as of March, 2012 to ₹ 45.67 crore as of March, 2013.

बैंक की कासा जमा का कुल घरेलू जमा में अनुपात पिछले वर्ष के 23.85 प्रतिशत से बढ़कर 34.96 प्रतिशत हो गया। बैंक की बचत जमा मार्च, 2012 के ₹ 26267 करोड़ की तुलना में मार्च, 2013 में ₹ 29680 करोड़ हो गई जिसमें 12.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। चालू जमा मार्च, 2013 में 238.08 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित कर ₹ 25694 हो गई, जो मार्च, 2012 में ₹ 7600 करोड़ थी।

The Bank's **CASA deposit** to total domestic deposit ratio stood at 34.96 per cent up from 23.85 per cent last year. The Bank's Savings deposits reached ₹ 29680 crore as at March, 2013 compared to ₹ 26267 crore as on March, 2012, registering a growth of 12.99 per cent and current deposits at ₹ 25694 crore as at March, 2013 showed a growth of 238.08 per cent from ₹ 7600 crore as at March, 2012.

क्र.सं./SL NO.	विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष/FY 12		वृद्धि/GROWTH	
		वित्तीय वर्ष/FY 12	वित्तीय वर्ष/FY 13	समग्र/Absolute	प्रतिशत/Percentage
		(₹ करोड़ में)/(In ₹ Cr)			
(i)	चालू/Current	7600	25694	18094	238.08
(ii)	बचत/Savings	26267	29680	3413	12.99
(iii)	घरेलू/Domestic	33867	55374	21507	63.50
(iv)	कासा अनुपात/CASA Ratio	23.85	34.96		

वर्ष के दौरान बैंक ने 25.10 लाख कासा ग्राहक जोड़े।

During the year, the Bank added over 25.10 lakh CASA customers.

बैंक का **विदेशी कारोबार** 26.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 27409 करोड़ पर पहुंच गया। विदेशी शाखाओं की कुल जमा मार्च, 2012 के ₹ 11986 करोड़ की तुलना में मार्च, 2013 में ₹ 15045 करोड़ हो गई जिसमें 25.52 प्रतिशत या समग्र रूप में ₹ 3059 करोड़ की वृद्धि प्रदर्शित हुई। विदेशी अग्रिम में ₹ 2700 करोड़ या 27.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 31 मार्च, 2013 को ₹ 12364 करोड़ पर पहुंच गया।

The **overseas business** of the Bank showed an increase of 26.60 per cent and stood at ₹ 27409 crore. The total deposits of the overseas branches increased from ₹ 11986 crore as of March, 2012 to ₹ 15045 crore as of March, 2013; thereby showing an increase of 25.52 per cent or in absolute terms Rs. 3059 crore. The overseas advances increased by ₹ 2700 crore or 27.94 per cent and stood at ₹ 12364 crore as of 31st March, 2013.

बैंक का **वैश्विक प्रति कर्मचारी कारोबार** मार्च, 2012 के ₹ 12.47 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2013 में ₹ 13.43 करोड़ हो गया।

The global per employee business of the Bank has increased from ₹ 12.47 crore as of March, 2012 to ₹ 13.43 crore as of March, 2013.

क्र.सं./SL NO.	विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष/FY		वृद्धि/GROWTH	
		12	13	समग्र/Absolute	प्रतिशत/Percentage
	विदेशी/Overseas -	(₹ करोड़ में)/(In ₹ Cr)			
(i)	जमा/Deposits	11986	15045	3059	25.52
(ii)	अग्रिम/Advances	9664	12364	2700	27.94
(iii)	कुल कारोबार/Total Business	21650	27409	5759	26.60

5. लाभप्रदता:

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक के परिचालन लाभ में 19.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह 2011-12 के दौरान ₹ 2811.42 करोड़ से 2012-13 में ₹ 3357.09 करोड़ हो गया। फिर भी, बैंक के निवल लाभ में 44.24 प्रतिशत की कमी आई और यह 2011-12 के दौरान ₹ 1108.67 करोड़ से 2012-13 में ₹ 618.20 करोड़ रह गया। निवल लाभ में कमी मुख्यतः अनर्जक आस्तियों के लिए भारी प्रावधान करने के कारण आई है। संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए कुल प्रावधान की आवश्यकता ₹ 2739 करोड़ की थी जिसकी तुलना में पिछले वर्ष का प्रावधान 1703 करोड़ का था। केवल अनर्जक आस्तियों के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 1779 करोड़ का प्रावधान किया गया, जबकि 2011-12 में प्रावधान ₹ 756 करोड़ किया गया था।

बैंक के निवल ब्याज आय में वर्ष 2012-13 के दौरान 17.41 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि प्रदर्शित हुई तथा इसी अवधि में लागत आय अनुपात 2.91 प्रतिशत से नीचे आया।

संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2013 के लिए कुल आय ₹ 17704 करोड़ थी जबकि वित्तीय वर्ष 2012 में यह ₹ 15598 करोड़ थी। पूरे वर्ष के लिए बैंक की ब्याज आय ₹ 16752 करोड़ रही, जबकि वित्तीय वर्ष 12 में यह ₹

5. PROFITABILITY:

The operating profit of the Bank, during the year 2012-13, increased by 19.41 per cent from ₹ 2811.42 crore during 2011-12 to ₹ 3357.09 crore in 2012-13. However, the net profit of the Bank showed a decline by 44.24 per cent from ₹ 1108.67 crore during 2011-12 to Rs. 618.20 crore in 2012-13. The decrease in net profit has been primarily due to heavy provisioning on account of NPAs. Total provision requirement for the entire financial year was at ₹ 2739 crore, compared to earlier year's provision of ₹ 1703 crore. The provision for only NPAs during the year 2012-13 was ₹ 1779 crore vis-à-vis ₹ 756 crore in 2011-12.

Net Interest Income of the Bank showed a healthy growth of 17.41 per cent during 2012-13 with Cost to Income Ratio coming down by 2.91 percentage points in the same period.

Total Income for the full year FY 2013 was ₹ 17704 crore compared to ₹ 15598 crore for FY 2012. The Bank's interest income for the whole year was at ₹ 16752 crore compared to

मानदंड/Parameter	31.03.12 की स्थिति/ As on 31.03.12	31.03.13 की स्थिति/ As on 31.03.13	परिवर्तन (%) Change(%)
निवल ब्याज आय/Net Interest Income	3902.10	4581.53	17.41
			विचलन/Variation
आय पर लागत/Cost of Income	42.24	39.33	(-) 2.91

₹ 14632 करोड़ थी। पूरे वर्ष के लिए कुल व्यय ₹ 14347 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 12 में यह ₹ 12787 करोड़ था। पूरे वर्ष के दौरान परिचालन व्यय ₹ 2177 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि वित्तीय वर्ष 12 में यह ₹ 2056 करोड़ था।

₹ 14632 crore for FY'12. Total expenses for the whole year was ₹ 14347 crore compared to ₹ 12787 crore for FY12. Operating expenses reached Rs.2177 crore during the entire year compared to Rs.2056 crore for FY12.

(₹ करोड़ में)/(₹ in Crore)

मानदंड/Parameter	31.03.12 की स्थिति/ As on 31.03.12	31.03.13 की स्थिति/ As on 31.03.13
प्रति शेयर बही मूल्य/Book Value per Share	94.72	97.19
निवल ब्याज मार्जिन (वैश्विक)/Net Interest Margin (Global)	2.77	2.34
आस्तियों पर प्रतिलाभ/Return on Assets	0.69	0.33

6. पूंजी :

वर्ष के दौरान बैंक ने सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के अनुसार निर्धारित ₹ 77.46 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 8,79,16,343 इक्विटी शेयर आबंटित किए। बैंक को उपर्युक्त इक्विटी शेयरों के आबंटन के एवज में भारत सरकार से ₹ 681 करोड़ प्राप्त हुए।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल पूंजी ₹ 2575.63 करोड़ है। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार आरक्षित निधि एवं अधिशेष ₹ 7106.78 करोड़ है।

7. पूंजी पर्याप्तता अनुपात:

बैंक का पूंजी आधार सशक्त बना हुआ है। मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार बासेल- II मानदंड के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.15 प्रतिशत था (जहाँ 9 प्रतिशत की अनिवार्य आवश्यकता होती है) जिसमें टियर-I पूंजी अनुपात 9.05 था (जहाँ 6 प्रतिशत की अनिवार्य आवश्यकता होती है)? टियर-I और टियर-II दोनों ही विकल्पों के अंतर्गत कारोबारी संवृद्धि का समर्थन करने के लिए पूंजी जुटाने हेतु अब पर्याप्त आधार उपलब्ध है। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार सरकार की शेयरधारिता 69.25 प्रतिशत थी। मौजूदा वर्ष के दौरान कड़े बासेल-III मानदंडों को पूरा करने के लिए बैंक के पास सशक्त कॉमन इक्विटी पूंजी है।

6. CAPITAL :

During the year, the Bank allotted 8,79,16,343 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of ₹ 77.46 per share determined in accordance with SEBI ICDR Regulations, 2009. Bank had received Rs. 681 crore from Government of India against allotment of above equity shares.

The total capital of the Bank as on 31st March, 2013 stood at ₹ 2575.63 crore. The Reserves and Surplus stood at ₹ 7106.78 crore as on 31st March, 2013.

7. CAPITAL ADEQUACY RATIO:

The Bank continues to maintain healthy capital base. As at March, 2013, Capital Adequacy Ratio as per Basel-II norm stood at 14.15 per cent (as against a mandatory requirement of 9 per cent) with a Tier I capital ratio at 9.05 per cent (as against mandatory requirement of 6 per cent). Adequate headroom is now available under both Tier-I and Tier-II options to raise capital to support business growth. Government shareholding as at 31st March, 2013 stood at 69.25 per cent. The Bank has a strong Common Equity Capital to meet the stringent Basel III norms during the current year.

(₹ करोड़ में)/(₹ in Crore)

क्रम. सं./ Sl. No.	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) / Capital Adequacy Ratio (%)	2011-12	2012-13
1.	टियर I (पूर्णांक) / Tier I (Absolute)	7890.76	9157.13
2.	टियर II (पूर्णांक) / Tier II (Absolute)	4151.46	5140.94
3.	कुल पूंजी (I + II) (पूर्णांक) / Total Capital (I + II) (Absolute)	12042.22	14298.07
4.	टियर I / Tier I (%)	8.09	9.05
5.	टियर II / Tier II (%)	4.26	5.10
6.	बासेल-II / Basel-II (%)	12.35	14.15
7.	बासेल-II / Basel-I (%)	11.03	12.43

8. कोष एवं निवेश प्रबंधन:

रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, साथ ही निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित बैंक की कारपोरेट निवेश नीति के अनुसूच बैंक, समष्टि-आर्थिक और बाजार के विकास के अनुसूच कोष एवं निवेश परिचालन संचालित कर रहा है। बदले हुए परिदृश्य में, जहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी कोष एवं जोखिम प्रबंधन को धारदार बना रही है, बैंक ने भी संसाधनों के उपयोग और निवेश / व्यापार से होनेवाले प्रतिलाभ को अधिकतम करने के प्रभावी और कार्यक्षम उपाय के रूप में वैश्विक स्तर पर उपयोग करने योग्य एकीकृत कोष प्रबंधन समाधान को अपनाया है।

जोखिम को कम करने और तुलन पत्र प्रबंधन के लिए बैंक ने ब्याज दर स्वेप लेन-देन को अपनाया है। वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने ट्रेजरी बिलों जैसे अल्पावधि अत्यधिक तरल लिखतों में निवेश द्वारा अपनी एम-अवधि में सुधार लाने पर बहुत ध्यान दिया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक का कुल वैश्विक निवेश (सकल) 31.03.2012 के ₹ 46185 करोड़ से 13.71 प्रतिशत बढ़कर 31.03.2013 को ₹ 52515 करोड़ हो गया। घरेलू निवेश 31.03.2012 के ₹ 45038 करोड़ से 13.98 प्रतिशत बढ़कर 31.03.2013 को ₹ 51335 करोड़ हो गया। एसएलआर निवेश वर्ष 2012-13 के दौरान 8.09 प्रतिशत बढ़ा और मार्च 2012 के ₹40102 करोड़ की तुलना में मार्च 2013 में ₹ 43347 करोड़

8. TREASURY & INVESTMENT MANAGEMENT:

The Bank has been performing its Treasury & Investment Operations keeping track of the macroeconomic and market developments in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank from time to time as also the Bank's Corporate Investment Policy approved by the Board of Directors. In the changed scenario, where state of the art technology is providing cutting edge in Treasury and Risk Management, the Bank has also embarked upon a globally deployable Integrated Treasury management Solution for an effective and efficient way to optimize resource utilization and maximize returns on investment/ trading.

In order to mitigate risk and balance sheet management the Bank has gone for interest rate swap transactions. During the year 2012-13, the Bank has concentrated a lot on improving its M - Duration by investing in short term highly liquid instruments such as the Treasury Bills.

Total global Investment (Gross) of the Bank during the year 2012-13 grew by 13.71 per cent from Rs. 46185 crore as on 31.03.2012 to Rs. 52515 crore as on 31.03.2013. The Domestic Investment grew by 13.98 per cent from Rs 45038 crore as on 31.03.2012 to Rs 51335 crore as on 31.03.2013. SLR investment increased by 8.09 per cent during the year 2012-13 by registering the level of

के स्तर पर पहुंच गया। गैर-एसएलआर निवेश (घरेलू) 61.83 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि करते हुए 2012 के ₹4936 करोड़ की तुलना में 2013 में ₹ 7988 करोड़ पर पहुंच गया। घरेलू निवेश पर प्रतिफल 31.03.2012 के 7.45 प्रतिशत बढ़कर 31.03.2013 को 7.59 प्रतिशत हो गया। कुल निवेश आय ने मार्च 2012 के ₹ 3156 करोड़ से मार्च 2013 में ₹ 3635 करोड़ के स्तर तक पहुंचकर 15.15 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।

Rs. 43347 crore in March 2013 as compared to Rs. 40102 crore in March 2012. Non-SLR investment (Domestic) registered a robust growth of 61.83 per cent to rise from Rs. 4936 crore in 2012 to Rs. 7988 crore in 2013. The yield on domestic investment increased from 7.45 per cent as on 31.03.2012 to 7.59 per cent as on 31.03.2013. Total Investment income has registered a reasonable growth of 15.15 per cent to reach the level of Rs 3635 crore in March 2013 from Rs 3156 crore in March 2012.

क्र.सं./SL NO.	विवरण/Particulars	वि.व./FY 12	वि.व./FY 13	वृद्धि/GROWTH	
		(₹ करोड़ में)/(In ₹ Cr)		समग्र/Absolute	प्रतिशत/Percentage
(i)	वैश्विक/Global	46185	52515	6330	13.71
(ii)	घरेलू/Domestic	45038	51336	6297	13.98
(iii)	विदेशी/Overseas	1147	1180	33	2.88

9. सामाजिक बैंकिंग:

i) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण :

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक का प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण ₹ 34962 करोड़ रहा, जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 32.13 प्रतिशत हिस्सा है। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 23.54 प्रतिशत रही।

ii) कृषि अग्रिम :

बैंक का कुल कृषि अग्रिम ₹12625 करोड़ रहा, जो एएनबीसी का 11.60 प्रतिशत हिस्सा है। प्रत्यक्ष कृषि ऋण ₹9986 करोड़ रहा, जो एएनबीसी का 9.18 प्रतिशत हिस्सा है और परोक्ष कृषि ऋण ₹ 2639 करोड़ रहा जो एएनबीसी का 2.42 प्रतिशत हिस्सा है। कुल कृषि अग्रिम की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 30.79 प्रतिशत थी।

iii) कमजोर वर्गों को ऋण :

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कमजोर वर्गों को ₹ 10327 करोड़ अग्रिम प्रदान किया गया, जिसका एएनबीसी में प्रतिशत 9.49% था। कमजोर वर्गों को ऋण की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 31.37 प्रतिशत रही।

iv) सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई)

अग्रिमों के एमएसएमई क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंक ने वर्ष 2012-13 के दौरान एमएसएमई के लिए एक अलग वर्टिकल बनाया। बैंक ने एमएसएमई एवं एमएसई क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि दर्ज की जिसमें एमएसएमई और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) के अंतर्गत अग्रिम क्रमशः ₹ 20871 करोड़ और ₹16421 करोड़ रहा। एमएसई अग्रिम की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 22.20 प्रतिशत रही।

v) अल्पसंख्यक समुदाय को अग्रिम :

बैंक का कुल अल्पसंख्यक समुदाय अग्रिम ₹ 5256 करोड़ रहा जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम का 15.03 प्रतिशत हिस्सा है और इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

vi) अन्य गतिविधियां :

बैंक ने सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम), एसजीएसवाई (स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना), एसजेएसआरवाई (स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना), एसएचजी(स्वयं सहायता समूह), जेएलजी (संयुक्त देयता समूह) आदि पर बल दिया है।

9. SOCIAL BANKING:

i) Priority Sector Lending:

During the year 2012-13, the Priority Sector advances of the Bank stood at ₹ 34962 crore constituting thereby 32.13 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC). The Y-O-Y growth of Priority Sector advances stood at 23.54 per cent.

ii) Agriculture Advances:

Total agriculture advances of the Bank stood at ₹ 12625 crore constituting 11.60 per cent of ANBC. Direct agricultural credit stood at ₹9986 crore constituting 9.18 per cent of ANBC and Indirect agricultural credit stood at ₹ 2639 crore constituting 2.42 per cent of ANBC. The Y-O-Y growth of total Agriculture Advances was 30.79 per cent.

iii) Advances to Weaker Sections:

Advances to Weaker Sections stood at ₹10327 crore as of 31st March, 2013, with percentage to ANBC being 9.49%. The Y-O-Y growth of advances to Weaker Sections stood at 31.37 per cent.

iv) Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) and Micro & Small Enterprises (MSE):

In order to focus on MSME segment of advances, the Bank created a separate vertical for MSME during the year 2012-13. The Bank had recorded a healthy growth in MSME and MSE sectors with advances under MSME and Micro & Small Enterprises (MSE) standing at ₹ 20871 crore and ₹ 16421 crore, respectively. The Y-O-Y growth of MSE Advances stood at 22.20 per cent.

v) Minority Community Advances:

Total Minority Community advances of the Bank stood at ₹ 5256 crore constituting 15.03 per cent of Priority Sector Advances, thereby achieving the stipulated target.

vi) Other Activities:

The Bank had put emphasis on Government Sponsored Schemes like PMEGP (Prime Minister's Employment Generation Programme), SGSY (Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana), SJSRY (Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana), SHG (Self Help Group), JLG (Joint Liability Group), etc.

स्वयं सहायता समूहों(एसएचजी) को बैंक का बकाया ऋण ₹ 483 करोड़ है जिसमें 69877 खाते हैं। 26 अग्रणी जिलों में स्थित 26 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों ने 30803 व्यक्तियों को वित्तीय शिक्षा प्रदान की। बैंक ने सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चों के लिए भी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए। वर्ष के दौरान बैंक ने देश भर में 1812 किसान क्लब स्थापित किए।

बैंक ने 3.74 लाख महिला हितधारकों को ₹ 5637.41 करोड़ की सहायता दी जो एएनबीसी का 5.18 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक का मानदंड 5 प्रतिशत है।

vii) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को वित्तपोषण बढ़ाने की पहल:

बैंक ने कृषि एवं एमएसई क्षेत्रों के अंतर्गत अग्रिम में वृद्धि के लिए देश भर में बड़ी संख्या में ऋण शिविर आयोजित किए।

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने एमएसई के तहत वाणिज्यिक वाहन और कृषि क्षेत्र के तहत ट्रैक्टर उधार देने के लिए मेसर्स महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि., एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लि., गुजरात महिन्द्रा ट्रैक्टर लि., एचएमटी लि. जैसे विभिन्न संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने कई नई योजनाएं प्रारंभ की हैं:

1. यूको किसान भूमि वृद्धि योजना :

यह योजना कृषि के प्रयोजन से भूमि खरीदने के लिए छोटे/सीमांत किसानों, बटाईदारों/काश्तकारों को ऋण देने हेतु शुरू की गई (अधिकतम ऋण राशि ₹ 10.00 लाख)।

2. यूको किसान तत्काल योजना:

यह योजना वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों के आधार पर, कृषि एवं घरेलू प्रयोजनों हेतु किसानों की आकस्मिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई (न्यूनतम ₹ 1000/- से अधिकतम ₹ 50000/-)।

3. यूको भूसंपदा खरीद ऋण योजना :

'यूको भूसंपदा खरीद ऋण' नामक नई योजना वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों के आधार पर कॉफी, चाय, रबर, इलायची, काजू, काली मिर्च, नारियल जैसी पारंपरिक फसलें एवं अन्य सदाबहार फसलें उगाने के लिए भूसंपदा की खरीद हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई।

4. सौर सिंचाई पम्प सेट योजना:

'सौर सिंचाई पम्प सेट' नामक एक नई योजना सौर सिंचाई पम्प सेट खरीदने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई है जो किफायती है। यह योजना वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों के आधार पर, अनियमित वर्षा की स्थिति में अपनी फसलों को बचाने के लिए किसानों की मदद करने के लिए तैयार की गई है।

5. यूको किसान सर्वप्रयोजन मीयादी ऋण योजना:

यह योजना किसानों को सभी मीयादी ऋण जरूरतों के लिए इंटरहिट एकल मीयादी ऋण सीमा प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। यह संस्वीकृत सीमा किसान क्रेडिट कार्ड सीमा का हिस्सा नहीं होगी और यह किसान द्वारा अगले 2-3 वर्षों में क्रियान्वित की जानेवाली निवेश योजना पर आधारित एक अलग एकल संव्यवहार खाता होगा। यह योजना कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित निवेश / विकास गतिविधियों का संयोजित ऋण होगी।

The Bank's outstanding credit to Self-Help Groups (SHGs) stood at ₹ 483 crore, with 69877 accounts. 26 Financial Literacy Centres in 26 Lead Districts provided financial education to 30803 persons. The Bank also conducted Financial Literacy programmes for children studying in government schools. During the year, the Bank had set up 1812 Farmers' Clubs all over the country.

The Bank assisted 3.74 lakh women beneficiaries to the tune of ₹ 5637.41 crore, constituting 5.18 per cent of ANBC as against the RBI norm of 5 per cent.

vii) Initiatives to boost Priority Sector financing:

The Bank had organized a large number of credit camps throughout the country to boost advances under Agriculture and MSE Sectors.

During the year 2012-13, the Bank had entered into MOUs with different organizations like M/s. Mahindra & Mahindra Ltd., Action Construction Equipment Ltd., Gujarat Mahindra Tractor Ltd., HMT Ltd. to lend Commercial Vehicles under MSE and Tractors under Agriculture Sector.

The Bank has launched several new Schemes during the year 2012-13:

1. UCO KISAN BHOOMI VRIDHI Scheme:

The Scheme was launched for financing Small/Marginal farmers, Share Croppers/Tenant farmers for purchase of land for agricultural purpose (Maximum Loan amount Rs.10.00 lac).

2. UCO KISAN TATKAL Scheme:

It has been launched based on the guidelines received from Department of Financial services, Ministry of Finance, Government of India for providing instant credit to the farmers to meet their emergency financial requirements (minimum ₹1000/- to maximum Rs.50000/-) for Agriculture and Domestic purposes.

3. UCO ESTATE PURCHASE LOAN Scheme:

A new scheme named "UCO Estate Purchase Loan" was launched based on the guidelines received from Department of Financial services, Ministry of Finance, Government of India to extend financial assistance for purchase of Estates growing traditional crops like coffee, tea, rubber, cardamom, cashew nut, pepper, coconut and other perennial crops.

4. Scheme for Solar Irrigation Pump set:

A new scheme named "Solar Irrigation Pumpset" has been launched to extend Financial Assistance to the farmers for purchase of Solar Irrigation Pumpset which is cost effective. The Scheme has been prepared based on the guidelines received from department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India to help the farmers in saving their crop from erratic rainfall.

5. UCO KISAN ALL PURPOSE TERM LOAN SCHEME:

The scheme has been formulated for hassle-free single term loan limit to farmers for all term loan requirements. The limit granted shall not be a part of the Kisan Credit Card Limit and it shall be a separate single transaction account, based on the investment plan given by the farmer to be undertaken in next 2-3 years. The scheme will be a combination of Investment/development activities relating to agriculture and allied activities.

6. समझौते / एकमुश्त समझौता योजना (ओटीएस)/कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत अपने प्रत्यक्ष कृषि ऋण बकाया का निपटारा कर चुके वैयक्तिक उधारकर्ताओं के पुनः वित्तपोषण हेतु योजना:

अच्छी नीयत वाले किसानों की सहायता करने के लिए, जो नियमानुसार अपने ऋण की चुकौती नहीं कर पाते हैं, पर विभिन्न समझौता योजनाओं के अंतर्गत अपने बकाया का निपटारा कर देते हैं, बैंक ने विभिन्न समझौतों/ एकमुश्त समझौता योजनाओं/कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत अपने प्रत्यक्ष कृषि ऋण बकाया का निपटारा कर चुके वैयक्तिक उधारकर्ताओं (एकल या संयुक्त रूप से) के पुनः वित्तपोषण हेतु योजना बनाई है। योजना के अंतर्गत केवल प्रत्यक्ष कृषि हेतु उत्पादन एवं निवेश ऋण के लिए ही नया ऋण देने पर विचार किया जाएगा।

10. वित्तीय समावेशन

बैंक ने वित्तीय समावेशन को कार्यान्वित करने के लिए त्रिविध दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें ये शामिल हैं;

- (i) बैंक-रहित गांवों में पारंपरिक शाखाएं खोलना,
- (ii) यूको बैंक ऑन व्हील्स (मोबाइल वैन) की शुष्कात
- (iii) आईसीटी आधारित बीसी मॉडल का कार्यान्वयन

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने 2000 से कम जनसंख्या वाले 645 गांवों को शामिल कर लिया है। इसके अलावा, बैंक ने 01.01.2013 से शुरू किए गए भारत सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रम के तहत 936 गांवों को भी शामिल किया है। इस प्रकार बैंक द्वारा 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 3284 गांवों को शामिल किया गया है जिनमें वर्ष 2011-12 के दौरान शामिल किए गए 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 1703 गांव भी शामिल हैं।

इन गांवों में 25.63 लाख के आसपास मूल बचत बैंक खाते खोले गए हैं; जिनमें से 6.25 लाख खाते आईसीटी आधारित बीसी मॉडल के अंतर्गत खोले गए हैं और इन ग्राहकों को 240139 स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत खोले गए इन मूल बचत खातों में ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी गई है।

वित्तीय समावेशन पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने 31 मार्च, 2013 तक बैंक रहित गांवों में 19 शाखाएं और 763 अति लघु शाखाएं (यूको मित्र शाखा) खोली हैं। इन 763 अति लघु शाखाओं में से 178 अति लघु शाखाएं 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में खोली गई हैं।

बैंक के पास 24 'यूको बैंक ऑन व्हील्स' (मोबाइल वैन) हैं जो 12 राज्यों में चलाई जा रही हैं। ये मोबाइल वैन सप्ताह के पूरे छः दिन गांवों में जाती हैं और सीबीएस वातावरण की एक नियमित शाखा में उपलब्ध सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं।

01.01.2013 से 43 जिलों में प्रारंभ किए गए भारत सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रम के तहत 39 जिलों में बैंक की उपस्थिति है। इन जिलों में बैंक को आर्बिट्रिट 18968 हितधारकों में से बैंक ने सभी 18968 हितधारकों के खाते खोले।

11. रिटेल बैंकिंग:

चूंकि वर्ष 2012-13 रिटेल कारोबार वर्ष था, बैंक ने आस्ति और देयता दोनों ही ओर रिटेल कारोबार पर ध्यान दिया। इस दिशा में, बैंक मीयादी जमा एवं चालू जमा, दोनों के अंतर्गत कई नए स्वरूप वाले देयता उत्पाद लेकर लाया, साथ ही आस्ति की ओर, यूको होम, यूको एजुकेशन, यूको कार आदि वर्तमान आस्ति उत्पादों में कई संशोधन किए ताकि ये अधिक स्पर्धात्मक एवं विपणन योग्य बनाए जा सकें।

देयता संविभाग के अंतर्गत, बैंक ने ओवरड्राफ्ट की अतिरिक्त सुविधा सहित कारोबारी-वर्ग के समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नया

6. Scheme for relending to individual borrowers having settled their Direct Agriculture loan dues under Compromise/ One time settlement scheme (OTS)/legal action:

To help bona-fide farmers, who are not able to repay their loans in due course, settle their dues under various compromise schemes, Bank has formulated a scheme for relending to individual borrowers (singly or jointly) who have settled their Direct Agriculture loan dues under various compromise/One time settlement schemes/legal action. Fresh loan under the scheme will be considered only for Direct Agriculture activities both for production and investment credit.

10. FINANCIAL INCLUSION

The Bank has adopted 3-way Approach to implement the Financial Inclusion Programme which constitutes;

- (i) Opening of Brick & Mortar branches in unbanked villages,
- (ii) Launching of UCO Bank on Wheels (Mobile Van)
- (iii) Implementation of ICT based BC Model.

During the year 2012-13 the Bank has covered 645 villages each with population below 2000. Further, the Bank has also covered 936 villages under Direct Benefit Transfer (DBT) Programme of Government of India launched from 01.01.2013. Thus the Bank has covered 3284 number of villages as on 31.03.2013 including 1703 villages each with a population over 2000 covered during 2011-12.

Basic Savings Bank accounts to the tune of 25.63 lac have been opened in these villages; out of which 6.25 lac accounts are opened under ICT based BC Model and 240139 no. of Smart Cards have been issued to these customers. Overdraft facility is also built in for the customers in the Basic Savings accounts opened under Financial Inclusion.

The Bank has opened till 31st March, 2013, 19 branches & 763 Ultra Small Branches (UCO MITRA SAKHA) in the unbanked villages in compliance with the guidelines of Government of India on Financial Inclusion. Out of these 763 Ultra Small branches, 178 USBs have been opened in the villages each with a population over 5000.

The Bank has 24 "UCO Bank on Wheels" (Mobile Vans) operating in 12 states. These Mobile vans move to the villages all the six days in a week and offer all banking services as available in a regular branch under CBS environment.

Under Direct Benefit Transfer (DBT) Programme of Government of India, launched from 01.01.2013 in 43 districts, the Bank has presence in 39 districts. Out of 18968 beneficiaries allotted to the Bank in these districts, the Bank opened accounts of all the 18968 beneficiaries.

11. RETAIL BANKING:

The year 2012-13 being the year of Retail business, the Bank focussed on retail business both on asset and liability sides. In this direction, the Bank had come out with several new repackaged liability products both under term deposits as well as in current deposits and, on asset side, made several modifications in existing asset products such as UCO Home, UCO Education, UCO CAR etc. to make the asset products competitive and marketable.

Under liability portfolio, the Bank had launched a new customized Current Account Product titled 'UCO CARE' to cater to the needs

कस्टमाइज़्ड चालू खाता उत्पाद शुरू किया जिसका नाम था 'यूको केयर'। इसके अलावा बैंक ने रु. 5 करोड़ से कम की मीयादी जमा की वृद्धि को तेज करने के लिए परिवर्तित स्तर में विशिष्ट मीयादी जमा योजनाएं प्रारंभ कीं, जैसे यूको धन वर्षा (444 दिन), यूको डबल, यूको ट्रिपल वन, यूको 999, यूको 222, यूको 111 एवं यूको 66। ये योजनाएं आम जनता में बहुत लोकप्रिय हुईं।

आस्ति की ओर, यूको होम और यूको कार में संशोधन के अलावा बैंक ने देश के सर्वोत्तम शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश लेनेवाले विद्यार्थियों को बेहतर शर्तों पर ऋण देने के लिए 'यूको प्रीमियर शैक्षिक ऋण योजना' नामक एक नई विशेष शैक्षिक ऋण योजना प्रारंभ की।

बैंक के रिटेल उधार में वर्ष 2012-13 के दौरान 22.30 प्रतिशत की बेहतर वृद्धि दर्ज की गई है। यूको कार में 101.04 प्रतिशत और यूको होम में 17.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

of business class society with add-on facility of overdraft. Further, the Bank launched special repackaged Term deposit schemes to boost growth of term deposits of (< Rs. 5 crore), such as UCO Dhan Varsha (444 days), UCO Double, UCO Triple One, UCO 999, UCO 222, UCO 111 and UCO 66. These schemes had gone very well with the public.

On asset side, besides modifications under UCO Home and UCO CAR, the Bank launched a new Special Educational Loan Scheme titled 'UCO Premier Educational Loan Scheme' for financing under preferential terms to students securing admission in premier educational institutes of the country.

The retail lending of the Bank had shown a healthier growth of 22.30 per cent during the year 2012-13. UCO CAR registered a growth of 101.04 per cent and UCO Home 17.30 per cent growth.

क्र.सं./SL NO.	विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष/FY 12		वृद्धि/GROWTH	
		(₹ करोड़ में)/(In ₹ Cr)		समग्र/Absolute	प्रतिशत/Percentage
(i)	कुल रिटेल/Total Retail	7228	8840	1612	22.30
(ii)	यूको होम/UCO Home	4235	4968	733	17.30
(iii)	यूको कार/UCO Car	384	772	388	101.04
(iv)	यूको एजुकेशन/UCO Education	996	1141	145	14.56

12. बैंकाश्युरेन्स:

बैंक ने जीवन बीमा व्यवसाय में 29 प्रतिशत और गैर-जीवन बीमा व्यवसाय में 52 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि प्रदर्शित की। वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक के 12 अंचल बीमा अंचल घोषित किए गए।

13. वसूली:

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अनर्जक आस्ति खातों में वसूली और कोटि-उन्नयन के कार्यनिष्पादन में पिछले वर्षों की अपेक्षा व्यापक सुधार आया है। बैंक ने अनर्जक आस्ति खातों में शीघ्र वसूली के लिए श्रमसाध्य वसूली प्रयास किए और मौजूदा वित्तीय वर्ष में पिछले दो वर्षों की अपेक्षा वसूली और कोटि-उन्नयन में व्यापक सुधार देखने में आया है।

12. BANCASSURANCE:

The Bank showed a y-o-y growth of 29 per cent under Life Insurance business and 52 per cent in non-Life Insurance business. 12 Zones of the Bank was declared as Bima Zones during the year 2012-13.

13. RECOVERY:

The performance of recovery & upgradation in NPA accounts during the FY 2012-13 has substantially improved over the previous years. The Bank has undertaken vigorous recovery efforts in NPA accounts for early recovery in the accounts and

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/Particulars	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013
नकदी वसूली/Cash Recovery	434	658	828
कोटि उन्नयन/Upgradation	226	417	673
कुल ऋण मोचन/Total Redemption	660	1075	1501

परंतु 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार बैंक की सकल अनर्जक आस्ति, 31.03.2012 की स्थिति से रु.4086 करोड़ से बढ़कर ₹ 7130 करोड़ हो गई है और इसका कारण मुख्यतः वित्तीय वर्ष 2012-13 में उधार खातों की बड़ी संख्या, विशेषकर कुछ अत्यधिक मूल्य वाले समूह खातों का अनर्जक आस्ति हो जाना है। अनर्जक आस्ति में यह आकस्मिक वृद्धि मुख्यतः वैश्विक मंदी के प्रभाव के कारण है जिसने घरेलू आर्थिक गतिविधियों को भी बहुत हद तक प्रभावित किया है; और बड़ी परियोजनाएं या तो पूरी नहीं की जा सकीं या फिर उनसे अपेक्षा के अनुसार पर्याप्त नकदी प्रवाह निर्मित नहीं हो पाया, जिससे वे बैंक के प्रति अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाईं। इसी प्रकार एसएमई खाते भी बुरी तरह प्रभावित हुए। इस फिसलन के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2011-12 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में सकल अनर्जक आस्ति/ निवल अनर्जक आस्ति अनुपातों में वृद्धि हुई है।

there has been substantial improvement in the recovery and upgradation during the current FY over the previous two years.

However, the gross NPA as on 31.03.2013 of the Bank has increased to Rs.7130 crore from Rs.4086 crore as on 31.03.2012 and this is mainly due to the slippage of a large number of borrowal accounts to NPA in the FY 2012-13, particularly some high value group accounts. This sudden slippage is mainly due to the effect of global recession which affected domestic economic activity also to a large extent; and large projects could not either be completed or generate sufficient cash flow as anticipated, hence failed to fulfil their repayment obligations to the Bank. Similarly, SME accounts also got affected badly. The sudden slippage has resulted in increase in GNPA/NNPA Ratios in the FY 2012-13 as compared to the FY 2011-12.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र.सं./SL NO.	मानदंड/Parameter	वि.व./FY 12	वि.व./FY 13
(i)	कुल अनर्जक आस्ति (%)/Gross NPA (%)	3.48	5.42
(ii)	निवल अनर्जक आस्ति (%)/Net NPA (%)	1.96	3.17
(iii)	अनर्जक आस्ति प्रावधान व्याप्ति अनुपात (%)/NPA Provision Coverage Ratio (%)	54.39	52.08

अनर्जक आस्ति खातों में वसूली की अनुवर्ती कार्रवाई एवं निगरानी हेतु समिति दृष्टिकोण

वसूली की निगरानी प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए बैंक द्वारा समिति दृष्टिकोण अपनाया गया:

- वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के निदेश के अनुसार बैंक में बोर्ड स्तरीय समिति गठित की गई है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकद्वय तथा सरकार द्वारा नामित निदेशक सदस्य हैं, जिनका काम अनर्जक आस्ति खातों में वसूली के कार्यनिष्पादन की निगरानी करना है। समिति द्वारा नियमित अंतराल पर ऐसे सभी अनर्जक आस्ति खातों में वसूली की प्रगति की निगरानी की जा रही है और तदनुसार निदेशक मंडल को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।
- अत्यधिक मूल्य वाले उधार खातों में वसूली की निगरानी/ अनुवर्ती कार्रवाई तथा नए खातों के अनर्जक आस्ति होने से बचाव के लिए प्रधान कार्यालय स्तर पर पांच कारपोरेट महाप्रबंधकों से युक्त समिति गठित की गई जो साप्ताहिक आधार पर बैठक करती है।
- अनर्जक आस्ति खातों में वसूली की प्रभावी निगरानी, साथ ही खातों के अनर्जक आस्ति बनने से बचाव के लिए अंचल एवं सर्किल कार्यालय स्तर पर भी समितियां गठित की गईं।
- तकनीकी स्तर से बड़े डाले गए खातों में वसूली के कार्यनिष्पादन की प्रभावी निगरानी के लिए प्रधान कार्यालय स्तर पर एक कार्य दल/ समर्पित टीम गठित की गई है जिसमें एक-एक उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, मुख्य प्रबंधक एवं 4 अन्य अधिकारी होंगे जिनका काम ऐसे खातों में वसूली बढ़ाने के संबंध में सर्किल कार्यालयों के साथ गहन अनुवर्ती कार्रवाई करना होगा।
- बैंक ने ₹ 10 लाख तक के बकाया शेष वाले छोटे अनर्जक आस्ति / एमएल खातों के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान संशोधित समझौता निपटान योजना की समयावधि आगे बढ़ाई जिससे छोटे अनर्जक आस्ति उधारकर्ताओं को लाभान्वित किया जा सके। इस प्रकार इस माध्यम से वित्तीय वर्ष 2012-13 में बैंक ने ₹ 58.78 करोड़ की वसूली की, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹ 34.96 करोड़ की वसूली हुई थी। बैंक ने एमएसएमई उधारकर्ताओं के मामले में समझौता निपटान के लिए अलग से एक योजना भी प्रारंभ की।

बैंक द्वारा अनर्जक आस्ति/एमएल खातों में वसूली बढ़ाने और बैंक के सकल अनर्जक आस्ति को कम करने के लिए अपनाए गए अन्य विविध वसूली उपायों में निम्नांकित शामिल हैं:

- ◆ अनर्जक आस्ति बनने के बाद जिन खातों से संबंधित इकाई अर्थक्षम न रह गई हो, ऐसे सभी खातों में सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई की तत्काल शुस्वात, जिसके बाद संपत्ति (यों) का कब्जा लेकर नीलामी द्वारा बिक्री की जाती है।
- ◆ ऋण वसूली न्यायाधिकरण/ सिविल न्यायालयों में वसूली का वाद दायर करना और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 25.00 लाख और अधिक के बकाया शेष वाले उधारकर्ताओं को पहचानकर 'इरादतन चूककर्ता' के स्तर में घोषित करना।

Committee approach for follow-up & monitoring of recovery in NPA accounts.

In order to strengthen the monitoring mechanism of recovery, a Committee approach was adopted by the Bank.

- In terms of the direction of Ministry of Finance, DFS, GOI, Board Level Committee has been constituted in the Bank where CMD, EDs & Govt. nominee Director are members of the Committee for monitoring of recovery Performance of NPA accounts. Progress of recovery in all such NPA accounts is being monitored by the Committee periodically and the report being submitted to the Board accordingly.
- For monitoring/follow-up of high value borrowal accounts in regard to the recovery and prevention of fresh slippage, a Committee comprising of five Corporate GMs was set up at HO level, and the Committee is meeting on weekly basis.
- Committees were also constituted at Zonal & Circle Office level for effective monitoring of recovery in NPA accounts as well as for containment of slippage.
- For effective monitoring of the recovery performance in technically written-off accounts a Task Force/dedicated team at HO level is formed consisting of a DGM, AGM, CM and 4 other officers for close follow up with the circles regarding the development of recovery in such accounts.
- Bank extended the modified compromise settlement scheme for small NPA/ML accounts with outstanding balance up to ₹10 lac during the FY 2012-13 to give benefit to the small NPA borrowers and thus recovered through this channel ₹ 58.78 crore in FY 2012-13 as against recovery of ₹ 34.96 crore in corresponding period of last year. Bank also introduced a separate scheme for compromise settlement in MSME borrowers.

Various other recovery measures that have been adopted by the Bank for boosting Recovery in NPA/ML accounts and bring down the GNPA of the Bank include:

- ◆ Immediate initiation of action under SARFAESI Act where the unit is not viable after the account becomes NPA in all eligible accounts followed by taking possession and auction sale of the property(ies).
- ◆ Filing of Recovery suits in DRT/Civil courts and identification & declaring borrowers with outstanding balance of Rs. 25.00 lac and above as 'Willful Defaulters' as per RBI guidelines.

- ◆ ₹ 5 करोड़ एवं अधिक शेष वाले प्रत्येक खाते में प्रगति के संबंध में सर्किल कार्यालयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पाक्षिक आधार पर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई।
- ◆ चेन्नै, कोलकाता और मुंबई के सर्किल प्रमुखों द्वारा रु. 1 करोड़ और अधिक के तथा अन्य सर्किल प्रमुखों द्वारा ₹ 50 लाख और अधिक के सभी अनर्जक आस्ति खातों की गहन अनुवर्ती कार्रवाई।
- ◆ ऐसे निर्णीत मामलों को, जिनमें उधारकर्ताओं/निदेशकों और गारंटीकर्ताओं की आस्तियों का विवरण उपलब्ध न हो, उनकी आस्तियों का निर्धारित समय के भीतर पता लगाने के लिए उन्हें प्रतिष्ठित अनुसंधान एजेंसियों के सुपुर्द किया जाए।
- ◆ न्यायालय द्वारा जारी की गई डिक्री/डीआरटी के वसूली अधिकारियों के जरिए डीआरटी द्वारा जारी वसूली प्रमाण-पत्र के समयबद्ध निष्पादन हेतु कदम।
- ◆ देश भर में स्थित विशिष्टीकृत शाखाओं के माध्यम से अनर्जक आस्ति खातों की प्रभावी निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बैंक की आस्ति प्रबंधन शाखाओं (एएमबी) की संख्या पहले के पांच से बढ़ाकर ग्याह की गई।

14. ऋण निगरानी:

वास्तविक समय आधार पर सभी उधार खातों की निगरानी में सक्रियता बनाए रखने के लिए बैंक ने बकाया राशि पर रिपोर्ट जारी करने के लिए एक सशक्त प्रणाली लागू की है और सभी संबंधितों को पहले दिन से अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने, 30 दिनों बाद उसे तीव्र करने और 60 दिनों के भीतर उसे नियमित कर लेने हेतु जागरूक बनाया है।

रु. 1 करोड़ और अधिक के सभी बड़े दबावग्रस्त उधार खातों की झंझटरहित निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रत्येक माह उपलब्ध कुछ अन्य नियमित रिपोर्टों के अतिरिक्त, बैंक वित्तीय एवं गैर-वित्तीय अनियमितताओं/कमियों को दर्शानेवाली एक प्रक्रियागत(कस्टमाइज़्ड) रिपोर्ट (सीसीएमआर) को तैयार करने में सिस्टम का सहारा लेता है। आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने पर पूरा-पूरा बल देने के लिए शाखा एवं अन्य शाखा-स्तरीय कार्यकर्ताओं की उधारकर्ताओं के साथ बैठक सुनिश्चित की जा रही है।

आस्ति की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में ऋण लेखापरीक्षा के महत्व को अनुभव करते हुए बैंक ने 2012-13 के दौरान ऋण लेखापरीक्षा के लिए 1345 उधार खातों का चयन किया है। 2011-12 की कुछ रिपोर्टों को छोड़कर 2009-10 से 2011-12 तक के पिछले वर्षों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों को 2012-13 के दौरान बंद कर दिया गया है।

बैंक के प्रतिभूति हित को संरक्षित करने के लिए बैंक ने 01-04-2011 से पहले की अवधि के 1.30 लाख से अधिक सभी मामलों का सीईआरएसएआई के पास पंजीकरण किया। 01-04-2011 को या उसके बाद सृजित प्रतिभूति हित का पंजीकरण निरंतरता आधार पर सीईआरएसएआई के पास किया जा रहा है।

15. जोखिम प्रबंधन:

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में अनेकों नई पहल की है। बासेल II के अंतर्गत अग्रगामी दृष्टिकोण का कार्यन्वयन चल रहा है। सभी जोखिम क्षेत्रों में निदानात्मक अंतराल अध्ययन पूरा किया जा चुका है और अलग से एक बाजार जोखिम प्रबंधन नीति लागू की गई है। सभी अंचलों में सिबिल हेल्पडेस्क बनाए गए हैं, शाखा कर्मचारियों के साथ ही अंचलों और सर्किल कार्यालयों के सभी नोडल अधिकारियों को शामिल कर सिबिल कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। सिबिल द्वारा ऋण डाटा की स्वीकार्यता और सिबिल रिपोर्टों को निकाले जाने का प्रतिशत व्यापक रूप से बढ़ा है। सिबिल रिपोर्टों का निकाला जाना मार्च 2012 की स्थिति में 19 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2013 की स्थिति में 78 प्रतिशत हो गया है। निरपेक्ष संख्या में, निकाली गई सिबिल रिपोर्टों की संख्या मार्च 2012 माह के 3370 से पांच गुना बढ़कर मार्च 2013 में 15741 हो गई है।

- ◆ Monitoring and follow up in regard to development in each account with balance of ₹ 5 crore and above with the Circle Offices on fortnightly basis through video conference.
- ◆ Close follow-up of all NPA A/cs of ₹ 1 Crore & above by Circle Heads of Chennai, Kolkata & Mumbai and Rs.50 Lac & above by Circle Heads of other Circles.
- ◆ Decreed cases, where details of assets of Borrowers / Directors & Guarantors are not available, to be handed over to reputed Detective Agencies for identification of their assets within the stipulated time schedule.
- ◆ Steps for timely execution of Decrees issued by the Court / Certificate of Recovery issued by the DRTs through Recovery Officers of DRTs.
- ◆ Number of Asset Management Branches (AMBs) of the Bank were increased to eleven from earlier five for effective monitoring and follow up of NPA accounts through the specialized branches across the country.

14. CREDIT MONITORING:

In order to be proactive in monitoring of all borrowal accounts on real time basis, the Bank has put in place a robust System to generate reports on Dues and sensitized all concerned to start follow up from Day one, Intensify after 30 days and get regularized within 60 days.

For hassle-free monitoring and follow up of all big borrowal accounts for ₹ 1 crore and above under stress, the Bank takes the leverage of the system in generation of one customized Report (CCMR) containing Financial and Non-Financial irregularities/deficiencies, in addition to few other regular Reports available every month. To further accentuate the thrust on maintenance of asset qualities, meeting with borrowers by the branch and other field functionaries is being ensured.

Realising the importance of Credit Audit in ensuring the quality of assets, the Bank has identified 1345 borrowal accounts during 2012-13 for Credit Audit. Audit reports for the previous years from 2009-10 to 2011-12, barring a few for 2011-12 have since been closed during 2012-13.

To safeguard the security interest of the Bank, the Bank registered all cases numbering more than 1.30 lac pertaining to the period before 01-04-2011 with CERSAI. Security Interest created on or after 01-04-2011 is being registered with CERSAI on an ongoing basis.

15. RISK MANAGEMENT:

During the year 2012-13, the Bank has put in place several new initiatives in the area of Risk Management. Implementation of Advanced approaches under Basel II is in progress. Diagnostic Gap study in all the risk areas has been completed and separate Market Risk Management policy has been put in place. CIBIL helpdesks in all Zones have been formed, CIBIL workshops involving all Nodal officers of Zones and Circle offices along with Branch officials have been conducted. The percentage of credit data acceptance by CIBIL and pulling of CIBIL reports have increased substantially. CIBIL reports pulled has increased from 19 per cent as on March 2012 to 78 per cent as on March 2013. In absolute terms the number of CIBIL reports pulled has increased five fold from 3370 in the month of March 2012 to 15741 in the month of March 2013.

16. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:

मार्च, 2012 की समाप्ति पर बैंक द्वारा प्रायोजित पांच क्षेत्रीय बैंकों में से 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार बैंक के पास दो क्षेत्रीय बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक और पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक हैं।

वर्ष 2012-13 में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार जो दो महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आईं, वे हैं, क्षेत्रीय बैंकों का समामेलन और क्षेत्रीय बैंकों का पुनःपूंजीकरण।

(I) क्षेत्रीय बैंकों का समामेलन:

वर्ष के दौरान प्रभावी हो चुके समामेलन के विवरण नीचे दिए गए हैं:

- ◆ मध्य प्रदेश राज्य में, महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को सतपुड़ा नर्मदा ग्रामीण बैंक एवं विदिशा भोपाल क्षेत्रीय बैंक के साथ समामेलित कर 08.10.12 के प्रभाव से सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक गठित किया गया जिसका प्रायोजक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है।
- ◆ बिहार राज्य में, पहले के बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 15.10.12 के प्रभाव से बिहार ग्रामीण बैंक के रूप में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलित कर दिया गया जिसका प्रायोजक यूको बैंक है।
- ◆ ओडिशा राज्य में, कलिंग ग्राम्य बैंक, नीलांचल ग्राम्य बैंक और बैतरणी ग्राम्य बैंक के समामेलन द्वारा 07.01.13 के प्रभाव से ओडिशा ग्राम्य बैंक गठित किया गया जिसका प्रायोजक इंडियन ओवरसीज़ बैंक है।
- ◆ राजस्थान राज्य में जयपुर थार ग्रामीण बैंक को मरुधरा ग्रामीण बैंक के साथ समामेलित कर 25.02.13 से एक नए निकाय मरुधरा ग्रामीण बैंक के रूप में गठित किया गया है जिसका प्रायोजक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर है।

(II) क्षेत्रीय बैंकों का पुनःपूंजीकरण:

2012-13 के दौरान पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक का ₹ 25800 लाख से पुनःपूंजीकरण किया गया है जो भारत सरकार द्वारा 50%, प्रायोजक बैंक द्वारा 35% और राज्य सरकार द्वारा 15% के अनुपात में है, जिनकी राशि क्रमशः ₹ 129.00 करोड़, ₹ 90.30 करोड़ एवं ₹ 38.70 करोड़ है। अतः वर्तमान में पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक के पुनःपूंजीकरण की कुल राशि ₹ 153.01 करोड़ (भारत सरकार), ₹ 107.11 करोड़ (प्रायोजक बैंक) एवं ₹ 45.90 करोड़ (पश्चिम बंगाल सरकार) है। इसी प्रकार, बिहार ग्रामीण बैंक ने पहले ही ₹ 107.07 करोड़ (भारत सरकार), ₹ 74.95 करोड़ (प्रायोजक बैंक) एवं ₹ 32.12 करोड़ (बिहार सरकार) की राशि प्राप्त कर ली है।

क्षेत्रीय बैंकों का कार्यनिष्पादन (गैर-लेखापरीक्षित):

31.03.2013 की स्थिति में बैंक द्वारा प्रायोजित दो क्षेत्रीय बैंकों की कुल शाखा संख्या 487 थी। दोनों क्षेत्रीय बैंकों की कुल जमा 31 मार्च, 2012 के ₹ 4927 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2013 को ₹ 5476 करोड़ हो गई है; जिसमें ₹ 547 करोड़ या 11.15 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित हुई है। कुल अग्रिम में 23.94 प्रतिशत या ₹ 445 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई और यह 31 मार्च, 2012 के ₹ 1859 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2013 को ₹ 2304 करोड़ हो गया है। क्षेत्रीय बैंकों का अग्रिम-जमा अनुपात 31 मार्च, 2012 को 37.74 प्रतिशत से सुधरकर 31 मार्च, 2013 को 42.08 प्रतिशत हो गया है।

क्षेत्रीय बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां 31 मार्च, 2012 को ₹ 153 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च, 2013 को ₹ 154 करोड़ की रहीं; हालांकि सकल अनर्जक आस्ति अनुपात 31 मार्च, 2012 के 8.27 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च, 2013 को 6.67 प्रतिशत हो गया। क्षेत्रीय बैंकों का निवल अनर्जक

16. REGIONAL RURAL BANKS:

Of the five RRBs sponsored by the Bank as at the end of March, 2012, the Bank has two RRBs namely, Bihar Gramin Bank and Paschim Bangla Gramin Bank as on 31.03.2013.

Two important developments that took place in the year 2012-13 in terms of decision of the Government of India were namely, amalgamation of the RRBs as well as recapitalization of RRBs.

(I) Amalgamation of RRBs:

The amalgamation, thus, effected during the year are as detailed below:

- ◆ In the state of Madhya Pradesh, Mahakaushal Ksh. Gramin Bank was amalgamated with Satpura Narmada Gramin Bank and Vidisha Bhopal KGB to form Central Madhya Pradesh Gramin Bank under the sponsorship of Central Bank of India w.e.f. 08.10.12.
- ◆ In the state of Bihar the erstwhile Bihar Ksh. Gramin Bank & Samastipur Ksh. Gramin Bank got amalgamated to a single RRB as Bihar Gramin Bank w.e.f. 15.10.12 under the sponsorship of UCO Bank.
- ◆ In the state of Odisha, Odisha Gramya Bank is formed on amalgamation of Kalinga Gramya Bank, Neelachal Gramya Bank and Baitarani Gramya Bank under sponsorship of Indian Overseas Bank w.e.f. 07.01.13.
- ◆ In the state of Rajasthan, Jaipur Thar Gramin Bank has been amalgamated with Marudhara Gramin Bank to form a new entity as Marudhara Gramin Bank under the sponsorship of State Bank of Bikaner & Jaipur w.e.f. 25.02.13.

(II) Recapitalisation of RRBs:

Paschim Banga Gramin Bank has been recapitalised during the period 2012-13 to the tune of ₹ 25800 lakh in the ratio of 50% by Government of India, 35% by Sponsor Bank and 15% by State Government amounting to ₹ 129.00 crore, ₹ 90.30 crore & ₹ 38.70 crore, respectively. Thus the total amount of recapitalisation of PBGB at present stood at ₹ 153.01 crore (Government of India), ₹ 107.11 crore (Sponsor Bank) & ₹ 45.90 crore (Government of West Bengal). Similarly, Bihar Gramin Bank had already received amounts of ₹ 107.07 crore (Government of India), ₹ 74.95 crore (Sponsor Bank) & ₹ 32.12 crore (Government of Bihar).

Performance of RRBs (Unaudited):

The total number of branches of the Bank's two sponsored RRBs stood at 487 as on 31.03.2013. The total deposits of two RRBs have increased from ₹ 4927 crore as on 31st March, 2012 to ₹ 5476 crore as on 31st March, 2013; thereby showing a growth of ₹ 547 crore or 11.15 per cent. The total advances recorded a growth of 23.94 per cent or ₹ 445 crore from ₹ 1859 crore as on 31st March, 2012 to ₹ 2304 crore as on 31st March, 2013. The C-D ratio of the RRBs improved from 37.74 per cent as on 31st March, 2012 to 42.08 per cent as on 31st March, 2013.

The gross NPAs of the RRBs was ₹ 154 crore as on 31st March, 2013 vis-à-vis ₹ 153 crore as of 31st March, 2012. The gross NPA ratio, however, reduced from 8.27 per cent as on 31st March, 2012 to 6.67 per cent as of 31st March, 2013. The net non-

आस्ति अनुपात(एनएनपीए) 31 मार्च, 2013 को 3.59 प्रतिशत पर रहा।

बिहार ग्रामीण बैंक ने अपनी संचित हानि को हटा देने के बाद ₹ 41.05 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। **पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक ने भी पिछले वर्ष हुई हानि की तुलना में ₹ 2 करोड़ का निवल लाभ रिपोर्ट किया।**

17. सूचना प्रौद्योगिकी:

मार्च, 2010 में अपनी सभी घरेलू शाखाओं के सीबीएस में माइग्रेशन के बाद बैंक ने हांग कांग केन्द्र स्थित अपनी दो शाखाओं को 4 फरवरी, 2013 को सीबीएस-फिनैकल में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया है। हांग कांग के यूजरों को निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए प्रधान कार्यालय में एक अलग हेल्पडेस्क बनाया गया है। बैंक सिंगापुर केन्द्र स्थित दो अन्य शाखाओं को शीघ्र ही सीबीएस में माइग्रेट करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

स्वचालित डाटा प्रवाह (एडीएफ) परियोजना एक विनियामक परियोजना है जिसमें बैंक का एमआईएस डाटा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंतिम स्वरूप दिए गए प्रश्नों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। स्वचालित डाटा प्रवाह विनियामक को बैंक की ओर से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के विभिन्न रिपोर्टों की प्रस्तुति सुनिश्चित करता है। बैंक इस परियोजना के कार्यान्वयन के अंतिम चरण में चल रहा है।

बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट के माध्यम से ऋण आवेदनों की ऑनलाइन प्रस्तुति और उन पर की गई कार्रवाई की स्थिति प्रदर्शित करने की शुरुआत की गई थी। बैंक की वेबसाइट के माध्यम से आवेदनों की ऑनलाइन प्रस्तुति, एमएसएमई योजना और चुनिंदा रिटेल उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्राहक ऋण आवेदनों की ऑनलाइन प्रस्तुति करके उन पर की गई कार्रवाई की स्थिति का ऑनलाइन जायजा ले सकते हैं।

सीपीएओ, रक्षा, दूरसंचार जैसे कोषों के लिए सरकारी पेंशन का केन्द्रीकृत स्वरूप से सीपीपीसी नागपुर शाखा से भुगतान किया जा रहा है। केन्द्रीकृत रूप से रेलवे पेंशन के भुगतान की संभावनाओं की तलाश की जा रही है। राज्य सरकार के विभागों के पेंशन का भुगतान विभिन्न शाखाओं से किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य कर के भुगतान की शुरुआत जीबीएम (काउंटर भुगतान) में की गई है। नए पेंशन भुगतान मॉड्यूल को कार्यान्वित कर दिया गया है।

अतिरिक्त रक्षा उपाय के स्वरूप में बैंक ने सीबीएस - फिनैकल में लॉग इन करने के लिए द्वितीय घटक प्रमाणीकरण प्रणाली की शुरुआत की है। सभी कर्मचारियों के लिए आवश्यक है कि वे फिनैकल सॉफ्टवेयर में प्रवेश करने के लिए अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के अलावा अपने आपको फिंगर प्रिंट आधारित प्रमाणीकरण के जरिये भी प्रमाणित करें।

31.03.2013 की स्थिति में लगभग 10,000 यूजरों के प्रमाण-दस्तावेज बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के अंतर्गत नामांकित हैं जो 1275 शाखाओं के हैं। 2200 फिंगरप्रिंट स्कैनर उपकरण 239 शाखाओं में पहुंचाए और लगाए गए हैं। 2000 और उपकरण लगाए जा रहे हैं। उनका फिनैकल के साथ एकीकरण पूरा किया जा चुका है और उनका परिचालन भी प्रारंभ कर दिया गया है।

बैंक द्वारा 2007 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) को कार्यान्वित कर दिया गया है। बाद में एनपीसीआई ने इस परियोजना को दक्षिण के राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी तक विस्तारित कर दिया है। इसके बाद कोलकाता, चंडीगढ़ और लुधियाना जैसे केन्द्रों को भी दक्षिणी ग्रिड से जोड़ दिया गया। दक्षिणी ग्रिड में सीटीएस कार्यान्वयन से संबंधित मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- ◆ पांच दक्षिणी राज्य और कोलकाता, लुधियाना एवं चंडीगढ़ केन्द्रों के 26 एमआईसीआर केन्द्रों में से 17 केन्द्र सीटीएस दक्षिणी ग्रिड में सम्मिलित हैं।

performing assets ratio (NNPA) of the RRBs as on 31.03.2013 stood at 3.59 per cent.

Bihar Gramin Bank recorded a net profit of ₹ 41.05 crore after having wiped out its accumulated losses. Paschim Banga Gramin Bank also reported a net profit of ₹ 2 crore vis-à-vis the loss incurred over the previous year.

17. INFORMATION TECHNOLOGY:

After the migration of all its domestic branches into CBS, way back in March 2010, the Bank has migrated two of its overseas branches in Hong Kong centre to CBS-Finacle on 4th Feb 2013 successfully. A separate helpdesk is formed at Head Office for providing continuous support to Hong Kong users. The Bank is in the process of migrating two other branches in Singapore centre to CBS shortly.

The Automated Data Flow (ADF) project, is a regulatory project wherein the MIS data pertaining to the Bank are presented as per formats finalised by RBI. Automated data flow ensures submission of various reports to the regulator without any manual intervention from Bank. The Bank is in the advanced stage of implementation of the project.

Online filing and tracking of loan applications was introduced by the Bank through its website. Facility for online filing of applications, MSME scheme and selected retail products are being made available through Bank's Website. Customers can submit loan application online and track status online.

Government pension for the treasuries such as CPAO, Defence, Telecom is being paid centrally from CPPC Nagpur Branch. Centralised payment of pension for railways is being explored. Pension for State Govt depts. are paid from various branches. Payment of West Bengal state tax has been introduced in GBM (Counter Payment). New Pension Payment Module has since been implemented.

As an additional safeguard Bank has introduced a second factor authentication mechanism to login to CBS - Finacle. All staff are now required to authenticate themselves through finger print based authentication in addition to their user-id and password to gain access to Finacle software.

As of 31.03.2013, credentials of around 10,000 users are enrolled under Biometric authentication covering 1275 branches. 2200 fingerprint scanner devices delivered and installed in 239 branches. Another 2000 devices are being installed. Integration is completed with Finacle and has been made operational.

The Bank has implemented Cheque Truncation System (CTS) in NCR, Delhi from 2007. Later NPCI has expanded the project to Southern States such as Kerala, Tamilnadu, Karnataka, Andhra Pradesh & Pondichery. Later centres like Kolkata, Chandigarh and Ludhiana were also added to the southern grid. The highlights of CTS implementation in the southern grid include:

- ◆ 17 out of 26 MICR centres across five southern states and Kolkata, Ludhiana & Chandigarh centres are participating in CTS Southern Grid.

- ◆ शेष 9 एमआईसीआर केन्द्रों में से 5 केन्द्र सीटीएस में माइग्रेशन के लिए तैयार हैं और यह माइग्रेशन अप्रैल, 2013 के दूसरे सप्ताह तक पूरा होने की संभावना है। शेष 4 केन्द्रों में कार्यस्थल तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।
- ◆ एनपीसीआई ने पश्चिमी गिड में सीटीएस कार्यान्वयन का काम हाथ में लिया है। पश्चिमी गिड में गिड सीटीएस को कार्यन्वित करने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन किया गया है। परियोजना के जल्दी ही शुरू होने की संभावना है।

बैंक ने सभी शाखाओं को सीबीएस के अंतर्गत लाने के लिए पूर्व में स्थान-स्थान पर लीज़ लाइन नेटवर्क के उपयोग द्वारा अपनी सभी शाखाओं को जोड़ा था। मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) नेटवर्क द्वारा प्रस्तावित फॉल्ट टॉलरेंट आर्किटेक्चर का लाभ लेने के लिए बैंक ने अपनी सभी शाखाओं को बीएसएनएल द्वारा प्रस्तावित एमपीएलएस नेटवर्क में शामिल कर दिया है। फ़िनेकल सॉफ्टवेयर के अलावा अन्य विविध एप्लीकेशनों, जैसे वीडियो कॉन्फ़रेन्स सिस्टम को बैंक में एमपीएलएस नेटवर्क का उपयोग करके व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है।

बैंक की आंतरिक विकास टीम ने वर्ष 2012-13 के दौरान प्रोडक्शन वातावरण में निम्नांकित दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित एवं प्रयुक्त किए हैं:

(1) बैंक में अपने तरह का पहला ऑनलाइन कंप्यूटर साक्षरता परीक्षण, वेतनमान III से IV और वेतनमान IV से V की पदोन्नति प्रक्रिया के एक भाग के रूप में 24.06.2012 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। पूरे देश से लगभग 600 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षण में भाग लिया जो 34 देशी और दो विदेशी केन्द्रों के थे। (2) सभी अधिकारियों के लिए एपीएआर की प्रस्तुति हेतु ऑनलाइन पीएआर प्रबंधन प्रणाली का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है। इससे पीएआर (कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) की ऑनलाइन प्रस्तुति और उसका ऑनलाइन मूल्यांकन किया जा सकेगा।

18. परिचालन एवं सेवा:

i) अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) एवं धन शोधन निवारण (एएमएल): वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने केवाईसी अनुपालन को सशक्त बनाने और धन शोधन निवारण (एएमएल) गतिविधियों के सतत निरीक्षण पर ध्यान देना जारी रखा। वर्ष के दौरान बैंक ने सीबीएस सिस्टम में निहित केवाईसी(#) मेनू के माध्यम से सिस्टम आधारित केवाईसी अनुपालन किया। (क) संदेहजनक लेन-देन रिपोर्ट (एसटीआर) और (ख) नकद लेन-देन रिपोर्ट (सीटीआर) जनरेट करने हेतु बैंक के समस्त लेन-देन की प्रतिदिन की प्रोसेसिंग और निगरानी के लिए संस्थापित एएमएल सॉफ्टवेयर को और अधिक प्रयोजन-अनुकूल किया गया है और बैंक सभी लेन-देन की, विशेषकर नए एलर्ट के जरिये प्रभावी ढंग से प्रोसेसिंग और निगरानी करने में सक्षम है। एफआईयू-आईएनडी, नई दिल्ली को नियमित रूप से सीटीआर, एसटीआर, सीसीआर और एनआईआर प्रस्तुत की गई।

ii) ग्राहक सेवा:

बैंक में ग्राहक सेवा की स्थिति में सुधार के लिए, गंदे नोटों के विनिमय और सिक्कों के वितरण हेतु समर्पित शाखाओं का चयन किया गया। इसके साथ ही, एक स्वतंत्र आरटीजीएस-एनईएफटी सेल मुंबई में बनाया गया है। बैंक सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा देते रहने के लिए निरंतर कृतसंकल्प है और समीक्षा तथा आकलन की सतत प्रक्रिया के जरिये अपने तौर-तरीकों को ग्राहक अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने में लगातार जुटा हुआ है।

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक के ग्राहकों की जरूरतों और शिकायतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए बैंक के कार्यपालकों ने संपूर्ण देश के विभिन्न केन्द्रों पर प्रधान कार्यालय, सर्किल कार्यालय, अंचल कार्यालय एवं शाखाओं, सभी स्तरों पर ग्राहक सदस्य युक्त विभिन्न समितियों की बैठकों के जरिये थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद ग्राहकों के साथ विचार-विमर्श किया। कार्यपालक

◆ Out of the remaining 9 MICR centres, 5 centres are ready to be migrated to CTS and the migration is expected to be completed by 2nd week of April 2013. Site readiness for remaining 4 centres is in-process.

◆ NPCI has initiated CTS implementation in the Western grid. System Integrator has been identified to implement Grid CTS in the Western Grid. The project is expected to commence shortly.

The Bank had earlier connected all its branches using point to point leased line network in order to bring all the branches under CBS. To take advantage of the fault tolerant architecture offered by Multi Protocol Label Switching (MPLS) networks, the Bank has moved all its branches to MPLS network offered by BSNL. In addition to the Finacle software various other applications such as Video conference system are extensively used in the Bank using the MPLS network.

The in-house development team of the Bank has developed and deployed following two application software in production environment during the year 2012-13:

(1) Online Computer literacy test, first of its kind in the Bank was successfully conducted on 24.06.2012, as a part of promotion process from scale III to IV and from scale IV to V. Around 600 candidates across the country, involving 34 Inland Centers and two Overseas Centers have taken part in the test. (2) Online PAR Management System: Online PAR Management System has been successfully implemented for submission of APAR for all officers. This will enable submission of PAR (Performance Appraisal Report) online and evaluation online.

18. OPERATIONS & SERVICES:

i) Know Your Customer (KYC) & Anti-Money Laundering (AML):

During the year 2012-13, the Bank continued to focus on strengthening of KYC compliance and overseeing the Anti-Money Laundering (AML) activities. During the year, the Bank made System based KYC compliance through KYC (#) menu in CBS system. The installation of AML software for daily processing and monitoring of all transactions in the Bank to generate (a) Suspicious Transaction Reports (STRs) and (b) Cash Transaction Reports (CTRs) has been streamlined further and the Bank is able to effectively process and monitor all transactions particularly through new alerts. CTRs, STRs, CCRs and NIRs had been submitted regularly to FIU-IND, New Delhi.

ii) Customer Service:

Towards improving the Customer Service in the Bank, dedicated branches were identified for exchange of soiled notes and distribution of coins. Further, an independent RTGS-NEFT Cell has been created at Mumbai. The Bank continues to be committed in maintaining best customer service and keeps on aligning its practices in line with customer expectations, through continued process of review and evaluation.

The executives of the Bank, during the year 2012-13, interacted with the customers of the Bank at frequent intervals of different centres across the country at all tiers viz. Head Office, Circle Office, Zonal Office and branches through meetings of different Committees consisting of Customer Members, to have complete

निदेशक की अध्यक्षता में बैंक के कारपोरेट स्तर पर ग्राहक सेवा स्थायी समिति की बैठकें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गईं जिनमें बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ ग्राहक प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही। इसके अलावा, सभी अंचल कार्यालयों में ग्राहक शिकायतों की देख-रेख के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई। प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली को अपनाने के फलस्वरूप बैंक पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष के दौरान अधिक संख्या में शिकायतों का निवारण करने में सक्षम हुआ।

बैंक की वेबसाइट पर (i) ग्राहक शिकायत निवारण नीति, (ii) चेक संग्रहण, (iii) क्षतिपूर्ति, (iv) बकाया राशि का संग्रहण एवं प्रतिभूति के पुनर्धारण से संबंधित दस्तावेजों को प्रदर्शित करके बैंक ने पारदर्शिता बनाए रखी।

iii) सूचना का अधिकार(आरटीआई) अधिनियम:

सूचना का अधिकार(आरटीआई) अधिनियम के मामले में ग्राहकों के प्रति बैंक की वचनबद्धता पूर्णतया परिभाषित है और यह बैंक की वेबसाइट में प्रदर्शित की गई है। सूचना का अधिकार(आरटीआई) अधिनियम के तहत समीक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बैंक लगातार प्रयासरत है। विभिन्न ग्राहकों एवं अन्य हितधारकों को सूचना का अधिकार(आरटीआई) अधिनियम से संबंधित संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा केन्द्र एवं अंचल के नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है। बैंक की वेबसाइट पर नोडल अधिकारियों के नाम एवं संपर्क नंबर दिए गए हैं। सूचना का अधिकार(आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अनुसार बैंक ने अंचल कार्यालय स्तर पर 41 पीआईओ तथा एपीआईओ को और प्रधान कार्यालय स्तर पर 2 सीपीआईओ एवं 2 सीएपीआईओ को नियुक्त किया है जिससे जानकारी प्राप्त करने से संबंधित आरटीआई आवेदनों का निपटान किया जा सके। इसके साथ ही प्रत्येक सर्किल कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय में, उनके क्षेत्राधिकार में आनेवाली अपीलों के निपटान हेतु एक-एक अपील प्राधिकारी को नियुक्त किया गया है।

iv) नई पेंशन योजना (एनपीएस):

बैंक के सभी नवनियुक्तों (01.04.2010 से) को नई पेंशन योजना के दायरे में लाने के लिए कार्मिक सेवा विभाग को सक्षम बनाकर नई पेंशन योजना (एनपीएस) के कारपोरेट मॉडल को प्रचलित किया गया है। बैंक का पीएफआरडीए में 'स्वावलंबन' (नई पेंशन योजना) के अंतर्गत पीओपी के रूप में पंजीकरण किया गया है। इसके साथ ही, बैंक को नई पेंशन योजना के अंतर्गत पीएफआरडीए में कारपोरेट के रूप में और एनएसडीएल में भी अन्वेषण कार्यालय के रूप में पंजीकृत किया गया है।

v) अन्य गतिविधियाँ :

वर्ष 2012-13 में बैंक ने सफलतापूर्वक सीटीएस – दक्षिणी ग्रिड कार्यान्वयन पूरा कर लिया है। बैंक ने केन्द्रीय सिविल पेंशन, रक्षा पेंशन, डाक एवं दूरसंचार पेंशन के भुगतान/संवितरण के लिए एकल खिडकी प्रणाली के रूप में काम करने के लिए सीपीपीसी, नागपुर हेतु प्राधिकार (भारत सरकार द्वारा प्रत्यायित) भी प्राप्त कर लिया है। साथ ही पश्चिम बंगाल के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही प्रकार के कर राशि संग्रहण को जीआरआईपीएस-समर्थित किया गया है।

बैंक ने मेचेदा और बराकर केन्द्रों पर दो नए समाशोधन गृह प्रारंभ किए हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक की सभी 72 मुद्रा तिजोरी शाखाओं को बायोमेट्रिक एक्सेस नियंत्रण-समर्थित किया गया है। बैंक ने जनता की आम जसूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 174 खाता वेल्डिंग मशीनें लगाई हैं। इसके अलावा, सभी 72 मुद्रा तिजोरी शाखाओं और रु. 50 लाख तथा उससे अधिक की दैनिक नकदी प्राप्त करनेवाली 60 चुनिंदा गैर-मुद्रा तिजोरी शाखाओं में भी उच्च क्षमतायुक्त नोट छंटाई मशीनें स्थापित की गईं।

feedback and understanding of needs and grievances of the customers of the Bank. The meetings of Standing Committee on Customer Service at Corporate level of the Bank under the chairmanship of Executive Director were held as per schedule and were attended by Senior Executives of the Bank as well as customer representatives. Apart from this, Nodal Officers had been appointed at all the Zonal Offices to take care of customer grievances. Through adoption of effective grievance redressal mechanism the Bank was able to redress more number of grievances during this fiscal year than the previous one.

Transparency had been maintained by the Bank by hosting on Bank's website the documents relating to (i) Policy on Customer Grievance Redressal, (ii) Cheque Collection, (iii) Compensation, (iv) Collection of dues and repossession of security.

iii) Right to Information (RTI) Act:

In terms of Right to Information (RT) Act, Bank's commitments towards customers are well defined and published in the Bank's website. The Bank is in continuous process of strengthening of review under Right to Information (RT) Act. The Bank had designated Central and Zonal Nodal Officers to cater to the queries of different customers and other stakeholders regarding RTI matters. Names and contact details of nodal officers are mentioned in the Bank's website. As per RTI Act 2005, the Bank has appointed 41 PIOs and APIOs, one at each Zonal Office level and two CPIOs and two CAPIOs at Head Office level to facilitate disposal of RTI applications seeking information and one Appellate Authority at each Circle Office and Head Office for disposal of appeals filed under their jurisdiction.

iv) New Pension Scheme (NPS) :

The corporate model of New Pension Scheme (NPS) has been operationalised by enabling the Personnel Services Department of the Bank to bring all Bank's new recruits (since 01.04.2010) into the New Pension Scheme fold. The Bank has been registered as POP with PFRDA under 'Swavalamban' (New Pension Scheme). Further, the Bank has been registered as a Corporate with PFRDA under New Pension Scheme as also with NSDL as Oversight Office.

v) Other Activities:

The Bank has successfully completed CTS - Southern Grid implementation in the year 2012-13. The Bank has also received authorization (Accreditation by Govt. of India) for CPPC, Nagpur to act as a Single Window System for Payment/Disbursement of Central Civil Pension, Defence Pension, Postal and Telecom Pension. Further, tax collection of Govt. of West Bengal, both online and offline have been made GRIPS-enabled.

The Bank has started two new Clearing Houses at Mecheda and Barakar centres. During the year 2012-13, all 72 Currency Chests branches of the Bank have been made Bio-metric Access Control-enabled. The Bank has also installed 174 Account vending machines in line with RBI guidelines for catering to the general needs of the public. Further, high capacity note sorting machines were also installed in all 72 Currency Chest branches and also at 60 identified non-Currency Chest branches having daily cash receipt of Rs. 50 lakh and above.

19. कारपोरेट संसूचना:

ग्राहक संसूचना के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने के उद्देश्य से बैंक ने अपने कारपोरेट संसूचना विभाग के पर्यवेक्षण के अधीन विभिन्न माध्यमों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट, प्रायोजकता, आउटडोर मीडिया आदि के जरिये कई नई शुरुआत की है।

प्रचार अभियान:

◆ प्रिंट मीडिया के अभियान:

वर्ष 2012-13 के दौरान कासा जमा जुटाने, होम एवं कार ऋण के लिए फेस्टिवल बोनान्जा योजना, ग्राहक केंद्रित उत्पादों जैसे यूको डबल, यूको धन वर्षा, यूको ट्रिपल वन, यूको ट्रिपल नाइन, यूको ट्रिपल टू, यूको किसान स्मै कार्ड, यूको टैक्स सेवर जमा योजना, यूको 66, यूको केयर- चालू खाता की शुरुआत करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार-पत्रों में गहन प्रचार अभियान चलाए गए। बैंक ने स्वर्ण ऋण और ई-बैंकिंग उत्पादों के लिए भी व्यापक प्रचार अभियान आयोजित किए।

◆ रेडियो एवं टेलीविज़न विज्ञापन:

बैंक की ब्रांड छवि को मजबूत बनाने और लक्षित ग्राहकों के बीच उत्पाद संबंधी सूचना के प्रसार के लिए विभिन्न रेडियो स्टेशनों के जरिये रेडियो विज्ञापन जारी किए गए। ई-बैंकिंग उत्पादों पर भी विभिन्न समाचार चैनलों पर टेलीविज़न विज्ञापन के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया। हमारे बैंक ने वर्ष भर चलाए गए इन सभी प्रचार अभियानों से अच्छा प्रचारगत लाभ हासिल किया।

◆ ग्रामीण प्रचार:

चूंकि बड़ी संख्या में बैंक की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, कारपोरेट संसूचना विभाग ने विभिन्न अंचल कार्यालयों के माध्यम से देश भर में ग्रामीण प्रचार अभियान चलाया है। प्रचार से होने वाले लाभ को अधिकतम करने के लिए बैंक ने प्रायोजक के रूप में विभिन्न ग्रामीण मेलों और उत्सवों में भी भागीदारी की।

◆ ग्राहक बैठकें:

चूंकि बैंक के लिए ग्राहक का महत्व सर्वोपरि है, समय-समय पर सभी अंचलों और सर्किलों द्वारा कई ग्राहक बैठकें आयोजित की गई हैं। प्रधान कार्यालय स्थित कारपोरेट संसूचना विभाग ने नियमित अंतराल पर ऐसी बैठकों के आयोजन के लिए सभी अंचलों और सर्किलों के साथ समन्वयन करने की पहल की।

◆ पुरस्कार:

बैंक के कर्मचारियों में समग्रतः बैंक की कार्यप्रणाली और अन्य प्रासंगिक सूचना से संबद्ध संदेशों को संचारित करने में आंतरिक संचार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मामले में बैंक की गृह पत्रिका यूको टॉवर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इस गृह-पत्रिका ने अपने आपको बैंक के विज्ञान और मिशन का प्रचार करने के प्रभावी माध्यमों में से एक के रूप में स्थापित किया है जिसका प्रमाण इस बात से मिल जाता है कि इसे शैलजा नायर फाउंडेशन, मुंबई द्वारा शुरू किए गए 'आईसीई अवार्ड्स' (इन हाउस कम्युनिकेशन एक्सलेंस), 2012 में श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

◆ 71वाँ स्थापना दिवस समारोह:

अपनी परंपरा का पालन करते हुए इस वर्ष बैंक ने अपना 71वाँ स्थापना दिवस मनाया, जिसका मुख्य समारोह साइंस सिटी प्रेक्षागार, कोलकाता में आयोजित किया गया। इस आयोजन को खास बनाने के लिए बैंक ने बड़े पैमाने पर नागरिकों तक पहुंच कायम करने की योजना बनाई और कुछ नवीन ग्राहक केन्द्रित शुरुआत करने का जिम्मा लिया। बैंक की ब्रांडयुक्त

19. CORPORATE COMMUNICATION:

With the aim of bringing about a quantum shift in the field of customer communications, the Bank, under the supervision of its Corporate Communications Department had taken up a number of initiatives through various channels namely electronic media, print media, internet, sponsorship, outdoor media, etc.

Publicity Campaigns:

◆ Campaigns in Print Media:

During the year 2012-13 vigorous publicity campaigns were launched in leading national and regional newspapers for mobilization of CASA deposits, Festival Bonanza scheme on Home & Car loans, launching of Customer-centric products such as UCO Double, UCO Dhan Varsha, UCO Triple One, UCO Triple Nine, UCO Triple Two, UCO Kisan Rupay Card, UCO Tax Saver Deposit Scheme, UCO 66, UCO CARE - Current Account. The Bank also conducted extensive publicity campaign on Gold Loan and e-banking products.

◆ Radio Jingles and Television Commercials:

In order to boost Bank's brand image, and to propagate product information among the target customers, radio jingles were released through different radio stations. Intensive publicity on e-banking products was also done by way of television commercials on various news channels. Our bank received good publicity mileage out of all these publicity campaigns carried throughout the year.

◆ Rural Publicity:

As the Bank has a good number of branches in rural area, Corporate Communications Department through different Zonal Offices has conducted rural publicity campaign across the country. In order to extract maximum publicity mileage, the Bank has also participated in various rural fairs and festivals as sponsor.

◆ Customer Meets:

Since customers are of paramount importance to the Bank, a number of customer meets have been organized from time-to-time by all Zones and Circles. Corporate Communications Department at Head Office took the initiative to co-ordinate with all Zones and Circles for arrangement of such meets at regular intervals.

◆ Awards:

Internal Communication plays a vital role in transmitting messages in respect of Bank's overall functioning and other relevant information among employees of the Bank. The Bank's house journal, UCO Tower has been playing a key role in this aspect. The house journal has established itself as one of the effective conduits for spreading Bank's Vision and Mission, as is evident from the fact that it has been awarded the Certificate of Merit at 'ICE Awards' (In-House Communication Excellence), 2012 initiated by Shailaja Nair Foundation, Mumbai.

◆ Celebration of 71st Foundation Day:

In keeping with the tradition, the Bank during the year celebrated its 71st Foundation Day with the main function held at Science City Auditorium, Kolkata. To mark the occasion, the Bank planned to reach out to citizens at large and undertook some new customer centric initiatives. The Bank's branded tableau was flagged off

झांकी प्रधान कार्यालय से रवाना की गई जो कोलकाता और उसके आसपास के स्थानों में घूमी और निर्धारित शाखाओं तक भी गई। मुख्य रूप से बैंक के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के विषय में लोगों को शिक्षित करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इस झांकी से कासा, रिटेल ऋण के पैम्फलेट वितरित किए गए। इसी दिन, सामाजिक संकल्पों को पूरा करने के लिए बैंक ने 70 विशेष योग्यता प्राप्त बच्चों को शिक्षा-विषयक किट प्रदान की। वर्षगांठ समारोह को खास बनाने के लिए बैंक ने वंचित बालिकाओं के रामकृष्ण सारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल को ₹ 10 लाख का दान दिया।

20. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

बैंक विश्वास करता है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व(सीएसआर) के निर्वाह से मूर्त मूल्य-सृजन में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, सीएसआर से समाज में एक सकारात्मक छवि बनती है और देशवासियों के एक अंश में बैंक के प्रति अनन्य निष्ठा पनपती है।

इस धारणा के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक ने सुपात्र और महान उद्देश्यों के लिए अलग-अलग दान दिए।

- ◆ सौर संयंत्र की स्थापना के लिए पर्यावरण संरक्षण श्रेणी के अंतर्गत शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को ₹ 4.90 लाख की राशि।
- ◆ अनाथालय के लिए भवन निर्माण हेतु रामकृष्ण मठ, नट्टारमपल्ली, वेल््लोर, तमिलनाडु को ₹ 2 लाख।
- ◆ विकलांगों के सहायताार्थ महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर को ₹ 10 लाख।
- ◆ शिक्षा एवं महिला सशक्तीकरण के लिए रामकृष्ण मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल को ₹ 10 लाख की राशि दान की।
- ◆ विकलांग-अनुकूल उपकरण लगे हुए वाहन खरीदने के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन को ₹ 6 लाख।
- ◆ प्राकृतिक आपदा में सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष, सिक्किम को ₹ 10 लाख प्रदान किए गए।
- ◆ स्वास्थ्य की देखभाल श्रेणी के तहत गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के थैलेसीमिया रोगग्रस्त बच्चों के उपचार के लिए थैलेसीमिया सोसायटी ऑफ इंडिया को बैंक ने ₹ 6 लाख का दान दिया।
- ◆ शारीरिक एवं मानसिक स्तर से विकलांग लोगों के लिए दिशा फाउंडेशन, जयपुर को ₹ 7.90 लाख लागत की एक वैन दान की गई।
- ◆ कमजोर वर्गों हेतु रोगनिदान क्लिनिक संचालित करने के लिए खरदा जनकल्याण रोगनिर्णय केन्द्र, खड़दा को दान के रूप में ₹ 5.00 लाख प्रदान किए गए।

21. मानव संसाधन प्रबंधन:

जनशक्ति

31 मार्च, 2013 की तारीख को बैंक की कुल स्टाफ संख्या 24,201 थी, उनमें से 106 स्टाफ सदस्य विदेश में कार्य कर रहे हैं, जिनमें 14 प्रवासी अधिकारी हैं। देश में काम करनेवाले कुल 24,095 स्टाफ सदस्यों में से 10,807 अधिकारी, 8,768 लिपिक एवं 4,520 अधीनस्थ स्टाफ हैं।

देश में काम करनेवाले कुल स्टाफ सदस्यों में अनुसूचित जाति (4809) एवं अनुसूचित जनजाति (1355) का प्रतिशत 25.58 है। इसके अतिरिक्त वर्ष 12-13 के अंत तक 1759 ओबीसी कर्मचारी बैंक की सेवा में हैं और 1192 कर्मचारी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। कुल स्टाफ सदस्यों में से महिला स्टाफ सदस्यों का प्रतिशत पिछले वर्ष 2012 के 14.33 प्रतिशत की तुलना में मार्च, 2012 में 16.16 प्रतिशत है।

from Head Office and it moved across different places in and around Kolkata touching designated branches. Pamphlets on CASA, Retail loans with the prime focus on educating the people on Bank's different products and services were distributed from the tableau. On the same day, towards fulfilling social commitments, the Bank handed over education kits to 70 specially abled children. To mark the anniversary celebration, the Bank made a donation of ₹ 10 lac in favour of Ramkrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girls' School for underprivileged girl children.

20. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

The Bank believes that carrying out Corporate Social Responsibility (CSR) helps in tangible value-creation. Moreover, CSR, creates a positive image in the society and inculcates essence of loyalty for the Bank among a cross-section of countrymen.

In tune with this perception, the Bank made separate donations for deserving as well as noble causes during the year.

- ◆ An amount of ₹ 4.90 lakh to Shivaji University, Kolhapur, Maharashtra under environment protection category for installation of Solar Plant Device.
- ◆ ₹ 2 lakh to Ramakrishna Math, Nattarampalli, Vellore, Tamilnadu for construction of building for an orphanage.
- ◆ ₹ 10 lakh to Mahaveer Viklang Sahayata Samity, Jaipur for helping the physically challenged.
- ◆ To facilitate education & women empowerment a sum of ₹ 10 lakh was donated to Ramakrishna Mission Sister Nivedita Girls' School.
- ◆ ₹ 6 lakh to Rajiv Gandhi Foundation, New Delhi for purchasing vehicles with disabled-friendly attachment.
- ◆ ₹ 10 lakh was extended to Chief Minister's Relief Fund, Sikkim for assistance during natural calamity.
- ◆ Under health care category Thalassaemia Society of India was provided with Bank's donation of ₹ 6 lakh for treatment of Thalassaemic children belonging to BPL category.
- ◆ A van costing ₹ 7.90 lakh was donated to Disha Foundation, Jaipur for the physically and mentally retarded.
- ◆ ₹ 5.00 lakhs as donation was awarded to Kharda Janakalyan Rognirnoy Kendra, Kharda for running a diagnostic clinic for the weaker sections.

21. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT:

MANPOWER

The total Staff Strength of the Bank as on 31st March, 2013 stood at 24,201, including 106 employees serving overseas, 14 of which are expatriate officers. The total domestic staff strength of 24,095 comprises of 10,807 Officers, 8,768 Clerks and 4,520 Subordinate staff.

The percentage of Scheduled castes (4809) and Scheduled Tribes (1355) in the total domestic staff strength is 25.58. Besides there are 1759 OBC employees in service of the Bank at the end of FY 12-13 and 1192 employees belong to Minority Communities. Out of the total work force 16.16 percent constitutes women employees as of March, 2013 compared to 14.33 percent in 2012.

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक द्वारा अजा, अजजा, अपिजा, निःशक्त व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला कर्मचारियों के विकास हेतु कई पहल किए गए तथा भारत सरकार के निदेश के अनुसरण में पदोन्नति पूर्व/ भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किए गए।

भर्ती

वर्ष 2012-13 के दौरान कुल 1791 अधिकारियों की भर्ती की गई जिनमें 258 अजा, 105 अजजा एवं 477 अपिजा के थे। इनमें से 575 महिला अधिकारी, 26 निःशक्त व्यक्ति एवं 82 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान 592 लिपिकों की भी भर्ती की गई। इनमें 87 अजा, 53 अजजा एवं 167 अपिजा, 30 भूतपूर्व सैनिक, 35 निःशक्त व्यक्ति एवं 27 व्यक्ति अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। इसके अतिरिक्त बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान 1000 लिपिकों, 1000 परीक्षाधीन अधिकारियों एवं 200 विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है।

पदोन्नतियां

वर्ष के दौरान 4 कार्यपालकों को उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VII में, 14 कार्यपालकों को वेतनमान V से उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI में तथा 36 कार्यपालकों को वेतनमान IV से वेतनमान V में पदोन्नत किया गया। इसके अतिरिक्त 229 अधिकारी वेतनमान IV में, 675 वेतनमान III और 357 वेतनमान II में पदोन्नत किए गए। इसके साथ ही विशेषज्ञ श्रेणी के अंतर्गत 8 अधिकारी वेतनमान III से वेतनमान IV में पदोन्नत किए गए, 27 अधिकारी वेतनमान III में और 19 अधिकारी वेतनमान II में पदोन्नत किए गए। साथ ही समीक्षाधीन अवधि के दौरान 690 लिपिकवर्गीय कर्मचारी अधिकारी संवर्ग में और 257 अधीनस्थ कर्मचारी लिपिक संवर्ग में पदोन्नत किए गए।

औद्योगिक संबंध:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रबंधन तथा यूनियनों/ एसोसिएशनों के बीच औद्योगिक संबंध का परिवेश स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण बना रहा। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान आवधिक अंतराल पर यूनियनों/ एसोसिएशनों के साथ औद्योगिक संबंध हेतु बैठकें बुलाई गईं तथा विचार-विमर्श किए गए जिसमें एक-दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रूख अपनाया गया तथा पारस्परिक आदरभाव प्रदर्शित किया गया।

कार्मिक सेवा:

वर्ष 2012-13 के दौरान कर्मचारी कल्याण योजना के तहत बैंक द्वारा कई नई योजनाएं कार्यान्वित की गईं जिनमें निम्नांकित शामिल हैं:

- ◆ स्वास्थ्य परीक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति के सहायतार्थ दी जानेवाली राशि को बढ़ाकर कर्मचारियों के लिए ₹ 1,500/- से ₹ 2,500/- तथा जीवन संगी के लिए ₹ 1,000/- से ₹ 1,500/- प्रतिवर्ष कर दिया गया जबकि पिछला नियम दो वर्ष में एक बार का था। कर्मचारियों के लिए आयु मानदंड भी 40 से घटाकर 30 वर्ष किया गया है।
- ◆ गुप मेडीक्लेम बीमा योजना के अंतर्गत जीवन-संगी सहित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बीमा राशि फ्लोटर आधार पर रु.1 लाख से बढ़ाकर रु.2 लाख की गई है।
- ◆ सेवाधीन के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी तीन अवकाश गृह शिरडी, तिरुपति एवं मसूरी में शुरू किए गए हैं।
- ◆ जनवरी 2013 से देश भर के सभी कर्मचारियों को ₹ 250/- की दर से प्रति कर्मचारी प्रतिमाह केन्टीन सब्सिडी संवितरित की जा रही है।
- ◆ हृदय की सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर, किडनी फेल होने, कैंसर एवं दुर्घटना होने पर बड़ी सर्जरी के मामलों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ₹

During the year 2012-13 initiatives were taken by the Bank for development of SCs, STs, OBCs, Persons with Disabilities, Ex-Servicemen and Women; and pre-promotion/recruitment trainings were imparted to SC/ST candidates as per Government of India directives.

RECRUITMENT

A total number of 1791 Officers have been recruited during the year 2012-13 including 258 SCs, 105 STs and 477 OBCs. 575 of these Officers are Women, 26 are Persons with Disabilities and 82 belong to Minority Communities. 592 Clerks have also been recruited during the year 2012-13. These include 87 SCs, 53 STs and 167 OBCs, 30 Ex-Servicemen, 35 persons with Disabilities and 27 persons belong to Minority Communities. Moreover, the Bank has also initiated the process of recruitment for 1000 Clerks, 1000 Probationary Officers and 200 Specialist officers during the year 2013-14.

PROMOTIONS

During the year, 4 Executives were promoted to Top Executive Grade scale VII, 14 Executives were promoted from Scale V to Top Executive Grade Scale VI and 36 Executives were promoted from Scale IV to Scale V. Besides, 229 Officers were promoted to Scale IV, 675 to Scale III and 357 to Scale II. In addition, under specialist category, 8 Officers were promoted from Scale III to Scale IV, 27 Officers were promoted to Scale III and 19 Officers to Scale II. Further, during the period, 690 Clerical Staff were promoted to Officers Cadre and 257 Sub-ordinate Staff were promoted to Clerical Cadre.

INDUSTRIAL RELATIONS

During the period, the Industrial Relations climate in the Bank remained healthy and cordial between the Management and the Unions/Associations. IR meetings and discussions were held with Unions/Associations at periodic intervals sharing co-operative attitude and mutual respect during the financial year 2012-13.

PERSONNEL SERVICES

During the year 2012-13, several new Schemes were Implemented by the Bank under Staff Welfare Scheme which include

- ◆ Assistance by way of reimbursement of expenses on account of Health Check-up enhanced to ₹ 2,500/- from ₹ 1,500/- for employees and ₹ 1,500/- from ₹ 1,000/- for spouse - every year instead of earlier rule of once in two years. For employees, age criterion has also been reduced to 30 from 40.
- ◆ Coverage under Group Mediclaim Insurance Scheme for Retired Employees with Spouse has been enhanced from ₹ 1 lac to ₹ 2 lac on floater basis.
- ◆ Three Holiday Homes for Inservice as well as Retired employees have been started at SHIRDI, TIRUPATI and MUSSOORIE.
- ◆ CANTEEN SUBSIDY @ ₹ 250/- per employee per month is being disbursed to all employees across the country from January 2013.
- ◆ Reimbursement of further Hospitalization Expenses against uncovered Hospitalization Bills with a maximum limit of ₹

25,000/- और जीवन संगी को ₹ 10,000/- की अधिकतम सीमा तक, भुगतान न किए गए अस्पताल भर्ती के बिलों हेतु की अतिरिक्त अस्पताल व्यय की प्रतिपूर्ति प्रारंभ की गई है।

- ◆ 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रतिमाह ₹ 5000/- की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रारंभ की गई है।
- ◆ बैंक ने नवंबर, 2012 से कर्मिक सेवा विभाग के कर्मचारी पेंशन प्रोसेसिंग केन्द्र के जरिये कर्मचारी पेंशनरों को केन्द्रीयकृत पेंशन भुगतान शुरू किया।

प्रशिक्षण:

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक द्वारा प्रशिक्षण पर ज्यादा जोर दिया गया। प्रशिक्षण विभाग के स्तर में एक अलग वर्टिकल बनाया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान की एक बड़ी उपलब्धि वेतनमान-III तक के कर्मचारी सदस्यों के प्रशिक्षण में प्राधिकार के प्रत्यायोजन और सर्किल तथा अंचल कार्यालयों के मिलकर काम करने की रही। शाखा स्तर पर स्थानिक प्रशिक्षण आयोजित करने पर पूरा जोर दिया गया। इसके अलावा, शिविर प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया जो सर्किल प्रमुखों द्वारा निर्धारित सुविधाजनक केन्द्रों पर आयोजित किए गए। निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा पाँच नए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के निर्णय को अनुमोदित कर दिया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान 8167 अधिकारियों एवं 750 लिपिकों को कक्षा में प्रशिक्षण दिया गया। 263 कार्यपालकों एवं अधिकारियों को भारत के शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थानों जैसे एनआईबीएम, सीएबी, बीआईआरडी, आईआईबीएफ, आईआईबीएम, एनआईआरडी, आईडीआरबीटी, आईआईएम इंदौर एवं आईआईएम लखनऊ आदि में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के लिए नामांकित किया गया। 6 अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण एवं अनुभव के लिए बाहर भेजा गया। 5427 अधिकारियों, 1373 लिपिकों एवं 210 अधीनस्थ कर्मचारियों (कुल 7010) को स्थानिक स्तर से आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण दिया गया है। केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, कोलकाता में लोक प्रापण में सतर्कता, अनुशासनिक कार्यवाइयाँ, सुरक्षा अधिकारी, विदेशी विनिमय कारोबार, निरीक्षण अधिकारियों जैसे विशिष्टीकृत विषयों पर प्रशिक्षण के आयोजन किए गए हैं। केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, कोलकाता और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, भुवनेश्वर द्वारा प्रबंधक पुस्तिका एवं रिटेल ऋणा उत्पादों पर पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। एएससीआई-हैदराबाद एवं आईआईएम इंदौर में कार्यपालकों के लिए, एनआईबीएम, पुणे में संकाय सदस्यों के लिए और आईआईबीएम-गुवाहाटी तथा एनआईआरडी-हैदराबाद में शाखा प्रबंधकों के लिए इन-कंपनी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

22. लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण:

बैंक में एक सुस्थापित लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग है जो प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के पालन की जाँच करता है। आंतरिक निरीक्षणों, समवर्ती लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा तथा सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा के लिए बैंक में एक व्यापक निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा नीति है। आंतरिक नियंत्रण के विभिन्न मुद्दों पर भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, बोर्ड तथा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति से प्राप्त होनेवाले दिशानिर्देश बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभिन्न अंग बन गए हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने प्रमुख एवं अन्य अनियमितताओं के सुधार द्वारा 3 माह से अधिक समय से लंबित चल रही समयोपरि निरीक्षण रिपोर्टों को बंद करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। बैंक द्वारा इस तरह जोर दिए जाने के फलस्वरूप 31 मार्च, 2013 की तारीख को कोई भी वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट बंद किए जाने हेतु लंबित नहीं थी। नियमित शाखा निरीक्षण रिपोर्ट परिचालन के स्तर पर बैंक की प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में प्रबंधन को सर्वाधिक व्यापक स्तर से जानकारी प्रदान करती है।

25,000/- in case of Retired employees & ₹ 10,000/- in case of Spouse of Retired employees in connection with treatment of Heart Surgery, Brain Tumor, Kidney failure, Cancer & major Surgery in the event of any accident has been initiated.

- ◆ Lump sum Financial Assistance of ₹ 5,000/- every month to the Pre-1986 Retirees has been introduced.
- ◆ Bank started Centralized payment of pension to the staff pensioners w.e.f. November, 2012 through the Staff Pension Processing Centre of Personnel Service Department.

TRAINING

During the financial year 2012-13, more emphasis was given on training by the Bank. A separate vertical as Training Department had been created. One of the major highlights, during the year 2012-13, was delegation of authority and association of Circle and Zonal Offices in training of staff members upto Scale-III. The focus was on locational training to be conducted at branch level. Further, Camp Training was also given focus to be conducted at convenient centres to be decided by the Circle Heads. The Board of Directors has approved the decision for setting up of five new Regional Training Centres by the Bank.

During the year 2012-13, 8167 officers and 750 clerks were given class-room training. 263 Executives & Officers were nominated for different training at apex Training Institutions of India like NIBM, CAB, BIRD, IIBF, IIBM, NIRD, IDRBT, IIM Indore & IIM Lucknow, etc. 6 Officers were sent for overseas training & exposure. 5427 Officers, 1373 Clerks & 210 Sub-staff (Total 7010) have been imparted need-based training locationally. Training on Specialized Subjects like vigilance on public procurement, Disciplinary Proceedings, Security Officers, Forex Business, Inspecting Officers have been organized at Central Staff College, Kolkata. Managers Handbook and Handbook on Retail Loan Products have been published by CSC, Kolkata & RTC, Bhubaneswar. Incompany Training Programmes have been organized for Executives at ASCI-Hyderabad & IIM - Indore, for Faculty Members at NIBM-Pune, for Branch Heads at IIBM-Guwahati & NIRD-Hyderabad.

22. AUDIT & INSPECTION:

The Bank has a well-established Audit and Inspection Department that examines adherence to the Systems and Procedures. Bank has a comprehensive Inspection and Audit Policy for undertaking Internal Inspections, Concurrent Audit, Revenue Audit, Risk Based Internal Audit, and Information System Audit. The guidelines received on various issues of Internal Control from Reserve Bank of India, Government of India, Board and Audit Committee of the Board have become part of the internal control system for better risk management.

During the year 2012-13 the Bank has given focussed attention to close overdue inspection reports outstanding for more than 3 months by rectification of major & other irregularities. As a result of impetus given by the Bank there was no Annual Financial Inspection Report pending for closure as on 31st March, 2013. The regular branch inspection report is the most comprehensive feed-back to the management about compliance of the Bank's systems and procedure and guidelines at operational level.

2012-13 के दौरान एक प्रमुख उपलब्धि यह रही कि रु. 46.60 करोड़ के कुल राजस्व रिसाव में से रु. 40.98 करोड़ की वसूली संबंधित आंतरिक / बाहर के लेखापरीक्षकों द्वारा तत्काल कर ली गई।

23. सतर्कता:

बैंक सतर्कता प्रशासन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपना ने विश्वास करता है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों, विशेषकर नवनियुक्तों को दैनन्दिन परिचालनों में सतर्कता के विभिन्न उपायों के प्रति संवेदनशील बनाने पर बल दिया गया। इसके लिए विभिन्न केन्द्रों पर अनेक कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के द्वारा आरडीए मामलों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से कमी आई, उन मामलों को छोड़कर जिनमें कार्रवाई न्यायालय/ पुलिस के हस्तक्षेप के द्वारा रोक ली गई है।

पिछले मुख्य सतर्कता अधिकारी ने अपना कार्यकाल 2 नवंबर, 2012 को पूरा किया और नए मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की गई है। उन्होंने 18 फरवरी 2013 को कार्यग्रहण किया।

मुख्य सतर्कता आयोग द्वारा मार्च 2013 में बैंक की सतर्कता कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई।

24. प्रबंधन एवं मानव संसाधन लेखापरीक्षा:

बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार सभी कारपोरेट विभागों, सर्किल कार्यालयों, अंचल कार्यालयों एवं क्षेत्र निरीक्षणालयों की प्रत्येक दो वर्ष में एक बार लेखापरीक्षा की जाती है। 01/04/2012 से 31/03/2013 की अवधि के दौरान बैंक ने सफलतापूर्वक 18 अंचल कार्यालयों 2 सर्किल कार्यालयों, 7 क्षेत्र निरीक्षणालयों एवं एक कारपोरेट विभाग की प्रबंधन लेखापरीक्षा की है। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनियमितताओं के सुधार के बाद सभी योग्य मामलों में रिपोर्टों को बंद कर दिया गया है।

सक्षम अधिकारी के अनुदेशों के अनुरूप मानव संसाधन प्रबंधन द्वारा स्थानांतरण नीति की त्वरित लेखापरीक्षा की जा रही है। 8 अंचल कार्यालयों एवं 4 सर्किल कार्यालयों की मानव संसाधन लेखापरीक्षा (मूल्यांकन) कराई गई।

25. राजभाषा नीति का अनुपालन:

बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सक्रिय कदम उठाए तथा इसके अधीन बनाए गए राजभाषा अधिनियम एवं नियम के उपबंधों के अनुपालनार्थ सावधानीपूर्वक कार्रवाई की। बैंक ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रम में यथानिहित निदेशों को कार्यान्वित करने हेतु समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की तथा उक्त कार्यक्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भरपूर कोशिश भी की। बैंक ने कार्यालयीन कार्य में हिंदी के प्रयोग से संबंधित वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेश के अनुपालन पर भी विशेष ध्यान दिया।

बैंक द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना काम हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उनहतर हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। इन हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से कुल 1451 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। सभी कंप्यूटरों पर 'यूनीकोड' एप्लीकेशन को स्थापित करने के भारत सरकार के निदेशों को देखते हुए, इन कार्यशालाओं में एक सत्र इस एप्लीकेशन के उपयोग एवं सक्रियकरण के बारे में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए रखा गया था।

विभिन्न अंचल कार्यालयों में पदस्थ राजभाषा अधिकारियों द्वारा 481 शाखाओं का निरीक्षण किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत सरकार की

One of the major achievements during 2012-13 was that out of total revenue leakage of Rs. 46.60 crore, Rs. 40.98 crore was recovered on the spot by internal/external auditors concerned.

23. VIGILANCE:

The Bank believes in adopting a Positive Approach in Vigilance Administration. During the year, emphasis was given to sensitizing the staff, mainly the new entrants with Vigilance measures in day to day operations. For this a number of Workshops & Training programmes were held at various centres.

With consistent follow up, the number of RDA cases reduced considerably except in matters where proceedings have been stopped by the intervention of Court/Police.

The earlier CVO, completed his tenure on 2nd November 2012 and a new CVO has been appointed. He took over on 18th February 2013.

There was a review of Vigilance functioning of the Bank by CVC in the month of March 2013.

24. MANAGEMENT AUDIT AND HR AUDIT:

In terms of the extant guidelines of the Bank, all the Corporate Departments, Circles Offices, Zonal Offices and Field Inspectorates are put to Management Audit once in every two years. The Bank has successfully conducted Management Audit in 18 Zonal Offices, 2 Circle Offices, 7 Field Inspectorates and one Corporate Department during the period from 01/04/2012 to 31/03/2013. The Reports have been closed in all eligible cases after getting the irregularities rectified by the Authorities concerned.

A snap Audit of the Transfer Policy being handled by HRM was conducted as instructed by the Competent Authority. H R Audit(assessment) of 8 Zonal Offices and 4 Circle Offices were conducted.

25. COMPLIANCE OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY:

The Bank has taken proactive steps to implement the Official Language Policy of Govt. of India and has meticulously taken steps to comply with the provisions of Official Languages Act and the Rules made there-under. The Bank has also taken appropriate follow-up action to implement the directives as contained in the Annual programme with regard to the use of Official Language Hindi issued by Government of India, Ministry of Home Affairs, Dept. of Official Language and also endeavoured to achieve various targets prescribed in the said programme. Bank has also given preferred attention to comply with the instructions of Financial Services Department, Ministry of Finance and Reserve Bank of India regarding the use of Hindi in official work.

Sixty Nine Hindi Workshops were organised by the Bank for the Officers and employees to motivate them to do their work in Hindi. Total 1451 Officers / employees were trained through these Hindi Workshops. In view of the directives of Govt. of India to promote 'UNICODE' application on all the computers, a session was allotted in these workshops to acquaint all Officers and employees with its application and activation.

481 branches were inspected by Official Language Officers posted at different Zonal offices, 3 Circle Offices, 9 Zonal offices.

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए प्रधान कार्यालय में पदस्थ राजभाषा अधिकारियों द्वारा 3 सर्किल कार्यालयों, 10 अंचल कार्यालयों, एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र और प्रधान कार्यालय के चार विभागों का भी निरीक्षण किया गया। ऐसे निरीक्षणों में पाई गई कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय भी किए गए।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक द्वारा "राजभाषा कार्यान्वयन - कार्यपालकों की भूमिका" विषय पर 17 मई, 2012 को कोलकाता में राष्ट्रीय संगोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में "राजभाषा कार्यान्वयन - कार्यपालकों की भूमिका" विषय पर यूको बैंक द्वारा आयोजित अंतर्बैंक एवं अंतःबैंक निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए।

बैंक में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की गति को तेज करने की जरूरत और उसके प्रभावी अनुपालन को ध्यान में रखते हुए समीक्षाधीन अवधि के दौरान 17 और राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की गई।

प्रधान कार्यालय के "हिंदी माह" समारोह के अवसर पर बैंक द्वारा कोलकाता स्थित साइंस सिटी प्रेक्षागार में एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न नगरों से आए सुप्रसिद्ध कविगण श्री सुरेन्द्र शर्मा, श्रीमती सीता सागर, श्री वेद प्रकाश एवं श्री संपत सरल ने दो सत्रों में अपनी कविताएँ एवं गीत प्रस्तुत किए। कोलकाता के श्री अजय रॉय ने भी लोकप्रिय हिंदी गीतकारों और कवियों द्वारा रचित गीत प्रस्तुत किए। तबला और सिंथेसाइजर पर डॉ. अमित कुमार वर्मा एवं डॉ. रवीन्द्र कुमार दास ने उनके साथ संगत की। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में कोलकाता, हावड़ा और साल्ट लेक में पदस्थ बैंक के सभी कार्यपालक और बड़ी संख्या में बैंक के सम्मानित ग्राहक अपने परिवार सहित उपस्थित थे।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान जयपुर, रायपुर, मुंबई, इंदौर, जोधपुर, अहमदाबाद, राँची, पुणे और भोपाल के अंचल कार्यालयों ने हिंदी ई-पत्रिकाएँ प्रकाशित की हैं।

बैंक ने विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के तत्वावधान में कई प्रतियोगिताएँ सफलतापूर्वक आयोजित कीं, समिति की पत्रिकाओं को संपादकीय सहयोग प्रदान किया, तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को भी "हिंदी यूनीकोड कार्यशालाएँ" एवं "हिंदी कार्यशालाएँ" आयोजित करने में सहायता की।

कई फार्म/प्रचार सामग्री/प्रक्रियात्मक पुस्तिकाएँ तथा शेररधारकों के वार्षिक सामान्य बैठक की रिपोर्ट, अनुदेश पुस्तिकाएँ तथा विभिन्न बोर्ड समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त द्विभाषिक रूप में तैयार किए गए। हमारे बैंक की वेबसाइट की सामग्री के हिंदी पाठ भी तैयार किए गए। बैंक द्वारा हिंदी की स्तरीय साहित्यिक पुस्तकों, शब्दकोशों, तकनीकी शब्दावलियों, कंप्यूटर/बैंकिंग आदि से संबंधित हिंदी पुस्तकों तथा प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में लिखित विख्यात साहित्यिक पुस्तकों की खरीद के लिए पर्याप्त राशि आबंटित की गई।

कार्यालयीन कार्य में हिंदी के उपयोग के संबंध में कामकाज की प्रभावी निगरानी करने की दृष्टि से बैंक की सर्वोच्च राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में बैंक की स्थिति की सुस्पष्ट समीक्षा की गई।

प्रधान कार्यालय तथा अंचल कार्यालयों, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों और शाखाओं में 'हिंदी माह', 'हिंदी पखवाड़ा', 'हिंदी सप्ताह' उत्साहपूर्वक मनाए गए।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पटना, जालंधर, राँची एवं धर्मशाला द्वारा क्रमशः अंचल कार्यालय, पटना एवं अंचल कार्यालय, जालंधर को प्रथम पुरस्कार / शील्ड तथा अंचल कार्यालय, राँची एवं अंचल कार्यालय, धर्मशाला को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किए गए।

One Regional Training Centre and four departments of Head Office were also inspected by Official Language Officers posted at Head Office during the period under review to evaluate the performance in the area of implementation of Official Language Policy of Govt. of India. Necessary remedial measures were also taken to remove the deficiencies observed in such inspections.

During the period under review a National Seminar on the subject "Rajbhasha Implementation - Role of the executives" was successfully organized by the Bank on 17th May, 2012 in Kolkata. Prizes were also distributed to the winner of the Inter-bank and Intra-bank Hindi Essay Writing Competition organized by UCO Bank on the subject "Rajbhasha Implementation - Role of the executives" in this seminar.

In view of the requirement to accelerate the pace of implementation and effective compliance of Official Language Policy of Govt. of India in the Bank 17 more Official Language Officers were recruited during the period under review.

On the occasion of "HINDI MONTH" celebration at Head Office a grand cultural evening was organized by the Bank in Science City Auditorium at Kolkata. Eminent Hindi poets from various cities of the country viz. Shri Surendra Sharma, Smt. Sita Sagar, Shri Ved Prakash, and Shri Sampat Saral recited their poems and songs in two sessions in this programme. Shri Ajoy Roy of Kolkata also presented songs penned by popular Hindi lyricists and poets. Dr. Amit Kumar Verma and Dr. Ravindra Kumar Das accompanied him on Tabla & Synthesizers. The programme was inaugurated by the CMD of the Bank. All the executives of the Bank posted at Kolkata, Howrah and Salt Lake and a large number of our valued customers along with their families were present on this occasion.

Zonal Offices, Jaipur, Raipur, Mumbai, Indore, Jodhpur, Ahmedabad, Ranchi, Pune and Bhopal have published Hindi e-magazines during the period under review.

The Bank successfully organised various competitions, rendered editorial assistance to other Public Sector Banks & Financial Institutions in conducting 'HINDI UNICODE WORKSHOP' & 'Hindi workshop' under the auspices of different TOLIC's.

Various forms / publicity materials / procedural booklets and report of Annual General meeting of Shareholders, Manual of Instructions, Minutes of various Board Committees were prepared in bilingual form. Hindi text of the materials for our Bank's Website was also prepared. Sufficient amount was allocated by the Bank for the purchase of classic literary Hindi books, dictionaries, technical glossaries, Hindi books on computer/banking, etc. and famous literary books in regional languages written by renowned litterateurs.

In view of effective monitoring of the work with regard to the use of Hindi in official work, the position of our Bank was vividly reviewed in the meetings of Apex Official Language Implementation Committee of the Bank.

"Hindi Month", "Hindi Fortnight", "Hindi Week" was celebrated enthusiastically at Head Office as well as Zonal Offices, Central Staff College, Regional Training Centres and Branches.

During the period under review Zonal Office, Patna and Zonal Office, Jalandhar were awarded 1st Prize / Shield and Zonal Office, Ranchi and Zonal Office, Dharamshala were awarded 2nd Prize respectively by TOLIC Patna, Jalandhar, Ranchi and Dharamshala.

बैंक में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में संयुक्त निदेशक (रा.भा.), वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग, नई दिल्ली ने 11 जुलाई, 2012 को बैंक के प्रधान कार्यालय का निरीक्षण किया और कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा किए गए उपायों पर संतोष व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त 18 जुलाई, 2012 को उप निदेशक (कार्यान्वयन), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व), कोलकाता ने भी 31 मार्च, 2012 को समाप्त तिमाही हेतु उनको प्रस्तुत तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आधार पर बैंक के प्रधान कार्यालय में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के विभिन्न पहलुओं के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की।

26. अनुपालन:

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनिवार्य किए गए अनुपालन के मामलों पर बल दिया है। बैंक ने एक सख्त अनुपालन प्रणाली के जरिये ग्राहक सेवा के स्तर, जमा, अग्रिम, केवाईसी/एएलएल, अन्य सेवाओं के कार्यों एवं नियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, आदि द्वारा मांगी गई सांविधिक / विनियामक रिपोर्टें, सूचना एवं आंकड़ों की त्वरित प्रस्तुति सुनिश्चित की है। अनुपालन नीति में संशोधन और उसकी समीक्षा की जा चुकी है और उसे निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए मंडल की 10.4.2013 को होनेवाली बैठक में रखा जा रहा है। संशोधित अनुपालन नीति को आवश्यक परिवर्तन करके तैयार किया गया है ताकि अनुपालन कार्यों में उल्लंघन को रोका जा सके। शाखाओं में प्रचालनों की अनुपालन जाँच वर्ष 2011-12 के दौरान प्रारंभ की गई थी जिससे देखी गई कमियाँ पकड़कर उन्हें तुरंत ठीक कर दिया जाए ताकि प्रचालनगत कार्यक्षमता में सुधार हो सके। महत्वपूर्ण मुद्दों को उपयुक्त स्तर पर रिपोर्ट करके उन पर विचार-विमर्श किया गया ताकि प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ सके।

27. विधिक मामले:

बैंक द्वारा हितधारकों के सभी वर्गों द्वारा सामने लाए गए विभिन्न मामलों पर विधिक परामर्श दिया गया था। बैंक ने परिचालनगत स्तरों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ऐसे मामलों के शीघ्र निपटारे पर ध्यान दिया था। इसे सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी प्रणाली लागू की गई थी। बैंक ने वसूली मामलों, विभिन्न स्रोतों द्वारा दायर किए गए वैयक्तिक और औद्योगिक विवादों, परिसर मामलों, विधिक लेखापरीक्षाओं, दस्तावेजीकरण, न्यायाधिकरण आवश्यकताओं, लोकपाल अनुपालन, आदि जस्त्रों का ध्यान रखने हेतु अपनी विधिक सेवा प्रदान की। विधिक मामलों के लिए निर्देशों का एक स्तर तय करने और उसे बनाए रखने के लिए अच्छे विधिवेत्ताओं को सूचीबद्ध करने का काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

28. भावी योजनाएँ:

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक, देयता और आस्ति, दोनों ही ओर अपने रिटेल आधार को और मजबूत बनाएगा। बैंक 'यूको होम', 'यूको कार', 'यूको एजुकेशन' और 'यूको गोल्ड लोन' जैसे रिटेल अग्रिमों को महत्व देना जारी रखेगा। इसके अलावा बैंक प्रत्यक्ष कृषि और एमएसई पर विशेष ध्यान देते हुए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र पर बल देता रहेगा। वर्तमान वर्ष 2013-14 की समयावधि के दौरान बैंक बड़ी जमा और बड़े अग्रिम पर अपनी निर्भरता को और कम करने की कोशिश करेगा। मार्च, 2014 के अंत तक बैंक कम-से-कम 400 और शाखाएं खोलकर अपने वितरण माध्यमों को सशक्त बनाएगा जिससे तब तक बैंक का शाखा नेटवर्क 3000 शाखाओं तक पहुँच जाएगा, साथ ही एटीएम की संख्या को दुगुना कर देगा जिससे बैंक के वैकल्पिक वितरण चैनल नेटवर्क का विस्तार होगा।

ग्राहक जुटाने पर बैंक और भी ज्यादा ध्यान देगा और मार्च, 2014 तक कम-से-कम 40 लाख नए कासा खाते जुटाने का लक्ष्य रहेगा।

सार-रूप में, वर्ष 2013-14 लगातार दूसरी बार 'रिटेल कारोबार वर्ष' होगा।

Jt. Director (O.L.), Govt. of India, Ministry of Finance, Financial Services Dept., New Delhi inspected the Bank's Head Office on 11th July, 2012 in respect of implementation of Official Language Policy in the Bank and expressed his satisfaction to observe the steps taken by the Bank for augmenting the use of Official Language Hindi in official work. In addition, on 18th July, 2012 the Dy. Director (Imp.), Govt. of India, Ministry of Home Affairs, Regional Implementation Office (East), Kolkata also reviewed the position of compliance of various aspects of the Official Languages Act and Official Languages Rules at the Head Office of the Bank on the basis of the Quarterly Progress Report for the quarter ended 31st March, 2012 submitted to them.

26. COMPLIANCE:

The Bank has emphasized on compliance issues as mandated by RBI. The Bank had ensured the level of customer service, functions and rules of deposit, advance, KYC/AML, other services, prompt submission of statutory/regulatory reports, information and data asked by RBI, GOI, etc. through a strict compliance system. Compliance Policy has been revised, reviewed and the same is being placed for approval of the Board of Directors in its meeting scheduled to be held on 10.4.2013. The revised Compliance Policy has been prepared incorporating necessary changes to prevent breaches in the areas of compliance functions. Compliance testing of operations at branches was introduced during the year 2011-12 to render deficiencies observed and rectified them on the spot to improve operational efficiency. Critical issues were reported and discussed at the appropriate level to enhance efficacy of the system.

27. Legal Matters

The Bank had delivered legal advice on various matters referred to it by all sections of stakeholders. The Bank had focused on the expeditious disposal of such matters for enhancing the efficiency of operational tiers. To ensure this, a continuous Monitoring System was in place. The Bank had extended its legal service to cater to the need of recovery issues, personal and industrial disputes filed by different sources, premises matters, legal audits, documentations, tribunal requirements, Ombudsman Compliance, etc. Empanelment of good lawyers was done successfully to set and maintain benchmark for legal issues.

28. FUTURE PLAN:

During the year 2013-14, the Bank will further strengthen its retail base, both on liability and assets sides. The Bank shall continue to focus on retail advances such as, 'UCO Home', 'UCO CAR', 'UCO Education' and 'UCO Gold Loan'. Besides, the Bank will continue to lay emphasis on Priority Sector Advances with focus on Direct Agriculture and MSE. The endeavour of the Bank shall be to reduce its dependence on bulk deposits and advances further during the course of the current year 2013-14. The Bank will be strengthening its delivery channels by opening at least 400 branches to touch the Bank's branch network to 3000 branches by the end of March, 2014 as also to double the number of ATM which will increase the Bank's alternative delivery channel network.

The Bank's focus on customer acquisition will further be increased by targeting at least 40 lakh new CASA accounts by March, 2014.

To sum up, the year 2013-14 shall be the 'Retail Business Year', second time in succession.

29. निदेशक मंडल:

कारपोरेट अभिशासन:

उत्तम कारपोरेट अभिशासन पर बैंक का अटूट विश्वास है तथा वह लगातार इस पर अमल करता रहा है। यह पारदर्शिता, पेशेवर मानसिकता तथा दायित्वबोध के अपने आधारभूत मूल्यों से संरचित है। अपने दैनन्दिन परिचालन संबंधी इन पहलुओं पर निरंतर बल देते हुए बैंक शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। उत्तम अभिशासन के सिद्धांतों के प्रति बैंक के वचनबद्ध होने के नाते इसके निदेशक मंडल ने बैंक कारोबार के प्रत्येक पहलू पर निगरानी रखने के लिए निदेशक मंडल की विविध समितियों का गठन किया है। कमजोर क्षेत्रों, यदि हों, की पहचान करने और उन्हें मजबूत करने हेतु विभिन्न स्तरों पर बैंक की प्रणालीगत एवं कारोबार संबंधी प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा की जाती है। बैंक के निदेशकों का यह विश्वास है कि उत्तम अभिशासन ही ग्राहकों, कारोबार सहयोगियों, कर्मचारियों तथा निवेशकों की आस्था, निष्ठा एवं सदिच्छा तथा समग्रतः समाज का सम्मान अर्जित करने की कुंजी है।

निदेशक मंडल में परिवर्तन:

श्रीमती उमा शंकर ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक के रूप में 30.07.2010 से 06.09.2012 तक बोर्ड में कार्य किया। 06.09.2012 से श्री बी. पी. विजयेन्द्र को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्रीमती आर. ए. शर्मा ने कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में 15.02.2010 से 14.02.2013 तक बोर्ड में कार्य किया। 15.02.2013 से श्री पार्थ चंद को कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

12.12.2012 से श्री दीपेन्द्र नारायण ठाकुर को अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में बोर्ड में नियुक्त किया गया है।

निदेशक बोर्ड की बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशक मंडल की 14, निदेशक मंडल की प्रबंध समिति की 19 तथा निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 8 बैठकों का बैंक द्वारा आयोजन किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशक मंडल की अन्य विभिन्न समितियों द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या निम्नलिखित है:

क्रम सं. SI No.	समिति का नाम Name of the Committee	आयोजित बैठकों की संख्या No. of Meetings held
1.	जोखिम प्रबंध समिति Risk Management Committee	3
2.	शेयरधारक शिकायत निवारण समिति Shareholders' Grievance Redressal Committee	1
3.	शेयर अंतरण समिति Share Transfer Committee	8
4.	बड़ी राशि के कपटों पर निगरानी रखने हेतु विशेष समिति Special Committee for Monitoring Large-value Frauds	3
5.	निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee of the Board	4
6.	बैंक की मानव संसाधन संबंधी मुद्दों की समिति Committee on HR-related issues of the Bank	2
7.	निदेशक मंडल की नामांकन समिति Nomination Committee of the Board	-
8.	निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee of the Board	1
9.	निदेशक मंडल की सू.प्रौ. प्रबंधन समिति Committee of the Board on IT Management	4

29. BOARD OF DIRECTORS:

Corporate Governance

The Bank firmly believes in and has consistently practiced good corporate governance which is woven around its core values of transparency, professionalism and accountability. By constantly focusing on these aspects in its day-to-day operations, the Bank strives to enhance shareholders' value. The Bank being committed to the principles of good governance, its Board of Directors has formed various committees of the Board to monitor every aspect of Bank's business. The systems and business processes of the Bank are continuously reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weaknesses, if any. The Directors of the Bank believe that good governance is the key to earning trust, loyalty and goodwill of clients, business associates, employees and investors and respect from the society at large.

Changes in the Board of Directors

Smt. Uma Shankar served as the RBI nominee Director in the Board from 30.07.2010 to 06.09.2012. With effect from 06.09.2012, Shri B.P. Vijayendra has been appointed as RBI nominee Director.

Shri R. A. Sharma served as the Workman Employees Director in the Board from 15.02.2010 to 14.02.2013. With effect from 15.02.2013, Shri Partha Chanda has been appointed as Workman Employees Director.

Shri Diptendra Narayan Thakur was appointed as Officers' employee Director in the Board w.e.f.12.12.2012.

Meetings of the Board of Directors

During the financial year 2012-13, the Bank had 14 meetings of the Board of Directors, 19 meetings of the Management Committee of the Board, 8 meetings of the Audit Committee of the Board. The number of meetings of various other Committees of the Board held during the year 2012-13 is given below:


निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण:

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे में तात्कालिक विचलन, यदि कोई हो, से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा-प्रणाली मानकों का प्रयोग किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार बनाई गई लेखा नीतियों को एकरूपता से लागू किया गया है। उचित और विवेकसम्मत निर्णय तथा प्राक्कलन किए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्य की स्थिति तथा दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष में बैंक के लाभ की सच्ची और सही छवि उभर सके। भारत के बैंकों को शासित करनेवाली प्रयोज्य विधियों के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख के रख-रखाव की ओर समुचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया गया, और लेखे सतत आधार पर तैयार किए गए हैं।

आभार

निदेशक मंडल बोर्ड के विचार-विमर्श के समय अपना योगदान देने हेतु निवर्तमान निदेशकों, श्रीमती उमा शंकर एवं श्री आर. ए. शर्मा की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। बोर्ड नए निदेशकों का स्वागत करता है तथा बैंक की संवृद्धि में उनके बहुमूल्य सुझावों की प्रत्याशा करता है। निदेशकगण भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य नियामक प्राधिकरणों के प्रति उनके समर्थन और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है। निदेशक मंडल अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा संपर्की बैंकों को उनके भरपूर सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशकगण निष्ठावान ग्राहकों के भी आभारी हैं जिन्होंने बैंक पर आस्था रखी और उसे लगातार संरक्षण दिया। बोर्ड बैंक की स्टाफ यूनियनों/ एसोसिएशनों तथा बैंक के शेयरधारकों के समर्थन के लिए उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशकगण बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की समर्पित भावना की हार्दिक सराहना करते हैं जिसकी वजह से बैंक ने कई कीर्तिमान स्थापित किए।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से,



दिनांक : 7 मई, 2013
स्थान : कोलकाता

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Statement of Directors' Responsibilities

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2013, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India, were consistently applied. Reasonable and prudent judgements and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2013. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and the accounts have been prepared on an on-going basis.

Acknowledgements

The Board of Directors places on record its deep appreciation of the contributions made to the deliberations of the Board by outgoing Directors namely, Smt. Uma Shankar, and Shri R.A.Sharma. The Board would like to welcome the new Directors and looks forward to their valuable inputs towards growth of the Bank. The Directors remain thankful to the Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities for their support and valuable guidance. The Board also thanks other Financial Institutions and correspondent banks for their sincere co-operation. The Directors express their gratitude to the loyal customers for their trust and continuous patronage of the Bank. The Board also thanks the Staff Unions/Associations and shareholders of the Bank for the support extended by them. The Directors place on record their deep appreciation of the dedication shown by each employee of the Bank due to which the Bank could achieve so many milestones.

For and on behalf of Board of Directors,



Dated: 07th May, 2013
Place: Kolkata

(Arun Kaul)
Chairman & Managing Director

कारपोरेट अभिशासन से संबंधित रिपोर्ट

1. बैंक का कारपोरेट अभिशासन दर्शन

यूको बैंक का कारपोरेट अभिशासन दर्शन उसके कार्य में निहित उच्च-स्तरीय नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है। बैंक की कारपोरेट अभिशासन नीतियां पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता के महत्वपूर्ण मूल्यों पर केंद्रित हैं। बैंक अपने सभी हितधारकों एवं समाज को अधिकतम महत्व देने हेतु कारपोरेट अभिशासन को और अधिक समृद्ध करने के लिए अपनी सर्वोत्तम पद्धति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रति लगातार प्रयासरत है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 तथा बैंककारी कंपनी (अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। कारपोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार में दिया गया है, इन संविधियों के साथ पढ़ा जाए।

बैंक के निदेशक अनुभवी हैं तथा उन्हें बैंक को उपयुक्त दिशा प्रदान करने एवं बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता हासिल है।

2.1.0 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं जबकि अन्य निदेशकों को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) धारा 9(3) (क) से 9(3) (ज) तक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियुक्त/नामांकित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (झ) के अधीन दो निदेशकों का निर्वाचन शेयरधारक (केन्द्र सरकार से भिन्न) द्वारा कर सकते हैं।

2.2.0 दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के उपबंधों के अनुसार बोर्ड का गठन किया गया है।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy of the Bank :

UCO Bank's Corporate Governance Philosophy is to maintain high standards of ethical practices in conduct of its business. The Bank's Corporate Governance policies are woven around the core values of transparency and professionalism. The Bank constantly endeavors to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimize the value of all its stakeholders and the society, at large.

2. Board of Directors

The constitution of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Misc. Provisions) Scheme 1970 and The Banking Companies (Acquisition & Transfer) & Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006. The requirements of Corporate Governance as envisaged in the Listing Agreement with the Stock Exchanges are to be read along with these statutes.

The Directors are experienced and have requisite expertise in the field of Banking, Finance, and Management so as to provide appropriate directions and exercise effective control in the functioning of the Bank.

2.1.0 The Chairman & Managing Director and two Executive Directors are the whole time directors appointed by the Govt. of India while the other Directors are appointed/nominated under different sections of 9(3) (a) to 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred as Act).

Besides, under Section 9(3) (i) of the same Act, the shareholders of the Bank are entitled to elect two directors (other than the Central Government) from among themselves.

2.2.0 Composition of the Board of Directors as on 31.03.2013 :

The Board is constituted in accordance with the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

क्रम सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	कार्यग्रहण करने की तारीख	यूको बैंक के निदेशक मंडल की जिस समिति (जिन समितियों) में सदस्य हैं	दिनांक 31.03.13 की स्थिति के अनुसार निदेशकों द्वारा धारित यूको बैंक के शेयर Holding of UCO Bank shares by the Directors as on 31.03.13
Sl. No.	Name & Designation of the Director	Date of joining the office	Membership in Board Committee(s) of UCO Bank	
1)	श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri Arun Kaul, Chairman & Managing Director	01.09.2010	सीएचआर, सीएससी, एमसीबी, आरएमसीबी, एसएमएलवीएफ, सीआईटी एवं एफआई (आईटीएससी) CHR, CSC, MCB, RMCB, SMLVF, CIT & FI(ITSC)	—
2)	श्री एन.आर. बद्रिनारायणन कार्यपालक निदेशक Shri N.R. Badrinarayanan Executive Director	01.09.2010	एसीबी, सीएचआर, सीएससी, एमसीबी, आरएमसीबी, एसजीआरसीबी, एसटीसीबी, एसएमएलवीएफ ACB, CHR, CSC, MCB, RMCB, SGRCB, STCB, SMLVF	—
3)	श्री एस. चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक Shri S. Chandrasekharan Executive Director	01.10.2011	एसीबी, सीएचआर, सीएससी, एमसीबी, आरएमसीबी, एसजीआरसीबी, एसटीसीबी, एसएमएलवीएफ, सीआईटी एवं एफआई (आईटीएससी) ACB, CHR, CSC, MCB, RMCB, SGRCB, STCB, SMLVF, CIT & FI (ITSC)	—
4)	श्री प्रवीण रावल सरकार के नामिती निदेशक Shri Pravin Rawal Govt. Nominee Director	02.12.2011	एसीबी, सीएचआर, सीएससी, एनसीबी, आरसीबी, आरएमसीबी, एसएमएलवीएफ ACB, CHR, CSC, NCB, RCB, RMCB, SMLVF	—
5)	श्री बी. पी. विजयेंद्र भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक Shri B. P. Vijayendra RBI Nominee Director	06.09.2012	एसीबी, एमसीबी, एनसीबी, आर सी बी ACB, MCB, NCB, RCB	—
6)	श्री मनोज कुमार गुप्ता अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Manoj Kumar Gupta Part time Non-Official Director	02.08.2011	एसीबी, सीएचआर, सीएससी, एमसीबी, एनसीबी, आरसीबी, आरएमसीबी, आईटीएससी ACB, CHR, CSC, MCB, NCB, RCB, RMCB, ITSC	—
7)	श्री सेबास्टियन लुकोस मॉरिस शेयरधारक निदेशक Prof. Sebastian Luckose Morris, Shareholder Director	13.07.2010	एसीबी, सीएससी, एनसीबी, आरसीबी, एसजीआरसीबी, एसटीसीबी, एसएमएलवीएफ, सीआईटी एवं एफआई (आईटीएससी) ACB, CSC, NCB, RCB, SGRCB, STCB, SMLVF, CIT & FI (ITSC)	100
8)	श्री दीपेन्द्र नारायण ठाकुर अधिकारी कर्मचारी निदेशक Shri Diptendra Narayan Thakur Officers Employee Director	13.12.2012	एमसीबी, आरएमसीबी, एसटीसीबी सीआईटी एवं एफ आई (आईटीएससी) MCB, RMCB, STCB, CIT & FI (ITSC)	200
9)	श्री पार्थ चंद कामगार कर्मचारी निदेशक Shri Partha Chanda Workmen Employees' Director	15.10.2013	एसीजीआरसीबी, सीआईटी एवं एफआई (आईटीएससी) SGRCB, CIT & FI (ITSC)	—

एसीबी = निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति, **सीएचआर** = बैंक के मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति, **सीएससी** = ग्राहक सेवा समिति, **एमसीबी** = निदेशक मंडल की प्रबंध समिति, **एनसीबी** = निदेशक मंडल की नामांकन समिति, **आरसीबी** = निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति, **आरएमसीबी** = निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति, **एसजीआरसीबी** = निदेशक मंडल की शेयरधारक शिकायत निवारण समिति, **एसटीसीबी** = निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति, **एसएमएलवीएफ** = अधिक राशि के कपट की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति, **सीआईटी एवं एफआई** = सू.प्रौ एवं वित्तीय समावेशन समिति। (आईटीएमसी=सू.प्रौ कार्यनीति समिति के रूप में नया नामकरण)।

ACB = Audit Committee of the Board, **CHR** = Committee on HR related issues of the Bank, **CSC** = Customer Service Committee, **MCB** = Management Committee of the Board, **NCB** = Nomination Committee of the Board, **RCB** = Remuneration Committee of the Board **RMCB** = Risk Management Committee of the Board, **SGRCB** = Shareholders' Grievance Redressal Committee of the Board, **STCB** = Share Transfer Committee of the Board, **SMLVF** = Special Committee of the Board for Monitoring Large Value Frauds, **CIT & FI** = Committee on IT & Financial Inclusion (renamed as **ITSC** = IT Strategy Committee).

2.2.1 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त / त्यागपत्र दिए निदेशक

2.2.1 Directors who retired/resigned during the year ended on 31.03.2013

क्रम.सं०	निदेशक का नाम	कार्यग्रहण की तारीख	निदेशक के पद की समाप्ति की तारीख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की सं. जिनमें उपस्थित रहे/ जो आयोजित हुईं
Sl.No.	Name of the Director	Date of joining	Date of cessation of Directorship w.e.f.	No. of Board meetings attended/ held during his/her tenure.
1.	श्रीमती उमा शंकर भारतीय रिज़र्व की नामिती निदेशक Smt. Uma Shankar RBI Nominee Director	30.07.2010	06.09.2012	6/7
2.	श्री राम अवतार शर्मा कामगार कर्मचारी निदेशक Sri R. A Sharma Workmen Employees Director	15.02.2010	15.02.2013	13/13

2.2.2 वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, अन्य बोर्ड समितियों की संख्या जिनके वे वर्ष के दौरान सदस्य रहे या अध्यक्ष रहे एवं ऐसी अन्य कंपनियों / निगमों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं जिनमें वे निदेशक रहे हैं :

2.2.2 The details of the attendance of each Director at the Board Meetings held during the year, no. of other Board Committees where he/she is a member or Chairperson during the year and directorship of other companies/ corporations are furnished hereunder:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	बोर्ड की समितियों की सं., जिनमें सदस्य हैं	अन्य कंपनी आदि, जिनमें निदेशक हैं
Name of Director	No. of Meetings Attended/Held (during the period of their tenure) upto 31.03.2013	Member of Board's Committees (Number)	Other directorship

वर्तमान सदस्य / Present Members

श्री अरुण कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Shri Arun Kaul
Chairman & Managing Director

14/14

6

-

श्री एन.आर.बद्रीनारायणन
कार्यपालक निदेशक

Shri N.R. Badrinarayanan
Executive Director

14/14

9

-

निदेशक का नाम Name of Director	30.03.2013 तक कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें No. of Meetings Attended/Held (during the period of their tenure) upto 31.03.2013	बोर्ड की समितियों की सं., जिनमें सदस्य हैं Member of Board's Committees (Number)	अन्य कंपनी आदि , जिनमें निदेशक हैं Other directorship
श्री एस.चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक Shri S. Chandrasekharan Executive Director	11/14	10	-
श्री प्रवीण रावल सरकार के नामिती निदेशक Shri Pravin Rawal Govt. Nominee Director	5/14	7	-
श्री बी. पी. विजयेन्द्र भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक Shri B.P. Vijayendra RBI Nominee Director	5/7	4	-
श्री मनोज कुमार गुप्त अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Manoj Kumar Gupta Part time Non-Official Director	13/14	8	-
श्री प्रो.सेबास्टियन लुकोस मॉरिस शेयरधारक निदेशक Shri Prof. Sebastian Luckose Morris, Shareholder Director	10/14	8	गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कं. (जीईटीसीओ) आइडिया टेलिकॉम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस (आईआईटीसीओई) पिपुल कैन सर्विसेज लि. अहमदाबाद Gujarat Energy Transmission CO (GETCO) Idea Telecom Centre of Excellence (IITCOE) People Can Services Ltd. Ahmedabad
श्री दीपेन्द्र नारायण ठाकुर अधिकारी कर्मचारी निदेशक Shri Diptendra Narayan Thakur Officer Employee Director	3/3	4	-
श्री पार्थ चंद कामगार कर्मचारी निदेशक Shri Partha Chanda Workmen Employees' Director	1/1	2	-
पूर्व सदस्य / PAST MEMBERS (वर्ष 2012-13 के दौरान सेवानिवृत्त निदेशकगण) (Directors retired during the year 2012-13)			
श्रीमती उमा शंकर भारतीय रिजर्व बैंक की नामिती निदेशक Smt. Uma Shankar RBI Nominee Director	6/7	4	-
श्री राम अवतार शर्मा कामगार कर्मचारी निदेशक Shri Ram Avtar Sharma Workmen Employee Director	13/13	5	-

2.2.3 बोर्ड की बैठकों की तारीख

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकें तथा सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित न्यूनतम चार बैठकों की तुलना में निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की 14 बैठकें आयोजित की गईं :

05.05.2012	19.05.2012	05.06.2012	30.06.2012	24.07.2012
04.08.2012	31.08.2012	17.10.2012	07.11.2012	27.11.2012
07.12.2012	23.01.2013	05.02.2013	26.02.2013	

2.2.4 बोर्ड के नए निदेशकों का संक्षिप्त जीवनावृत :

श्री बी. पी. विजयेन्द्र, निदेशक :

श्री बी. पी. विजयेन्द्र का जन्म 21 अक्टूबर, 1956 को हुआ था। वे अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर एवं सीएआईआईबी हैं। श्री विजयेन्द्र को भारतीय रिज़र्व बैंक में सेवा करने का 30 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान पद ग्रहण करने के पूर्व वहाँ वे क्षेत्रीय निदेशक, राजस्थान, मुख्य महाप्रबंधक, ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग, मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। इस समय वे मुद्रा प्रबंधन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक के पद कार्यरत हैं।

वे अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति के सदस्य, राज्य सरकारों को इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण के लिए ढाँचा तैयार करने के लिए परामर्श हेतु गठित कार्यबल के सदस्य, राजस्थान के लिए वित्तीय समावेशन कार्यबल के सदस्य, मुद्रा प्रबंधन कार्यकारी दल के सदस्य हैं।

वे कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, निजी क्षेत्रों के बैंकों तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एवं देना बैंक के निदेशक मंडलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक रहे।

श्री बी.पी. विजयेन्द्र को दिनांक 6 सितंबर, 2012 के प्रभाव से यूको बैंक के निदेशक मंडल में भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री दीप्तेन्द्र नारायण ठाकुर, निदेशक

श्री दीप्तेन्द्र नारायण ठाकुर का जन्म 01 मार्च, 1958 को हुआ था। वे कृषि विज्ञान से स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने 12 अगस्त, 1983 को यूको बैंक में सेवा प्रारंभ की।

श्री डी. एन. ठाकुर, 12 दिसंबर, 2012 को यूको बैंक के अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में निदेशक मंडल में शामिल हुए।

श्री पार्थ चंद, निदेशक

श्री पार्थ चंद का जन्म 08 अगस्त, 1960 को हुआ था। वे कला-स्नातक हैं। उन्होंने 23 सितंबर, 1982 को यूको बैंक में सेवा प्रारंभ की। वे ऑल इंडिया यूको बैंक इंप्लाइज फेडरेशन के सचिव, यूको बैंक स्टॉफ यूनियन, प. बंगाल एवं सिक्किम के कार्यकारी अध्यक्ष और एआईबीईए की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं। वे भारतीय संचार निगम लिमिटेड की दूरभाष सलाहकार समिति के मानद सदस्य भी हैं।

श्री पार्थ चंद 15 फरवरी, 2013 को कामगार निदेशक के रूप में यूको बैंक के निदेशक मंडल में शामिल हुए।

3.0 निदेशक मंडल की समितियां :

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों/

2.2.3 Dates of Board Meetings

During the period of review 14 Board Meetings were held on following dates, as against minimum of 6 prescribed under Clause 12 of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and minimum of four meetings stipulated in Clause 49 of Listing Agreement:

2.2.4 Brief profiles of new directors on the Board :

Shri B.P. Vijayendra, Director

Born on 21st October 1956, Shri B P Vijayendra has done his Masters in Economics and is a CAIIB. Shri Vijayendra has over 30 years experience in Reserve Bank of India where he has held important posts like Regional Director, Rajasthan, CGM of Rural Planning & Credit Department, CGM of Department of Banking Supervision, prior to the current position. He is currently holding the post of Principal Chief General Manager of the Department of Currency Management.

He is Member of the High Level Committee to review Lead Bank Scheme, Member of the Task Force to suggest Framework for Electronic Benefit Transfer to State Governments, Member of the Financial Inclusion Task Force for Rajasthan, Member of Working Group on Currency Management.

He was the Nominee Director of RBI on the Boards of several RRBs, private sector banks as also State bank of Indore and Dena Bank.

Shri B P Vijayendra was appointed as the Nominee Director of RBI on the Board of UCO Bank with effect from 6th Sept 2012.

Shri Diptendra Narayan Thakur, Director

Born on 01st March 1958, Shri Diptendra Narayan Thakur did his Masters in Agriculture Science. He has joined UCO Bank on 12th Aug 1983.

Shri D N Thakur joined the Board as Officer Employee Director of UCO Bank on 12th Dec.2012.

Shri Partha Chandra, Director

Born on 08th Aug 1960, Shri Partha Chanda is an Arts Graduate. He has joined UCO Bank on 23rd Sept 1982. He is the Secretary, All India UCO Bank Employees' Federation, Working President of UCO Bank Staff Union, W.Bengal & Sikkim and a Central Committee member of AIBEA. Among his other responsibilities, he is an Honorary Member of Telephone Advisory Committee, BSNL, Kolkata City.

Shri Partha Chanda joined the Board of UCO Bank on 15th Feb.2013 as Workman Director.

3.0 Committees on the Board:

Pursuant to the instructions/guidelines/directives issued by the

निदेशों के अनुसरण में बैंक में निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को सुचारु और कारगर बनाना, समितियों के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न कार्यकलापों की प्रभावी मानीटरिंग करना एवं उनपर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। विभिन्न स्थायी समितियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं :

3.1.0 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (ए सी बी) :

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें स्टॉक एक्सचेंजों के साथ संशोधित सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित न्यूनतम तीन निदेशकों की जगह छह निदेशक हैं। समिति के सभी निदेशक वित्तीय रूप से शिक्षित हैं और समिति के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार गुप्त, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के वरिष्ठ अधिसदस्य हैं।

3.1.1. प्राथमिक उद्देश्य :

यह एक सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था के रूप में लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने हेतु बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण कार्य का सर्वेक्षण, समीक्षा करती है एवं निदेश देती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति इन उद्देश्यों के अनुसार बैंक के आंतरिक निरीक्षण / लेखापरीक्षा संबंधी कार्य-उसकी प्रणाली, गुणवत्ता एवं प्रभाविता की समीक्षा करती है। जहां तक बाह्य लेखापरीक्षा का संबंध है, समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में लेखांकन नीतियों, प्रथाओं, अंक-संबंधी, अर्हताओं में परिवर्तन तथा लेखांकन मानक के अनुपालन के विशेष संदर्भ में समीक्षाकृत/लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/समस्याओं के संबंध में भी कार्रवाई करती है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा-कार्य, समाधान, कपट एवं अन्य संबंधित विषयों की भी समीक्षा करती है।

3.1.2 ए सी बी का संघटन और वर्ष 2012-13 के दौरान ए सी बी के सदस्य जिन बैठकों में उपस्थित रहे, उनकी संख्या

Reserve Bank of India, Government of India, various committees of directors have been constituted with the objectives of streamlining the decision making process, effective monitoring and follow up of various activities falling within the terms of references of such committees. Particulars of the various standing committees are as under:

3.1.0 Audit Committee of the Board (ACB):

As per directives of RBI, the Bank constituted the Audit Committee of the Board with six directors as against minimum of three directors stipulated in Clause 49 of the Listing Agreements entered with Stock Exchanges. All the Directors in the committee are financially literate and Shri Manoj Kumar Gupta, Chairman of the Committee, is a senior fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

3.1.1. Primary objectives:

It oversees, reviews and provides directions to the internal audit/inspection function in the Bank in order to ensure and enhance the effectiveness of the audit and inspection function as a strong management tool. In respect of internal audit, the Audit Committee of the Board reviews the internal inspection/audit function of the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of the objectives. As regards external audit, the committee reviews all the issues raised in the Long Form Audit Report. Besides, it interacts with the external auditors before finalization of reviewed/audited accounts with special reference to change in accounting policies, practices, qualification in the draft audit report and compliance with the accounting standards. It also addresses all issues/concerns raised in inspection report of RBI. The committee also reviews the internal control system, the areas of house keeping, reconciliation, fraud and other related matters.

3.1.2 Composition of the ACB and number of meetings attended by the members of ACB during the year 2012-13

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे/आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks
वर्तमान सदस्य/Present Members		
श्री मनोज कुमार गुप्त निदेशक एवं एसीबी अध्यक्ष Mr. Manoj Kumar Gupta Director & Chairman of ACB	8/8	-
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan ED & Member of ACB	7/8	-

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे/आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks
श्री एस. चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED & Member of ACB	8/8	-
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri Pravin Rawal Director & Member of ACB	5/8	-
श्री बी.पी.विजयेंद्र निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri B.P. Vijayendra Director & Member of ACB	3/5	-
श्री प्रो.सेबास्टियन लुकोस मॉरिस निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri Sebastian Luckose Morris Director & Member of ACB	4/8	-
पूर्व सदस्य / PAST MEMBERS वर्ष 2012-13 के दौरान सेवानिवृत्त सदस्य (Members retired during the year 2012-13)		
श्रीमती उमा शंकर भारतीय रिजर्व बैंक की नामिती निदेशक Smt. Uma Shankar RBI Nominee Director	2/3	-

3.1.3 एसीबी की बैठकों के आयोजन की तारीख :

सूचीकरण कारोबार के खंड 49 में यथानिर्धारित एक वर्ष में न्यूनतम चार बैठकों के स्थान पर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 8 बैठकें आयोजित की गईं। बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

04.05.2012	23.07.2012	03.08.2012	25.09.2012
06.11.2012	26.12.2012	04.02.2013	25.02.2013

3.2.0 निदेशक मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी) :

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। इसके सदस्य हैं- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, सनदी लेखाकार निदेशक और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ख), (ग) में निर्दिष्ट निदेशक तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) के खंड (घ), (ङ), (च), (ज) एवं (झ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से निदेशक मंडल द्वारा नामित दो निदेशक। निदेशक मंडल द्वारा नामित निदेशक एक बार में छह महीने से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेंगे। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एमसीबी के अध्यक्ष हैं।

3.2.1 समिति का उद्देश्य निम्नलिखित पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है :

- अधिक राशि के उधार / ऋण, समझौता और बट्टे खाते डालने के प्रस्ताव।
- पूंजीगत और राजस्व व्यय हेतु तथा परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित अधिक राशि के प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण/ किराए पर लेने हेतु निर्धारित मानदंडों से विचलन भी शामिल है।

3.1.3 Dates on which ACB Meetings were held:

During the year under review, 8 meetings of the Committee were held vis-a-vis minimum of four meetings in a year, stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement. The meetings were held on following dates:

04.05.2012	23.07.2012	03.08.2012	25.09.2012
06.11.2012	26.12.2012	04.02.2013	25.02.2013

3.2.0 Management Committee of the Board (MCB) :

The Committee is constituted as per Provisions of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970. Its members are Chairman & Managing Director, Executive Directors, Chartered Accountant Director and directors referred to under clauses (b), (c) of sub-section (3) of Section 9 of Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970., and two Directors nominated by the Board from amongst the Directors referred to Clauses (d), (e), (f), (h) and (i) of Section 9(3) of the Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970. The Directors nominated by the Board shall hold office for not more than six months at a time. The Chairman & Managing Director is the Chairman of MCB.

3.2.1 The objectives of the committee are to consider and approve: -

- high value credit/loan, compromise and write off proposals.
- high value proposals for capital and revenue expenditure and those relating to acquisition and hiring of premises including deviation from prescribed norms for acquisition/ hiring of premises.

- iii) कंपनियों के शेयरों / डिबेंचरों में निवेश सहित सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अधिक राशि का निवेश करने के लिए प्रस्ताव और हामीदारी, दान देने संबंधी अधिक राशि के प्रस्ताव एवं
- iv) निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर उसके पास भेजे गए इसी प्रकार के कोई अन्य मामले।

- iii) Proposal for high value investments in Govt. and other approved securities including investment in shares/ debentures of companies as well as high value proposals of underwriting, making donations and
- iv) Any other matter of similar nature referred to it by the Board from time to time.

3.2.2 बोर्ड की प्रबंध समिति (एमसीबी) का संघटन एवं वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड की प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या :

3.2.2 Composition of the Management Committee (MCB) of the Board and the number of meetings attended by the members of MCB during the year 2012-13

निदेशक का नाम Name of Director	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति/आयोजित बैठकें Meetings Attended / Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
वर्तमान सदस्य/Present Members		
श्री अरुण कौल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं एमसीबी के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD & Chairman of MCB	19/19	-
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan ED & Member of MCB	18/19	-
श्री एस.चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED & Member of MCB	16/19	-
श्री बी. पी. विजयेन्द्र निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri B.P. Vijayendra Director & Member of MCB	8/12	-
श्री मनोज कुमार गुप्त निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri Manoj Kumar Gupta Director & Member of MCB	19/19	-
श्री डी. एन. ठाकुर निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri D.N. Thakur Director & Member of MCB	4/4	-
पूर्व सदस्य / PAST MEMBERS		
(Members retired during the year 2012-13)		
श्रीमती उमा शंकर निदेशक एवं एमसीबी की सदस्य Smt. Uma Shankar Director & Member of MCB	5/7	-
श्री राम अवतार शर्मा निदेशक एवं एम सी बी के सदस्य Sri R. A Sharma Director & Member of MCB	14/15	-
श्री प्रो.सेबास्टियन लुकोस मॉरिस निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri Prof. Sebastian Luckose Morris Director & Member of MCB	11/14	-

3.2.3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित तारीखों को एमसीबी की 19 बैठकें आयोजित की गईं :

3.2.3 During the period under review 19 meetings of MCB were held on following dates :

18.04.2012	04.05.2012	19.05.2012	05.06.2012
30.06.2012	24.07.2012	31.08.2012	15.09.2012
25.09.2012	18.10.2012	06.11.2012	27.11.2012
07.12.2012	26.12.2012	04.02.2013	25.02.2013
12.03.2013	22.03.2013	28.03.2013	

3.3.0. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) :

3.3.0. Risk Management Committee of the Board (RMCB)

3.3.1. यह समिति बैंक के कारोबार में आनेवाली विभिन्न प्रकार की जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी करती है तथा बैंक को संबंधित दिशानिर्देश देती है और आवधिक समीक्षा एवं निगरानी के आधार पर ऐसी कार्य-नीतियां बनाती है जिससे बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कारोबार के परिचालन में स्थायित्व और दक्षता सुनिश्चित हो। यह बैंक में आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली के क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण एवं निगरानी भी करती है।

3.3.1. The Committee identifies, evaluates, monitors and guides the Bank on various categories of risks to which the Bank's business is exposed and devices, based on periodical review and monitoring, such strategies as would ensure stability and efficiency of the National and International business operations of the Bank. It also supervises and monitors the functioning of Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.

3.3.2 आरएमसीबी का संघटन तथा वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित बैठकों और उनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

3.3.2 The composition of RMCB and details of the meetings held during the year 2012-13 and attendance are as under :

निदेशक का नाम	बैठकों में उपस्थिति / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks

वर्तमान सदस्य/Present Members

श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं आरएमसीबी के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD & Chairman of RMCB	3/3	-
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan ED & Member of RMCB	2/3	-
श्री एस.चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED & Member of RMCB	3/3	-
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri Pravin Rawal Director & Member of RMCB	1/3	-
श्री मनोज कुमार गुप्त निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri Manoj Kumar Gupta Director & Member of RMCB	3/3	-
श्री डी एन ठाकुर निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri D.N. Thakur Director & Member of MCB	-	वर्ष 03.03.2013 से सदस्य Member with effect from 03.03.2013

निदेशक का नाम	बैठकों में उपस्थिति आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks

पूर्व सदस्य / PAST MEMBERS

वर्ष 2012-13 के दौरान सेवानिवृत्त सदस्य

(Members retired during the year 2012-13)

श्री आर.ए.शर्मा

निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य

Shri R.A. Sharma

Director & Member of RMCB

3/3

3.3.3 आरएमसीबी की बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

23.07.2012 18.10.2012 27.12.2012

3.3.3 The meetings of RMCB were held on the following dates :

23.07.2012 18.10.2012 27.12.2012

3.4.0 शेयरधारक शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसीबी):

3.4.0 Shareholders Grievances Redressal Committee (SGRCB) :

3.4.1. शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों, यथा-धन वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश वारंट आदि प्राप्त न होने के संबंध में उचित सावधानी रखते हुए तथा शिकायतकर्ता की तुष्टि के अनुरूप शिकायत का निवारण करने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। वर्ष के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का निवारण कर दिया गया है।

3.4.1. The Committee was constituted under the Chairmanship of the Non-executive Director for speedy redressal of shareholder/investors' complaints/grievances, like, non receipt of refund orders, share certificate, dividend warrant etc., with due care and to the satisfaction of the complainants. All the complaints received during the year were redressed.

3.4.2 दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार एसजीआरसीबी का संघटन तथा उक्त समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

3.4.2 The composition of the SGRCB as on 31st March, 2013 and details of the attendance of the members are as under :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks

वर्तमान सदस्य/Present Members

प्रो.एस.एल.मॉरिस

निदेशक एवं एसजीआरसीबी के अध्यक्ष

Prof. S.L. Morris,

Director & Chairman of SGRCB

1/1

-

श्री एन.आर.बद्रीनारायणन

कार्यपालक निदेशक एवं एसजीआरसीबी के सदस्य

Shri N.R. Badrinarayanan

ED & Member of SGRCB

0/1

-

श्री एस.चन्द्रशेखरन्

कार्यपालक निदेशक एवं एसजीआरसीबी के सदस्य

Shri S. Chandrasekharan

ED & Member of SGRCB

1/1

-

श्री पार्थ चंद

निदेशक एवं एसजीआरसीबी के सदस्य

Shri Partha Chanda

Director & Member of SGRCB

-

03.03.2013 से सदस्य

Member with effect from 03.03.2013

3.4.3 वर्ष के दौरान एसजीआरसीबी की एक बैठक, दिनांक 26.12.2012 को आयोजित की गई।

3.4.3 During the year one meeting of SGRCB was held on 26.12.2012.

3.5.0. निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी) :

3.5.0. Share Transfer Committee of the Board (STCB) :

3.5.1. यह समिति मूर्त रूप में धारित बैंक के शेयरों का अंतरण/प्रेषण/स्थानांतर आदि अनुमोदित एवं प्रभावी करने तथा खो गए /गुम हो गए/चोरी हो गए मूल शेयर के बदले डुप्लिकेट शेयर जारी करने के प्रस्ताव/अनुरोध का अनुमोदन करने के लिए गठित की गई है। अंतरण एवं प्रेषण के लिए ऐसे सभी अनुरोध/प्रस्ताव को अंतरण/प्रेषण के लिए अनुरोध की प्रस्तुति की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाता है।

3.5.1. The committee has been constituted to approve and effect transfer/transmission/transposition etc. of Bank's shares, held in physical form, as also approval on the requests/proposals for issuance of duplicate shares in lieu of originals lost/misplaced/stolen. It is also ensured that all such requests/proposals for transfer and transmission are completed within the period stipulated from the date of submission of the requests for transfer/transmission complete on all respects.

3.5.2 एसटीसीबी का संघटन एवं उसकी बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

3.5.2 The composition of the STCB and details of the meetings attended by its members during the period 2012-13 are as under:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks
वर्तमान सदस्य/Present Members		
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan ED & Member of STCB	7/8	-
श्री एस.चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED & Member of STCB	7/8	-
प्रो.एस.एल.मॉरिस निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri S.L. Morris Director & Member of STCB	6/8	-
श्री डी. एन. ठाकुर निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri D.N. Thakur Director & Member of MCB	-	दिनांक 03.03.2013 से सदस्य Member with effect from 03.03.2013
पूर्व सदस्य / PAST MEMBERS		
(Members retired during the year 2012-13)		
श्री आर.ए.शर्मा निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri R.A. Sharma Director & Member of STCB	8/8	-

3.5.3 एसटीसीबी की बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

05.05.2012	19.05.2012	05.06.2012	30.06.2012
23.07.2012	31.08.2012	18.10.2012	26.12.2012

3.5.3 The meetings of STCB were held on the following dates :

05.05.2012	19.05.2012	05.06.2012	30.06.2012
23.07.2012	31.08.2012	18.10.2012	26.12.2012

3.6.0 पारिश्रमिक समिति (आरसीबी)

3.6.1 बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों यथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है एवं यात्रा भत्ता और विराम भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाती है, परंतु उनमें से किसी को निदेशक मंडल की बैठकों या निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए किसी बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

3.6.2 वर्ष के दौरान वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य वार्षिक आधार पर "कार्यनिष्पादन युक्त प्रोत्साहन" के भुगतान के लिए बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना है।

3.6.3 आरसीबी का संघटन एवं वर्ष 2012-13 के दौरान उसकी बैठकों में आरसीबी के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks

वर्तमान सदस्य/PRESENT MEMBERS

श्री प्रवीण रावल
निदेशक एवं आरसीबी के अध्यक्ष
Shri Pravin Rawal

Director and Chairman of RCB

श्री बी.पी.विजयेंद्र
निदेशक एवं आरसीबी के सदस्य
Shri B.P. Vijayendra

Director and Member of RCB

प्रो.एस.एल.मॉरिस
निदेशक एवं आरसीबी के सदस्य
Prof. S.L. Morris

Director and Member of RCB

श्री मनोज कुमार गुप्त
निदेशक एवं आरसीबी के सदस्य
Shri Manoj Kumar Gupta

Director & Member of RCB

पूर्व सदस्य / PAST MEMBERS

(वर्ष 2012-13 के दौरान सेवानिवृत्त सदस्य)
(Members retired during the year 2012-13)

श्रीमती उमा शंकर
निदेशक एवं आरसीबी की सदस्य
Smt. Uma Shankar

Director and Member of RCB

3.6.0 Remuneration Committee (RCB) :

3.6.1 The whole time directors of the Bank i.e. the Chairman & Managing Director and the Executive Directors are being paid remuneration and provided reimbursement of traveling and halting expenses as per rules framed by Govt. of India but none of them are paid sitting fees for attending the Board meetings and other committee meetings of the Board.

3.6.2 In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, Remuneration Committee of the Board (RCB) was formed during the year for the sole purpose of evaluation of the performances of the wholetime directors of the Bank for payment of "Performance Linked Incentives", annually.

3.6.3 Composition of the RCB and details of meeting held and attended by the members of RCB during the period 2012-13 :

3.6.4 आरसीबी की बैठक की तारीख : 23.07.2012

3.6.4 Date of RCB Meeting : 23.07.2012.

3.7.0 अधिक राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति (एसएमएलवीएफ)

3.7.0 Special Committee for Monitoring of Large Value Frauds (SMLVF)

3.7.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में अधिक राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य 1 करोड़ रु. एवं उससे अधिक राशि के कपटों की निगरानी एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3.7.1 In compliance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Special Committee for Large Value Frauds has been constituted with the objective of monitoring and follow up of frauds involving Rs. 1 crore and above. Chairman & Managing Director of the Bank acts as the Chairman of the Committee.

3.7.2 एसएमएलवीएफ का संघटन और वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित बैठकों एवं उक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

3.7.2 Composition of the SMLVF Committee and details of the meetings held & attended by the members during the year 2012-13:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks

वर्तमान सदस्य/PRESENT MEMBERS

श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD and Chairman of SMLVF	3/3	-
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan Executive Director and Member of SMLVF	3/3	-
श्री एस.चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri S. Chandrasekharan Executive Director and Member of SMLVF	3/3	-
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri Pravin Rawal Director and Member of SMLVF	0/3	-
श्री मनोज कुमार गुप्त निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri Manoj Kumar Gupta Director and Member of SMLVF	2/2	-
श्री प्रो.सेबास्टियन लुकोस मॉरिस निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri Prof. Sebastian Luckose Morris Director and Member of SMLVF	1/1	-

3.7.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 3 (तीन) बैठकें दिनांक 24.07.2012, 17.10.2012 और 23.01.2013 को आयोजित की गईं।

3.7.3 During the period under review 3 (three) meetings of the Committee were held i.e. on 24.07.2012, 17.10.2012 and 23.01.2013.

3.8.0 निदेशक मंडल की नामांकन समिति (एनसीबी) :

3.8.0 Nomination Committee of the Board (NCB) :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विद्यमान निर्वाचित निदेशकों/बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अधीन निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जानेवाले व्यक्तियों की 'उचित एवं सही' स्थिति अवधारित करने के लिए 'समुचित सावधानी' बरते जाने का कार्य करने हेतु निदेशक मंडल की नामांकन समिति का गठन किया गया।

In compliance with the directives of Reserve Bank of India, Nomination committee of the Board (NCB) was constituted so as to undertake the exercise of 'due diligence' for determining 'fit and proper' status of the existing elected directors / persons to be elected as director under Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970.

3.8.1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई

3.8.1 During the period under review NO meeting of the committee was held.

3.9.0 ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)

3.9.0 Customer Service Committee (CSC)

3.9.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन निम्नलिखित हेतु किया गया है -

3.9.1 In compliance with the directives issued by Reserve Bank of India, Customer Service Committee of the Board has been constituted:

- सार्वजनिक सेवा की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन एवं उसकी सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु ,
- सदैव सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक-तुष्टि के स्तर में सुधार लाने हेतु ,
- ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए नवीन उपायों पर विचार करने हेतु ।

- to ensure implementation of and adherence to the recommendations of Committee on Procedures and Performance Audit of Public Services as well as compliance with its recommendations;
- to bring upon improvement in the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times;
- to consider innovative measures to enhance the quality of customer service

3.9.2 बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3.9.2 The Chairman & Managing Director of the Bank is the Chairman of the Committee.

3.9.3 सीएससी का संघटन और वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित बैठकें एवं उक्त समिति की बैठकों में सीएससी के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

3.9.3 Composition of the CSC and details of the meetings held during the year 2012-13 and attended by the members of CSC:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Directors	Meetings Attended / Held	Remarks
वर्तमान सदस्य/PRESENT MEMBERS		
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीएससी के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD and Chairman of CSC	4/4	-
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan ED and Member of CSC	4/4	-
श्री एस. चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED and Member of CSC	4/4	-
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Shri Pravin Rawal Director and Member of CSC	0/4	-
श्री मनोज कुमार गुप्त अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Manoj Kumar Gupta Part time Non Official Director	4/4	-
श्री प्रो.सेबास्टियन लुकोस मॉरिस शेयरधारक निदेशक Shri Prof. Sebastian Luckose Morris Shareholders Director	1/4	-

3.9.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की चार बैठकें क्रमशः दिनांक 24.07.2012, 17.10.2012, 25.02.2013 और **12.03.2013** को आयोजित की गईं ।

3.10.0 मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति (सीएचआर)

3.10.1 सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता संबंधी भारत सरकार के निदेशों के आलोक में बैंक के निदेशक मंडल को इस बात की यह स्वतंत्रता दी गई है एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह सरकारी नीतियों के व्यापक ढांचे के भीतर प्रबंधकीय मुद्दों पर निर्णय ले। स्वायत्तता से संबंधित एक क्षेत्र का संबंध मानव संसाधन से संबंधित नीति एवं क्रियाविधि के निर्माण से है।

3.10.2 समिति का उद्देश्य :

- स्टाफ ढाँचा, भर्ती, पदस्थापन, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पेंशन आदि सहित बैंक से संबंधित मानव संसाधन संबंधी सभी मुद्दों के बारे में निर्णय करना
- पात्रता मानदंड, चयन की पद्धति, प्रवेश का स्तर आदि सहित भर्ती के लिए मानव संसाधन संबंधी नीति एवं क्रियाविधि बनाना
- अधिकारियों एवं स्टाफ को पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय लेना
- बैंक के पदधारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी से संबंधित नीति निर्धारित करना
- शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड विहित करना

3.10.3 सीएचआर समिति का संघटन और वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित बैठकें एवं उक्त समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण

3.9.4 During the period under review, four meetings of the committee were held i.e. on 24.07.2012, 17.10.2012, 25.02.2013 and 12.03.2013.

3.10.0 Committee on HR Related Issues (CHR)

3.10.1 In the light of the directive of Govt. of India on Managerial Autonomy to the Public Sector Banks (PSB), the Board of Directors of the Bank is granted with freedom and responsibility for deciding on managerial issues within the broad framework of the Government policies. One of the areas of autonomy relates to framing of HR policies and procedures.

3.10.2 Objective of the Committee:

- to decide all Human Resource issues relating to the Bank including staffing pattern, recruitment, placement, transfer, training, promotions, pensions etc.
- to frame HR policies and procedures for recruitment including eligibility criteria, mode of selection, levels of entry etc.
- to take decisions on remuneration and compensation of officers and staff
- to lay down policy of accountability and responsibility of Bank officials
- to prescribe standards for categorization of branches

3.10.3 Composition of the CHR Committee and details of the meetings held during the year 2012-13 and attended by the members of the Committee.

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Directors	Meetings Attended / Held	Remarks
वर्तमान सदस्य/PRESENT MEMBERS		
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीएचआर के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD and Chairman of CHR	2/2	-
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan ED and Member of CHR	2/2	-
श्री एस.चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED and Member of CHR	2/2	-
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Shri Pravin Rawal Director and Member of CHR	0/2	-

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Directors	Meetings Attended / Held	Remarks
श्री मनोज कुमार गुप्त निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Shri Manoj Kumar Gupta Director and Member of CHR	2/2	-
श्री डी. एन. ठाकुर निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Shri D.N. Thakur Director and Member of CHR	1/1	-
पूर्व सदस्य / PAST MEMBERS वर्ष 2012-13 के दौरान सेवानिवृत्त सदस्य (Members retired during the year 2012-13)		
श्री राम अवतार शर्मा निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Sri R. A Sharma Director and Member of CHR	1/1	-

- 3.10.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित तारीखों को 2 (दो) बैठकें आयोजित की गईं :
17.10.2012 एवं 25.02.2013
- 3.10.4 During the period under review, 2 (two) meetings were held on the following dates :
17.10.2012 and 25.02.2013.
- 3.11.0 सू.प्रौ. एवं वित्तीय समावेशन (सीआईटी एवं एफआई) समिति**
- 3.11.0 Committee on IT & Financial Inclusion (CIT & FI)**
- 3.11.1 प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं वित्तीय समावेशन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान देने हेतु निदेशक मंडल ने दिनांक 26.06.2009 को संपन्न बैठक में सू.प्रौ. एवं वित्तीय समावेशन (सीआईटी एवं एफआई) समिति का गठन किया।
- 3.11.1 In order to provide focused attention in matters relating to technology up gradation and IT initiatives for Financial Inclusion, the Board of Directors, at its meeting dated 26.06.2009 constituted the Committee on IT & Financial Inclusion (CIT & FI).
- 3.11.2 सीआईटी एवं एफ आई का संघटन एवं 2012-13 की अवधि में उसकी बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण**
- 3.11.2.. Composition of the (CIT & FI) and details of the meeting held and attended by the members of (CIT & FI) during the period 2012-13 :**

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Directors	Meetings Attended / Held	Remarks
वर्तमान सदस्य/PRESENT MEMBERS		
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीआईटी एवं एफआई के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD and Chairman of CIT & FI	3/3	-
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं सीआईटी एवं एफआई के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan ED and Member of CIT & FI	3/3	-
श्री एस.चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं सीआईटी एवं एफआई के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED and Member of CIT & FI	3/3	-
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं सीआईटी एवं एफआई के सदस्य		

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Directors	Meetings Attended / Held	Remarks
Shri Pravin Rawal Director and Member of CIT & FI	2/3	-
श्री मनोज कुमार गुप्त निदेशक एवं सीआईटी एवं एफआई Shri Manoj Kumar Gupta Director and Member of CIT & FI	1/1	-
श्री प्रो.सेबास्टियन लुकोस मॉरिस निदेशक एवं सीआईटी एवं एफआई के सदस्य Shri Prof. Sebastian Luckose Morris Director and Member of CIT & FI	0/3	-
पूर्व सदस्य / PAST MEMBERS वर्ष 2012-13 के दौरान सेवानिवृत्त सदस्य (Members retired during the year 2012-13) श्री राम अवतार शर्मा निदेशक एवं सीआईटी एवं एफआई के सदस्य Sri R. A Sharma Director and Member of CIT & FI	2/2	-
समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की तीन बैठकें 19.05.2012, 24.05.2012 एवं 26.02.2013 को आयोजित की गईं।		During the period under review three meetings of the committee were held on 19.05.2012, 24.05.2012 and 26.02.2013.
दिनांक 26.02.2013 को आयोजित बैठक में सूत्रो नीति 2013-14 की समीक्षा करते समय निदेशक मंडल ने सूत्रो प्रबंधन समिति के पुनर्गठन और उसका नाम सू.प्रौ कार्यनीति समिति करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।		At its meeting held on 26.02.2013, the Board while reviewing the IT Policy of 2013-14 approved the proposal of reconstituting & renaming the IT Management Committee as IT Strategy Committee .
निदेशक मंडल की सू.प्रौ कार्यनीति समिति (दिनांक 27.02.2013 के प्रभाव से)		<u>IT Strategy Committee of the Board (IT) (w.e.f. 27.02.2013)</u>
निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Directors	Meetings Attended / Held	Remarks
श्री मनोज कुमार गुप्त निदेशक एवं आईटी के अध्यक्ष Shri Manoj Kumar Gupta Director and Chairman of IT	1/1	-
श्री एस.चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं आईटी के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED and Member of IT	1/1	-
श्री प्रो.सेबास्टियन लुकोस मॉरिस निदेशक एवं आईटी के सदस्य Shri Prof. Sebastian Luckose Morris Director and Member of IT	0/1	-
श्री डी. एन. ठाकुर निदेशक एवं आईटी के सदस्य Shri D.N. Thakur Director and Member of IT	1/1	-
श्री पार्थ चंद्र निदेशक एवं आईटी के सदस्य Shri Partha Chanda Director and Member of IT	1/1	-

पूर्व सदस्य (वर्ष 2012-13 के दौरान सेवानिवृत्त सदस्य)

During the period under review one meeting of the committee was held on 12.03.2013.

4.0 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की बैठक :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठकों के बारे में इस प्रकार हैं :

4.0 Shareholders Meetings held during the last three years;

The details of the General Meetings of the Shareholders held during the last 3 years :

बैठक का नाम Name of the meeting	तारीख एवं दिन Date and Day	समय Time	स्थान Venue
7वीं वार्षिक आम बैठक 7 th Annual General Meeting	12 जुलाई, 2010 12 th July 2010	11.00 बजे 11.00 A.M	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, ब्लॉक 1बी, 201, साल्ट लेक, कोलकाता -700 106 Eastern Zonal Cultural Centre, Block 1B, 201, Salt Lake, Kolkata - 700106
असाधारण सामान्य आम बैठक Extra Ordinary General Meeting	17 मार्च, 2011 17 th March, 2011	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता -700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
8वीं वार्षिक आम बैठक 8 th Annual General Meeting	14 जुलाई, 2011 14 th July, 2011	11.00 बजे 11.00 A. M	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, ब्लॉक 1बी, 201, साल्ट लेक, कोलकाता -700 106 Eastern Zonal Cultural Centre, Block 1B, 201, Salt Lake, Kolkata – 700106
असाधारण सामान्य आम बैठक Extra ordinary General Meeting	23 मार्च, 2012 23 rd March, 2012	11.00 बजे 11.00 A.M	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता -700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
9वीं वार्षिक आम बैठक 9 th Annual General Meeting	26 जून, 2012 26 th June, 2012	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता -700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
असाधारण सामान्य आम बैठक Extra ordinary General Meeting	4 मार्च, 2013 4 th March, 2013	11.00 बजे 11.00 A.M	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता -700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027

4.1.1 पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

पिछली, यानी 9 वीं वार्षिक आम बैठक 26 जून, 2012 को नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता 700 027 में संपन्न हुई थी। श्री अरुण कौल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एन. आर. बद्दीनारायणन, कार्यपालक निदेशक बैठक में उपस्थित थे।

4.1.1 Attendance of the Directors in the last Annual General Meeting :

The last i.e. 9th Annual General Meeting was held on 26th June, 2012 at National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027. Shri. Arun Kaul, Chairman & Managing Director, Shri N R Badrinarayanan, Executive Director, attended the meeting.

4.1.2 पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद निदेशक मंडल में शामिल नए निदेशक

दिनांक 26 जून, 2012 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक की तारीख के बाद श्री बी.पी.विजयेंद्र, निदेशक, श्री डी.एन. ठाकुर, निदेशक और श्री पार्थ चंद, निदेशक बोर्ड के सदस्य हुए।

4.1.2 New Directors on the Board after the last Annual General Meeting :

Shri. B. P. Vijayendra, Director, Shri D.N Thakur, Director, and Sri. Partha Chanda, Director, became the members of the Board subsequent to the date of the last Annual General Meeting held on 26th June, 2012.

4.1.3 पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्प

- i) दिनांक 2 मार्च, 2010 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, सार्वजनिक निर्गम के रूप में अधिमानी निर्गम और / या निजी तौर पर शेयर आबंटन आधार पर या एक या कई हिस्सों में 10/- ₹ प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 6 (छह) करोड़ रु. से अनधिक के शेयर, निर्गमित एवं आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया।
- ii) दिनांक 17 मार्च, 2011 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ साथ, अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 7,90,00,000 इक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया। बैंक ने सेबी आईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76 (1) के अनुसार 120.27 ₹ प्रति शेयर मूल्य पर दिनांक 25.03.2011 को प्रत्येक 10 /- ₹ के 7,81,57,479 इक्विटी शेयर आबंटित किए।
- iii) दिनांक 23 मार्च, 2012 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 6,06,13,407 इक्विटी शेयर एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को 3,13,75,874 इक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया। बैंक ने सेबी / सीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76 (1) के अनुसार 82.49 ₹ प्रति शेयर मूल्य पर दिनांक 30.03.2012 को भारत सरकार को 58,18,887 इक्विटी शेयर एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को 3,13,75,874 इक्विटी शेयर आबंटित किए।
- iv) दिनांक 4 मार्च, 2013 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, सेबी सीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार ₹77.46 प्रति शेयर पर अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 8,79,16,343 इक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित करने का अनुमोदन किया।
- v) आईपीओ के आरंभ से ही डाक द्वारा मतपत्र भेजने के मामले में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था।

5.0 प्रकटीकरण :

बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 तथा बैंककारी कंपनी (अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 द्वारा शासित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सूचीकरण करार का खंड 49 उसी सीमा तक लागू होगा कि वह उनपर लागू संबंधित कानून एवं इस संबंध में भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अतिक्रमण नहीं करता है।

5.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

पूर्णकालिक निदेशकों को देय "उत्पादकता युक्त प्रोत्साहन राशि" के अतिरिक्त अध्यक्ष एवं कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा तय किया जाता है। बैंक अंशकालिक निदेशकों को निम्नलिखित दरों पर बैठक शुल्क के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं करता है -

4.1.3 Special Resolutions passed during last three years

- i) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 2/3/2010, a special Resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded its approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot not exceeding 6(six) crore Equity Shares of face value of ₹10/- each, in one or more tranches by way of Public Issue, Preferential Issue and/ or Private Placement.
- ii) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 17th March, 2011, a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded its approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot upto 7,90,00,000 equity shares on preferential basis to Government of India. Bank had allotted 7,81,57,479 equity shares of ₹10/- each on 25.03.2011 at ₹120.27 per share determined in accordance with Regulations 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009.
- iii) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 23rd March, 2012, a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot upto 6,06,13,407 equity shares to Government of India and 3,13,75,874 equity shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis. Bank had allotted 58,18,887 equity shares to Government of India and 3,13,75,874 equity shares to LIC of India on 30.03.2012 at an issue price of ₹82.49 per share determined in accordance with Regulations 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009.
- iv) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 4th March, 2013 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 8,79,16,343 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of ₹77.46 per share determined in accordance with Regulations 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009.
- v) No special resolution was passed through postal ballot since IPO.

5.0 Disclosures :

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and The Banking Companies (Acquisition & Transfer) & Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006. Reserve Bank of India, has clarified that for Listed Public Sector Banks, Clause 49 of the Listing Agreement will apply only to the extent that it does not violate the relative statutes applicable to them and the guidelines issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time in this regard.

5.1 Remuneration of Directors :

Other than "Productivity Linked Incentives" payable to the whole time directors, the remuneration of the Chairman & Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the part time directors except sitting fees at the following rates.

निदेशक मंडल की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹10,000/-
समिति की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 5,000/-

For Board Meeting : ₹ 10,000/- per sitting
For Committee Meeting : ₹ 5,000/- per sitting

5.2 महत्वपूर्ण लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण :

बैंकिंग कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई ऐसा तात्किक उल्लेखनीय लेनदेन नहीं किया है जो बैंक के व्यापक हितों पर संभावित संकट पैदा कर सके। वर्ष के दौरान बैंक के परिप्रेक्ष्य में गैर-कार्यपालक निदेशक का कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

बैंक के निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता में अनुपालन में निदेशकगण, निदेशक मंडल या उसकी उपसमितियों की उन बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं जिनमें निदेशकगण या उनके नातेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

5.3 सार्वजनिक निर्गम आदि से प्राप्त राशि

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने सार्वजनिक/अधिकार निर्गम के रूप में इक्विटी शेयर जारी करके कोई राशि नहीं जुटाई। बैंक ने सेबी आईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76 (1) के अनुसार ₹ 77.46 प्रति शेयर मूल्य पर अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को 8,79,16,343 इक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए। बैंक को प्राप्त उक्त राशि का उपयोग बैंक के कार्यकारी पूंजी संसाधनों एवं बैंक की परिसंपत्तियों को बढ़ाने के लिए किया गया/किया जाएगा।

5.4 बैंक ने भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित ड्राफ्ट के अनुसार निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता तैयार की है। उसका पाठ बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

5.5 वर्ष के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित लेनदेन संबंधी किसी मामले में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य सांविधिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई गैर-अनुपालन का आरोप, दंड, आक्षेप नहीं लगाया गया है।

6.0 स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के संशोधित खंड 49 की "गैर-अनिवार्य अपेक्षा" के अनुपालन की स्थिति

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के संशोधित खंड 49 की "गैर-अनिवार्य अपेक्षा" के अनुपालन के संबंध में, जो सांकेतिक स्वरूप के हैं, बैंक ने निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण के बारे में प्रावधान का अनुपालन किया है।

6.1 बैंक ने वर्ष 2012-13 के दौरान सभी संबंधित पार्टियों और निदेशकों के साथ किए गए लेनदेन की पहचान की है और 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति निम्न प्रकार से है :

5.2 Disclosure of Material Transactions and Pecuniary relationship:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

In compliance of the Code of Conduct for Directors and Senior Management of the Bank, Directors do not take part in the deliberations of the Board and its sub-committees when the matters relating to them or their relatives are discussed.

5.3 Proceeds from Public Issues etc.

During the financial year ended on 31st March, 2013, the Bank did not raise any Equity Shares by way of Public/Right Issue. However, Bank allotted 8,79,16,343 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of ₹77.46 per share determined in accordance with Regulations 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009. The funds so received by the Bank were utilized/would be utilized for augmenting Bank's working capital resources and expansion of banking assets.

5.4 The Bank has formulated a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management on the lines of draft circulated by Indian Bank's Association. The text of the same is available on the website of the Bank www.ucobank.com All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the period under review.

5.5 During the year, there is no instance of non-compliance, penalties, strictures imposed on the Bank by the Stock Exchanges or SEBI or any other statutory/regulatory authority on any matter related to Capital Markets transactions.

6.0 Compliance Status of the "Non-Mandatory Requirements" of the Revised Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges :

Regarding compliance to "Non-Mandatory Requirements" of Revised Clause 49 of the Listing Agreements with Stock Exchanges, which are suggestive in nature, the Bank has complied with the provision regarding Training of the Members of the Board.

6.1 The Bank has identified all related parties and transactions with Directors during the year 2012-13 and position as on 31st March, 2013 are as follows :

(लाख ₹. में) / (₹. in lakhs)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	अवधि Period	विवरण Items	राशि Amount
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन जमा	
Shri Arun Kaul CMD	01.04.2012 to 31.03.2013	Remuneration, perquisites & Incentive	16.40
		Deposits:	
		SB A/c	4.70
		एफडीआर/FDR	27.68
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares	शून्य Nil
		प्राप्त ब्याज Interest Received	
		बचत बैंक खाता/SB A/c	0.12
		एफडीआर/FDR	2.66
		उधार Borrowings	शून्य Nil
श्री एन.आर. बद्रिनारायणन कार्यपालक निदेशक	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	पारिश्रमिक,परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन जमा	
Shri N.R. Badrinarayanan ED	01.04.12 to 31.03.13	Remuneration, perquisites & Incentive	14.13
		Arrear	-
		Deposits	
		बचत बैंक खाता/SB A/c	5.25
		एफडीआर/FDR	7.60
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares	शून्य Nil
		प्राप्त ब्याज Interest Received	
		बचत बैंक खाता/SB A/c	0.40
		एफडीआर/FDR	0.36
		उधार Borrowings	शून्य Nil
श्री एस.चंद्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक	01.10.2012 से 31.03.2013	पारिश्रमिक,परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन जमा	
Shri S. Chandrasekharan ED	01.10.2012 to 31.03.2013	Remuneration, perquisites & Incentive	13.72
		Deposits:	Nil
		एसबी/SB	0.67
		आरडी/RD	3.31
		एफडी/FD	39.33
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares	शून्य Nil
		प्राप्त ब्याज Interest Received	
		एसबी/SB	0.08
		आरडी/RD	0.09
		एफडीआर/FDR	1.87
		उधार Borrowings	शून्य Nil

7.0 संचार के साधन :

7.1 बोर्ड द्वारा बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुमोदन समीक्षा किए जाने की तारीख को बैंक के परिचालन एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन से संबंधित सूचना उन स्टॉक एक्सचेंजों को तत्काल की जाती है जिनमें बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त बैंक का तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) पर भी दिया जाता है। बैंक के ऐसे परिणाम को प्रेस विज्ञप्तियों/विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक करने के साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

7.2 स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसार 30.06.2012, 30.09.2012, 31.12.2012 एवं 31.03.2013 को समाप्त तिमाही के बैंक के अलेखापरीक्षित किंतु समीक्षाकृत वित्तीय परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यापक स्तर पर परिचालित समाचार - पत्रों में प्रकाशित किए गए।

8.0 साधारण शेयरधारकों के लिए सूचना :

8.1.0 शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) :

चूंकि प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव से पहले बैंक की कुल इक्विटी पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित थी, अतः 2002-03 तक कोई वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की गई। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद बैंक संविधि में यथाविहित और निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रतिवर्ष शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक आयोजित कर रहा है। शेयरधारकों की पिछली तीन आम बैठकों के विस्तृत विवरण मद सं. 4.0 के अंतर्गत दिए गए हैं।

8.2.0 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण :

बैंक के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है :

क्रम सं. Sl.No.	स्टॉक एक्सचेंजों के नाम Name of the Stock Exchanges	स्टॉक कूट Stock Code	सूचीबद्ध किए जाने की तारीख Date of listing
1.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लि. National Stock Exchange of India Limited	यूको बैंक UCO BANK	09.10.2003
2.	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. Bombay Stock Exchange Limited	532505	09.10.2003

बैंक ने 1 लाख ₹ प्रत्येक के सांकेतिक मूल्यवाले 1823000 बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर भी भारत सरकार को जारी किए हैं जो असूचीबद्ध प्रतिभूति हैं।

8.3.0 बैंक के शेयर के बाजार-मूल्य आंकड़े. / मूल्य की स्थिति :

7.0 Means of Communication :

7.1 The information about the operational and financial performance of the Bank are communicated to the Stock Exchanges, where the securities of the Bank are listed immediately on the date of Board meeting approving/reviewing the financial statements of the Bank, besides posting of quarterly/half-yearly/annual financial results in Bank's website (www.ucobank.com). Such results are also made public through press releases/advertisements as well as by presentation made to the representatives from print and electronic media and other interested members of the public.

7.2 As per the Listing Agreement with the stock exchanges Unaudited but Reviewed financial results of the Bank for the quarters ended on 30.06.2012, 30.09.2012, 31.12.2012 & 31.03.2013 were published within the prescribed time limit in widely circulated dailies.

8.0 General Shareholders Information:

8.1.0 Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders :

Before the Initial Public Offer, as the entire Equity Capital of the Bank was held by the Govt. of India, no Annual General Meeting was held till 2002-03. Subsequent to IPO, the Bank has been holding Annual General Meetings of the shareholders every year, as prescribed in the statute and within the stipulated time limit. The details of last three general meetings of the shareholders have been indicated under point no.4.0.

8.2.0 Listing on Stock Exchanges:


The equity shares of the Bank are listed on the following stock exchanges :

The Bank has also issued 1823000 Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPs) of nominal value of ₹ 1 lac each to the Govt. of India which are unlisted securities.


8.3.0 Market price data/price performance of Bank's share:

बैंकेक्स की तुलना में शेयर मूल्य का उतार-चढ़ाव

MOVEMENT OF SHARE PRICE vs BANKEX



**निफ्टी की तुलना में शेयर मूल्य का उतार-चढ़ाव
MOVEMENT OF SHARE PRICE VS NIFTY**



बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय दिनांक 9.10.2003 को शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई), बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) में क्रय-विक्रय किए गए शेयरों का मासिक उच्च/निम्न भाव और परिमाण निम्नानुसार रहा :

The trading of the Bank's shares commenced on 09.10.2003. The monthly high/low quotations and volume of the share trading in The National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) during the financial year 2012-13 were as follows :

माह / Month	बंबई स्टॉक एक्सचेंज / B.S.E			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज / N.S.E		
	उच्च (₹.) High(₹.)	निम्न (₹.) Low(₹.)	परिमाण Volume	उच्च (₹.) High(₹.)	निम्न (₹.) Low(₹.)	परिमाण Volume
अप्रैल/Apr-12	87.40	73.70	7166886	87.50	73.60	38798255
मई/May-12	78.85	63.40	5957881	78.85	63.30	38859335
जून/Jun-12	81.65	65.70	8461867	82.00	65.80	47769281
जुलाई/Jul-12	83.50	66.60	4924792	83.70	66.60	31069247
अगस्त/Aug-12	72.95	61.90	4501155	71.45	61.20	23525608
सितंबर/Sep-12	79.00	63.10	5661123	78.95	63.05	32153329
अक्तूबर/Oct-12	80.65	70.95	6117740	84.20	70.90	34592307
नवंबर/Nov-12	76.35	69.35	5230678	76.40	69.35	32356932
दिसंबर/Dec-12	83.00	75.20	5128645	82.80	75.35	34911115
जनवरी/ Jan-13	86.65	73.20	9456364	86.80	73.30	52675848
फरवरी/Feb-13	76.35	54.05	6317123	76.30	54.20	41490316
मार्च/Mar-13	64.20	54.20	6847904	64.15	54.15	35961364

संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

The Listing Fees have already been paid to the respective Stock Exchanges.

8.4.0 प्रति शेयर आंकड़ा / Per Share Data

मानदंड / Parameter	31.03.2012	31.03.2013
अंकित मूल्य (₹) / Face Value (₹)	10/-	10/-
बाजार भाव (₹) / Market Quotation (₹)	79.15 (एनएसई में) (at NSE)	55.75 (एनएसई में) (at NSE)
प्रति शेयर अर्जन (₹) / Earning Per Share (₹)	15.02	6.28
लाभांश / Dividend (%)	30%	16%

8.5.0 शेयरों का अमूर्तीकरण

8.5.1 बैंक के ईक्विटी शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में क्रय-विक्रय किए जाने हेतु उपलब्ध हैं। शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ करार किया है। शेयरधारक एनएसडीएल या सीडीएसएल में खाता रखनेवाले निक्षेपागार सहभागियों के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करवा सकते हैं। बैंक के ईक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कूट आईएनई 691ए 01018 है। बैंक के अधिमानी शेयर यानी पीएनसीपीएस का आईएसआईएन कूट आईएनई 691ए04012 है।

प्रतिभूतियों के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क (2012-2013) का भुगतान निक्षेपागारों, यानी एनएसडीएल एवं सीडीएसएल को किया जा चुका है।

8.5.2 दिनांक 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा मूर्त एवं अमूर्त रूप में धारित शेयरों का विवरण :

विवरण Particulars	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	%शेयरधारिता % Shareholding
मूर्त / Physical	79 158	124 18 143	1.65
एनएसडीएल / NSDL	1 92 410	19 40 51 752	25.78
सीडीएसएल / CDSL	77 303	54 61 58 688	72.57
योग / Total :	3 48 871	75 26 28 583	100.00

8.5.3 बैंक अपनी डी.एन.रोड शाखा, मुंबई के जरिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के निक्षेपागार सहभागी (डी.पी.) के रूप में कार्य कर रहा है। डी.पी. सेवा निम्नलिखित चुनिंदा शाखाओं यथा-इंडिया एक्सचेंज प्लेस शाखा, कोलकाता; आश्रम रोड शाखा, अहमदाबाद; संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली; के.जी. रोड शाखा, बेंगलूर; चेन्नै (मुख्य) शाखा, चेन्नै तथा बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद में उपलब्ध कराई गई है जिससे अधिकाधिक ग्राहक उसका लाभ उठा सकें।

8.5.4 बैंक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है।

8.6.0 कार्पोरेट लाभ / लाभांश परंपरा

वर्ष Years	दर (%) Rate (%)	प्रति शेयर (₹.) Per Share (₹.)	प्रदत्त/देय कुल राशि (₹.में) Total Amount Paid/Payable (in ₹.)
2003-04	8	0.80	63,94,88,000
2004-05	10	1.00	79,93,60,000
2005-06	-	-	-
2006-07 (अंतरिम एवं अंतिम / interim & final)	10	1.00	79,93,60,000
2007-08	10	1.00	79,93,60,000
2008-09	10	1.00	34,93,60,000
2009-10	15	1.50	82,40,49,405
2010-11	30	3.00	1,88,25,52,437
2011-12	30	3.00	199,41,36,720

8.5.0 Dematerialisation of the Shares

8.5.1 The equity shares of the Bank are available for trading compulsorily in Demat form. The Bank has entered into an agreement with NSDL and CDSL for dematerialisation of shares. Shareholders can get their shares dematerialised with their Depository Participants maintaining their account either with NSDL or CDSL. The ISIN Code for the Bank's equity share is INE691A01018. The ISIN Code for Bank's Preference Shares i.e. PNCPS is INE691A04012.

The Annual Custodial Fees (2012-13) for the securities have been paid NSDL and CDSL respectively.

8.5.2 Particulars of share in physical form & Demat held by Shareholders as on 31st March, 2013

8.5.3 The Bank is functioning as a Depository Participant (D.P) of National Securities Depository Ltd. (NSDL) through D.N. Road Branch, Mumbai. The D.P. Services have since been extended to cover wide range of customers through select branches namely, India Exchange Place Branch, Kolkata, Ashram Road Branch, Ahmedabad, Parliament Street Branch, New Delhi and KG Road Branch, Bangalore, Chennai (Main) Branch and Banjara Hills Branch, Hyderabad.

8.5.4 The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the period under review.

8.6.0 Corporate Benefits/Dividend History

8.6.1 निवेशकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अदत्त/अदावी लाभांश राशि का अंतरण

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 2006 एवं 17 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 में यह उपबंधित है कि उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले बैंक द्वारा घोषित या भविष्य में घोषित किए जानेवाले और छह महीने की अवधि के भीतर अदत्त/अदावी किसी भी लाभांश को अदावी लाभांश खाते में अंतरित कर दिया जाए।

तदनुसार वर्ष 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-2010, 2010-11, एवं 2011-12 का अदत्त लाभांश, यूको बैंक, बंजारा हिल्स, हैदराबाद शाखा में रखे गए "अदावी लाभांश खाता - यूको बैंक" में अंतरित कर दिया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार अदत्त लाभांश का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष Year	अदत्त लाभांश वारंट की संख्या No. of Dividend Warrants Unpaid	राशि (₹) Amounts (₹)
2003-04	29903	4022660
2004-05	29428	5155742
2006-07	39973	6767361
2007-08	51958	8368074
2008-09	54453	8816719
2009-10	49157	11343672
2010-11	50845	23478561
2011-12	59035	25978884

उक्त अधिनियम में यह उपबंध भी है कि अदावी लाभांश खाते में इस प्रकार अंतरित और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष तक अदत्त रहनेवाले लाभांश को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग की उपधारा (1) के अधीन स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित कर दिया जाए। तदनुसार 2003-04 और 2004-05 की अदत्त और अदावी लाभांश राशि को निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने पर केंद्र सरकार को अंतरित कर दिया जाएगा।

8.7.0 शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए हर तरह की सावधानी बरतता है कि शेयरों के अंतरण के लिए सभी वैध अनुरोधों का निपटान पूर्ण रूप से भरे फार्मों के जमा किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर विधिवत कर दिया जाए। निदेशक मंडल ने शेयरों के अंतरण/प्रेषण एवं डुप्लिकेट शेयर जारी करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए शेयर अंतरण समिति का गठन किया है। बैंक ने शेयरधारकों की शिकायतों एवं उनसे संबंधित मामलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए शेयरधारक शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया है।

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है -

1.	1 अप्रैल, 2012 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें Pending complaints as on 1 st April, 2012	शून्य / Nil
2.	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें Complaints received during the year ended on 31.03.2013	2683
3.	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें Complaints disposed off during the year ended on 31.03.2013	2683
4.	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें Complaints pending as on 31.03.2013	शून्य / Nil

8.6.1 Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 2006 and Financial Institution Laws (Amendment) Act 2006 which came into effect from 17th October 2006 provide that any dividend declared by the Bank before the commencement of Act and to be declared in future and remaining unpaid/unclaimed within a period of six months should be transferred to Unclaimed Dividend Account.

Accordingly, the unpaid dividends for the year 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 and 2011-12 have already been transferred to "Unclaimed Dividend Account - UCO Bank" maintained with UCO Bank, Banjara Hills, Hyderabad Branch.

The details of such unpaid dividend as on 31st March, 2013 are as under:

The Act also provides that the dividend so transferred to Unclaimed Dividend Account and remaining unpaid for seven years from the date of such transfer shall be transferred to Investors Education & Protection Fund established under sub-section (1) of Section 205C of the Companies Act 1956. Accordingly, both unpaid and unclaimed dividend amounts for 2003-04 and 2004-05 would be transferred to Central Govt. on expiry of the prescribed period.

8.7 Share Transfer System & Redressal of Investor's Grievances:

The Bank takes every care to ensure that all valid requests for Transfer of Shares are duly complied within the period of 15 days from the date of lodgement of the completed forms. The Board of Directors has constituted the Share Transfer Committee to consider Transfer/Transmission and requests for issuance of duplicate Shares. The Bank has also constituted Shareholder's Grievance Redressal Committee to review the status of redressal of Shareholder's grievances and related matters.

The status of Shareholder' Complaints as on 31.03.2013 is as under:

8.8 रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट :

बैंक द्वारा मेसर्स कार्वा कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि., हैदराबाद को अपना रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट नियुक्त किया गया है। पते में परिवर्तन, अधिदेश में परिवर्तन, शेयरों के अंतरण आदि से संबंधित सभी पत्राचार उनसे उनके निम्नलिखित पते पर किए जाएं :

मेसर्स कार्वा कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि.
(इकाई : यूको बैंक)
प्लॉट नं. 17 से 24, विट्टलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद - 500 081

टेलीफोन सं. (040) 2342 0815 से 0824 तक, एक्सटेंशन - 14
फैक्स सं. (040) 23420814

9.0 दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप:

8.8 Registrars and Share Transfer Agent :

M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad has been appointed by the Bank as its Registrars and Share Transfer Agent. All communications regarding change of address, change of mandate, transfer of shares etc. may be addressed to them in their following address:

M/s. Karvy Computershare Private Ltd.
(Unit : UCO Bank)
Plot Nos. 17 to 24 Vittal Rao Nagar
Madhapur, Hyderabad – 500 081

Telephone No. (040)23420815 to 0824, Ext- 14.
Fax No. (040)23420814

9.0 Shareholding Pattern As on 31.03.2013

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	धारकों की सं. No. of holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	ईक्विटी का % % of equity
अ/आ. प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह / Promoter/Promoter Group			
भारत सरकार / Govt. of India	1	521252709	69.26
आ/ब. सार्वजनिक शेयरधारिता / B. Public Shareholding			
1. संस्थाएँ / Institutions			
क/अ. म्यूचुअल फंड / Mutual Funds	9	962765	0.13
ख/ब. वित्तीय संस्थाएँ/बैंक / Financial Institutions/Banks	19	1723181	0.23
ग/क. बीमा कंपनियाँ / Insurance Companies	20	95301810	12.66
घ/द. विदेशी संस्थागत निवेशक / Foreign Institutional Investors	75	23896882	3.18
2. गैर-संस्थाएँ / Non-Institutions			
क/अ. कार्पोरेट निकाय / Bodies Corporate	2050	18972354	2.52
ख/ब. वैयक्तिक धारिता / Individuals holding			
i. 1 लाख ₹ तक सांकेतिक शेयर पूंजी Nominal share capital upto ₹1 lac	344561	76968689	10.22
ii. 1 लाख ₹ से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी Nominal share capital above ₹ 1 lac	298	10430661	1.39
ग/क. न्यास / Trust	21	483620	0.06
घ/द. समाशोधन सदस्य / Clearing Members	214	438367	0.06
ड/ए. अनिवासी भारतीय / Non-Resident Indians	1603	2197545	0.29
योग/ TOTAL	348871	752628583	100.00

9.1 दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण:

9.1 Distribution of Shareholding as on 31.03.2013

श्रेणी (राशि ₹. में) Category (Amt. in ₹.)	शेयरधारकों की सं. No. of Share Holders	कुल शेयरधारकों का % % to the total Shareholders	कुल शेयरों की सं. No. of Total Shares	कुल शेयरों का % % to the total Shares	
से / From	तक / To				
1	5000	347442	99.59	7 53 68 948	10.01
5001	10000	780	0.22	56 57 439	0.75
10001	20000	297	0.09	42 57 604	0.57
20001	30000	93	0.03	22 97 003	0.31
30001	40000	53	0.02	18 72 540	0.25
40001	50000	33	0.01	14 91 643	0.20
50001	100000	70	0.02	51 13 991	0.68
100001	से अधिक/And above	103	0.03	65 65 69 415	87.24
	योग/ TOTAL	348871	100.00	75 26 28 583	100.00

10.0 बैंक के साथ पत्राचार का पता :

शेयरों के अमूर्तीकरण, शेयरों के अंतरण, पते में परिवर्तन, लाभांश प्राप्त होने, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने आदि से संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए निवेशक अपना अनुरोध/शिकायत बैंक के पास निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

श्री एन.पूर्ण चंद्र राव
कंपनी सचिव
यूको बैंक : प्रधान कार्यालय
वित्त विभाग
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस,
तीसरा तल, कोलकाता-700 001

टेलीफोन सं 44557227
फैक्स सं. (033) 2248-5625
ई-मेल पता :
hosgr.calcutta@ucobank.co.in

10.1 निवेशकों की शिकायत के लिए विशेष ई-मेल आईडी :

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में यूको बैंक ईक्विटी शेयर/लाभांश के भुगतान आदि के संबंध में निवेशकों/शेयरधारकों की किसी शिकायत के लिए एक विशिष्ट ई-मेल आईडी तैयार किया गया है। निवेशकों की किसी भी शिकायत का जल्द से जल्द उत्तर दिए जाने के साथ ही अनुपालन अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विशिष्ट ई-मेल आईडी निम्नानुसार हैं : hosgr.calcutta@ucobank.co.in ई-मेल आईडी बैंक के वेबसाइट में भी दर्ज किया गया है।

11.0 कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षित प्रमाणपत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2012-13 का अभिन्न अंग है। (अनुलग्नक-1)

12.0 सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र

सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2012-13 का अभिन्न अंग है।

10.0 Address for correspondence with Bank :

For any assistance regarding dematerialisation of shares, transfer of shares, change of address, non-receipt of dividend, issuance of duplicate share certificates etc., the investors can mail their request/complaint to the Bank in the following address:

Shri N Purna Chandra Rao
Company Secretary
UCO Bank : Head Office
Finance Department
2, India Exchange Place,
3rd Floor, Kolkata – 700 001

Telephone No. 44557227
Fax No. (033) 2248-5625
E.Mail Address :
hosgr.calcutta@ucobank.co.in

10.1 Exclusive e-mail ID for Investors' Complaints :

In compliance with the SEBI guidelines, a dedicated e-mail ID has been created for any complaints by the Investors/ Shareholders regarding UCO Bank Equity Shares/Payment of Dividends etc. Any complaint by the Investors shall be responded expeditiously along with necessary action taken by the Compliance Officer. The e-mail ID is: hosgr.calcutta@ucobank.co.in. The e-mail ID has also been posted in the website of the Bank.

11.0 Auditors Report on Corporate Governance

As required under Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, the Audit Certificate on Corporate Governance for year 2012-13 issued by the Statutory Central Auditors is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2012-13. (Annexure - 1)

12.0 CEO & CFO CERTIFICATE

The Certificate of CEO & CFO under Clause 49 of the Listing Agreement is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2012-13.

आचार संहिता के अनुपालनार्थ घोषणा DECLARATION ON COMPLIANCE WITH CODE OF CONDUCT

बैंक ने निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं बैंक के सर्वोच्च प्रबंधतंत्र के लिए आचार संहिता निर्धारित की है एवं यह बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सदस्यों एवं कोर प्रबंधन ने दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board members and Core Management of the Bank and which is posted on the website of the Bank. The Board members and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct as on 31.03.2013

कृते यूको बैंक

For UCO Bank

(अरुण कौल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(Arun Kaul)

Chairman & Managing Director

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata

तारीख / Dated: 07th मई / May, 2013

कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल,
यूको बैंक,
प्रधान कार्यालय,
10, वि.त्रै.म. सरणी
कोलकाता-700001

हमने विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खंड 49 में यथाविनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए यूको बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित रही। यह न तो लेखापरीक्षा और न ही बैंक के वित्तीय विवरण के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा धारित अभिलेखों और दस्तावेजों के बारे में हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में यथाविनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन उस हद तक किया है कि वे भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों का अतिक्रमण नहीं करते हैं।

हम यह कथित करते हैं कि शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति द्वारा धारित अभिलेखों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक शिकायत एक माह से अधिक समय से लंबित नहीं है।

हम आगे यह भी कथित करते हैं कि यह अनुपालन बैंक के कार्य संपादन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभाविता हेतु बैंक की भावी लाभप्रदता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।

कृते बावेजा एंड कौल
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 005834एन

(सीए साक्षी कौल घर)
भागीदार
सदस्यता सं. 514325

कृते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 308136ई

(सीए नीलांजना सेन)
भागीदार
सदस्यता सं. 061768

कृते वेद एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 012019एन

(सीए पूजा गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 098551

कृते दासगुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 000112एन

(सीए पंकज मंगल)
भागीदार
सदस्यता सं. 097890

कृते गुप्ता शर्मा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 001466एन

(सीए अशोक गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 017244

कृते ए. कैस एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 311149ई

(सीए अमरुल कैस)
भागीदार
सदस्यता सं. 050363

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 7 मई, 2013

Auditor's Certificate on Corporate Governance

To
The Board of Directors,
UCO Bank
Head Office,
10, B.T. M. Sarani
Kolkata – 700 001

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by UCO Bank for the year ended 31st March, 2013, as stipulated in clause 49 of the Listing Agreements entered into with various Stock Exchanges.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the Financial Statements of the Bank.

On the basis of our review of records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given us, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned listing agreements to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month as on 31st March, 2013 against the Bank as per the records maintained by the Shareholders/Investors Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank for the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For BAWEJA & KAUL
Chartered Accountants
Registration No. 005834N

(CA SAKSHI KAUL DHAR)
Partner
Membership No. 514325

For SBA ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 308136E

(CA NILANJANA SEN)
Partner
Membership No. 061768

For VED AND COMPANY
Chartered Accountants
Registration No. 012019N

(CA POOJA GUPTA)
Partner
Membership No. 098551

For DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 000112N

(CA PANKAJ MANGAL)
Partner
Membership No. 097890

For GUPTA SHARMA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 001466N

(CA ASHOK GUPTA)
Partner
Membership No. 017244

For A.KAYES & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 311149E

(CA AMRUL KAYES)
Partner
Membership No. 050363

Place: Kolkata

Dated: 07th May, 2013

निदेशक मंडल
यूको बैंक
प्रधान कार्यालय
कोलकाता

विषय : स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के उप-खंड V के अनुपालन संबंधी सीईओ/सीएफओ का प्रमाण पत्र

महोदय,

उक्त के अनुपालन में हम निम्न प्रकार से प्रमाणित करते हैं :

- क) हमने बैंक के वर्ष 2012-13 के वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार-
- इन विवरणों में कोई तात्त्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्त्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या कोई भ्रामक विवरण अंतर्विष्ट नहीं है,
 - ये दोनों विवरण बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखांकन मानकों (सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 07.05.2013 में यथा उल्लिखित एएस-9 को छोड़कर), लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।
- ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अनियमित है या बैंक की आचार संहिता का अतिक्रमण करता है।
- ग) हम आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है।
- घ) हमने लेखापरीक्षकों को निम्नलिखित से अवगत कराया है :
- वर्ष 2012-13 के दौरान आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन
 - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण से संबंधित नोट में किया गया है; और
 - हमारी जानकारी में आए उल्लेखनीय कपट के मामले और उसमें प्रबंधन या बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका अदा करनेवाले किसी कर्मचारी की, यदि कोई हो, अंतर्ग्रस्तता।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
महाप्रबंधक (वित्त)
(मुख्य वित्त अधिकारी)

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 7 मई, 2013

To
The Board of Directors
UCO Bank
Head Office
Kolkata

Sub: CEO/CFO Certification in compliance to Sub Clause V of Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchange
Sirs,

In compliance to above, we certify as under:

- a) We have reviewed the financial statements and cash flow statement of the Bank for the year 2012-13 and to the best of our knowledge and belief
 - i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statement that might be misleading;
 - ii. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, (except AS-9 as commented by the Statutory Central Auditors, in their Audit Report dated 07.05.2013), applicable laws and regulations.
- b) There are to the best of our knowledge and belief no transaction enter into by the Bank during the year 2012-13 which are fraudulent, irregular or violating of Bank's Code of Conduct.
- c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal control and we have evaluated effectiveness of the internal control systems of the Bank.
- d) We have indicated to the auditors :
 - i. significant changes in internal control during the year 2012-13;
 - ii. significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - iii. instances of significant fraud which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant roles in the Bank's internal control system.

Yours faithfully,

(Anil Kumar)
General Manager (Finance)
(Chief Financial Officer)

(Arun Kaul)
Chairman & Managing Director
(Chief Executive Officer)

Date : 07th May, 2013

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2013

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची	31.3.2013 की स्थिति	31.3.2012 की स्थिति
CAPITAL AND LIABILITIES	Schedule	As on 31.3.2013	As on 31.3.2012
		₹	₹
पूंजी			
Capital	1	2575 62 86	2487 71 22
आरक्षित निधियां और अधिशेष			
Reserves & Surplus	2	7106 78 55	6125 72 11
जमा राशियां			
Deposits	3	173431 04 56	154003 48 97
उधार			
Borrowings	4	9492 42 63	12901 42 20
अन्य देयताएं और प्रावधान			
Other Liabilities & Provisions	5	6045 51 33	4980 05 41
योग /TOTAL		198651 39 93	180498 39 91

कृते बावेजा एंड कौल
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 005834एन
For BAWEJA & KAUL
Chartered Accountants
Registration No. 005834N
(सीए साक्षी कौल धर)
भागीदार
सदस्यता सं. 514325
(CA SAKSHI KAUL DHAR)
Partner
Membership No. 514325

कृते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 308136ई
For SBA ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 308136E
(सीए नीलान्जना सेन)
भागीदार
सदस्यता सं. 061768
(CA NILANJANA SEN)
Partner
Membership No. 061768

कृते वेद एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 012019एन
For VED AND COMPANY
Chartered Accountants
Registration No. 012019N
(सीए पूजा गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 098551
(CA POOJA GUPTA)
Partner
Membership No. 098551

कृते दासगुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 000112एन
For DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 000112N
(सीए पंकज मंगल)
भागीदार
सदस्यता सं. 097890
(CA PANKAJ MANGAL)
Partner
Membership No. 097890

कृते गुप्ता शर्मा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 001466एन
For GUPTA SHARMA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 001466N
(सीए अशोक गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 017244
(CA ASHOK GUPTA)
Partner
Membership No. 017244

कृते ए. कैस एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 311149ई
For A.KAYES & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 311149E
(सीए अमरुल कैस)
भागीदार
सदस्यता सं. 050363
(CA AMRUL KAYES)
Partner
Membership No. 050363

नई दिल्ली/New Delhi,
24th मई/May, 2013

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (जारी)
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2013 (Contd.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

आस्तियां	अनुसूची	31.3.2013	31.3.2012
ASSETS	Schedule	की स्थिति As on 31.3.2013	की स्थिति As on 31.3.2012
		₹	₹
आस्तियां /ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	5705 36 07	7811 52 92
बैंक में अतिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	6638 75 48	5792 15 54
निवेश			
Investments	8	52244 89 68	45771 49 52
अग्रिम			
Advances	9	128282 86 43	115540 01 02
अचल आस्तियां			
Fixed Assets	10	889 59 39	804 75 20
अन्य आस्तियां			
Other Assets	11	4889 92 88	4778 45 71
योग /TOTAL		198651 39 93	180498 39 91
आकस्मिक देयताएं			
Contingent Liabilities	12	65882 42 93	48527 21 93
वसूली के लिए बिल			
Bills for Collection	-	4207 07 61	3547 47 43

अरुण कोल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ARUN KAUL
Chairman & Managing Director

एस. चन्द्रशेखरन्
कार्यपालक निदेशक
S. CHANDRASEKHARAN
Executive Director

प्रवीण रावल
निदेशक
PRAVIN RAWAL
Director

वी.पी.विजयेन्द्र
निदेशक
B.P.VIJAYENDRA
Director

मनोज कुमार गुप्ता
निदेशक
MANOJ KUMAR GUPTA
Director

डी. एन. ठाकुर
निदेशक
D. N. THAKUR
Director

पी. चन्द
निदेशक
P. CHANDA
Director

अनिल कुमार
निदेशक
ANIL KUMAR
General Manager

पी. जी. जोशी
उप महाप्रबंधक
P. G. JOSHI
Deputy General Manager

नई दिल्ली/New Delhi,
24th मई/May, 2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची	31.3.2013	31.3.2012
		को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
	Schedule	Year Ended	Year Ended
		31.3.2013	31.3.2012
		₹	₹
I. आय/INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	16751 71 17	14632 37 15
अन्य आय /Other Income	14	952 17 15	965 55 51
योग/TOTAL		17703 88 32	15597 92 66
II. व्यय/EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज			
Interest Expended	15	12170 17 58	10730 27 03
परिचालन व्यय			
Operating Expenses	16	2176 61 73	2056 23 48
प्रावधान और आकस्मिक व्यय			
Provisions & Contingencies		2738 89 42	1702 74 77
योग/TOTAL		17085 68 73	14489 25 28
III. लाभ/हानि/PROFIT / LOSS			
वर्ष का निवल लाभ/(हानि)			
Net Profit/(Loss) for the Year		618 19 59	1108 67 38
लाभ/(हानि) अग्रानीत			
Profit/(Loss) Brought Forward		2111 11 00	1685 17 03
योग /TOTAL		2729 30 59	2793 84 41

कृते बावेजा एंड कोल
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 005834एन
For BAWEJA & KAUL
Chartered Accountants
Registration No. 005834N
(सीए साक्षी कोल धर)
भागीदार
सदस्यता सं. 514325
(CA SAKSHI KAUL DHAR)
Partner
Membership No. 514325

कृते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 308136ई
For SBA ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 308136E
(सीए नीलांजना सेन)
भागीदार
सदस्यता सं. 061768
(CA NILANJANA SEN)
Partner
Membership No. 061768

कृते वेद एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 012019एन
For VED AND COMPANY
Chartered Accountants
Registration No. 012019N
(सीए पूजा गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 098551
(CA POOJA GUPTA)
Partner
Membership No. 098551

कृते दासगुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 000112एन
For DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 000112N
(सीए पंकज मंगल)
भागीदार
सदस्यता सं. 097890
(CA PANKAJ MANGAL)
Partner
Membership No. 097890

कृते गुप्ता शर्मा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 001466एन
For GUPTA SHARMA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 001466N
(सीए अशोक गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 017244
(CA ASHOK GUPTA)
Partner
Membership No. 017244

कृते ए. केस एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 311149ई
For A.KAYES & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 311149E
(सीए अमरुल केस)
भागीदार
सदस्यता सं. 050363
(CA AMRUL KAYES)
Partner
Membership No. 050363

नई दिल्ली/New Delhi,
24th मई/May, 2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा (जारी)
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH,
2013 (CONTD.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

अनुसूची	31.3.2013	31.3.2012
Schedule	Year Ended	Year Ended
	31.3.2013	31.3.2012
	₹	₹
IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS		
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण/Transfer to Statutory Reserves	154 54 90	277 16 85
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण/Transfer to Capital Reserves	30 08 79	7 86 21
निवेश आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Investment Reserve	92 04 17	—
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend	288 94 44	342 19 15
प्रस्तावित लाभांश पर कर Tax on Proposed Dividend	49 10 61	55 51 20
शेषराशि तुलनपत्र में आगे लाई गई Balance Carried over to Balance Sheet	2114 57 68	2111 11 00
योग /TOTAL	2729 30 59	2793 84 41
मुख्य लेखा नीतियां /Principal Accounting Policies	17	
लेखों पर टिप्पणी/Notes on Accounts	18	
मूल एवं न्यूनीकृत ई पी एस (₹) / Basic & Diluted EPS (₹)	6.28	15.02
हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचियां 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts As per our Report of even date		

अरुण कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ARUN KAUL
Chairman & Managing Director

एस. चन्द्रशेखरन्
कार्यपालक निदेशक
S. CHANDRASEKHARAN
Executive Director

प्रवीण रावल
निदेशक
PRAVIN RAWAL
Director

वी.पी.विजयेन्द्र
निदेशक
B.P.VIJAYENDRA
Director

मनोज कुमार गुप्ता
निदेशक
MANOJ KUMAR GUPTA
Director

डी. एन. ठाकुर
निदेशक
D. N. THAKUR
Director

पी. चन्द
निदेशक
P. CHANDA
Director

अनिल कुमार
निदेशक
ANIL KUMAR
General Manager

पी. जी. जोशी
उप महाप्रबंधक
P. G. JOSHI
Deputy General Manager

नई दिल्ली/New Delhi,
24th मई/May, 2013

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2013

अनुसूची 1 — पूंजी
Schedule 1 — CAPITAL

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013		31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012	
	₹	₹	₹	₹
प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	3000 00 00		3000 00 00	
प्रत्येक ₹ 1,00,000 के 225,000 बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर 225,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of ₹1,00,000/- each	<u>2250 00 00</u>	5250 00 00	<u>2250 00 00</u>	<u>5250 00 00</u>
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी Subscribed, Issued and Paid up Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 75,26,28,583 (66,47,12,240) इक्विटी शेयर 75,26,28,583 (66,47,12,240) Equity Shares of ₹ 10/- each	752 62 86		664 71 22	
[केन्द्र सरकार द्वारा धारित 52,12,52,709 (43,33,36,366) शेयर इसमें शामिल हैं] [includes 52,12,52,709 (43,33,36,366) shares held by Central Govt.]				
प्रत्येक ₹ 1,00,000 के 1,82,300 (1,82,300) बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर (केन्द्र सरकार द्वारा धारित) 1,82,300 (1,82,300) Perpetual Non- Cumulative Preference Shares of ₹ 1,00,000/- each (Entirely Held by Central Govt.)	<u>1823 00 00</u>	2575 62 86	<u>1823 00 00</u>	2487 71 22
योग /TOTAL		2575 62 86		2487 71 22

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2013
अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013		31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012	
	₹	₹	₹	₹
I. सांविधिक आरक्षित निधियां /Statutory Reserves:				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	1447 93 16		1170 76 32	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	154 54 90		277 16 85	
	<u>1602 48 06</u>		<u>1447 93 17</u>	
		1602 48 06		1447 93 17
II. पूंजी आरक्षित निधियां/Capital Reserves :				
क) पूंजीगत प्राप्ति				
a) Capital Gain				
प्रारंभिक शेष / Opening Balance		1 17 00		1 17 00
ख/b)निवेश/Investment :				
प्रारंभिक शेष /Opening Balance	288 89 79		281 03 58	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit & Loss Account	30 08 79		7 86 21	
	<u>318 98 58</u>		<u>288 89 79</u>	
		318 98 58		288 89 79
ग) अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन				
c) Revaluation of Fixed Assets :				
प्रारंभिक शेष /Opening Balance	633 20 98		584 09 62	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	38 00 39		23 90 12	
वर्ष की समाप्ति पर मौजूदा दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित समायोजन Adjustment on account of Foreign branches at rates as at year end.	671 21 37		607 99 74	
	<u>17 90 38</u>		<u>25 21 24</u>	
	689 11 75		633 20 98	
परिसर की बिक्री पर कटौती/ Deduction on sale of premises	-		-	
	689 11 75		633 20 98	
वर्ष की समाप्ति तक पुनर्मूल्यन के कारण मूल्यहास का समायोजन Depreciation upto year end on revaluation adjusted	144 41 23		139 09 12	
	<u>544 70 52</u>	544 70 52	<u>494 11 86</u>	494 11 86

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2013

अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष (जारी)
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013		31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012	
	₹	₹	₹	₹
III. शेयर प्रीमियम/Share Premium				
प्रारंभिक शेष /Opening Balance	1171 46 73		901 84 25	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	<u>593 08 37</u>		<u>269 62 48</u>	
	1764 55 10	1764 55 10	1171 46 73	1171 46 73
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां/ Revenue & Other Reserves				
क/a) सामान्य आरक्षित निधि /General Reserve :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	399 73 03		399 73 03	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit & Loss Account	-		-	
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि से अंतरण Transfer from Investment Fluctuation Reserve	<u>-</u>		<u>-</u>	
	399 73 03	399 73 03	399 73 03	399 73 03
ख) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि				
b) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष /Opening Balance	211 29 53		78 21 39	
जोड़ें :विनिमय उचंचत लेखे से अंतरण Add: Transfer from Exchange Suspense A/c	<u>57 24 88</u>		<u>133 08 14</u>	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	<u>-</u>		<u>-</u>	
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	<u>268 54 41</u>	268 54 41	<u>211 29 53</u>	211 29 53
ग) निवेश आरक्षित निधि लेखा प्रारंभिक शेष लाभ और हानि लेखे से अंतरण				
c) Investment Reserve Account				
Opening Balance			-	
Transfer from Profit & Loss Account	<u>92 04 17</u>	92 04 17		
V. लाभ-शेष /Balance of Profit				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2111 11 00		1685 17 03	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण Transfer from Profit & Loss Account	<u>3 46 68</u>		<u>425 93 97</u>	
	2114 57 68	2114 57 68	2111 11 00	2111 11 00
योग (I से V तक) / TOTAL(I to V)		7106 78 55		6125 72 11

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2013

अनुसूची 3 — जमाराशियां

Schedule 3 — DEPOSITS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹
अ/अ. I. मांग जमाराशियां/Demand Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	18952 95 72	583 15 47
ii) अन्य से/From Others	7026 67 97	7497 48 87
II. बचत बैंक जमाराशियां/Savings Bank Deposits	29753 20 52	26322 35 05
III. मीयादी जमाराशियां /Term Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	15889 46 14	17544 53 24
ii) अन्य से/From Others	101808 74 21	102055 96 34
योग/TOTAL(I, II & III)	173431 04 56	154003 48 97
अ/अ. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches in India	158386 39 21	142016 95 57
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches outside India	15044 65 35	11986 53 40
योग/TOTAL	173431 04 56	154003 48 97

अनुसूची 4 — उधार

Schedule 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹
I. भारत में उधार/Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India	3050 00 00	6715 00 00
ii) अन्य बैंक/Other Banks	18 86	13 68
iii) * अन्य संस्थाएं और अभिकरण * Other Institutions and Agencies	6012 98 38	5246 48 54
II. भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India	429 25 39	939 79 98
योग (I एवं II) TOTAL (I & II)	9492 42 63	12901 42 20
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार/ Secured borrowings included in I & II above	1637 98 38	871 48 54
इसमें शामिल है/ Includes		
सिडबी पुनर्वित्त/SIDBI Refinance	150 00 00	150 00 00
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	103 42 17	321 65 48
एनएचबी पुनर्वित्त/NHB Refinance	-	-
गौण ऋण/Subordinated Debt	3375 00 00	2375 00 00
अपर टियर II बॉण्ड/Upper Tier II Bond	1620 00 00	1620 00 00
आईपीडीआई IPDI	380 00 00	380 00 00

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2013

अनुसूची 5 — अन्य देयताएं और प्रावधान
Schedule 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹
I. संदेय बिल/Bills Payable	246 19 45	247 76 76
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter Office Adjustments (Net)	278 90 99	234 58 34
III. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	805 62 06	732 24 36
IV. * अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/ * Others(including provisions)	4714 78 83	3765 45 95
योग /TOTAL	6045 51 33	4980 05 41
इसमें शामिल हैं / Includes मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/Provision on Standard Assets	667 86 67	502 73 49

अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष
Schedule 6 — CASH & BALANCES
WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹
I. हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं) Cash in hand(including Foreign Currency Notes)	436 56 85	308 40 47
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष/ Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में/In Current Accounts	5268 79 22	7503 12 45
ii) अन्य खातों में/In Other Accounts	-	-
योग (I एवं II)/TOTAL(I & II)	5705 36 07	7811 52 92

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2013

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND
MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹
I. भारत में /In India		
i) बैंकों में जमाशेष/Balances with Banks		
क) चालू खातों में		
a) In Current Accounts	74 51 30	48 57 82
ख) अन्य जमा खातों में		
b) In Other Deposit Accounts	75 00 00	
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास		
a) With Banks	2599 78 81	3500 00 00
ख) अन्य संस्थाओं के पास		
b) With Other Institutions	45 00 00	-
योग (i एवं ii)/ TOTAL(i & ii)	2794 30 11	3548 57 82
II. भारत के बाहर /Outside India		
i) चालू खातों में/In Current Accounts	570 08 66	390 90 98
ii) अन्य जमा खातों में/In Other Deposit Accounts	1834 78 08	510 46 94
iii) मांग एवं अल्प सूचना-पर प्रतिदेय राशि		
Money at Call and Short Notice		
	1439 58 63	1342 19 80
योग (i,ii एवं iii)/TOTAL(i,ii & iii)	3844 45 37	2243 57 72
कुल योग (I एवं II) /GRAND TOTAL(I&II)	6638 75 48	5792 15 54

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2013

अनुसूची 8 – निवेश

Schedule 8 — INVESTMENTS

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹
I. भारत में निम्नलिखित में निवेश/Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां/Government Securities	43299 45 84	39842 05 52
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/Other Approved Securities	55 21 44	72 30 77
iii) शेयर/Shares	366 82 15	388 09 42
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	1977 13 16	2452 84 20
v) अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/ Subsidiaries and/or Joint Ventures	186 20 04	247 47 51
vi) अन्य (इंदिरा विकास पत्र म्यूचुअल फंड, आर आई डी एफ, सी. पी. एफ. आर. एन. आदि) Others (Indira Vikas Patra, Mutual Fund, RIDF, C.P. FRN etc.)	5201 55 40	1625 96 71
योग/TOTAL	51086 38 03	44628 74 13
II. भारत के बाहर निम्नलिखित में निवेश/ Investments outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (इनमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं) Government Securities (including Local Authorities)	884 32 44	972 52 27
ii) अन्य/Others		
क/a) शेयर/Shares	-	-
ख/b) डिबेंचर/Debentures	1 40	1 31
ग/c) अन्य निवेश (एफ आर एन आदि)/Other Investments (FRN etc.)	274 17 81	170 21 81
योग/TOTAL	1158 51 65	1142 75 39
कुल योग(I एवं II)*/GRAND TOTAL(I & II)*	52244 89 68	45771 49 52

*मूल्यहास/ एन पी आई प्रावधान की राशि को घटाकर / * Net of Depreciation / NPI Provision

	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013			31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012		
निवेश	सकल मूल्य Gross Value ₹	मूल्यहास/ प्रावधान ** Depreciation/ Provision ** ₹	निवल मूल्य Net Value ₹	सकल मूल्य Gross Value ₹	मूल्यहास/ प्रावधान ** Depreciation/ Provision ** ₹	निवल Net Value ₹
I. भारत में/IN INDIA	51334 87 25	248 49 22	51086 38 03	45038 34 34	409 60 21	44628 74 13
II. भारत के बाहर OUTSIDE INDIA	1180 30 33	21 78 68	1158 51 65	1147 07 04	4 31 65	1142 75 39
योग/TOTAL	52515 17 58	270 27 90	52244 89 68	46185 41 38	413 91 86	45771 49 52

** निवेशों पर मूल्यहास/अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान /

** DEPRECIATION ON INVESTMENTS / PROVISION FOR NON-PERFORMING INVESTMENTS

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2013
अनुसूची 9 — अग्रिम
Schedule 9 — ADVANCES

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹
अ/A. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल Bills Purchased and Discounted	15491 75 26	7546 22 87
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	35256 03 10	34214 63 58
(iii) मीयादी ऋण/Term Loans	77535 08 07	73779 14 57
योग/TOTAL	128282 86 43	115540 01 02
आ/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/ (बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित) Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	103818 94 10	79869 19 86
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित/ Covered by Bank/Govt. Guarantees	10906 81 56	8034 42 43
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	13557 10 77	27636 38 73
योग/TOTAL	128282 86 43	115540 01 02
इ/C. I. भारत में अग्रिम/Advances in India -		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sectors	33324 03 71	28924 55 09
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	16564 90 63	16510 85 34
(iii) बैंक/Banks	880 52 77	15 26 45
(iv) अन्य/Others	65245 87 02	60486 38 60
योग/TOTAL	116015 34 13	105937 05 48
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्य/ (i) Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य/ Due from Others		
(क) खरीदे और भुनाए गए बिल (a) Bills Purchased and Discounted	2493 55 04	1895 04 67
(ख) सामूहिक उधार (b) Syndicated loans	1455 67 38	1370 31 77
(ग) अन्य (c) Others	8318 29 88	6337 59 10
योग/TOTAL	12267 52 30	9602 95 54
कुल योग (इ-I एवं इ-II)/GRAND TOTAL (C.I & C.II)	128282 86 43	115540 01 02

**31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2013**

अनुसूची 10 – अचल आस्तियां/Schedule 10 – FIXED ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹
I. परिसर/Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	157 52 13	143 21 42
वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	9 03 93	14 29 57
	166 56 06	157 50 99
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन Additions/adjustments during the year	4 30 01	37 81
	170 86 07	157 88 80
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year		36 67
	170 86 07	157 52 13
आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन-पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि Additions to date on account of revaluation credited to Revaluation Reserve	689 11 75	633 20 98
	859 97 82	790 73 11
निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण Transferred to Assets Held for Disposal	-	-
	859 97 82	790 73 11
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	210 72 48	201 96 37
योग / TOTAL	649 25 34	588 76 74
II. अन्य अचल आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं)		
पूर्ववर्ती वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार लागत पर Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) At cost as on 31st March of the preceding year	879 51 22	787 21 16
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	3 15 46	5 07 41
	882 66 68	792 28 57
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	98 79 72	89 51 52
	981 46 40	881 80 09
वर्ष के दौरान कटौतियां/Deductions during the year	1 63 77	2 28 87
	979 82 63	879 51 22
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	750 46 84	666 72 98
योग/TOTAL	229 35 79	212 78 24
III. निपटान हेतु धारित आस्तियां/Assets Held for Disposal		
निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो At Net Book Value or Net Realisable Value whichever is less		
अ/A. परिसर/Premises	-	-
आ/B. अन्य अचल आस्तियां/Other Fixed Assets	-	-
योग/TOTAL	-	-
IV. चालू पूंजी संकर्म/Capital Work in Progress	10 98 26	3 20 22
योग/TOTAL	10 98 26	3 20 22
कुल योग (I,II और III+IV)/GRAND TOTAL (I,II & III+IV)	889 59 39	804 75 20

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2013

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां
Schedule 11— OTHER ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter-Office Adjustments (Net)	-	
II. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	1017 80 94	971 44 35
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/Tax deducted at source	1458 53 21	1274 40 66
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप/Stationery and Stamps	5 86 51	7 16 61
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	187 37 00	193 37 00
VII. अन्य/Others	2220 35 22	2332 07 09
योग/TOTAL	4889 92 88	4778 45 71

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं
Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims Against the Bank not Acknowledged as Debts	164 59 56	69 65 97
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता/ Liability for partly paid investments	7 76 50	8 79 50
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	47571 45 63	30550 69 88
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां/ Guarantees Given on behalf of Constituents - क) भारत में A) In India	10622 36 57	7687 73 77
ख) भारत के बाहर B) Outside India	156 96 68	187 39 88
V. स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and other Obligations	6518 36 65	6581 13 33
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Other Items for which the bank is contingently liable	840 91 34	3441 79 60
योग / Total	65882 42 93	48527 21 93

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED

(000 को छोड़ दिया गया है) / (000's omitted)

	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार Year ended 31.3.2013 ₹	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार Year ended 31.3.2012 ₹
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा /Interest/Discount on Advances/Bills	12857 63 83	11382 96 71
II. निवेशों पर आय /Income on Investments	3634 54 42	3156 34 56
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	120 39 63	54 71 79
IV. अन्य/Others	139 13 29	38 34 09
योग /TOTAL	16751 71 17	14632 37 15

अनुसूची 14 — अन्य आय

Schedule 14 — OTHER INCOME

(000 को छोड़ दिया गया है) / (000's omitted)

	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार Year ended 31.3.2013 ₹	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार Year ended 31.3.2012 ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली (निवल) Commission, Exchange and Brokerage (Net)	253 50 27	237 93 61
II. निवेशों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Investments घटाएं : निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Investments	142 08 56	198 84 76
III. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	1 81 53 96 25	3 06 41 91 09 -
IV. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions घटाव : विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	147 21 00 38 97 30	139 77 92 24 48 09
V. भारत/विदेश में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India	9 21 32	8 89 22
VI. विविध आय / Miscellaneous Income	438 61 40	406 73 41
योग / TOTAL	952 17 15	965 55 51

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज
Schedule 15 — INTEREST EXPENDED

(000 को छोड़ दिया गया है) / (000's omitted)

	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार Year ended 31.3.2013 ₹	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार Year ended 31.3.2012 ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	11506 39 45	9948 20 03
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	170 64 76	275 45 71
III. अन्य/Others	493 13 37	506 61 29
योग /TOTAL	12170 17 58	10730 27 03

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय
Schedule 16 — OPERATING EXPENSES

(000 को छोड़ दिया गया है) / (000's omitted)

	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार Year ended 31.3.2013 ₹	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार Year ended 31.3.2012 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1393 26 91	1383 06 22
II. किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	150 87 69	122 77 53
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री/Printing & Stationery	27 75 41	26 69 29
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	32 41 80	24 00 80
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास/ Depreciation on Bank's Property	87 14 67	78 12 28
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	1 73 13	77 52
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय(शाखा-लेखा-परीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors)	25 49 78	24 72 87
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	12 98 44	13 22 55
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि/ Postages, Telegrams, Telephones, etc.	42 58 12	37 24 61
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	9 41 15	6 62 38
XI. बीमा/Insurance	112 67 88	115 09 92
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	280 26 75	223 87 51
योग /Total	2176 61 73	2056 23 48

अनुसूची 17 - मुख्य लेखा नीतियां

Schedule 17 - PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES

1. सामान्य / GENERAL

- 1.1 वित्तीय विवरण, जैसा अन्यथा कथित किया गया है उसके सिवाय, 'लाभकारी कारोबारवाली संस्था' की संकल्पना पर परंपरागत लागत आधार पर तैयार किए जाते हैं और वे भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैंक) के निदेशों सहित सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, प्रचलित पद्धतियों तथा सांविधिक उपबंधों के अनुरूप होते हैं।

The financial statements are prepared under 'going concern' concept on historical cost basis, except as otherwise stated, and conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, the prevailing practices and statutory provisions including directives of Reserve Bank of India (RBI).

2. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव/EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

2.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन/FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किए जाते हैं।

Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

- ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rate.

- iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

- iv) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।
Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

- v) मौद्रिक मदों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को, जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

- vi) बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है।

Outstanding foreign exchange contracts and bills are revalued as per FEDAI Rates and the resultant gain/loss is taken to revenue at the end of each month.

2.2. विदेशी परिचालन/FOREIGN OPERATIONS

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as Non-integral Operations.

अदला-बदली/Translation

- i) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन की आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है।

Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

- ii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है।

Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

- iii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षिति में संचित किया जाता है।

Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

3. निवेश/INVESTMENTS

3.1 निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा परिपक्वता तक धारित, विक्रय हेतु उपलब्ध एवं क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा उसके बाद उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों एवं बांडों, अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम और अन्य में वर्गीकृत किया जाता है। Investments are classified into three categories viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading and are further classified into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

3.2 (i) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को लागत आधार पर आगे ले जाया जाता है। जहाँ लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है वहाँ प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक के लिए प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है। विक्रय से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद कर तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जानेवाली राशि को छोड़कर उसका विनियोजन पूंजी आरक्षित निधि लेखे में किया जाता है। विक्रय से हुई हानि को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है।

Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity as per effective interest rate method. Profit on sale is initially taken to Profit and Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve. Loss on sale is charged to the Profit and Loss Account.

(ii) विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Available for Sale, are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

(iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Held for Trading are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

3.3 उपर्युक्त तीन श्रेणियों में से किसी में शामिल ऐसी प्रतिभूतियों के मामले में, जहाँ ब्याज / मूलधन 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है, आय की पहचान नहीं की जाती और वैसे निवेशों के मूल्य पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार समुचित प्रावधान किया जाता है।

In respect of securities, included in any of the above three categories where interest/ principal is in arrears for more than 90 days, income is not recognized and appropriate provision on the value of such Investments is made as per prudential norms.

3.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेजरी बिल में निवेशों का मूल्यन रखाव-लागत पर किया जाता है।

Investments in Regional Rural Banks, Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.

3.5 क्रय-विक्रय / निर्दिष्ट भाववाले निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध निर्दिष्ट भाव से लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन बाजार मूल्य पर या निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमडीए) एवं भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित मूल्य पर किया जाता है।

In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

3.6 ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय के रूप में माना जाता है और इसे लागत / विक्री प्रतिफल से अपवर्जित किया जाता है।

Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.

3.7 बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों की बाबत प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य से निम्नतर पर किया जाता है। निवेश को उपर्युक्त रूप में यथानिर्धारित मूल्य पर बहियों में आगे ले जाया जाता है और विक्रय/ वसूली को, यदि कोई हो, निवेश से घटाया जाता है तथा निवल बही मूल्य दर्शाया जाता है।

Security receipts issued by securitisation / reconstruction company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are valued at the lower of the redemption value of the security receipt and the Net Book Value of the financial assets. The Investment is carried in the books at the price determined as above and the sale / realization if any, is reduced from Investment and the net book value is shown.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विहित गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों में निवेश पर लागू मूल्य, वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद में बैंक के निवेश पर लागू किए जाते हैं।

The value, classification and other norms applicable to investment in non-SLR Investments prescribed by RBI are applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

4. ब्याज दर स्वाप /INTEREST RATE SWAPS

- 4.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वाप लेन-देन की गणना उपचय आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा निवल मूल्यहास के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।

The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation, if any, is provided for, whereas appreciation if any is ignored.

- 4.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वाप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वाप की संविदागत शेष अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में की जाती है।

Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.

- 4.3 क्रय-विक्रय स्वाप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.

- 4.4 क्रय-विक्रय स्वाप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

5. विदेशी मुद्रा करार /FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS

बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं का पुनर्मूल्यन माह के अंत के अनुसार प्रत्येक माह वायदा संहिता की परिपक्वता की तारीख पर आधारित लागू फेडरल (एफईडीएआई) दर पर किया जाता है एवं उसके फलस्वरूप हुए लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में लाभ एवं हानि में ले जाया जाता है।

Outstanding forward exchange contracts are revalued every month as per month end FEDAI rates applicable based on maturity date of the forward contracts and the resultant gain/loss is taken to profit and loss at the end of the each month.

6. अग्रिम/ADVANCES

- 6.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) से प्राप्त / प्राप्य राशियों पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध' एवं 'हानि' आस्तियों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा अग्रिम का उल्लेख प्रावधान को घटाने के बाद किया जाता है।

Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI. Non-Performing advances in India are ascertained as per the Prudential Norms and provisions are made upon classifying the same into 'Sub-Standard', 'Doubtful' and 'Loss' assets after considering the claims Received/Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

- 6.2 विदेश स्थित शाखाओं के अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के, इनमें से जो भी अधिक हो, अनुसार किया जाता है।

Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of local requirements or RBI guidelines whichever is higher.

- 6.3 मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान वैश्विक पोर्टफोलियो आधार पर किया जाता है।

A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis.

- 6.4 अवलंब ली गई केंद्रीय सरकार की गारंटी और बैंक द्वारा दायर किए गए वाद की बाबत, जहाँ सरकार निराकरण नहीं करती है, देय राशियों को ठीक माना जाता है।

In respect of Central Government Guarantees invoked and suit filed by the bank, wherever the Government does not repudiate, the dues are considered good.

- 6.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बड़े खाते डाले जाते हैं।

In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realisation.

- 6.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बड़े खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।

Partial prudential write off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.

7. अचल आस्तियाँ/FIXED ASSETS

7.1 अचल आस्तियों का निर्धारण परंपरागत लागत आधार पर / पुनर्मूल्यित राशि में से संचित मूल्यहास को घटाकर किया जाता है। पुनर्मूल्यन से प्राप्त अधिशेष को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किया जाता है।

Fixed assets are stated at historical cost/revalued amount less accumulated depreciation. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

7.2 अचल आस्तियों के अभिग्रहण हेतु किए गए अग्रिम भुगतान / आंशिक भुगतान अन्य आस्तियों में शामिल किए जाते हैं।

Advance payments/part payments made towards acquisition of fixed assets are included under other Assets.

7.3 भारत में परिसर (अविभाज्य / अपृथक्कृत भूमि की लागत सहित) तथा अन्य अचल आस्तियों पर (साफ्टवेयर सहित कंप्यूटर, ए.सी. मशीन, ऐक्वागार्ड, रेफ्रिजरेटर, फोटो कॉपींग मशीन, फैक्स मशीन आदि को छोड़कर) मूल्यहास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में विहित दरों पर अवलिखित मूल्य पद्धति के अनुसार किया जाता है। भा. रि. बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार कंप्यूटरों पर मूल्यहास सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% की दर से किया जाता है तथा ए.सी मशीन, ऐक्वागार्ड, रेफ्रिजरेटर, फोटो कॉपींग मशीन, फैक्स मशीन आदि पर मूल्य पद्धति के आधार पर 20% की दर से किया जाता है। मूल्यहास का प्रावधान 30 सितंबर तक किए गए परिवर्धन के लिए पूरी दर पर तथा उसके बाद किए गए परिवर्धन के लिए आधी दर पर किया जाता है।

Depreciation on Premises (including cost of land wherever inseparable/not segregated) and other fixed assets (excepting computers including software and AC machine, Aquaguard, Refrigerator, Photo-copying machine, Fax machine, etc.) in India is provided on written down value method at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956. Depreciation on computers including software is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method in terms of RBI guidelines and on AC machine, Aquaguard, Refrigerator, Photo-copying machine, Fax machine, etc. is provided at the rate of 20% on Written Down Value (WDV) Method. Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

7.4 भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / अवलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।

Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

7.5 पुनर्मूल्यन से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्यहास का समंजन पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि के प्रति किया जाता है।

Additional depreciation arising out of revaluation is set off against Revaluation Reserve.

7.6 पट्टाघृत संपत्तियों की बाबत पट्टा प्रीमियम को पट्टे की अवधि तक परिशोधित किया जाता है।

In respect of leasehold properties, the lease premium is amortized over the period of the lease.

7.7 ₹1000 या इससे कम मूल्य वाली अचल आस्ति की प्रत्येक मद उसी तिमाही में पूरी तरह, जिस तिमाही में उसकी खरीद की गई है तथा ₹1001/- से ₹5000/- तक की मूल्यवाली प्रत्येक मद 100% की दर से उसी तिमाही में मूल्यहासित की जाती है, जिस तिमाही में उसकी खरीद भी गई है।

Fixed Assets items of small value, costing of ₹1000/- or less each, are charged off fully in the same quarter of purchase and items, costing ₹1001/- to ₹5000/- each, are depreciated at the rate of 100% in the same quarter of purchase.

8. कर्मचारी हितलाभ/EMPLOYEE BENEFITS

8.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ /Short Term Employee Benefits

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में 12 माह की सेवावधि के दौरान कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा / जमा किया जाता है।

The short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid/credited in exchange for the services rendered by employees are recognised during the 12 month period when the employee renders the service.

8.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ/Long Term Employee Benefits

सेवोपरांत हितलाभ/Post Employment Benefits

अ)A) निर्धारित अंशदान योजना/Defined Contribution Plan

भविष्य निधि जैसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान को लाभ-हानि लेखा पर भारित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं लिया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा संचालित ट्रस्ट को किया जाता है।

Contribution to Defined Contribution Schemes such as Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

आ)B) निर्धारित हितलाभ योजना/Defined Benefit Plan

बैंक निर्धारित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत उपादान एवं पेंशन योजना चलाता है।

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि/एकबारगी भुगतान इस प्रकार किया जाता है i) ₹10,00,000 की अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (मूल + डीए) या ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (केवल मूल वेतन), इनमें से जो भी अधिक हो। पाँच वर्ष/ दस वर्ष की सेवा (यथा प्रयोज्य) पूरी करने के उपरांत यह लाभ प्रदान किया जाता है। नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum/one time payment to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to i) 15 days salary (Basic+DA) payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of ₹10,00,000 or ii) 15 days salary (Basic only) for each completed year of service, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years/ ten years (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। नियमानुसार यह लाभ पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर, जैसा कि इस विनियम में प्रावधान है, मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है। नियमानुसार विभिन्न स्तर पर यह लाभ प्रदान किया जाता है। वेतन के 10% प्रतिमाह की दर से अंशदान के अलावा नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.

निर्धारित प्रसुविधा प्रदान किए जाने लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। निवल देयता को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out at each balance sheet date. Net liabilities are immediately recognised in the statement of profit and loss and are not deferred.

इ/सी) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ/Other Long Term Employee benefits

क/अ. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति एवं छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the Bank.

ख/ब. इस प्रकार के अन्य निर्धारित दीर्घावधि हितलाभ प्रदान करने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पश्च सेवा लागत को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognised in the statement of profit and loss and is not deferred.

ग/स. पूर्णकालिक निदेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है और ऐसा मूल्यांकन सेवानिवृत्ति के साथ-साथ कार्यरत पूर्णकालिक निदेशकों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है और इसे आस्थगित नहीं रखा जाता है।

Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out at balance sheet date for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.

"सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प फिर से शुरू करना और उपदान सीमा में वृद्धि-विवेकपूर्ण विनियामक उपचार" के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्रमांक.डीबीओडी.बीपी. बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 में दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित के कारण अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने का निर्णय किया है-

In accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India vide its Circular No. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011 on "Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment", Bank has decided to amortize the additional liability on account of –

- क/अ) जिन विद्यमान कर्मचारियों ने पहले पेंशन का विकल्प नहीं दिया था उनके लिए पेंशन का विकल्प फिर से शुरू करने; और
Re-opening of pension option for existing employees who did not opt for pension earlier; and
- ख/ब) वित्तीय वर्ष 2010-11 से पाँच वर्ष की अवधि तक सीधी-रेखा आधार पर व्यय के रूप में उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में संशोधन के अनुसरण में 10.00 लाख ₹ की वधित सीमा के अनुसार (3.50 लाख ₹ से बढ़ाकर) विद्यमान कर्मचारियों को उपदान का भुगतान करने के कारण।

Payment of gratuity to existing employees as per the enhanced limit of ₹10.00 lakh (increased from ₹ 3.50 lakh) pursuant to the amendment of the Payment of Gratuity Act, 1972, as an expense on a straight line basis over a period of five years from the financial year 2010 -11.

9. राजस्व की पहचान/REVENUE RECOGNITION

9.1 अन्यथा कथित के सिवाय आय एवं व्यय की मदों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

Items of Income and Expenditure are accounted for on accrual basis, except as otherwise stated.

9.2 निम्नलिखित मदों के लिए आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती है:

Income for the following items are recognised on realization basis:

क/अ) भा.रि.बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनर्जक आस्तियों से आय/Income from non-performing assets in terms of RBI guidelines.

ख/ब) जारी किए गए साख-पत्र और गारंटियों पर अर्जित कमीशन/ Commission earned on Letter of Credit and Guarantees issued.

ग/क) मुद्रती बिल पर ब्याज/ Interest on usance bill.

10. आय पर कर/TAXES ON INCOME

चालू कर का निर्धारण वर्ष की कर योग्य आय की बाबत देय कर की राशि पर किया जाता है और तदनुसार न्यूनतम विकल्पी कर सहित कर के लिए प्रावधान किया जाता है।

Current tax is determined on the amount of tax payable in respect of taxable income for the year and accordingly provision for tax is made including Minimum Alternate Tax (MAT).

अधिसूचित लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार आस्थगित कर आस्ति या देयता की पहचान तुलन-पत्र की तारीख तक प्रदर्शित या तत्त्वतः प्रदर्शित कर की दरों का प्रयोग करके की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों / देनदारियों की समीक्षा वर्ष के दौरान हुई गतिविधियों के आधार पर प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है।

The deferred tax asset or liability is recognised using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date, in terms of notified Accounting Standard 22. Deferred Tax Assets/Liabilities are reviewed at each Balance Sheet date based on developments during the year.

11. आस्तियों की अनर्जकता/IMPAIRMENT OF ASSETS

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु अचल आस्तियों की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जानेवाली आस्तियों की वसूली योग्यता का आकलन किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की तुलना में आस्ति द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी निवल बड़ाकृत नकदी प्रवाह से करके किया जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को अनर्जक माना जाता है तो उसकी अनर्जकता का आकलन आस्ति के रख-रखाव की उस राशि से किया जाता है जो आस्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है।

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

12. प्रति शेयर अर्जन/EARNINGS PER SHARE

बैंक एएस 20 – 'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात निवल लाभ तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश को वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग देकर किया जाता है।

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 – 'Earnings per Share'. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.

प्रति शेयर अर्जन में कमी उस संभाव्य कमी को प्रकट करती है जो वर्ष के दौरान प्रतिभूति या ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदा जारी या परिवर्तित करने पर होती है। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या और कम होनेवाले संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है।

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्ति संबंधी लेखा विधि

ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी एएस 29 “प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों” के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभ को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और तब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।

In conformity with AS 29, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” issued in this regard by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण वित्तीय विवरणों में नहीं किया जाता क्योंकि इसके फलस्वरूप उस आय का निर्धारण होगा जिसे कभी भी वसूला नहीं जा सकता।

Contingent Assets are not recognised in the financial statements as this may result in the recognition of income that may never be realized.

अनुसूची / SCHEDULE 18
लेखे के संबंध में टिप्पणियां / NOTES ON ACCOUNTS

1. पूंजी / Capital

1.1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात/Capital Adequacy Ratio

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

मदें/Items	31.03.13 की स्थिति As on 31.03.13	31.03.12 की स्थिति As on 31.03.12
(i) सीआरएआर (%) - बासेल- I / CRAR (%) – Basel I	12.43	11.03
(ii) सीआरएआर-टियर- I पूंजी (%) / CRAR - Tier I capital (%)	7.96	7.23
(iii) सीआरएआर-टियर- II पूंजी (%) / CRAR - Tier II Capital (%)	4.47	3.80
(iv) सीआरएआर (%) - बासेल- II / CRAR (%) – Basel II	14.15	12.35
(v) सीआरएआर-टियर- I पूंजी (%) / CRAR - Tier I capital (%)	9.06	8.09
(vi) सीआरएआर-टियर- II पूंजी (%) CRAR - Tier II Capital (%)	5.09	4.26
(vii) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of the Government of India	69.26	65.19
(viii) टियर- II पूंजी के रूप में जुटाई गई गौण ऋण की राशि (करोड़ ₹ में) Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital (₹ in Crore)	3375.00	2375.00
(ix) अपर टियर-II पूंजी के रूप में जुटाई गई राशि (करोड़ ₹ में) (जिसमें से विदेशी मुद्रा उधार राशियाँ) Amount raised as Upper Tier-II Capital (₹ in Crore) (Of which borrowings in foreign currency)	1620.00 0.00	1620.00 0.00
(x) टियर-I बेमियादी ऋण लिखतों के रूप में जुटाई गई राशि (करोड़ ₹ में) Amount raised as Tier-I Perpetual Debt Instruments (₹ in Crore)	380.00	380.00
(xi) टियर-I पूंजी के रूप में जुटाई गई बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) की राशि (करोड़ ₹ में) Amount of Perpetual Non Cumulative Preference Share (PNCPS) raised as Tier I Capital (₹ in Crore)	1823.00	1823.00

क) वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को ₹ 77.46 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 8,79,16,343 ईक्विटी शेयर आबंटित किए और उक्त ईक्विटी शेयरों के आबंटन के बदले ₹ 680,99,99,928.78 की राशि प्राप्त की। इसमें से ₹ 87,91,63,430 शेयर पूंजी खाते में तथा ₹ 593,08,36,498.78 शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित किए गए हैं।

ख) वर्ष दौरान बैंक ने ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य वाले ₹ 1000 करोड़ के 9% अरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण निम्न टियर II बांड जुटाए हैं।

a) During the year, Bank allotted 8,79,16,343 equity Shares to Government of India at an issue price of ₹ 77.46 per Share and received ₹ 680,99,99,928.78 against allotment of the above equity Shares. Out of this, ₹ 87,91,63,430 is transferred to Share Capital Account and ₹ 593,08,36,498.78 towards Share Premium Account.

b) During the year, Bank has mobilized 9 % Unsecured Redeemable Non Convertible Subordinated Lower Tier II Bonds having face value of ₹ 10 lakh aggregating to ₹ 1000 Crore.

2.0 निवेश

2.1 बैंक के निवेश एवं निवेश पर मूल्य-ह्रास/अनर्जक निवेश के प्रति किए गए प्रावधान के उतार-चढ़ाव के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

2.0 Investments

2.1 The Details of investments and the movement of provisions held towards depreciation on the investments/ Non Performing Investments of the Bank is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

मर्दे/Items	31.03.13 की स्थिति As on 31.03.13	31.03.12 की स्थिति As on 31.03.12
(1) निवेशों का मूल्य/Value of Investments		
(i) निवेश का सकल मूल्य/Gross Value of Investments		
(a) भारत में/In India	51334.87	45038.34
(b) भारत के बाहर/ Outside India	1180.30	1147.07
(ii) मूल्यह्रास/एनपीआई हेतु प्रावधान/Provisions for Depreciation/NPI		
(a) भारत में/In India	248.49	409.60
(b) भारत के बाहर/Outside India	21.79	4.32
(iii) निवेशों का निवल मूल्य /Net Value of Investments		
(a) भारत में/In India	51086.38	44628.74
(b) भारत के बाहर/Outside India	1158.51	1142.75
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास/एनपीआई के प्रति किए गए प्रावधान का उतार-चढ़ाव Movement of provisions held towards depreciation on investments/NPI.		
(i) प्रारंभिक शेष / Opening balance	413.92	197.15
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add : Provisions made during the year	113.29	338.76
: परिचालन लाभ को घटाते हुए : By reduction of Operating Profit	0.00	4.45
: विनिमय अंतर के जरिए : By Exchange Difference	0.07	1.57
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान बड़े खाते डाले गए / पुनरांकित किए गए अतिरिक्त प्रावधान Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	257.00	128.01
(iv) अंतिम शेष/Closing balance	270.28	413.92

2.2 रेपो लेनदेन / Repo Transactions

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2013 को बकाया Outstanding as on 31 st March 2013
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	0.00	2700.00	370.00	2550.00
ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	0.00	3500.00	68.77	2000.00
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

2.3 गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग/Non-SLR Investment Portfolio

(i) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के जारीकर्ताओं की संरचना/ Issuer composition of Non-SLR investments

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

सं. जारीकर्ता No. Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आबंटन की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश श्रेणी से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	'रेटिंग से इतर' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i) स.क्षे.के उपक्रम / PSUs	197.76	25.85	0.00	0.00	0.00
(ii) वित्तीय संस्थाएं / FIs	3511.25	3506.25	165.00	0.00	157.50
(iii) बैंक / Banks	2970.07	2862.78	11.16	395.16	395.16
(iv) निजी कंपनियां / Private Corporates	1312.97	965.58	206.65	139.22	23.62
(v) अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/Subsidiaries/ Joint Ventures	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00
(vi) अन्य /Others	104.94	0.00	0.00	61.51	43.43
(vii) उप योग (i) से (vi) तक Sub Total (i to vi)	8283.20	7546.66	382.81	595.89	619.71
(viii) घटाएं- मूल्यहास के प्रति किया गया प्रावधान Less Provision held towards depreciation	267.53	0.00	20.97	0.00	0.78
(ix) योग / Total (vii-viii)	8015.67	7546.66	361.84	595.89	618.93

(ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश / Non performing Non-SLR investments

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2013
प्रारंभिक शेष / Opening balance	101.88
वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	17.62
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	2.88
अंतिम शेष / Closing balance	116.62
किए गए कुल प्रावधान / Total provisions held	62.68

2.4 विभिन्न श्रेणियों की प्रतिभूतियों में किए गए निवेश का सकल मूल्य निम्नानुसार है:

The gross value of Investments held in different categories of securities is as under:

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.3.2013	31.3.2012
परिपक्वता तक धारित/Held to Maturity		
- छूट प्राप्त श्रेणी /-exempted category	2958.43	1597.27
- अन्य/-others	33047.07	31539.23
बिक्री हेतु उपलब्ध/Available for Sale	16509.67	12870.05
क्रय-विक्रय हेतु धारित/Held for Trading	0	178.86

2.5 एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण

एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है।

2.5 Sale and transfers to/from HTM Category

The value of sales and transfers of securities to/from HTM category has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

वर्ष के आरंभ में निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 3211.64 करोड़ (एफवी) का अंतरण 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफएस) श्रेणी से 'परिपक्वता तक रखने हेतु' (एचटीएम) श्रेणी में किया गया। इस अंतरण पर ₹ 28.30 करोड़ का मूल्यहास लाभ एवं हानि खाते से घटाया गया।

During the financial year 2012-13 there was transfer of securities from 'Available for Sale' (AFS) to Held to Maturity (HTM) category of ₹ 3211.64 Crores (FV) with the approval of Board of Directors (BOD) at the beginning of the year. Depreciation amounting to ₹ 28.30 Crore on account of such transfer has been charged to Profit and Loss Account.

3.0 व्युत्पन्न / Derivatives

3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वाप / Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

मर्दे / Items	2012-13	2011-12
i) स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	750.00	3300.00
ii) करार के अंतर्गत काउंटर पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	2.03	16.54
iii) स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv) स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	0.16	0.23

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

क्रम सं. S.No.	विवरण Particulars	राशि Amount
(i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	0.00
	क) \ a)	
	ख) \ b)	
	ग) \ c)	
(ii)	दिनांक 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2012 (instrument-wise)	0.00
	क) \ a)	
	ख) \ b)	
	ग) \ c)	
(iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00
	क) \ a)	
	ख) \ b)	
	ग) \ c)	
(iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00
	क) \ a)	
	ख) \ b)	
	ग) \ c)	

3.3 व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

(i) व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन:

संगठनात्मक ढाँचे के अंतर्गत कारपोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशकगण, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेनदेन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंधन विभाग को सूचित किया जाता है।

(ii) जोखिम माप, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूप:

क) बैंक द्वारा किए ब्याज दर स्वाप (आई आर एस) संबंधी लेनदेन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रय-विक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। ग्राहकों को व्युत्पन्न उत्पाद के रूप में भा.रि. बैंक के मानदंडों के अनुसार दिए जाते हैं। ये लेन-देन भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाई गई बैंक की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं।

(ख) ब्याज दर स्वाप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बेंचमार्क ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेनदेन की जोखिम मापा जाता है। जोखिम की माप के प्रयोजनार्थ सभी ब्याज दर व्युत्पन्न लेनदेन को शामिल किया जाता है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है तथा रिपोर्ट अ.प्र.नि./का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न लेनदेन की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है।

(iii) जोखिम से बचाव और/या उसके शमन के लिए नीतियां तथा बचाव व्यवस्था/प्रशामकों की निरंतर प्रभाविता पर निगरानी रखने की कार्यनीति एवं प्रक्रिया:

परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। आनुमानिक मूलधन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति/देयता के मूल्य और परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।

ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य है। पूंजी अपेक्षा अवधारित करने के लिए सुसंगत परिवर्तन-कारक से गुणा की गई ब्याज दर स्वाप की आनुमानिक मूल राशि और प्रतिपार्टी की संबंधित जोखिम भारिता को हिसाब में ले लिया गया है।

3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

a) Qualitative Disclosures

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors and Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.

Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

ख)/b) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosures

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. विवरण Sl.No.Particulars	2012-13		2011-12	
	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives
1 व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)	44957.74	750.00	27793.69	3300.00
क)/a) बचाव के लिए / For hedging	44957.74	150.00	27793.69	150.00
ख)/b) क्रय-विक्रय के लिए /For trading	0.00	600.00	0.00	3150.00
2 मार्केट टू मार्केट स्थिति / Marked to Market Positions				
क)/a) आस्ति (+) / Asset (+)	11.66	0.16	84.04	0.23
ख)/b) देयता (-) \ Liability (-)	5.57	0.00	3.84	0.00
3 ऋण एक्सपोजर \ Credit Exposure	524.56	8.78	988.20	35.29
4 ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
क)\ a) बचाव व्युत्पन्न पर \ on hedging derivatives				
अधिकतम \ Maximum	NA	-5.82	NA	-9.61
न्यूनतम \ Minimum	NA	0.80	NA	-1.19
ख)\ b) क्रय-विक्रय व्युत्पन्न पर \ on trading derivatives				
अधिकतम \Maximum	NA	0.38	NA	0.36
न्यूनतम \ Minimum	NA	-0.05	NA	0.10
5 वर्ष के दौरान 100*पीवी01 के अधिकतम और न्यूनतम निम्नलिखित पर पाए गए Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year बचाव-व्यवस्था पर- \ on hedging				
अधिकतम \ Maximum	NA	-3.83	NA	-7.76
न्यूनतम \ Minimum	NA	-2.01	NA	1.93
क्रय-विक्रय पर \ on trading				
अधिकतम \ Maximum	NA	0.33	NA	0.30
न्यूनतम \ Minimum	NA	0.21	NA	0.28

ग) ब्याज दर स्वाप के लिए अन्य प्रकटन

बैंक ने निहित परिसंपत्तियों और देयताओं पर स्थिर से अस्थिर और अस्थिर से स्थिर ब्याज दर व्युत्पन्न लिए हैं। यदि काउंटर पार्टियों ने अपने दायित्व पूरे नहीं किए तो उपर्युक्त ब्याज दर स्वाप पर ₹ 2.03 करोड़ का नुकसान होगा। ब्याज दर स्वाप के संबंध में किए गए लेनदेन से ऋण जोखिम का संकेन्द्रण नहीं हुआ है क्योंकि काउंटर पार्टि बैंक है और एक्सपोजर अनुमत एक्सपोजर सीमा के भीतर है।

c) Other Disclosures for Interest Rate Swaps

The Bank has undertaken fixed to floating and floating to fixed interest rate swaps on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be ₹ 2.03 Crore, in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are banks and the exposure is within the exposure limit permitted.

4.0 आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

4.1 अनर्जक आस्ति / Non-Performing Asset

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

मदें / Items	2012-13	2011-12
(i) निवल अग्रिम की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%) / Net NPAs to Net Advances (%)	3.17	1.96
(ii) अनर्जक आस्तियों (सकल) में घट-बढ़ / Movement of NPAs (Gross)		
(क)/(a) 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियाँ / Gross NPAs as on 1st April	4086.20	3150.36
(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	5161.59	2401.16
नई अनर्जक आस्तियाँ एवं विनिमय अंतर/ (Fresh NPAs) Plus Exchange Differences		
(अ)/(A) उप-योग / Sub-total	9247.79	5551.52
घटाएँ / Less:		
(1) कोटि उन्नयन / Upgradations	672.54	416.66
(2) वसूली (ग्रेड बढ़ाए गए खाते से की गई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	827.93	658.11
(3) बट्टा खाता / Write-Offs	617.23	390.55
(आ)/(B) उप-योग / Sub-total	2117.70	1465.32
(ग)/(c) 31 मार्च की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियाँ (अ-आ)/Gross NPAs as on 31st March (A-B)	7130.09	4086.20
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़ का उतार-चढ़ाव / Movement of Net NPAs		
(क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	2263.94	1824.55
(ख)/(b) अंतिम शेष / Closing balance	4069.31	2263.94
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में घट-बढ़ (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	1650.57	1281.29
(ख)/(b) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (विनिमय अंतर और प्रतिलेखन को छोड़कर)* Provisions made during the year (including exchange difference and write back)*	1783.08	759.83
(ग)/(c) बट्टे खाते डालना / Write-off	617.23	390.55
(घ)/(d) अंतिम शेष / Closing balance	2816.42	1650.57

* विनिमय अंतर ₹ 3.91 करोड़ (0.38 करोड़) है /* Exchange Difference is of ₹ 3.91 Crore (0.38 Crore)

4.2 पुनर्संरचित खातों का विवरण

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.मां.क	पुनर्संरचना का प्रकार	सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत						एसएमई तथा पुनर्संरचना प्रणाली के अंतर्गत						अन्य						कुल					
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल				
1	01-04-2012 की स्थिति को पुनर्संरचित खात (भारतीय बैंक) * बकाया राशि प्रावधान	2	0	0	0	2	1141	3	0	0	1144	10466	52	0	0	10518	11609	55	0	0	11664				
		140.95	0.00	0.00	0.00	140.95	98.01	11.84	0.00	0.00	109.85	792.70	1.20	0.00	0.00	793.90	1031.66	13.04	0.00	0.00	1044.70				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45				
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित उधारकर्तियों की संख्या बकाया राशि प्रावधान	27	1	1	0	29	108	2	0	0	110	2903	7	2	0	2912	3038	10	3	0	3051				
		3097.46	89.65	37.50	0.00	3224.61	144.13	7.82	0.00	0.00	151.95	6443.78	0.33	0.04	0.00	6444.15	9685.37	97.80	0.00	0.00	9820.71				
		118.95	0.00	5.72	0.00	124.67	2.80	0.65	0.00	0.00	3.45	33.47	0.02	0.00	0.00	33.49	155.22	0.67	0.00	0.00	161.61				
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन उधारकर्तियों की संख्या बकाया राशि प्रावधान	2	0	0	0	2	1	0	0	1	37	0	0	0	37	40	0	0	0	40					
		125.52	0.00	0.00	0.00	125.52	1.73	0.00	0.00	0.00	1.73	9.03	0.00	0.00	0.00	9.03	136.28	0.00	0.00	0.00	136.28				
		9.31	0.00	0.00	0.00	9.31	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.00	0.00	0.04	9.38	0.00	0.00	0.00	9.38					
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिन पर वित्तीय वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधान / जोखिम भार नहीं रखा गया अतः आगे वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की जरूरत नहीं है उधारकर्तियों की संख्या बकाया राशि प्रावधान	1				1	50			50	3374				3374	3425				3425					
		11.51				11.51	7.86			7.86	189.19				189.19	208.56					208.56				
		0.31				0.31	0.22			0.22	5.88				5.88	6.41					6.41				

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.मा.क.	पुनर्संरचना का प्रकार	सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएफई त्रया पुनर्संरचना प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					कुल				
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
5	उधारकर्ताओं की संख्या	3	0	0	0	3	9	0	0	0	9	14	0	0	0	14	26	0	0	0	26
	बकाया राशि	71.88	0.00	0.00	0.00	71.88	25.63	0.00	0.00	25.63	21.11	0.00	0.00	0.00	21.11	118.62	0.00	0.00	0.00	118.62	
	प्रावधान	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	2.54	0.00	0.00	0.00	2.54	
6	उधारकर्ताओं की संख्या	11	0	0	0	11	1147	0	0	1147	1974	0	0	0	1974	3132	0	0	0	3132	
	बकाया राशि	532.86	0.00	0.00	0.00	532.86	92.23	0.00	0.00	92.23	1158.52	0.00	0.00	0.00	1158.52	1783.61	0.00	0.00	0.00	1783.61	
	प्रावधान	14.65	0.00	0.00	0.00	14.65	2.54	0.00	0.00	2.54	4.76	0.00	0.00	0.00	4.76	21.95	0.00	0.00	0.00	21.95	
7	उधारकर्ताओं की संख्या	29	1	1	0	31	1199	5	0	1204	10030	59	2	0	10091	11288	65	3	0	11326	
	बकाया राशि	2747.68	89.65	37.50	0.00	2874.83	118.15	19.66	0.00	137.81	5876.69	1.53	0.04	0.00	5878.26	8742.52	110.84	37.54	0.00	8990.90	
	प्रावधान	75.54	0.00	5.72	0.00	81.26	3.24	0.65	0.00	3.89	176.30	0.02	0.00	0.00	176.32	255.08	0.67	5.72	0.00	261.47	

* चिन मानक पुनर्संरचित अग्रिमों पर अधिक प्रावधान या जोखिम भार (यदि प्रयोज्य हो) नहीं किया जाता, उनके अंकड़े इसमें शामिल नहीं हैं।
यहां बटुटे जाले गए खालों तथा बंद / समायोजित तथा वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खालों में की गई वसूलियों की रिपोर्ट की गई हैं।

(Amount in ₹ Crore)

4.2 Particulars of Accounts Restructured

Sl No	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total													
			Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total									
	Asset Classification Details		No. of borrowers	Amount outstanding	Provision thereon	No. of borrowers	Amount outstanding	Provision thereon	No. of borrowers	Amount outstanding	Provision thereon	No. of borrowers	Amount outstanding	Provision thereon	No. of borrowers	Amount outstanding	Provision thereon	No. of borrowers	Amount outstanding	Provision thereon	No. of borrowers	Amount outstanding	Provision thereon								
1	Restructured Accounts as on 01.04.2012 (Opening figures)*	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1141	3	0	0	0	0	0	10466	52	0	0	0	0	10518	11609	55	0	0	0	0	11664
2	Fresh restructuring during the year	140.95	0.00	0.00	0.00	98.01	11.84	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.70	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	793.90	1031.66	13.04	0.00	0.00	0.00	1044.70	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	
		27	1	0	0	0	2	0	0	0	108	2	0	0	0	0	0	2903	7	2	0	0	0	2912	3038	10	3	0	0	3051	
		3087.46	37.50	0.00	0.00	144.13	7.82	0.00	0.00	0.00	151.95	6443.78	0.33	0.04	0.00	0.00	0.00	6443.78	0.33	0.04	0.00	0.00	0.00	6444.15	9685.37	97.80	37.54	0.00	0.00	9820.71	
		118.95	5.72	0.00	0.00	2.80	0.65	0.00	0.00	0.00	3.45	33.47	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	33.47	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	33.49	155.22	0.67	5.72	0.00	0.00	161.61	
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	37	0	0	0	0	0	37	40	0	0	0	0	37	40	0	0	0	0	40	
		125.52	0.00	0.00	0.00	173	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	136.28	
		9.31	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.38	
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown restructured standard advances at the beginning of the next FY	1				1	50				50	3374						3374	3425					3374	3425					3425	
		11.51				7.86					7.86	189.19						189.19	208.56					189.19	208.56					208.56	
		0.31				0.22					0.22	5.88						5.88	6.41					5.88	6.41					6.41	

(Amount in ₹ Crore)

SI No	Type of Restructuring	Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism				Others				Total					
		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total			
	Asset Classification Details																		
	No. of borrowers	3	0	0	0	3	9	0	0	9	14	0	0	0	14	26	0	0	26
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	71.88	0.00	0.00	0.00	71.88	25.63	0.00	0.00	25.63	21.11	0.00	0.00	0.00	21.11	118.62	0.00	0.00	118.62
	Provision thereon	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	2.54	0.00	0.00	2.54
	No. of borrowers	11	0	0	0	11	1147	0	0	1147	1974	0	0	0	1974	3132	0	0	3132
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	532.86	0.00	0.00	0.00	532.86	92.23	0.00	0.00	92.23	1158.52	0.00	0.00	0.00	1158.52	1783.61	0.00	0.00	1783.61
	Provision thereon	14.65	0.00	0.00	0.00	14.65	2.54	0.00	0.00	2.54	4.76	0.00	0.00	0.00	4.76	21.95	0.00	0.00	21.95
	No. of borrowers	29	1	1	0	31	1199	5	0	1204	10080	59	2	0	10091	11258	65	3	11326
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)*	2747.68	89.65	37.50	0.00	2874.83	118.15	19.86	0.00	137.81	5876.69	1.53	0.04	0.00	5878.26	8742.52	110.84	37.54	8890.30
	Provision thereon	75.54	0.00	5.72	0.00	81.26	3.24	0.65	0.00	3.89	176.30	0.02	0.00	0.00	176.32	255.08	0.67	5.72	261.47

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable)

Here accounts written off and accounts closed/ adjusted and recoveries made during the year in the restructured accounts have been reported

4.3 आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्योरे

Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

मदें / Item	2012-2013	2011-12
(i) खातों की संख्या / No. of accounts	1	2
(ii) एस सी / आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान को छोड़कर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / RC	2.52	11.54
(iii) कुल प्रतिफल / Aggregate consideration	2.67	16.49
(iv) पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों की बावत वसूले गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
(v) निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ / हानि Aggregate gain / loss over net book Value	0.15	4.95

4.4 खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे/ Details of Non performing financial assets purchased/sold

अ/आ. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे/Details of Non performing financial assets purchased:

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2012-13	2011-12
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या (a) No. of accounts purchased during the year	शून्य/Nil	शून्य/Nil
(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	—	—
2. (क) उपर्युक्त में से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या / (a) Of these, number of accounts restructured during the year	—	—
(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	—	—

आ/ब. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे/Details of Non performing financial assets sold:

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2012-13	2011-12
1. बेचे गए खातों की संख्या / No. of Accounts sold	1	2
2. कुल बकाया / Aggregate Outstanding	2.96	17.70
3. कुल प्रतिफल प्राप्त / Aggregate consideration received	2.67	16.49

4.5 मानक अग्रिम पर प्रावधान / Provisions on Standard Assets

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

मदें / Item	2012-13	2011-12
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान / Provisions towards Standard Assets	667.87	502.73

5.0 कारोबार अनुपात / Business Ratios

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

मदें / Items	2012-13	2011-12
(i) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय / Interest Income as a percentage to Working Funds	8.86	9.07
(ii) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.50	0.60
(iii) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन आय/Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.78	1.74
(iv) आस्तियों पर आय /Return on Assets	0.33	0.69
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) / Business (Deposits plus advances) per employee	11.89 करोड़/Cr.	11.64 करोड़/Cr.
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ / Profit per employee	2.72 लाख/lakh	5.09 लाख/lakh

6.0 आस्ति देयता प्रबंध दिनांक 31.03.2013 को आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

6.0 Asset Liability Management - Maturity-pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.3.2013

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण	1 दिन	2 से 7 दिन तक	8 से 14 दिन तक	15 से 28 दिन तक	29 दिन से 3 माह तक	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक	6 माह से अधिक से लेकर 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक से लेकर 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक से लेकर 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
PARTICULARS	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days and up to 3 months	Over 3 months and up to 6 months	Over 6 months and up to 1 year	Over 1 year and up to 3 years	Over 3 years and up to 5 years	Over 5 years	Total
जमा/Deposits	538.90	4588.24	5587.05	4766.66	24109.91	25361.07	38528.39	30158.20	2530.86	37261.76	173431.04
सकल अग्रिम /Gross Advances	760.47	3700.94	3347.05	3202.93	13595.26	9760.64	9297.66	36252.57	12631.60	39019.95	131569.07
निवेश Investments	0.00	364.05	213.75	701.78	312.30	1281.76	3030.07	6182.17	7099.59	33329.71	52515.18
उधार/Borrowings	49.15	2550.00	380.86	0.00	409.00	821.79	171.83	671.40	256.21	4182.19	9492.43
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	427.67	1983.29	1693.86	1722.53	5359.62	6322.35	146.39	1535.35	952.51	1519.43	21663.00
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	94.72	765.08	1501.20	2148.00	5588.61	6865.46	1336.64	2530.36	0.00	832.93	21663.00

7.0 एक्सपोजर/Exposure:

7.1 स्थावर - संपदा क्षेत्र को ऋण/Exposure to Real Estate Sector

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

श्रेणी/Category	2012-13	2011-12
क/अ) प्रत्यक्ष एक्सपोजर / Direct exposure		
(i) आवासीय संपत्ति बंधक - ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में शामिल करने योग्य वैयक्तिक आवास ऋण अलग से दर्शाए जाएं)		
Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	5331.19	4562.44
(Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately);	3630.71	3161.08
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा वाणिज्यिक स्थावर संपदा को (कार्यालय भवन, खुदरा कारोबार का स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं विनिर्माण, आदि) बंधक रखकर दिए गए प्रतिभूत उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है।		
Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, land acquisition, development and construction, etc.).	3108.66	4522.79
Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;		
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत ऋणों में निवेश		
Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
क/अ.आवासीय / Residential,	2.52	7.93
ख/ब.वाणिज्यिक स्थावर संपदा / Commercial Real Estate.	0.00	0.00
ख/ब) अप्रत्यक्ष ऋण/Indirect Exposure	1257.80	2019.38
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण		
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).		
स्थावर-संपदा क्षेत्र को कुल ऋण (क+ख)/Total Exposure to Real Estate Sector (a+b)	9700.17	11112.54

7.2 पूंजी बाजार को एक्सपोजर/Exposure to Capital Market

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

	विवरण/Particulars	2012-13	2011-12
(i)	ऐसे इक्विटी शेयरों परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि का पूर्णतः निवेश कार्पोरेट ऋण में न किया गया हो; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	529.05	525.13
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम; advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.01	0.02
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है; advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.00	0.00
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हो; advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0.00	0.00
(v)	शेयर दलालों को दिए जाने वाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी; secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	38.20	113.20
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण; loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण; bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
(viii)	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम की बावत बैंकों द्वारा की गई हमीदारी प्रतिबद्धता; underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण/financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
(x)	वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) सभी ऋण all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	194.50	194.50
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर /Total exposure to Capital Market	761.76	832.85

7.3 जोखिम श्रेणीवार केंद्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31 st March 2013	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31 st March 2013	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31 st March 2012	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31 st March 2012
नगण्य/Insignificant	3168.72	--	3354.98	--
कम/Low	1848.67	--	1558.25	--
सामान्य/Moderate	72.83	--	85.19	--
अधिक/High	0.00	--	0.93	--
अत्यधिक/Very High	0.00	--	0.00	--
सीमित/Restricted	0.00	--	0.00	--
ऋणोत्तर/Off-credit	0.00	--	0.00	--
कुलTotal	5090.22	--	4999.35	--

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल आस्तियों के आधार पर केंद्री एक्सपोजर के मद में प्रावधान शून्य है। बैंक ने 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार अपने देश से भिन्न देशों में दिए गए ऋणों की जांच की है। प्रत्येक देश में बैंक का निवल निधिक एक्सपोजर उसकी आस्तियों के 1% से कम है।

Based on the total assets of the Bank as on 31.03.2013, the provision requirement on account of Country Exposure is ₹ Nil. The Bank has taken a stock of its exposure in countries other than the home country as on 31st March, 2013. The Bank's net funded exposure in each country is below 1% of its assets.

7.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋण सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता ऋण सीमा (जीबीएल) के ब्योरे

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

(अ) बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋण सीमा

A. Single Borrower Limit exceeded by the Bank:

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

क्रमांक Sl. No	उधारकर्ता का नाम Name of the Borrower	एक्सपोजर की उच्चतम सीमा Exposure Ceiling	संस्वीकृत ऋण सीमा Limit sanctioned	अवधि, जिसके दौरान ऋण सीमा का अतिक्रमण हुआ Period during which limit exceeded	कॉलम 5 में उल्लिखित अवधि के दौरान जितनी राशि का अतिक्रमण हुआ Amount exceeded during the period in col.5	बोर्ड की संस्वीकृति का ब्योरा Board sanction details	31.03.13 के अनुसार स्थिति Position as on 31.03. 13
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

(आ) बैंक द्वारा अतिक्रमित समूह उधारकर्ता सीमा - शून्य

B.Group Borrower Limit exceeded by the Bank - NIL

7.5 अप्रतिभूत अग्रिम/Unsecured Advances

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार/As at 31st March 2013
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances of the Bank	13557.11
क) जिनमें से अमूर्त प्रतिभूतियों यथा राइट्स, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर भार के प्रति बकाया अग्रिम की राशि a) Of which amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licences, authority etc	शून्य/NIL
ख) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का आनुमानिक मूल्य b) The estimated value of such intangible securities	लागू नहीं/Not Applicable

8. विविध

8.1 आयकर के लिए किए गए प्रावधान की राशि

विवरण/Particulars	31.03.2013	31.03.2012
आयकर के लिए प्रावधान/Provision for Income Tax		
भारत में/In India	371.79	316.08
भारत के बाहर/Outside India	7.43	17.77

8.2 भा. रि. बैंक द्वारा अधिरोपित शास्तियों का प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के अधीन बैंक पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की है।

9.0 लेखा मानक के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

9.1 लाभ-हानि लेखे में कोई 'अवधि पूर्व मद' शामिल नहीं की गई है, जिसे भा. रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित है।

9.2 राजस्व को मान्यता

जारी किए गए साख-पत्र, जारी गारंटियों और मीयादी बिलों पर अर्जित कमीशन बैंक की लेखा नीति के अनुसार वसूली आधार पर दर्ज किया जाता है, जो एएस-9 के अनुसार नहीं है।

9.3 एएस - 15 - कर्मचारी हितलाभ

कर्मचारी हितलाभ यानी पेंशन, उपदान, छुट्टी का नकदीकरण, बीमारी छुट्टी, एलएफसी/एलटीसी, सेवानिवृत्त एवं सेवारत निदेशकों आदि तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा, आदि हेतु संशोधित लेखा मानक (एएस-15) के अनुसार प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प फिर से शुरू किया है, जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना के लिए विकल्प नहीं दिया था। इसके कारण बैंक को ₹ 507.84 करोड़ की अतिरिक्त देयता का वहन करना पड़ा है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी कर्मचारियों को दिए जाने वाले उपदान की सीमा को उपदान अधिनियम, 1972 में संशोधन के अनुसार संशोधित किया गया था। इसके कारण भी बैंक की देयता में ₹292.51 करोड़ की वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80.21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के निदेशों के अनुसार, बैंक ने ₹800.35 करोड़ की इस पूरी राशि को वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ करके पांच वर्षों में परिशोधित करने का निर्णय किया। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त परिपत्र की अपेक्षाओं के अनुसार ₹160.07 करोड़ (₹160.07 करोड़) की राशि से लाभ-हानि खाते को घटाया गया है। शेष ₹320.14 करोड़ (₹480.21 करोड़) की राशि को अग्रसारित किया गया है।

₹160.07 करोड़ (₹160.07 करोड़) के अतिरिक्त ₹734.64 करोड़ (₹584.17 करोड़) की राशि चालू वर्ष की देयताओं के रूप में लाभ-हानि खाते से घटाई गई है, जिसमें कर्मचारी हितलाभ से संबंधित देयताएं शामिल हैं।

8. Miscellaneous

8.1 Amount of Provision made for Income Tax

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

8.2. Disclosure of penalties imposed by RBI.

Reserve Bank of India has not imposed any penalty on the Bank u/s 46(4) of the Banking Regulation Act, 1949

9.0. Disclosures Requirement as per Accounting Standards:

9.1 There is no material "prior period item" included in Profit & Loss account required to be disclosed as per AS - 5 issued by ICAI read with RBI guidelines.

9.2 Revenue Recognition

Commission earned on Letter of Credit, Guarantees issued and interest on usance Bill are recognised on realization basis as per Bank's accounting policy which is not in accordance with AS-9.

9.3 AS-15 – Employee Benefits

Provision for Employee Benefits viz. Pension, Gratuity, Leave Encashment, Sick Leave, LFC/LTC, medical benefits to retired and in service Directors and their family members etc. has been made as per Accounting Standard (AS) -15 (Revised) .

During the financial year 2010-11, the Bank reopened the Pension option for such of its employees who had not opted for Pension scheme earlier. The Bank in result incurred an additional liability of ₹ 507.84 Crore due to the same. In the same financial year too, the limit of Gratuity payable to the employees was enhanced in pursuance to the amendment of Gratuity Act, 1972. As a result the liability of Bank was also increased by ₹ 292.51 Crore. As per RBI guidelines as enumerated in circular no. DBOD.BP.BC.80.21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011, the Bank decided to amortise the entire expenditure of ₹ 800.35 Crore in five years beginning from financial year 2010-11. Accordingly a sum of ₹160.07 Crore (160.07 Crore) is charged to Profit and Loss A/C in terms of the requirements of the above RBI Circular. The balance amount of ₹ 320.14 Crore (480.21Crore) is carried forward.

In addition to ₹160.07 Crore (160.07 Crore), an amount of ₹ 734.64. Crore (₹ 584.17 Crore) which includes liability for the employees benefits, has been charged to Profit and Loss Account towards current year's liabilities.

प्रारंभिक एवं अंतिम दायित्व-शेष का मिलान : / Reconciliation of opening and closing balances of obligations:

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

	निधिक/FUNDED		अनिधिक/UNFUNDED			
	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Med. Benefits to Directors
प्रारंभिक दायित्व Opening Obligation	3250.65	820.07	281.10	25.29	8.18	0.29
चालू सेवा लागत Current Service Cost	192.80	37.79	47.96	0.00	2.35	0.00
ब्याज लागत Interest Cost	260.05	60.88	22.49	2.02	0.65	0.02
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	(320.80)	(118.23)	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक हानि/ (लाभ) Actuarial Loss/(Gain)	480.92	78.09	(34.77)	(0.22)	(1.77)	0.07
अंतिम दायित्व Closing Obligation	3863.62	878.60	316.78	27.09	9.41	0.38

प्रारंभिक एवं अंतिम योजना आस्ति शेष का मिलान / Reconciliation of opening and closing balances of plan assets:

(राशि करोड़ ₹ में) / (₹ in Crore)

	पेंशन/Pension	उपदान/Gratuity
योजना आस्तियों का प्रारंभिक मूल्य Opening Value of Plan Assets	2955.25	818.23
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected Return on Plan Assets	271.59	78.54
अंशदान Contributions	691.51	95.13
प्रदत्त हितलाभ Benefits Paid	(320.80)	(118.23)
बीमांकिक लाभ/ (हानि) Actuarial Gain/(Loss)	66.84	(2.27)
योजना आस्तियों का अंतिम मूल्य Closing Value of Plan Assets	3664.39	871.40

समाधानकृत बीमांकिक लाभ/हानि/Actuarial Gain/Loss Reconciled

(राशि करोड़ ₹ में)/(₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
वर्ष में बीमांकिक हानि/ (लाभ) - दायित्व Actuarial Loss/(Gain) for the Year - Obligation	480.92	78.09	(34.77)	(0.22)	(1.77)	0.07
वर्ष में बीमांकिक लाभ/ (हानि) - योजना आस्ति Actuarial Gain/(Loss) for the Year - Plan Asset	66.84	(2.27)	NIL	NIL	NIL	NIL
वर्ष में कुल हानि/ (लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	414.08	80.36	(34.77)	(0.22)	(1.77)	0.07
बीमांकिक हानि/ (लाभ) वर्ष में मान्यता प्राप्त Actuarial Loss/(Gain) Recognised in the Year	414.08	80.36	(34.77)	(0.22)	(1.77)	0.07

लाभ - हानि लेखा विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/Expenses Recognized in Statement of Profit & Loss Account

(राशि करोड़ ₹ में)/(₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
चालू सेवा लागत Current Service Cost	192.80	37.79	47.96	0.00	2.35	0.00
ब्याज लागत Interest Cost	260.05	60.88	22.49	2.02	0.65	0.02
पूर्व सेवाओं की लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected Return on Plan Asset	271.59	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि/ (लाभ) Net Actuarial Loss/ (Gain) Recognized in the Year	414.08	80.36	(34.77)	(0.22)	(1.77)	0.07
लाभ/हानि लेखा में मान्यता प्राप्त व्यय Expenses Recognized in Profit/Loss Account	595.34	100.49	35.68	1.81	1.23	0.09
पेंशन के लिए द्वितीय विकल्प हेतु देयता में वृद्धि और सेवारत कर्मचारियों की बावत उपदान सीमा में वृद्धि की 1/5 भाग परिशोधित राशि Amortised amount being 1/5th of increase in liabilities for second option for pension and enhancement of gratuity limit in respect of employees in service	101.57	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00

31.03.2011 को सेवारत कर्मचारियों को पेंशन के लिए द्वितीय विकल्प देने तथा उपदान सीमा को ₹3.5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने हेतु देयता में वृद्धि और (वर्ष 2010-11 से प्रारंभ कर 5 वर्षों में परिशोधित किए जाने हेतु)

Increase in liabilities for second option for Pension and enhancement of gratuity limit from ₹3.5 lacs to ₹10 lacs in respect of employees in service as on 31.03.2011 (To be amortized in 5 years commencing from the year 2010-11)

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity
परिशोधन के अधधीन देयता Liability subjected to amortization	507.84	292.51

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि/Amounts Recognized in the Balance Sheet

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
31.03.2013 की स्थिति के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligations as at 31.03.2013	3863.62	878.60	316.78	27.09	9.41	0.38
31.03.2013 की स्थिति के अनुसार योजना आस्तियों का उचित मूल्य/प्रावधान की राशि Fair Value of Plan Assets/Amount of Provision held as at 31.03.2013	3664.39	871.40	281.10	25.29	8.18	0.29
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता/ (आस्ति) Net Liability/(Asset) recognized in the Balance Sheet	199.23	7.20	35.68	1.81	1.23	0.09

निवेश के ब्योरे

Investment Details:

(क) उपदान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश - 100%
(ख) पेंशन निधि की बावत उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना
आस्तियों की प्रमुख श्रेणियां

a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund - 100%
b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value
in respect of Pension Fund

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियां Central Government & State Government Securities	34.34
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बांड / वार्षिक संविदा आदि PSU Bonds / annuity contract etc	65.66
विशेष जमा Special Deposit	0.00
अन्य यदि कोई हो Other if any	0.00
कुल/Total	100.00

मूल बीमांकिक अनुमान/Principal Actuarial Assumptions :

मृत्यु दर तालिका/Mortality Rate Table	जीवन बीमा निगम/LICI (1994-96)
अधिवर्षिता आयु/Superannuation Age	60 वर्ष/60 Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता/Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रति हजार / 10 Per Thousand Per Annum 45 वर्ष की आयु से अधिक के 6/6 Above age 45 29 एवं 45 वर्ष के बीच के 3/3 between 29 and 45 29 वर्ष से कम आयु के 1/1 below age 29
रियायती दर/Discount Rate	8.00 %
मुद्रास्फीति दर/Inflation Rate	5.50 %
योजना आस्ति पर प्रतिफल/Return on Plan Asset	9.19% (पेंशन हेतु/For Pension) 9.60% (उपदान हेतु/For Gratuity)
शेष सक्रिय जीवन/Remaining Working Life	8 वर्ष पेंशन में / 10 वर्ष उपदान में 8 Years in Pension / 10 Years in Gratuity
प्रयुक्त सूत्र/Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति/Projected Unit Credit Method

9.4 सेगमेंट रिपोर्टिंग/Segment Reporting

भाग-अ कारोबार सेगमेंट/Part A: Business Segment

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

कारोबार Business Segment	ट्रेजरी Treasury		कारपोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		योग Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
परिणाम Result	382.32	367.61	58.14	489.09	165.87	240.44	40.45	53.12	646.78	1150.26
अनाबंटित व्यय Unallocated Expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating Profit									3357.09	2811.42
आयकर Income Tax									28.58	41.59
असामान्य लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ Net Profit									618.20	1108.67
अन्य सूचना Other Information										
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	66529.20	61288.83	92430.75	92303.48	39691.45	26906.09	0.00	0.00	198651.40	180498.40
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									0.00	0.00
कुल आस्तियां Total Assets									198651.40	180498.40
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	56402.25	50799.85	99515.41	100425.06	42733.74	29273.49	0.00	0.00	198651.40	180498.40
अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities									0.00	0.00
कुल देयताएं Total Liabilities									198651.40	180498.40

भाग - आ : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic segment

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	देशी/Domestic		अंतरराष्ट्रीय/International		योग/Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
राजस्व/Revenue	17296.94	15294.66	406.94	303.26	17703.88	15597.92
आस्तियां/Assets	181516.62	167351.10	17134.78	13147.30	198651.40	180498.40

9.5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण:

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अरुण कौल (दि. 01.09.2010 से)

ii) कार्यपालक निदेशकगण

श्री एन. आर. बद्रिनारायणन (दि. 01.09.2010 से)

श्री एस. चन्द्रशेखरन् (दि. 01.10.2011 से)

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेन-देन

9.5 Related Party Disclosures:

a) Key Management Personnel

i) Chairman and Managing Director
Shri Arun Kaul (From 01.09.2010)

ii) Executive Directors

Shri N.R. Badrinarayanan (From 01.09.2010)

Shri S. Chandrasekharan (From 01.10.2011)

b) Transactions with Key Management Personnel

(राशि लाख ₹ में) / (Amount in ₹ lakh)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	अवधि Period	मर्दे Items	राशि Amount
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri Arun Kaul CMD	01.04.2012 से 31.03.2013 01.04.2012 to 31.03.2013	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज /Interest Received उधार/Borrowings	16.40 32.38 0.00 2.78 0.00
श्री एन. आर. बद्रिनारायणन कार्यपालक निदेशक Shri N.R. Badrinarayanan ED	01.04.2012 से 31.03.2013 तक 01.04.2012 to 31.03.2013	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	14.13 12.85 0.00 0.76 0.00
श्री एस. चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक Shri S. Chandrasekharan ED	01.04.2012 से 31.03.2013 तक 01.04.2012 to 31.03.2013	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits	13.72 43.31

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	अवधि Period	मदें Items	राशि Amount
		यूको बैंक के शेयर में निवेश Investments in UCO Shares	0.00
		प्राप्त ब्याज/Interest Received	2.04
		उधार/Borrowings	0.00

प्रबंधन द्वारा यथा संकलित एवं प्रमाणित
As compiled and certified by the management

ग) सहयोगी

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्नानुसार हैं :

- बिहार ग्रामीण बैंक
 - पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक
- घ) सहयोगियों के साथ लेन-देन का प्रकटन एएस-18, 'संबंधित पार्टी प्रकटन' के पैरा-9 के मद्देनजर नहीं किया गया है क्योंकि उसमें राज्य नियंत्रित उद्यमों को ऐसी अन्य संबंधित पार्टियों के साथ, जो स्वयं राज्य नियंत्रित उद्यम हैं, किए जानेवाले लेन-देन संबंधी प्रकटन करने से छूट दी गई है।

9.6. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस):

असाधारण मद के बाद मूल एवं डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन: प्रति शेयर ₹ 6.28

प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन / Calculation of EPS

	31.3.2013	31.3.2012
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ ₹ में) Net profit (₹ in crore) after tax available for equity shareholders	421.04	942.73
ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	75,26,28,583	66,47,12,240
जोखिमधारित ईक्विटी शेयरों की संख्या Weighted Number of equity shares	67,04,93,041	62,77,20,729
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि ₹ में) Nominal Value per Share (Amount in ₹)	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (राशि ₹ में) Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in ₹)	6.28	15.02

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

9.7 चूंकि सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों में बैंक का सहयोगी या नियंत्रक हित नहीं है, अतः आईसीएआई द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण से संबंधित एएस 21, समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश के लिए लेखा से संबंधित एएस 23 और संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित एएस 27 बैंक पर लागू नहीं हैं।

9.8 आय पर कर

क) वर्ष के दौरान लेखा मानक एएस-22 के अनुसार ₹6.00 करोड़ (₹78.93 करोड़) की निवल राशि की पहचान डेफरर्ड टैक्स एसेट के रूप में की गई है।

c) Associates

Regional Rural Banks sponsored by the Bank are as under:

- Bihar Gramin Bank
 - Paschim Banga Gramin Bank
- d) The transactions with Associates have not been disclosed in view of Para-9 of the AS-18, "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled Enterprises

9.6 . EARNINGS PER SHARE (EPS):

Basic & Diluted EPS after Extra-ordinary item: ₹ 6.28 per share

9.7 As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS 21 relating to Consolidated Financial Statements, AS 23 relating to Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements and AS 27 relating to Financial Reporting of Interest in Joint Ventures issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

9.8 Taxes on Income

- During the year net amount of ₹ 6.00 Crore (₹ 78.93 Crore as Deferred Tax Assets) has been recognised as Deferred Tax Liabilities as per accounting standard AS-22.

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2013	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2012
आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets		
आगे ले जाई गई हानि/Carried forward loss	0	397.26
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान/Provision for leave encashment	102.80	91.22
उचित मूल्य में ह्रास/Diminution in fair value	92.81	65.01
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान/एएस-15/Provision for wage revision/AS-15	12.82	11.65
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision for Standard Assets	216.72	154.73
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Fixed Assets	15.33	14.60
कपट/आकस्मिक देयता आदि के लिए प्रावधान/Provision for Fraud/Contingent liability etc.	35.56	28.70
योग:/TOTAL :	476.04	763.17

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2013	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2012
आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities		
एएस-15 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ का अपरिशोधित अंश Unamortized portion of employees benefit as per AS-15	103.88	155.83
बहियों एवं आय कर के बीच निवेश मूल्य में अंतर Difference in Investment valuations between books and Income Tax	184.80	413.98
योग:/TOTAL:	288.68	569.81
आस्थगित कर आस्तियां (निवल)/Deferred Tax Assets (Net)	187.36	193.36

ख) आईसीएआई द्वारा जारी "आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन न्यूनतम एकांतर कर की बाबत उपलब्ध ऋण हेतु लेखा संबंधी दिशानिर्देश नोट" के अनुसार चालू वर्ष के लिए ₹350.64 करोड़ (₹292.26 करोड़) के न्यूनतम एकांतर कर ऋण को लाभ एवं हानि लेखा में "प्रावधान एवं आकस्मिकताएं" के अधीन जमा किया गया है और उसके लिए न्यूनतम एकांतर कर ऋण हकदारी लेखा को नामे डाला गया है क्योंकि प्रबंधन की यह राय है कि आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान न्यूनतम एकांतर कर ऋण को समंजित किया जा सकता है।

b) In accordance with the "Guidance Note on Accounting for credit available in respect of MAT under the Income Tax Act, 1961" issued by the ICAI, the MAT credit for the current year amounting to Rs. 350.64 Crore (Rs. 292.26 crore) has been credited to P&L Account under "Provisions and Contingencies" by debiting MAT credit entitlement Account since the management is of the opinion that the MAT credit can be set off during the specified period as per the Provisions of the Income Tax Act, 1961.

9.9 अमूर्त आस्तियां

अचल आस्तियों में कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है जिसे आईसीएआई द्वारा जारी एएस-26 के अनुसार अमूर्त आस्तियां माना गया है। साफ्टवेयर आस्त की घट-बढ़ नीचे दी गई है:

9.9 Intangible assets

Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:

(राशि करोड़ ₹ में) /Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2013	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2012
वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक Gross Block at the beginning of the year	21.38	36.03
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	6.42	5.11
घटाएं: अमूर्त आस्तियों का पूर्णतः परिशोधित विमोचन Less: Retirement of intangibles fully amortised	9.33	19.76
योग/Total	18.47	21.38
घटाएं: अद्वयतित परिशोधन (परिशोधित आस्तियों की नेट ऑफ राशि) Less: Amortization up to date (Net of amount on assets retired)	10.03	13.70
घटाएं: अपसामान्य हानि Less: Impairment Loss	0.00	0.00
वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक Net Block at the end of the year	8.44	7.68

(राशि करोड़ ₹ में) /Amount in ₹ Crore)

परिशोधन Amortization	दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2013	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2012
प्रारंभिक शेष/Opening balance	13.70	26.58
जोड़ें: अपसामान्य हानि/Add: Impairment Loss	0.00	0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य परिशोधन/ Add: Amortization recognised during the year	5.66	6.88
घटाएं: विमोचित आस्तियों पर विनियोजन/ Less: Appropriation on assets retired	9.33	19.76
अंतिम शेष/Closing Balance	10.03	13.70

9.10 आस्तियों की अनर्जकता

लेखा मानक - 28 "आस्तियों की अनर्जकता" के खंड 5 से खंड 13 तक के अर्थान्तर्गत तात्त्विक अनर्जकता के लक्षण नहीं दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष की बाबत अचल आस्तियों की अनर्जकता अपेक्षित नहीं है।

10.0 अतिरिक्त प्रकटन:**10.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं****9.10 Impairment of Assets**

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard-28 "Impairment of Assets", no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

10.0 Additional disclosures:**10.1 Provisions & Contingencies**

(राशि करोड़ ₹ में) / Amount in ₹ Crore)

लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अधीन दर्शित 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' का विश्लेषण Break up of 'Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान/Provision for depreciation on Investment	-120.75	215.30
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान/Provision towards NPA	1779.17	759.45
एनपीआई के लिए प्रावधान/Provision towards NPI	9.78	40.59
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision towards Standard Assets	163.08	102.01
कराधान के लिए प्रावधान अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (ब्योरे सहित) Provision towards Taxation Other Provision and Contingencies (with details)	379.22	333.85
विधिक मामले / आकस्मिकताएं / कपट / Legal Cases / Contingencies/Frauds	9.28	-.29
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in Fair Value	85.48	27.02
आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	0	-78.93
न्यूनतम एकांतर कर ऋण / MAT Credit	-350.64	-292.26
बकाया वेतन पुनरीक्षण / Arrear Wage Revision	25.00	0.00
विविध प्रावधान / Miscellaneous Provision	759.27	596.02
योग / Total	2738.89	1702.76

10.2 आकस्मिक देयताएं

- क) तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) में यथाउल्लिखित देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय, माध्यस्थ पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्तें, न्यागत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती हैं तथा जहाँ बैंक के विरुद्ध दावा तर्कसंगत हो तो उस स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।
- ख) समान मुद्दों पर विभिन्न अपीली निर्णय के आधार पर/विवाद संबंधी समिति के अनुमोदन को लंबित रखते हुए अपील पर कार्रवाई करने हेतु आयकर की विवादित मांग, शास्ति, ₹ 90.91 करोड़ (₹ 90.91 करोड़) के ब्याज एवं ब्याज कर को अनुसूची 12 में आकस्मिक देयता के अधीन दर्शित किया गया है। प्रबंधन द्वारा इसका प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि ये मामले विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अपील के लिए लंबित हैं और ₹ 35.65 करोड़ (₹ 35.65 करोड़) के भुगतान/समायोजन को अनुसूची 11 में अन्य आस्तियों में शामिल किया गया है।

10.3 अस्थायी प्रावधान

शून्य

10.4 उपयोग के कारण आरक्षितियों में कमी

उपयोग के कारण आरक्षित निधि में कोई कमी नहीं हुई है।

10.2 Contingent Liabilities

- a) Such liabilities as mentioned at Serial No. (I) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgement of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.
- b) Based on various appellate decisions on identical issues / pending approval of Committee on Disputes for pursuing appeals, disputed demand of Income Tax, Penalty, Interest and Interest Tax amounting to Rs. 90.91 Crore (Rs. 90.91 Crore) has been shown in Schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the Management as the matters are pending for disposal before various competent Authorities and payments/adjustment of Rs. 35.65 Crore (Rs. 35.65 crore) has been included in Other Assets in Schedule 11.

10.3 Floating Provisions

Nil

10.4 Draw Down From Reserves

There is no draw down from Reserves.

10.5 शिकायतों का प्रकटीकरण

10.5 Disclosure of Complaints

अ) ग्राहक - शिकायतें :

A) Customer Complaints:

क	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	
A	No. of complaints pending at the beginning of the year	396
ख	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (2012-13)	
B	No. of complaints received during the year (2012-13)	4025
ग	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या (2012-13)	
C	No. of complaints redressed during the year (2012-13)	4115
घ	मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	
D	No. of complaints pending at the end of the year March, 2013	306

आ) दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों का अवधिवार वर्गीकरण

B) Age wise classification of pending complaints as on 31.03.13

30 दिन तक Upto 30 days	31 दिन से लेकर 3 माह तक 31 days to 3 months	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक > 3 months to 6 months	6 माह से अधिक तक > 6 months	योग Total
128	114	33	31	306

इ) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड:

C) Awards passed by the Banking Ombudsman:

क	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्डों की संख्या	
a	No. of unimplemented awards at the beginning of the year	2
ख	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्डों की संख्या	
b	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	33
ग	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अवार्डों की संख्या	
c	No. of Awards implemented during the year	29
घ	वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्डों की संख्या	
d	No. of unimplemented Awards at the end of the year	6

10.6 चुकौती आश्वासन पत्र का प्रकटीकरण

10.6 Disclosure of Letter of Comforts

बैंक अपने विभिन्न ग्राहकों की ओर से उनको संस्वीकृत ऋण सीमा के प्रति चुकौती आश्वासन पत्र जारी करता है। प्रबंधन की राय में बैंक द्वारा पहले एवं चालू वर्ष के दौरान जारी किए गए और फिलहाल बकाया चुकौती आश्वासन पत्र के अधीन किसी तात्त्विक वित्तीय प्रभाव तथा संचयी वित्तीय बाध्यता का अनुमान नहीं किया गया है। बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र के संक्षिप्त ब्योरे निम्नानुसार हैं:

The Bank issues Letter of Comforts on behalf of its various constituents against the credit limits sanctioned to them. In the opinion of Management, no significant financial impact and cumulative financial obligations have been assessed under LOCs issued by the Bank in the past, during the current year and still outstanding. Brief details of LOCs issued by the Bank are as follows:

(राशि करोड़ ₹ में) / Amount in ₹ Crore)

1	वर्ष 2012-13 के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts issued during the year 2012-13	9141.87
2	वर्ष 2012-13 के दौरान परिपक्व / रद्द किए गए चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts matured / cancelled during the year 2012-13	5724.92
3	दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts outstanding as on 31.03.2013	6861.47

10.7 प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार प्रावधान कवरेज 52.08% (54.39%) है।

10.7 Provisioning Coverage Ratio

The provision coverage as on 31.03.2013 works out to 52.08 % (54.39%).

10.8 बैंकाश्यूरेंस से आय

बैंक, बैंकाश्यूरेंस लाइफ कारोबार के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंकाश्यूरेंस नॉन-लाइफ के लिए रिलायंस जनरल इश्यूरेंस कंपनी लि. का कारपोरेट एजेंट है। बैंकाश्यूरेंस कारोबार से आय के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

10.8 Income from Bancassurance

Bank is a Corporate Agent of Life Insurance Corporation of India for Bancassurance Life and Reliance General Insurance Company Ltd for Bancassurance Non-Life business. Details of income from Bancassurance is given below:

(राशि करोड़ ₹ में) /Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार Type of Business	राशि Amount
लाइफ कारोबार Life Business	6.03
नॉन-लाइफ कारोबार Non Life Business	3.55

10.9 जमा, अग्रिम, ऋण का संकेंद्रण**क) जमा राशियों का संकेंद्रण****10.9 Concentration of Deposits, Advances, Exposures****a) Concentration of Deposits**

(राशि करोड़ ₹ में) /Amount in ₹ Crore)

बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां Total Deposits of twenty largest depositors	19426.58
बैंक की कुल जमा राशियों की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the bank	11.20%

ख) अग्रिमों का संकेंद्रण**b) Concentration of Advances**

(राशि करोड़ ₹ में) /Amount in ₹ Crore)

बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम Total advances to twenty largest borrowers	28939.75
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	22.00 %

ग) ऋण का संकेंद्रण**c) Concentration of Exposures**

(राशि करोड़ ₹ में) /Amount in ₹ Crore)

बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण Total exposure to twenty largest borrowers/customers	28970.59
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए ऋण का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	18.38%

10.10 अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण**10.10 Concentration of NPAs**

(राशि करोड़ ₹ में) /Amount in ₹ Crore)

व्योरे/Particulars	2012-13	2011-12
चार बड़े अनर्जक आस्ति खातों को कुल ऋण Total Exposure to top four NPA accounts	1174.12	927.64

10.11 क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

10.11 Sector wise NPAs

क्र.सं. Sl.No.	क्षेत्र Sector	उक्त क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिमों की तुलना में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that Sector
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप Agriculture & allied activities	6.93
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु) मझोले एवं बड़े Industry (Micro & small Medium and Large	6.39
3	सेवा क्षेत्र Services	6.00
4	वैयक्तिक ऋण Personal Loans	5.59

10.12 अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़

10.12 Movement of NPAs

(राशि करोड़ ₹ में) /Amount in ₹ Crore)

ब्योरे/Particulars	
दिनांक 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (प्रारंभिक शेष) Gross NPAs as on 01.04.2012 (Opening Balance)	4086.20
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां) विनिमय अंतर जोड़कर* Additions (Fresh NPAs) during the year plus Exchange Difference*	5161.59
उप योग (अ) /Sub Total (A)	9247.79
घटाएं:/Less:	
(i) ग्रेड उन्नयन/Upgradations	672.54
(ii) वसूली (ग्रेड बढ़ाए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	827.93
(iii) बड़े खाते डालना/Write-offs	617.23
उपयोग (आ)/Sub total (B)	2117.70
दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष) (अ - आ) Gross NPAs as on 31st March 2013 (Closing Balance) (A-B)	7130.09

*विनिमय अंतर ₹ 4.07 करोड़/*Exchange Difference ₹ 4.07 Crores

10.13 विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

10.13 Overseas Assets, NPA's and Revenue

(राशि करोड़ ₹ में) /Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	2012-13	2011-12
कुल आस्तियां/Total Assets	17134.78	13147.30
कुल अनर्जक आस्तियां/Total NPA's	224.97	66.49
कुल राजस्व/Total revenue	406.95	303.27

10.14 तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी

बैंक ने किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया है।

10.14 Off-balance Sheet SPVs sponsored

Bank has not sponsored any SPVs.

10.15 अपरिशोधित पेंशन और उपदान देयताएं

10.15 Unamortised Pension and Gratuity Liabilities.

(राशि करोड़ ₹ में) / Amount in ₹ Crore)

	पेंशन/Pension	उपदान/Gratuity	योग/Total
31.03.2013 की स्थिति के अनुसार अपरिशोधित पेंशन Unamortised Portion as on 31.03.2013	203.13	117.01	320.14

10.16 मिलान

केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के कार्यान्वयन से अधिकांश अंतर शाखा लेनदेन का समाधान अपने आप हो जाता है। अंतर शाखा लेखे एवं अंतर-बैंक शाखा लेखे में बहुत कम बैंक प्रविष्टियों के ही समाधान की आवश्यकता होती है जिसे एतद आधार पर किया जाता है।

दिनांक 31.03.2013 तक अंतर-शाखा लेखों और अंतर-बैंक लेखों के मामले में बकाया प्रविष्टियों का मिलान कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक नोस्ट्रो लेखों आदि सहित अंतर-बैंक लेखों और ड्राफ्ट, उचित लेखों, शाखा समायोजन, समाशोधन संबंधी लेन-देन, निधि अंतरण, तार अंतरण, आस्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रदत्त अग्रिम से संबंधित शेष, विविध लेनदार जैसे अंतर-शाखा लेखों में बकाया प्रविष्टियों के मिलान का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में राजस्व / आस्तियों / देयताओं पर उसका कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10.17 अचल संपत्तियाँ

क) बैंक ने पूर्व में कतिपय अवसरों पर अपने परिसरों का पुनर्मूल्यन स्वतंत्र अर्हताप्राप्त मूल्यांककों द्वारा कराया था और उनकी मूल लागत की तुलना में अधिक उचित बाजार मूल्य को पुनर्मूल्यन आरक्षिति में जमा किया गया था। आज की तारीख में पुनर्मूल्यन आरक्षिति की (बिक्री की गई आस्तियों से संबंधित पुनर्मूल्यन को छोड़कर) कुल राशि ₹689.12 करोड़ (₹633.21 करोड़) है और उपर्युक्त पुनर्मूल्यन आरक्षिति (बिक्री की गई आस्तियों से संबंधित पुनर्मूल्यन को छोड़कर) पर भारत पुनर्मूल्यन अंश पर मूल्यहास ₹144.41 करोड़ (₹139.09 करोड़) है।

ख) परिसरों में ₹2.32 करोड़ (₹2.44 करोड़) के मूल्यहासित मूल्य की आस्तियां शामिल हैं, जिनकी बावत प्रलेखीकरण/रजिस्ट्रीकरण का कार्य लंबित है।

ग) पूंजीगत लेखों पर जिन संविदाओं का (अग्रिम को छोड़कर) निष्पादन किया जाना शेष है, उनकी अनुमानित राशि ₹30.65 करोड़ (₹7.50 करोड़) है जिसका प्रावधान नहीं किया गया है।

10.18 अनर्जक अग्रिमों के सुविधावार, प्रतिभूतिवार एवं क्षेत्रवार प्रावधान का विश्लेषण नहीं किया जाता है। जैसा कि तुलन-पत्र की अनुसूची 9 में कहा गया है, निवल अग्रिमों से आनुमानिक आधार पर उनकी कटौती की जाती है।

10.19 कोष्ठकों में पिछले वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं। जहां भी जरूरी समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/विन्यस्त/निर्धारित किया गया है।

10.20 संशोधित तुलनपत्र पर टिप्पणी

वित्तीय विवरण निदेशक मंडल द्वारा 7 मई, 2013 को अनुमोदित किए गए थे जिनमें प्रति ईक्यूटी शेयर ₹1/- लाभांश देने का प्रस्ताव किया गया था। इसके बाद निदेशक मंडल ने प्रति ईक्यूटी शेयर ₹1.60 की दर से लाभांश देने के प्रस्ताव को मान लिया और ₹140.89 करोड़ (₹20.47 करोड़ के लाभांश कर सहित) की राशि शामिल करने हेतु 31 मार्च, 2013 की स्थिति को वित्तीय विवरण में संशोधन किया गया है जिसका विधिवत अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा नई दिल्ली में 24 मई 2013 को संपन्न बैठक में किया गया है।

10.16 Reconciliation:

Most of the inter branch transactions are reconciled automatically with implementation of Centralized Banking Solution (CBS). Very few entries under inter branch account & inter bank account require reconciliation which is done on ongoing basis.

Reconciliation of entries outstanding has been drawn upto 31.03.2013 in case of Inter-Branch Accounts and in Inter-Bank Accounts. Elimination of entries outstanding in Inter-Bank Accounts including Reserve Bank of India, State Bank of India, NOSTRO Accounts etc. and in Inter-Branch Accounts viz. drafts, suspense, branch adjustment, clearing transactions, fund transfers, telegraphic transfers, balances pertaining to advances paid for acquisition of assets, sundry creditors etc. is in progress. In the opinion of the management, consequential effect of the above on the revenue/assets/liabilities will not be material.

10.17 Fixed Assets

a) Bank had revalued on few occasions in the past, its premises by independent qualified valuers and the excess of fair market value over the original cost was credited to revaluation reserve. As on date aggregate amount of revaluation reserve (net of revaluation relating to assets disposed off) is ₹ 689.12 Crore (₹ 633.21 Crore) and depreciation on the revalued portion charged to the above revaluation reserve (net of depreciation relating to assets disposed off) is ₹ 144.41 Crore (₹ 139.09 Crore).

b) Premises include revalued Assets with written down value of ₹ 2.32 Crores (₹ 2.44 Crores) which were revalued at ₹ 23.03 Crore in respect of which documentation/ registration is pending.

c) Estimated amount of contracts (net of advance) remaining to be executed on capital account and not provided for ₹ 30.65 Crore (₹ 7.50 Crore)

10.18 Break up of provision held against non-performing advances into facility-wise, security-wise and sector-wise is not ascertained. The same is deducted on estimated basis from gross advances in the various categories to arrive at the balance of net advances as stated in Schedule 9 of the Balance Sheet.

10.19 The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/re-casted wherever considered necessary.

10.20 Notes on revised Balance Sheet.

The financial Statements were approved by the Board of Directors on 7th May 2013 proposing a dividend at the rate of ₹ 1/- per equity share. Subsequently, the Board considered the proposal to pay dividend at the rate of ₹1.60 per equity share and the financial statements as on 31st March 2013 have been revised to include an amount of ₹ 140.89 Crore (inclusive of Dividend Tax of ₹ 20.47 Crore) which have been duly approved by the Board of Directors in its meeting held on 24th May 2013 at New Delhi.

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

AUDITORS' REPORT

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

To

The President of India

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

Report On The Financial Statements

हमने 7 मई, 2013 को यूको बैंक के वित्तीय विवरणों यथा 31 मार्च, 2013 के तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण पर अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है। सदस्यों को परिचालित करने के पूर्व निदेशक मंडल द्वारा 24 मई, 2013 को इन वित्तीय विवरणों में संशोधन किया गया है। हम आपका ध्यान वित्तीय विवरणों के पैरा सं. 10.20 की ओर आकर्षित करते हैं जिसमें लाभांश कर सहित प्रस्तावित लाभांश को ₹283.34 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 338.05 करोड़ करने के फलस्वरूप वित्तीय विवरण में संशोधन किए गए हैं। हमारी लेखा परीक्षा पद्धति पूर्णतः तदनुसूची वित्तीय विवरण के नोट सं. 10.20 में यथा संदर्भित वित्तीय विवरण में किए गए संशोधन के अनुसार की गई है। संशोधित वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है :

We issued our audit report dated 7th May 2013 on the Financial Statements, i.e. Balance Sheet as at 31st March 2013, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year ended on that date of UCO Bank. These financial statements were revised by the Board of Directors on 24th May 2013 before circulation to members. We draw attention to note no. 10.20 to the financial statements which results in amendment of financial statements due to enhancement of proposed dividend from ₹283.34 crores to ₹338.05 crores inclusive of dividend distribution tax thereon. Our audit procedure on subsequent events are restricted solely to the amendment of the financial statements as referred in note no.10.20 to the financial statements. We report on revised Financial Statement of Accounts as under :

1. हमने यूको बैंक की 31 मार्च, 2013 की संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31, मार्च, 2013 के तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि लेखे तथा तत्संबंधी समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार तथा अन्य विवेचनात्मक सूचना सम्मिलित है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित एक कोष शाखा सहित 21 शाखाओं की, शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 734 शाखाओं की (सेवा शाखाओं सहित) तथा स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 4 विदेशी शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का बैंक द्वारा चयन लेखापरीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है। तुलन-पत्र में तथा लाभ और हानि लेखे में 1849 शाखाओं की विवरणियां भी सम्मिलित हैं जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है। इन गैर-लेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 10.56 प्रतिशत, जमा राशियों में 34.42 प्रतिशत, ब्याज आय में 5.41 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय में 18.40 प्रतिशत अंश है।

We have audited the accompanying financial statements of UCO BANK as at 31st March, 2013, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2013, and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 21 branches inclusive of one treasury branch audited by us and 734 branches (including Service branches) audited by branch auditors and 4 foreign branches audited by overseas local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 1849 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 10.56 per cent of advances, 34.42 per cent of deposits, 5.41 per cent of interest income and 18.40 per cent of interest expenses.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः फार्म "ए" और "बी" के अनुसार तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा तैयार करने का दायित्व प्रबंधन का है। इस दायित्व में वित्तीय विवरण, जो महत्वपूर्ण गलत व्याख्या, चाहे कपट या चूक के कारण हो, से मुक्त हों, के तैयार करने की संगत आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था, रूपरेखा और उसे लागू करना शामिल है।

Management is responsible for the preparation of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account as per Forms 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

लेखापरीक्षकों का दायित्व / Auditor's Responsibility

3. हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करने तक है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखापरीक्षा पर जारी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की आयोजना तथा उसका निष्पादन इस प्रकार करें कि वित्तीय विवरणों के संबंध में यह समुचित आश्वासन मिल जाए कि उनमें कोई महत्वपूर्ण त्रुटि नहीं है।

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. में राशियों और प्रकटीकरण के बारे में साक्ष्य प्राप्त करने की कार्यनिष्पादक पद्धतियां निहित हैं। चयनित पद्धतियां सांविधिक लेखापरीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के गलत कथन, चाहे वे कपट के कारण हों या त्रुटि के, जोखिमों का निर्धारण शामिल है। उन जोखिम निर्धारणों को बनाने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों के अनुसार लेखापरीक्षा पद्धतियों की डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों के उचित प्रस्तुतीकरण तथा बैंक की तैयारी से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा-नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा अनुमानों की तार्किकता और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

अभिमत/Opinion

6. हमारी राय में बैंक की लेखा बहियों में यथाप्रदर्शित तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :
In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- (i) दी गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र सही एवं स्पष्ट तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं और उसे समुचित रूप में इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरूप 31 मार्च, 2013 की स्थिति को बैंक के कार्यों की सही और सुस्पष्ट स्थिति दर्शाता है।
the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2013 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- (ii) लाभ और हानि खाता उसके साथ पठित नोट भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप लेखे में समाविष्ट वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है और
the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
- (iii) नकदी प्रवाह विवरण उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में नकदी प्रवाह की सही और सुस्पष्ट स्थिति दर्शाता है।
the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः फार्म "ए" और "बी" से लिए गए हैं।
The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
8. उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अध्यक्षीन तथा बैंककारी कंपनियाँ (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा यथाअपेक्षित एवं उनमें अपेक्षित प्रकटीकरणों की सीमाओं के अध्यक्षीन हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:
Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- (क) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए जो भी सूचना एवं स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे हमें प्राप्त हो गए हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
- (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
- (ख) बैंक के जो लेनदेन जो हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं।
- (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
- (ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गई हैं।
- (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
- (घ) हम अंतर-बैंक लेनदेन संबंधी बकाया प्रविष्टियों के समाधान तथा उनके समायोजन के कारण लेखों पर पड़नेवाले प्रभाव के संबंध में अपनी राय देने में असमर्थ हैं। (अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 10.16 देखें)
- (d) We are unable to express an opinion on the effect on the accounts if any due to non reconciliation and adjustment of outstanding entries in inter-branch transactions (refer to Note No. 10.16 of Schedule 18)
- (ङ) साख पत्र पर जारी गारंटियों अर्जित कमीशन और मुदती बिलों पर ब्याज का नकदी आधार पर लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'राजस्व की पहचान से संबंधित लेखा मानक -9 के अनुसार नहीं किया गया है। ऐसी आय की प्रमात्रा निश्चित नहीं की जा सकी है। (अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 9.2 देखें)
- (e) Accounting of commission earned on letter of credit and guarantee issued is on cash basis which is not in accordance with

Accounting Standard -9 on 'Revenue Recognition' issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The quantum of such income has not been ascertained. (Refer Note No. 9.2 of Schedule 18)

(च) अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 1.1 में यथाउल्लिखित पूंजी पर्याप्तता एवं अन्य अनुपात उपर्युक्त पैरा (घ) एवं (ङ) में की गई टिप्पणी के अध्यक्षीन हैं।

(f) Capital Adequacy and other Ratios disclosed in Note No. 1.1 of Schedule 18 are subject to the effects of the observations in para (d) and (e) above.

9. हमारी राय में, उपर्युक्त पैरा 8 (घ) से (च) तक एवं मुख्य लेखा नितियों के साथ पठित तथा उपर्युक्त पैरा 9 (ङ) में यथा वर्णित को छोड़ कर हमारे अवलोकन के अध्यक्षीन क्रमशः अनुसूची 17 एवं 18 के अनुसार लेखों पर टिप्पणियाँ, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण (कैश फ्लो) उपर्युक्त पैरा 8 (ङ) में वर्णित सीमा के अतिरिक्त, लागू मानक लेखनीतियों के अनुसार है।

In our opinion, subject to our observations in Para 8 (d) to (f) above read with Principal Accounting Policies and Notes on Accounts as per Schedule 17 and 18 respectively, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards except to the extent stated in Para 8(e) above.

कृते बावेजा एंड कौल
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 005834एन
For BAWEJA & KAUL
Chartered Accountants
Registration No. 005834N
(सीए साक्षी कौल घर)
भागीदार
सदस्यता सं. 514325
(CA SAKSHI KAUL DHAR)
Partner
Membership No. 514325

कृते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 308136ई
For SBA ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 308136E
(सीए नीलांजना सेन)
भागीदार
सदस्यता सं. 061768
(CA NILANJANA SEN)
Partner
Membership No. 061768

कृते वेद एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 012019एन
For VED AND COMPANY
Chartered Accountants
Registration No. 012019N
(सीए पूजा गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 098551
(CA POOJA GUPTA)
Partner
Membership No. 098551

कृते दासगुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 000112एन
For DASS GUPTA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 000112N
(सीए पंकज मंगल)
भागीदार
सदस्यता सं. 097890
(CA PANKAJ MANGAL)
Partner
Membership No. 097890

कृते गुप्ता शर्मा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 001466एन
For GUPTA SHARMA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 001466N
(सीए अशोक गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 017244
(CA ASHOK GUPTA)
Partner
Membership No. 017244

कृते ए. कैस एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 311149ई
For A.KAYES & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 311149E
(सीए अमरुल कैस)
भागीदार
सदस्यता सं. 050363
(CA AMRUL KAYES)
Partner
Membership No. 050363

स्थान/Place: नई दिल्ली/New Delhi,

तारीख/Dated : 24th मई/May, 2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR
ENDED 31ST MARCH, 2013.

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2013		31.3.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2012	
	₹	₹	₹	₹
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:				
A. Cash flow from operating activities :				
कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes		6467758		11502638
समायोजन / Adjustments for :				
अचल आस्तियों पर अवक्षयण हेतु / Depreciation on fixed assets		871467		781228
निवेश पर अवक्षयण हेतु /Depreciation on investments		(1490500)		2558900
अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने/ अनर्जक आस्तियों की बाबत प्रावधान हेतु Bad debts written off / Provision in respect of non-performing assets		17791800		7563200
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान हेतु/ Provision for Standard Assets		1630800		1020100
अन्य मदों के लिए प्रावधान हेतु/ Provision for other items		9171042		5469500
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि हेतु /(Profit)/Loss on sale of fixed assets		(5371)		(9109)
गौण ऋण पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान हेतु (इसे अलग रखा गया) Payment/provision for interest on subordinated debt (treated separately)		2206397		1979851
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश हेतु (इसे अलग रखा गया) Dividend received from subsidiaries/others (treated separately)		(92132)		(88922)
टियर-II बॉण्डों से प्राप्त ब्याज हेतु (इसे अलग रखा गया) Interest received from Tier-II Bonds (treated separately)		(78573)		(93914)
आईपीडीआई पर प्रदत्त ब्याज हेतु (इसे अलग रखा गया) Interest paid on IPDI (treated separately)		356764		358286
अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज हेतु (इसे अलग रखा गया) Interest paid on Upper Tier-2 Debt Instruments (treated separately)		1466153		1472224
उप-योग /Sub-total		38295605		32513982
घटाव : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid		(3840000)		(3680000)
		34455605		28833982
समायोजन :/Adjustments for :				
निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments		(63243516)		(31001023)
अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in advances		(145220341)		(172255166)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in other assets		(1082695)		(11006059)
उधार में वृद्धि/(कमी) हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings		(34089957)		74266482
जमा में वृद्धि/(कमी) हेतु /Increase/(Decrease) in deposits		194275559		87258879
अन्य देनदारियों एवं प्रावधान में वृद्धि/(कमी) हेतु Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions		(5996520)		(6282812)
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अ)		(20901865)		(30185717)
Net cash flow from operating activities (A)		(20901865)		(30185717)

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR
ENDED 31ST MARCH, 2013 (Contd.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2013		31.3.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2012	
	₹	₹	₹	₹
आ. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:				
B. Cash flow from investing activities :				
अचल आस्तियों की खरीद /Purchase of fixed assets		(1140799)		(886911)
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान / Sale/disposal of fixed assets		21748		35663
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश /Dividend received from subsidiaries/others		92132		88922
टियर-II बांडों से प्राप्त ब्याज /Interest received from Tier-II Bonds		78573		93914
निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (आ)				
Net cash flow from investing activities (B)		(948346)		(668412)
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/				
C. Cash flow from financing activities :				
ईक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम/Preferential issue of Equity Shares		879164		371947
ईक्विटी शेयरों के निर्गम पर शेयर प्रीमियम /Share Premium on issue of Equity Shares		5930837		2696248
प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid		(3977035)		(3387735)
गौण ऋण (निवल) से प्राप्तियां /Proceeds from Subordinated Debts (Net)		10000000		
आईपीडीआई पर प्रदत्त ब्याज /Interest paid on IPDI		(356764)		(358286)
अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on Upper T-2 Debt Instruments		(1466153)		(1472224)
गौण ऋण पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on subordinated debts		(2206397)		(1979851)
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (इ)				
Net cash flow from financing activities (C)		8803652		(4129901)
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+ इ)				
Net increase in cash & cash equivalents (A+B+C)		(13046559)		(34984030)
विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए समायोजन/Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation		450868		1216558
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/Net increase in cash & cash equivalents (12595691)				(33767472)
क्रमशः 1 अप्रैल 2012 और 2011 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य				
Cash and cash equivalents as at April 1,2012 & 2011 respectively		136036846		169804318
क्रमशः 31 मार्च 2013 और 2012 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य				
Cash and cash equivalents as at March 31,2013 & 2012 respectively		123441155		136036846
ई. वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य				
D. Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year				
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित)				
Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)		3084047		2373493
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India		75031245		101666769
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ Balance with Banks and Money at Call and Short Notice		57921554		65764056
		136036846		169804318
उ. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य				
E. Cash and Cash Equivalents at the end of the Year				
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित)				
Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)		4365685		3084047
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India		52687922		75031245
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice		66387548		57921554
		123441155		136036846

तालिका डीएफ -2
TABLE DF-2
पूंजी संरचना
Capital Structure

गुणात्मक प्रकटीकरण
Qualitative Disclosures

(क) सभी पूंजी लिखतों की सूचना, संक्षेप में

(a) Summary information of all Capital instruments:

1. **ईक्विटी पूंजी** : प्राथमिकता से ईक्विटी के आबंटन के आधार पर वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर पूंजी की मद में बैंक को भारत सरकार से ₹ 681 करोड़ प्राप्त हुए हैं। निर्गम मूल्य ₹ 77.46 प्रति शेयर है। कुल राशि में से ₹87.92 करोड़ शेयर पूंजी और ₹ 593.08 करोड़ शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित किया गया। दोनों टियर-1 पूंजी में शामिल करने योग्य हैं।

Equity Capital:

During the year, Bank received capital infusion of ₹681 crore from Govt. of India towards equity share capital on the basis of preferential allotment of equity. The issue price is ₹77.46 per share. Of the total amount ₹87.92 crore is transferred to Share capital and ₹593.08 crore towards Share premium accounts. Both are eligible for inclusion in Tier –I capital.

2. **टियर-1 पूंजी में शामिल करने योग्य बेमियादी असंचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)**
Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) eligible for inclusion in Tier-1 Capital

बैंक के पास ₹1823 करोड़ के पीएनसीपी हैं जो 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा अभिदत्त हैं। ये पीएनसीपीएस बेमियादी प्रकृति के हैं जो वार्षिक अस्थायी कूपन बेंचमार्क से रेपो दर के रूप में परिवर्तित करते हुए 100 बीपीएस स्प्रेड सहित संबंधित तारीख को लागू रेपो दर पर वार्षिक आधार पर पुनर्निर्धारित किए जाएंगे।

The Bank is having ₹1823 crore of PNCPSs which is fully subscribed by Govt. of India as on 31.03.2013. These PNCPSs are in perpetual nature carrying an annual floating coupon benchmarked to Repo rate plus spread of 100 bps which will be reset annually based on the prevailing Repo rate on the relevant date.

3. **टियर-1 पूंजी में शामिल करने योग्य नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत**
Innovative Perpetual Debt Instruments eligible for inclusion in Tier-1 Capital

बैंक ने पूंजी पर्याप्तता को और मजबूत करने और बैंक के दीर्घावधि संसाधनों को बढ़ाने के लिए, टियर-1 पूंजी को बढ़ाने हेतु अब तक ₹380 करोड़ के प्रोनोट प्रकृति के अप्रतिभूत अपरिवर्तनीय अनुषंगी बेमियादी बांड जारी किए हैं। ये बांड अमूर्त रूप में जारी किए गए थे और दो रेटिंग एजेंसियों द्वारा इनकी रेटिंग की गई थी, जो “एए-” एवं “एए” पर स्थिर बनी हुई है। प्रति बांड अंकित मूल्य एवं निर्गम मूल्य ₹10,00,000/- था और न्यूनतम आवेदन आकार एक बांड एवं इसके बाद एक बांड के गुणज के रूप में था। कोई पुट ऑप्शन नहीं था परंतु भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से आबंटन की आनुमानिक तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति पर सममूल्य पर कॉल ऑप्शन विद्यमान है तथा आबंटन की आनुमानिक तारीख से 10 वर्षों की समाप्ति पर कॉल ऑप्शन का प्रयोग न किए जाने की दशा में 10 वर्ष के बाद स्टेपअप कूपन का ऑप्शन भी मौजूद है। भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार छमाही आधार पर ब्याज दिया जाता है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के थोक ऋण बाजार (डब्ल्यूडीएम) सेगमेंट में सूचीबद्ध हैं।

The Bank has so far raised Unsecured Non-Convertible Subordinated Perpetual Bonds in the nature of Promissory Notes to the tune of ₹380 crore for augmenting the Tier-I Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank. The Bonds were issued in Dematerialised Form and rated by two rating agencies carry ‘AA-’ and ‘AA’ stable. Face Value and Issue Price per bond is ₹10,00,000/- and minimum application size was one bond and in multiples of one bond thereafter. There was no put option, but call option is there at par at the end of 10th year from the deemed dates of allotment with the prior approval of RBI and step up coupon after ten years if call option is not exercised at the end of 10th year from the deemed date of allotment. The interest is to be paid semi-annually subject to RBI norms. These are listed on the Wholesale Debt Market (WDM) segment of the National Stock Exchange of India Limited (NSE).

4. टियर-2 पूंजी में शामिल करने योग्य अनुषंगी अपर टियर-2 ऋण लिखत

Subordinated Upper Tier-2 Debt Instruments eligible for inclusion in Tier-2 Capital

बैंक ने अपनी पूंजी पर्याप्तता को और मजबूत करने और बैंक के दीर्घावधि संसाधनों को बढ़ाने के लिए, टियर-2 पूंजी बढ़ाने हेतु अब तक ₹1620 करोड़ के प्रोनोट रूप में अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय अनुषंगी अपर टियर-2 बांड जारी किए हैं। बांड अमूर्त रूप में जारी किए गए थे और दो रेटिंग एजेंसियों द्वारा इनकी रेटिंग की गई थी, जो "एए" एवं "एए"। प्रति बांड अंकित मूल्य एवं निर्गम मूल्य ₹10,00,000/- और न्यूनतम आवेदन आकार एक बांड और उसके बाद एक बांड के गुणज के रूप में तय किया गया था। कोई पुट ऑप्शन नहीं था परंतु आबंटन की अनुमानिक तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति पर सममूल्य पर कॉल ऑप्शन विद्यमान है। भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार छमाही आधार पर ब्याज दिया जाता है। परिपक्वता के समीप पहुँचने पर अपर टियर-2 लिखतों पर पूंजी पर्याप्तता हेतु परिवर्धित छूट प्राप्त होती है, जैसा कि दीर्घावधि अनुषंगी ऋण की पूर्ण अवधि के अंतिम पाँच वर्ष में होता है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के थोक ऋण बाजार सेगमेंट में सूचीबद्ध हैं।

The Bank has so far raised Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes to the tune of ₹1620 crore for augmenting the Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank. The Bonds were issued in Dematerialized Form and the ratings of two rating agencies carry 'AA-' and 'AA' Stable'. Face Value and Issue Price per bond is ₹10,00,000/- and minimum application size was one bond and in multiples of one bond thereafter. There was no put option, but call option is there at par at the end of 10th year from deemed date of allotment. The interest is to be paid semi-annually subject to RBI norms. The Upper Tier-II instruments are subjected to progressive discount for capital adequacy purposes as they approach maturity as in the case of long term subordinated debt over the last five years of their tenor. These are listed on the Wholesale Debt Market segment of the National Stock Exchange of India Limited.

5. टियर-2 पूंजी में शामिल करने योग्य अनुषंगी (लोअर टियर-2) ऋण लिखत

Subordinated (Lower Tier-2) Debt Instruments eligible for inclusion in Tier-2 Capital

इस वित्तीय वर्ष के दौरान हमारे बैंक ने ₹1000.00 करोड़ के अप्रतिभूत अपरिवर्तनीय गौण टियर-II बांड जारी किए हैं।

Our Bank has raised Unsecured Non-convertible Subordinated Tier-II Bond amounting to ₹1000.00 crore during this financial year.

बैंक ने अपनी पूंजी पर्याप्तता को और मजबूत करने और बैंक के दीर्घावधि संसाधनों को बढ़ाने के लिए, टियर-II पूंजी बढ़ाने हेतु अब तक ₹3825.15 करोड़ के प्रोनोट रूप में अप्रतिभूत अपरिवर्तनीय गौण टियर-II बांड जारी किए हैं। इनमें से 450.15 करोड़ मोचित किए जा चुके हैं। शेष बांड अमूर्त रूप में ही हैं और इनकी रेटिंग दो रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई थी, जो "एए स्थिर" है। कोई पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन नहीं है। वार्षिक तथा छमाही आधार पर ब्याज दिया जाता है। इन लिखतों की परिपक्वता स्थिर है और परिपक्वता के समीप पहुँचने पर इन पर परिवर्धित छूट प्राप्त होती है। जिन लिखतों की प्रारंभिक परिपक्वता अवधि पाँच वर्ष से कम है, या जिनके परिपक्व होने में एक वर्ष शेष है, उन्हें टियर-II पूंजी के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। इन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के थोक ऋण बाजार सेगमेंट में सूचीबद्ध किया गया है।

The Bank has so far raised Unsecured Non Convertible subordinated Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes to the tune of ₹ 3825.15 crore for augmenting the Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank. Out of which ₹ 450.15 crore has already been redeemed. The outstanding bonds are in Dematerialised Form and the rating by two rating agencies carry 'AA+' stable. There is no put option and no call option. The interest payments are made annually or semi annually. These instruments carry fixed maturity and as they approach maturity they are subjected to progressive discount. Instruments with an initial maturity of less than five years or with a remaining maturity of one year are not to be included as part of Tier-II Capital. These are listed on the wholesale Debt Market segment of the National Stock Exchange of India Limited.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण / Quantitative Disclosures

(करोड़ ₹ में/₹ In Crore)

(ख/b) टियर I पूंजी / Tier-1 Capital		9157.13
उनमें से / Of which -		
प्रदत्त पूंजी / Paid-up Capital	752.63	
आरक्षित निधि / Reserves :		
शेयर प्रीमियम / Share Premium	1764.55	
पूंजी आरक्षित निधि / Capital Reserve	320.16	
सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserve	1602.48	
सामान्य आरक्षित निधि / General Reserve	399.73	
प्रतिधारित अधिशेष / Surplus Retained	2114.58	
नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत / Innovative Perpetual Debt Instruments	380.00	
बेमीयादी अंसचयी अधिमानी शेयर / Perpetual Non-Cumulative Preference Shares	1823.00	
टियर-I पूंजी से कटौती की गई राशि, जिसमें साख एवं निवेश शामिल है		
Amounts deducted from Tier-I Capital including Goodwill & Investment		
(ग/c) टियर-2 पूंजी की कुल राशि (टियर-2 पूंजी से कटौती किए जाने के बाद बची राशि)		
The total amount of Tier-2 Capital (Net of deductions from Tier-2 Capital)		5140.94
(घ/d) ऋण पूंजीगत लिखत जो अपर टियर-2 पूंजी में शामिल करने योग्य हैं		
Debt Capital Instruments eligible for inclusion in Upper Tier-2 Capital :		
कुल बकाया राशि / Total amount outstanding	1620.00	
जिनमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि		
Of which amount raised during the current year	0.00	
पूंजीगत निधि के रूप में माने जाने योग्य राशि		
Amount eligible to be reckoned as Capital Funds	1620.00	
(ङ/e) गौण ऋण जो लोअर टियर-2 पूंजी में शामिल किए जाने योग्य हैं		
Subordinated Debt eligible for inclusion in Lower Tier-2 Capital :		
कुल बकाया राशि/Total amount outstanding	3375.00	
जिनमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि		
Of which amount raised during the current year	1000.00	
वर्ष के दौरान मोचित राशि/Redeemed during the year	0.00	
पूंजीगत निधि के रूप में माने जाने योग्य राशि		
Amount eligible to be reckoned as Capital Funds	2535.00	
(च/f) पूंजी से अन्य कटौतियां, यदि कोई हों / Other deductions from Capital, if any	शून्य/Nil	
(छ/g) कुल योग्य पूंजी/Total eligible Capital		14298.07

तालिका डी एफ -3
TABLE DF-3
पूंजी पर्याप्तता
Capital Adequacy

गुणात्मक प्रकटीकरण / Qualitative Disclosures

- (क) विद्यमान क्रियाकलापों एवं भावी क्रियाकलापों को समर्थन करने हेतु अपेक्षित विभिन्न पूंजीगत लिखतों को जारी करने के लिए बैंक की योजना से निदेशक मंडल को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा इसकी आवधिक समीक्षा भी की जाती है।
- (a) Board is apprised periodically of Bank's plan for raising different Capital instruments needed for supporting current activities and future activities. This is also reviewed periodically by the Board.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण / Quantitative Disclosures

(करोड़ ₹ में / ₹ in crore)

(ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता: मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन पोर्टफोलियो	
(b) Capital requirements for Credit Risk : Portfolio subject to Standardized Approach प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	7867.50
Securitisation Exposures	शून्य/Nil
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता: मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण ब्याज दर जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) ईक्विटी जोखिम	
(c) Capital requirements for Market Risk : Standardized Duration Approach	584.47
Interest Rate Risk	481.21
Foreign Exchange Risk (including Gold)	2.25
Equity Risk	101.01
(घ) परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता: बुनियादी सूचक दृष्टिकोण	
(d) Capital requirements for Operational Risk : Basic Indicator Approach	642.07
(ङ) योग तथा टियर -1 पूंजी अनुपात	
(e) Total and Tier-1 Capital Ratio	14.15% 9.06%
सर्वोच्च समेकित समूह के लिए / For the top consolidated group	लागू नहीं /Not Applicable
उल्लेखनीय बैंक सहायक कंपनियों के लिए (दांचा जिस प्रकार लागू होता है उसके आधार पर अपने आप में स्थित या उप-समेकित) For significant bank subsidiaries (stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)	लागू नहीं /Not Applicable

तालिका डीएफ -4

TABLE DF-4

ऋण जोखिम Credit Risk

गुणात्मक प्रकटीकरण / Qualitative Disclosure:

1) पिछला बकाया एवं अनर्जक खाते (लेखांकन प्रयोजन हेतु)

Past Due and Impaired Accounts (for accounting purpose):

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित बैंक की अनर्जक आस्ति प्रबंध नीति के अनुसार किसी आस्ति को निम्नांकित स्थिति में पिछला बकाया/ अनर्जक आस्ति माना जाता है -

In terms of Bank's NPA Management Policy duly approved by the Board of Directors, an asset is treated as Past due/impaired asset where –

- मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/या मूल धन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।
Interest and/or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण के मामले में नीचे में दिए गए पैरा के अनुसार खाता 90 दिनों से अधिक समय तक 'अनियमित' रहता है।
The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days as given in para below, in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC).
- खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है।
The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- अल्पावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसलों के मौसम तक बकाया रहता है।
The instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- दीर्घावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल के मौसम तक बकाया रहता है।
The instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

किसी खाते को अनियमित माना जाता है जब / An account is considered out of order when

- बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा-आहरण अधिकार से अधिक बना रहता है, तो खाते को अनियमित माना जाता है।
The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power; the account is treated as out of order.
- बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा-आहरण अधिकार से कम होता है किंतु लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की जाती है या जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज के लिए पूरी नहीं होती है।
The balance outstanding is less than the sanctioned limit/drawing power but there are no credits continuously for 90 days or the credits are not sufficient to cover the interest debited.

2) बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति/ Bank's Credit Risk Management Policy:

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध पद्धति निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतिगत निदेशों पर आधारित है, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

Bank's Credit Risk Management practices are based on policy directives duly approved by the Board which, inter-alia, encompasses the following:

- ऋण जोखिम अधिग्रहण - कार्यनीति एवं नीतियां/ Credit Risk acquisition – strategies & policies,
- ऋण अनुमोदन प्रक्रिया/Credit approval processes.
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रिया/Credit Risk monitoring processes.
- ऋण जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया/ Credit Risk control processes.

ऋण जोखिम के प्रबंध की सारी जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति ऋण जोखिम प्रबंध एवं रिपोर्टिंग हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है और वह नीति के अनुरूप ऋण जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, विवेकपूर्ण सीमा का निर्धारण तथा उसकी समय-समय पर समीक्षा एवं जोखिम के मापांक की सुदृढ़ता सुनिश्चित करती है। ऋण जोखिम प्रबंध समिति ऋण नीति एवं प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को निपटाने तथा पूरे बैंक के आधार पर ऋण जोखिम के विश्लेषण, निगरानी तथा नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है।

Board of Directors has over all responsibility for management of Credit risk and Risk Management Committee of the Board is responsible for setting up guidelines for Credit Risk Management and reporting, ensuring that Credit Risk Management processes conform to the policy, setting up prudential limit and its periodical review and ensuring robustness of risk modules. Credit Risk Management Committee is responsible to deal with issues relating to Credit policy and procedures and to analyze monitoring and control credit risk on bank wide basis.

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंध विभाग बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों और विवेकपूर्ण ऋण सीमा को लागू कराने और उसके अनुपालन की निगरानी करता है। यह विभाग जोखिम मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण तथा ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं की पहचान तथा त्रुटियों का सुधार और संविभाग मूल्यांकन सहित इस प्रयोजन हेतु एमआईएस का विकास भी करता है। ऋण जोखिम प्रबंध विभाग की ऋण संसाधन एवं ऋण निगरानी विभाग से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है।

Credit Risk Management Department of the Bank enforces and monitors compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Bank. They also lay down risk assessment system, monitor quality of loan portfolio, identify problems and correct deficiencies, develop MIS for the purpose including portfolio evaluation. Credit Risk Management Department is independent of Credit Processing & Credit Monitoring Departments.

ऋण जोखिम का मूल्यांकन ऋण खातों के श्रेणी-निर्धारण के माध्यम से किया जाता है। बैंक में 25 लाख रु. से अधिक के एक्सपोजर वाले सभी खातों के श्रेणी निर्धारण के लिए (योजनागत ऋणों को छोड़कर) एक पद्धति विद्यमान है। बैंक श्रेणी निर्धारण माइग्रेशन का ध्यान रखता है तथा उसने सभी श्रेणी निर्धारण के लिए आंतरिक चूक दरें विकसित की हैं। चूक दरों का निर्धारण स्थापित श्रेणी निर्धारण एजेंसियों की चूक दरों के साथ भी किया जाता है।

Assessment of Credit Risk is done through rating of credit accounts. The bank has a system of rating all accounts (excepting those under schematic lending) having exposure of above ₹ 25 lacs. Bank tracks rating migration and has developed internal default rates across rating. The mapping of default rates is also carried out with default rate of established rating agencies.

बैंक, जहाँ कहीं संभव और अपेक्षित होता है, उपयुक्त संपार्श्विक या गारंटीकर्ताओं के माध्यम से ऋण खातों से जुड़े जोखिमों को कम करने की हर संभव कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त जिन शर्तों एवं निबंधनों के अधीन ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, वे भी ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने में खातों की नियमित निगरानी एवं नियंत्रण भी सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने के लिए बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम एवं ऋण गारंटी निधि न्यास से योग्य खातों का आवश्यक बीमा भी करवाया है।

The bank makes all possible efforts to mitigate risks associated with credit accounts through suitable collaterals or guarantors wherever it is considered feasible and desirable. In addition to that, terms and conditions under which credit is sanctioned also go a long way to mitigate risks associated with credit. Regular monitoring and control of accounts also add to the risk mitigation. In order to mitigate risk, the Bank has taken necessary cover for eligible accounts from Export Credit Guarantee Corporation and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosure

31.3.13 को प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (सभी राशियाँ करोड़ में)
Quantitative Disclosures (all amount in ₹ Cr) as on 31.3.2013

(₹ करोड़ में/₹ In Crore)

	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non-Fund Based
(क) कुल सकल ऋण एक्सपोजर		
a) Total Gross Credit Exposure	131569.07	17297.71
ख) ऋणों का भौगोलिक संवितरण		
b) Geographical Distribution of Exposure		
विदेशी / Overseas	119204.99	16285.28
देशी / Domestic	12364.08	1012.43

(ग) 31 मार्च 2013 को ऋणों का उद्योगवार संवितरण

c) Industry type distribution of Exposures as on 31st March 2013

(करोड़ ₹ में/₹ In Crore)

क्रम सं. Sl. No.	उद्योग का नाम Industry Name	निधि आधारित एक्सपोजर Fund based Exposure	गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Non-Fund based Exposure	कुल Total
1	सभी इंजीनियरिंग कार्य /All Engineering	2513.83	2332.65	4846.48
2	ऑटोमोबाइल/Automobile	781.99	229.99	1011.98
3	विमानन/Aviation	1032.17	0	1032.17
4	सीमेंट/Cement	592.6	276.48	869.08
5	रसायन/Chemical	871.52	632.07	1503.59
6	कोयला /Coal	512.69	779.98	1292.67
7	कंप्यूटर/Computer	513.2	252.89	766.09
8	विनिर्माण /Construction	2114.71	2272.66	4387.37
9	औषध एवं फार्मास्यूटिकल्स/Drugs and Pharmaceuticals	985.66	745.67	1731.33
10	इलेक्ट्रॉनिक्स/Electronics	1093.04	217.49	1310.53
11	खाद्य प्रसंस्करण/Food Processing	1841.63	245.32	2086.95
12	रत्न एवं जवाहरात/Gems and Jewellery	715.61	382.5	1098.11
13	बुनियादी सुविधाएं/Infrastructure	34530.84	2872.45	37403.29
	a) इन्फ्रा पावर/Infra Power	23150.51	1789.64	24940.15
	b) इन्फ्रा रोड/पोर्ट/Infra Road/Port	4968.96	512.63	5481.59
	c) इन्फ्रा-टेलीकॉम/Infra-Telecom	2701.04	313.62	3014.66
	d) इन्फ्रा-अन्य/Infra-Others	3710.33	256.56	3966.89
14	चर्म एवं चर्म उत्पाद/Leather and Leather Products	166.32	49.75	216.07
15	धातुएं/Metals	12381.64	4228.55	16610.19
	a) लोहा एवं इस्पात/Iron and Steel	10707.4	4005.06	14712.46
	b) अन्य धातुएं/Other Metals	1674.24	223.49	1897.73
16	खदान/Mining	422.3	58.33	480.63
17	कागज एवं कागज उत्पाद/Paper & Paper Products	538.12	32.48	570.6
18	पेट्रोलियम/Petroleum	1824.18	1.93	1826.11
19	रबड़ एवं रबड़ उत्पाद/Rubber & Rubber Products	185.99	94.18	280.17
20	चीनी/Sugar	602.55	31.74	634.29
21	चाय/Tea	479.98	35.11	515.09
22	वस्त्र/Textiles	5637.62	1637.48	7275.1
	a) सूती वस्त्र/Cotton Textiles	3085.45	626.99	3712.44
	b) जूट वस्त्र/Jute Textiles	20.11	10.5	30.61
	c) अन्य वस्त्र/Other Textiles	2532.06	999.99	3532.05
23	तम्बाकू/Tobacco	181.68	0.21	181.89
24	पर्यटन एवं होटल/Tourism & Hotel	366.77	1.38	368.15
25	वनस्पति तेल/Vegetable Oil	383.88	292.98	676.86
	उद्योग योग / INDUSTRY TOTAL	71270.52	17704.27	88974.79

(घ)(d) आस्तियों की अवशेष संविदात्मक परिपक्वता की समाप्ति / Residual contractual maturity breakdown of assets

(करोड़ ₹ में/₹ In Crore)

विवरण Particulars	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन तक 2 to 7 days	8 से 14 दिन तक 8 to 14 days	15 से 28 दिन तक 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह तक 29 days to 3 months	3 माह से अधिक परंतु 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	6 माह से अधिक परंतु 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	योग Total
जमा/Deposits	538.90	4588.24	5587.05	4766.66	24109.91	25361.07	38528.39	30158.20	2530.86	37261.76	173431.04
सकल अग्रिम/ Gross Advance	760.47	3700.94	3347.05	3202.93	13595.26	9760.64	9297.66	36252.57	12631.60	39019.95	131569.07
निवेश/Investment	0.00	364.05	213.75	701.78	312.30	1281.76	3030.07	6182.17	7099.59	33329.71	52515.18
ऋण/Borrowing	49.15	2550.00	380.86	0.00	409.00	821.79	171.83	671.40	256.21	4182.19	9492.43
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	427.67	1983.29	1693.86	1722.53	5359.62	6322.35	146.39	1535.35	952.51	1519.43	21663.00
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	94.72	765.08	1501.20	2148.00	5588.61	6865.46	1336.64	2530.36	0.00	832.93	21663.00

(करोड़ ₹ में/₹ In Crore)

(च)	अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल)		
(e)	Amount of NPAs (Gross)		7130.09
	1.1 अवमानक/Substandard	2544.37	
	1.2 संदिग्ध/Doubtful 1	2331.78	
	1.3 संदिग्ध/Doubtful 2	1670.85	
	1.4 संदिग्ध/Doubtful 3	416.73	
	1.5 हानि/Loss	166.36	
(छ)	निवल अनर्जक आस्तियां		
(f)	Net NPAs		4069.31
(ज)	अनर्जक आस्ति अनुपात		
(g)	NPA Ratios		
	3.1 सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां Gross NPAs to gross advances		5.42%
	3.2 निवल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां Net NPAs to net advances		3.17%
(झ)	अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़ (सकल)		
(h)	Movement of NPAs (Gross)		
	4.1 प्रारंभिक शेष/Opening Balance		4086.20
	4.2 वृद्धि/Additions		5161.59
	4.3 कमी/Reductions		2117.70
	4.4 अंतिम शेष/Closing Balance		7130.09
(ञ)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़		
(i)	Movement of provisions for NPAs		
	5.1 प्रारंभिक शेष/Opening Balance	1650.57	
	5.2 अवधि के दौरान किया गया प्रावधान Provision made during the period	1783.08	
	5.3 बट्टे खाते/Write-off	617.23	
	5.4 अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन/Write-back of excess provisions	—	
	5.5 अंतिम शेष/Closing Balance		2816.42
(ट)	अनर्जक निवेश की राशि		
(j)	Amount of Non-performing Investment		116.62
(ठ)	निवेश के मूल्यहास हेतु प्रावधान-राशि		
(k)	Amount of Provisions for depreciation of investment		207.60
(ड)	निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान में घट-बढ़		
(l)	Movement of provisions for depreciation on Investments		
	8.1 प्रारंभिक शेष/Opening Balance	361.02	
	8.2 अवधि के दौरान किया गया प्रावधान/Provision made during the period	102.99	
	8.3 बट्टे खाते/Write-off	32.75	
	8.4 विनिमय अंतर/Exchange Difference	0.07	
	8.5 अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन/Write-back of excess provisions	223.73	
	8.6 अंतिम शेष/Closing Balance		207.60

तालिका डीएफ -5 TABLE DF-5

ऋण जोखिम : मानक दृष्टिकोण के अधीन संविभाग का प्रकटीकरण Credit Risk : Disclosures for Portfolio subject to the Standardised Approach

गुणात्मक प्रकटीकरण /Qualitative disclosures:

निम्नलिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा किए गए ऋण श्रेणी-निर्धारण का उपयोग मानक दृष्टिकोण के अधीन हमारे ऋण खातों के जोखिम भारिता हेतु किया जाता है :

Credit rating accorded by the following credit rating agencies has been used in assigning risk weights to our credit accounts under standardized approach:

1) सीएआरई/CARE 2) सीआरआईएसआईएल/CRISIL 3) एफआईटीसीएच/FITCH 4) आईसीआरए/ICRA 5) ब्रिकवर्क/Brickwork

6) एसएमईआरए/SMERA

(वर्णक्रम से सूचीबद्ध/Listed in alphabetical order)

- इस प्रयोजन हेतु क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में ब्रिकवर्क एवं एसएमईआरए को शामिल किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऋण/सुविधाओं के लिए पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में ब्रिकवर्क रेटिंग एवं एसएमईआरए को क्रमशः अपने परिपत्र डीबीओडी सं.बीपी. बीसी. 92/21.06.007/2011-12 दिनांक 13 अप्रैल, 2012 तथा डीबीओडी सं.बीपी.बीसी. 41/21.06.009/2012-13 दिनांक 13 सितंबर, 2012 द्वारा अनुमोदित किया है।

There has been addition of Brickwork and SMERA in the credit rating agencies used for the purpose. RBI has approved Brickwork Ratings and SMERA as eligible Credit Rating Agency for bank loans/facilities vide circular DBOD.No.BP.BC 92/21.06.007/2011-12 dated April 13, 2012 and DBOD.No.BP. BC.41/21.06.009/2012-13 dated Sept 13, 2012 respectively.

- श्रेणी-निर्धारक एजेंसियों ने कार्पोरेट एक्सपोजर का श्रेणी-निर्धारण किया है / Rating agencies have rated corporate exposures.
- ऊपर उल्लिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी पर आधारित खातों का श्रेणी-निर्धारण करने में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र आरबीआई/2012-13/95 डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 16/21.06.001/2012-13 दिनांक 2 जुलाई 2012 में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया है।

In assigning rating to accounts based on public issue rating given by the above mentioned rating agencies, bank has followed the guidelines of Reserve Bank of India communicated vide their Master circular RBI/2012-13/95 DBOD. No. B P. BC.16/21.06.001/2012-13 dated July 2, 2012.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative disclosures :

मानक दृष्टिकोण में जोखिम को कम करने के बाद एक्सपोजर

Exposure after risk mitigation in Standardized Approach:

(करोड़ ₹ में/₹ In Crore)

100% से कम का जोखिम भार/Below 100% Risk Weight	83675.51
100% जोखिम भार/100% Risk Weight	32187.41
100% से अधिक का जोखिम भार/More than 100% Risk Weight	12976.88
कटौती/Deductions	16430.67
योग/Total	145270.47

तालिका डीएफ -6
TABLE DF-6
ऋण जोखिम प्रशमन
Credit Risk Mitigation

गुणात्मक प्रकटीकरण / Qualitative disclosures :

(अ) तुलन पत्र और उसके इतर के समायोजन का उपयोग जिस सीमा तक बैंक द्वारा किया जाता है उसका सूचक तथा उसके लिए नीति एवं प्रक्रिया ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक तुलन पत्र के समायोजन संबंधी

(a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on and off balance sheet netting

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक - तुलन पत्र के समायोजन संबंधी / Credit risk mitigation techniques - On Balance Sheet netting

बैंक इस शर्त के अधीन निवल ऋण एक्सपोजर के आधार पर पूंजी आवश्यकता की गणना करता है कि-

The Bank computes capital requirements on the basis of net credit exposure subject to the conditions that the bank

i) बैंक के पास यह निष्कर्ष निकालने का एक सुचिंतित विधिक आधार है कि चाहे काउंटरपार्टी दिवालिया अथवा शोधन अक्षम है अथवा नहीं, प्रत्येक संगत क्षेत्राधिकार में नोटिंग या ऑफसेटिंग करार प्रवर्तनीय है।

has a well founded legal basis for concluding that the netting or off setting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;

ii) बैंक किसी भी समय उसी काउंटरपार्टी के ऋण/अग्रिम एवं जमाराशियों को निर्धारित कर सकता है जो नेटिंग व्यवस्था के अधीन है।

is able any time to determine loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting arrangement;

iii) बैंक निवल आधार पर संगत एक्सपोजरों पर निगरानी रखता है और उनपर नियंत्रण करता है, ऋणों और अग्रिमों को एक्सपोजर के रूप में माना जाता है और जमाराशि को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में माना जाता है।

monitors and controls the relevant exposures on a net basis; Loans and advances are treated as exposure and deposits are treated as collaterals.

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक-गारंटी /Credit risk mitigation techniques - Guarantees

i) गारंटी को प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय एवं शर्तरहित होना चाहिए/Guarantees should be direct, explicit, irrevocable and unconditional.

ii) प्रतिस्थापन व्यवस्था लागू की जाएगी। इस प्रकार काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाली कंपनी द्वारा जारी गारंटी से पूंजी भार कम होगा क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोजर के संरक्षित अंश में गारंटीकर्ता का जोखिम भार समनुदेशित है जबकि असंरक्षित अंश में मूल काउंटरपार्टी का जोखिम भार प्रतिधारित है।

Substitution approach will be applied. Thus guarantees issued by entities with lower risk weight than the counterparty will lead to reduce capital charge since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncovered portion retain the risk weight of the underlying counterparty.

iii) गारंटी के लिए परिचालन अपेक्षाएँ अवश्य पूरी की जानी चाहिए/Operational requirement for guarantees must be met.

iv) योग्य गारंटीकर्ताओं (काउंटर गारंटीकर्ताओं) की श्रेणी/Range of eligible guarantors (counter guarantors)

निम्नलिखित संस्था द्वारा दिए गए ऋण संरक्षण को मान्यता दी जाएगी/Credit protection given by the following entities will be recognized:

क/a) सरकार, सरकारी कंपनी (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, एमबीडी, एससीजीसी और सीजीटीएसएमई), बैंक एवं काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाले प्राथमिक व्यापारी;

Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank, MBDs, SCGC and CGTSME), Banks and Primary dealers with a lower risk weights than the counter party;

ख/b) 'ए' या उससे बेहतर रेटिंग वाली अन्य कंपनियाँ : इसमें मूल, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर उस स्थिति में शामिल होगा, जब उनका जोखिम भार बाध्यताधारी से कम हो।

Other entities rated AA- better. This would include guarantee covered provided by parent, subsidiary and affiliated companies when they have a lower risk weight than the obligor.

v) संरक्षित अंश में संरक्षण प्रदाता का जोखिम भार समनुदेशित है/Protected portion is assigned the risk weight of the protection provider.

(आ/ब) संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंध के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया/Policies and processes for collateral valuation and Management
यदि संपत्ति को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो एक बैंकर के रूप में हम संपत्ति के उस बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हैं, जिसकी उम्मीद क्रेता से की जाती है। मूल्यांकन आर्स्टि मूल्यांकन पद्धति द्वारा किया जाता है, जो प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली मूर्त आर्स्टियों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखती है।

As a banker we are concerned with market value of the property that can be expected from a buyer if the property is put to sale. So valuation is made by Asset Valuation Methodology which takes into consideration the market value of tangible assets taken as security.

विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की पद्धति/Method of valuation of various types of securities:

(i) भूमि एवं भवन का मूल्यांकन/Valuation of land and building

बैंक की चालू सूची में शामिल पंजीकृत मूल्यांककों द्वारा सभी भू-संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाए। भूमि का मूल्य अलग से लगाया जाएगा और नगरपालिका निकायों सहित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा दर्ज मूल्यांकनों से उसकी तुलना की जाएगी। उस भूमि पर किए गए निर्माण कार्य का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा तथा उस संपत्ति का बीमा कराने पर लगाए गए मूल्य से उसकी तुलना की जाएगी।

All landed properties must be valued by Registered valuers who are in the current empanelled list of bank. The value of the land will be assessed separately and would be compared with valuation on record by Govt. Authorities including Municipal Bodies. Construction on the said land would be valued separately and compared with value of insurance taken to cover the said property.

निम्नलिखित मर्दों को ध्यान में रखा जाएगा/The following points are taken into consideration:

- i) निर्माण की प्रकृति / Nature of construction
- ii) भवन की आयु तथा उसकी विद्यमान मजबूती / Age of the building and its present strength
- iii) किराया से होने वाली आय / Rental yield
- iv) निर्धारित/प्रदत्त कर की राशि / Tax amount assessed/paid
- v) भूमि एवं भवन का क्षेत्र / Area of land and building
- vi) निर्माण की लागत / Cost of construction
- vii) जगह का मूल्य / Value of site

(ii) जंगम संपत्तियों का मूल्यांकन / Valuation of Movable properties:

दृष्टिबंधकित/गिरवी रखी गई आर्स्टियों का मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन का आधार बीजक में दिए गए मूल्य या बाजार मूल्य को, इनमें से जो भी कम हो, ध्यान में रखा जाए।

In valuation of hypothecated/pledged assets, basis of valuation is invoice price or market price whichever is lower.

(iii) शेयरों का मूल्यांकन : / Valuation of shares:

बाजार मूल्य का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाता है :/Market value is calculated as below:

- (क) शेयर का मौजूदा बाजार मूल्य -
 - a) Current market price of the share
 - b) पिछले 52 सप्ताह के दौरान प्रतिभूति के उच्चतम एवं निम्नतम मूल्यों में से जो भी कम हो उसका औसत। म्यूचुअल फंड के यूनिट के मामले में (अनुमोदित सूची में केवल मास्टर शेयरों को शामिल किया गया है) निवल आर्स्टि मूल्य (एनएबी)/पुनर्क्रय कीमत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, को लिया जाए।

Average of high and low prices of security during last 52 weeks whichever is lower. In case of units of mutual funds (only Master Share has been included in the approved list) Net Asset Value (NAV)/Repurchase price or the market price, whichever is less, has to be taken.

(iv) एल आई सी पॉलिसी का मूल्यांकन/Valuation of LIC Policy:

पॉलिसी का वर्तमान अभ्यर्पण मूल्य / Present surrender value of the policy.

जो भी प्रतिभूति ली जाती हो, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे पर्याप्त रूप से प्रभारित किया गया है और सभी आवश्यक विधिक औपचारिकताएँ पूरी की गई हैं ताकि आपात स्थिति पैदा होने पर उसे बिना किसी कठिनाई के वसूला जा सके। इसके अतिरिक्त अग्रिम के विद्यमान रहने तक प्रतिभूति पर लगातार निगरानी रखना जरूरी है।

Whatever security is obtained, care should be taken to see that it is adequately charged and all necessary legal formalities are completed so that it can be realized without any difficulty, whenever an emergency arises. Moreover, during the lifetime of an advance constant watch over the security is necessary.

(ग/क) बैंक द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख संपार्श्विक निम्नलिखित हैं : /Main types of collateral taken by Bank are –

- i) भूमि एवं भवन जैसी स्थावर संपत्तियों का साम्यिक बंधक/रजिस्ट्रीकृत बंधक
Equitable Mortgage/Registered Mortgage of immovable properties like land and building.
- ii) संयंत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर/जुड़नार जैसी जंगम आस्तियों का दृष्टिबंधन
Hypothecation of movable fixed assets like plant & machinery furniture/fixtures.
- iii) शेयरों/डिबेंचरों/ईक्विटियों/म्यूचुअल फंड यूनिटों को गिरवी रखना
Pledge of shares/debentures/equities/units of Mutual Funds
- iv) एलआईसी पालिसी का समनुदेशन
Assignment of LIC Policies
- v) बैंक की अपनी सावधि जमा रसीदों पर ग्रहणाधिकार / Lien over Bank's own Fixed Deposit receipts
- vi) एनएससी/केवीपी को गिरवी रखना / Pledge of NSCs/KVPs

(घ) प्रमुख प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी एवं उनकी ऋण शोधक्षमता

(d) The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness

सामान्यतः बैंक निम्नलिखित प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी लेने हेतु अनुरोध करता है:

Normally Bank insists on following types of guarantor counterparty -

- i) भागीदारों/गैर-पेशेवर निदेशकों/अन्य पक्षकारों की वैयक्तिक गारंटी,
Personal guarantee of partners/non-professional directors/third parties,
- ii) कार्पोरेट गारंटी/Corporate Guarantee
- iii) राज्य सरकार की गारंटी/Guarantees of State Government

बैंक अपने स्वविवेक से मूल/धारक कंपनी से उस स्थिति में गारंटी प्राप्त कर सकता है जब ऋण सुविधा उसी समूह के उधारकर्ता यूनिटों को प्रदान की जाती है।

The bank may also obtain guarantees at its discretion from parent/holding Company when credit facilities are extended to borrowing units in the same group.

जब वैयक्तिक गारंटी माँगी जाती है तो व्यक्ति की अनुमानित अर्थक्षमता के औचित्यपूर्ण अनुपात को ध्यान में रखा जाए।

When personal guarantees are warranted, they should bear reasonable proportion to the estimated worth of the person.

(ड/ए) प्रशमन के भीतर ऋण जोखिम संकेंद्रण के बारे में सूचना :

Information about credit risk concentrations within the mitigation taken –

ऋण जोखिम को कम करने हेतु एक्सपोजर को पूर्णतः या अंशतः नकदी, प्रतिभूति या उसी काउंटरपार्टी से जमाराशियों, किसी तृतीय पक्ष की गारंटी द्वारा केन्द्रीकृत किया जाता है।

In order to mitigate the credit risks, exposures are collateralized in whole or in part by cash, securities, deposits from the same counterparty, guarantee of a third party.

बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण बाजार जोखिम उत्पन्न होता है, जिसे बिक्री संविदा, उपभोक्ता को वित्तपोषण, वापसी खरीद शर्त एवं त्रुटि करार के माध्यम से कम किया जाता है।

Market risks arise from movements in market prices which are mitigated through sales contracts, consumer financing, buy back clause and deficiency agreement.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative disclosure:

मानक दृष्टिकोण के अधीन हेयरकट को लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विकों द्वारा कुल ₹16430.67 करोड़ के एक्सपोजर को सुरक्षित किया गया।

Total exposure covered by eligible financial collaterals after application of haircut under standardized approach - ₹ 16430.67 Cr.

तालिका डीएफ -8

TABLE DF-8

क्रय-विक्रय बहियों में बाजार जोखिम Market Risk in Trading Book

गुणात्मक प्रकटीकरण / Qualitative disclosures :

1. उद्देश्य एवं नीतियां / Objective & Policies:

निवेश और विदेशी मुद्रा लिखतों में बाजार जोखिम को सीमित करने हेतु। इसके लिए बैंक ने देशी और विदेशी शाखाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां अपनाई हैं।

To limit the market risk in Investment and Forex instruments. For this the Bank adopted policies approved by the Board for Domestic as well as Overseas Branches.

2. कार्यनीति एवं प्रक्रिया / Strategies and Processes:

यह नीति एकसपोजर पर विभिन्न सीमाओं का प्रावधान करती है। विदेश स्थित केन्द्रों के लिए अनुमोदित नीति के अनुसार विदेश स्थित केन्द्रों की स्थानीय एएलसीओ समिति कार्यनीति और प्रक्रिया पर ध्यान देती है।

Policy provides various limits on exposures. Local ALCO Committee of overseas centers takes care of strategies and processes as per approved policy for overseas centers.

3. संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन:

Structure and organization of the relevant risk management function:

निवेश से संबंधित निर्णय कार्पोरेट निवेश समिति द्वारा लिए जाते हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशक व फ्लैगशिप कार्पोरेट ऋण, मिड कार्पोरेट, वित्त एवं कोष शाखा, मुंबई के महाप्रबंधकगण शामिल हैं। विदेश स्थित केंद्रों पर केंद्रों के मुख्य कार्यपालकों के अधीन स्थानीय समिति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेती है। बैंक में कठोर कार्यात्मक अलगाव हेतु फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस कार्यरत हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय समग्र संविभाग के लिए मिड ऑफिस के रूप में कार्य करता है।

Investment decisions are taken by Corporate Investment Committee comprising of Executive Director, General Managers of Flagship Corporate Credit, Mid Corporate, Finance and Treasury Branch, Mumbai. At overseas centers local committee under Chief Executives of the centers takes decision as per guidelines approved by the Board. The Bank has front office, mid office and back office for strict functional segregation. Risk Management Department at Head Office performs the function of mid office for overall portfolio.

4. जोखिम की रिपोर्टिंग और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

The scope and nature of risk reporting and/or measurement system:

देशी एवं विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए बैंक ऋण का पूरा विवरण समय-समय पर प्रधान कार्यालय को भेजा जाता है। जोखिमों के मूल्यांकन के साथ तिमाही आधार पर रिपोर्टिंग भी की जाती है। बैंक द्वारा तय की गई विभिन्न विवेकपूर्ण एवं अन्य सीमाओं से किसी तरह के विचलन की सूचना भी आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रधान कार्यालय को दी जाती है।

Periodic Reporting of full details of Bank's exposure undertaken by the domestic and overseas branches are sent to Head Office. Quarterly reporting with evaluation of risks are also made. Any breaches from various prudential and other limits fixed by the Bank are also referred to H.O for necessary approval.

5. जोखिमों से बचाव और/या उसे कम करने के लिए नीतियां एवं बचाव/कमी की अनवरत प्रभावकारिता पर निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाएँ :

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedge/s mitigants:

बैंक की नीति है कि विदेशी मुद्रा में लगभग समान स्थिति बनाए रखी जाए। तथापि, संबंधित करेंसियों में दिनरात, रातभर जैसी विभिन्न सीमाओं तथा समग्र रुपयों से बैंक के भारतीय रुपयों में रातभर की मुक्त स्थिति सीमा का निर्धारण किया गया है और उसकी निगरानी समय-समय पर की जाने वाली रिपोर्टिंग के आधार पर की जाती है।

The Bank's policy is to maintain near square position in Forex. However various limits like daylight, overnight in respective currencies as well as overnight open position limit in Indian rupees for the Bank as a whole have been fixed and the same is monitored through periodic reporting.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण / Quantitative disclosures:

(करोड़ ₹ में / ₹ In Crore)

निम्नलिखित के लिए पूंजी की आवश्यकता / Capital requirements for :	
ब्याज दर जोखिम/Interest Rate Risk	481.21
ईक्विटी स्थिति जोखिम/Equity Position Risk	100.01
विदेशी मुद्रा जोखिम/Foreign Exchange Risk	2.25

तालिका डीएफ - 9
TABLE DF - 9
परिचालनगत जोखिम
Operational Risk

गुणात्मक प्रकटीकरण:/Qualitative Disclosure:

बैंक ने निम्नलिखित के लिए पद्धति, प्रक्रिया एवं निगरानी व्यवस्था कायम की है-

The Bank has put in place systems, processes and monitoring mechanism for -

- सभी महत्वपूर्ण उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में विद्यमान परिचालनगत जोखिमों की पहचान तथा मूल्यांकन
Identification and assessment of operational Risks inherent in all material products, activities, processes and systems,
- परिचालनगत जोखिम प्रोफाइल तथा हानि के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एक्सपोजर पर निगरानी रखना तथा वरिष्ठ प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को आवश्यक सूचनाएँ प्रदान करना
Monitoring operational risk profiles and material exposure to losses and reporting pertinent information to Senior Management and Board of Directors.
- महत्वपूर्ण परिचालनगत जोखिमों को नियंत्रित करने तथा कम करने हेतु नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली का निर्माण करना
Framing policies, processes and procedures to control and mitigate material operational risk.

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है -

The Organizational set up for operational risk management is as follows:

- निदेशक मंडल / The Board of Directors
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)/ Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (सीओआरएम)/Committee for Operational Risk Management (CORM)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष (ओआरएमसी)/Operational Risk Management Cell (ORMC)
- कारबार परिचालनगत जोखिम प्रबंधक (बीओआरएम)/Business Operational Risk Managers (BORM)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ (ओआरएमएस)/Operational Risk Management Specialists (ORMS)
- **जोखिम प्रबंधन विभाग/Risk Management Department**

निदेशक मंडल सभी उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में परिचालनगत जोखिम के प्रबंध हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचा, और उसके कार्यान्वयन एवं नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों का अनुमोदन करता है।

Board of Directors approves Operational Risk Management framework, implementation and policies, processes and procedures for managing operational risk in all products, activities, processes and systems.

जोखिम की सूचना और / या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप /Scope and nature of Risk Reporting and/or measurement system: संगृहीत की जानेवाली रिपोर्ट और उनकी आवधिकता निम्नानुसार है/The reports that are collected and the periodicity is as follows:

संख्या No.	रिपोर्ट का नाम Name of the Report	आवधिकता Frequency
1	कपट की वार्षिक समीक्षा Annual Review of frauds	वार्षिक Yearly
2	आर्थिक दंड लगाने का विवरण Details of levy of penalties	वार्षिक Yearly
3	समीक्षा का अनुपालन Compliance of reviews	वार्षिक Yearly
4	कारोबार श्रेणी-वार और बेसल इवेंट प्रकार एवं स्तर के अनुसार विश्लेषित हानि आंकड़ा Loss Data analyzed business line-wise and as per Basel event types and levels.	छमाही/Half yearly
5	प्रभाव-आवधिकता विश्लेषण मैट्रिक्स/Impact-frequency analysis matrix	छमाही/Half yearly
6	पाई गई और वसूली गई राजस्व हानि/Revenue leakage detected and recovered	तिमाही/Quarterly
7	विभिन्न लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की गंभीर अनियमितताओं का सार - परिचालनगत जोखिम संबंधी Gist of serious irregularities in various audit reports – operational risk related	तिमाही Quarterly

बैंक की स्थापित नीतियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अनुपालन हेतु निरंतर निगरानी के अंग के रूप में पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र एवं आवधिकता सुनिश्चित करती है। निरीक्षण विभाग आंतरिक कार्य का विकास एवं पर्यवेक्षण करता है।

In order to provide independent assessment of adequacy of and compliance with, bank's established policies and procedures adequate internal audit coverage is in place as a part of ongoing monitoring. The Audit committee of the Board ensures the scope and frequency of the audit programme. The Inspection department develops and oversees the internal function.

सभी वित्तीय विभागों/कारोबार इकाइयों को सूचित किया गया है कि वे आरएमडी को नई गतिविधियों, नई पहलों, उत्पादों एवं परिचालनगत परिवर्तनों के बारे में पूरी तरह अवगत कराएँ ताकि किसी भी आरंभिक स्थिति में सभी संबंधित जोखिमों की पहचान की जा सके।

All financial departments/business units have been informed to keep the RMD fully informed of new developments, initiatives, products and operational changes to identify all associated risks at an early stage.

बैंक ने विभिन्न हानि इवेंट प्रकार एवं व्यवसाय श्रेणियों के अधीन (बासल-II के अनुसार) सुसंगत परिचालन जोखिम हानि आंकड़ों के संग्रहण का कार्य प्रारंभ किया है ताकि परिचालनगत जोखिम के कारण पूंजी आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक मॉडल का विकास किया जा सके।

The Bank has commenced collection of relevant operational risk loss data under different loss event types as also different business lines (as per Basel-II) to develop a model to estimate capital requirement on account of operational risk.

परिचालनगत जोखिम पूंजी निर्धारण के लिए बैंक ने बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण का उपयोग किया है, जिसकी परिकल्पना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "पूंजी पर्याप्तता एवं बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत—नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन", विषय पर उनके पत्र दिनांक 27 अप्रैल, 2007 में निहित है।

For operational risk capital assessment the Bank used Basic Indicator approach as envisaged by Reserve Bank of India in their communication dated 27th April, 2007 on the subject "Prudential guidelines on capital adequacy and market discipline - Implementation of New Capital Adequacy Framework".

तालिका डीएफ -10

TABLE DF-10

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) Interest Rate Risk in the Banking Books (IRRBB)

गुणात्मक प्रकटीकरण/Qualitative disclosure:

बैंक ने अपनी आस्ति देयता प्रबंध नीति तैयार की है जो बैंकिंग की बहियों में ब्याज दर जोखिम से संबंधित मुद्दों का निपटान करती है। बैंक चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि और साथ ही एक वर्ष की अवधि के लिए जोखिम पर अर्जन (ईएआर) के प्रयोजन एवं आकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर अस्थिरता के बारे में प्रत्येक माह विवरण तैयार करता है। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार परिशोधित अवधि का विवरण भी प्रत्येक महीने तैयार करता है और अवधि आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत ब्याज दर में 100 आधार अंकों के परिवर्तन के लिए ईक्विटी में परिवर्तन (यानी नेटवर्थ) का आकलन करता है। दोनों ही विवरणों की समीक्षा बैंक की निदेशक मंडल की आस्ति देयता प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है।

Bank has in place Asset Liability Management policy that addresses issues related to Interest rate risk in Banking Books. Bank draws every month statement of Interest Rate sensitivity in accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India for the purpose and estimates of Earnings at Risk (EaR) for the remaining period of the current financial year and as well as over one year horizon. Bank also draws every month statement of modified duration in accordance with the guidelines given for this purpose by Reserve Bank of India and estimates Equity Var. Both the statements are reviewed by Bank's Asset Liability Management Committee/ Risk management Committee of the Board.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार)

Quantitative disclosures : (As on 31st March, 2013)

1)	100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए अर्जन में अनुमानित वृद्धि (ह्रास) Estimated increase (decline) in earnings for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	± ₹ 441 करोड़/Cr.
2)	100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए आर्थिक मूल्य में अनुमानित वृद्धि (ह्रास) Estimated increase (decline) in economic value for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	± 0.79% Risk Capital

यूको बैंक

फार्म "बी"

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरे एवं हस्ताक्षरित किए जाने हेतु)

दसवीं वार्षिक आम बैठक

दिनांक 28 जून, 2013

रजिस्ट्रीकृत फोलियो सं.

(यदि अमूर्तीकृत नहीं है)

डी. पी. पहचान सं.

ग्राहक की पहचान सं.

(यदि अमूर्तीकृत है)

मैं/हम, _____, निवासी _____, जिला _____, राज्य _____, जो यूको बैंक का/के शेयरधारक हूँ / हैं, एतद्वारा श्री/श्रीमती _____, निवासी _____, जिला _____, राज्य _____, को या उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती _____, निवासी _____, जिला _____, राज्य _____ को शुक्रवार, दिनांक 28 जून, 2013 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700027 में या उसके बदले किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जानेवाली यूको बैंक के शेयरधारकों की दसवीं वार्षिक आम बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मतदान करने हेतु अपना परोक्षी नियुक्त करता/करती/हूँ /करते हैं।

वर्ष 2013 के _____ की _____ तारीख को हस्ताक्षर किए गए

परोक्षी के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

परोक्षी फार्म हस्ताक्षरित करने और जमा करने हेतु अनुदेश:

प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

- कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह:
 - कोई व्यक्ति शेयरधारक के मामले में उसके या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो;
 - संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो;
 - किसी निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो।
- कोई परोक्षी लिखत किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित समझी जाएगी जो किसी कारण से अपना नाम लिखने में अक्षम है यदि उसका चिह्न उसपर अंकित किया जाता है तथा उसे किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूको बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाता है।
- परोक्षी फार्म और
 - मुख्तारनामा या प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित किया गया है, अथवा
 - मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक ऐसी प्रति जो किसी नोटरी पब्लिक या दंडाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग (शेयर अनुभाग) 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तृतीय तल, कोलकाता-700 001 के पास वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी शनिवार, दिनांक 22 जून, 2013 के कार्य-समय की समाप्ति पर या उसके पहले जमा की जाए।
- कोई भी परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जबतक फार्म 'बी' के अनुसार और सम्यक रूप से स्टांपित न हो।
- बैंक के पास जमा की गई परोक्षी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी।
- विकल्पतः दो अधिकारग्राहियों के पक्ष में प्रदान की गई परोक्षी लिखत के मामले में एक से अनधिक फार्म निष्पादित किया जाएगा।
- जिस शेयरधारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबधित है।
- कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यूको बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है।

UCO Bank

Form "B"

Head Office : 10, B. T. M, Sarani Kolkata - 700 001

Proxy Form

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Tenth Annual General Meeting

Dated June 28th, 2013

Regd. folio No.
(if not Dematerialised)

DP ID No.

Client ID No.
(if Dematerialised)

I/We _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a share holder/shareholders of UCO Bank, Kolkata hereby appoint Shri/ Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/or our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **Tenth Annual General Meeting** of the shareholders of UCO Bank, to be held on Friday the 28th June 2013 at 11.00 A.M. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700 027 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2013

Re. 1/-
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Name :

Signature of first named / sole Shareholder

Address :

Instructions for Signing the Proxy form:

- No instruments of proxy shall be valid unless,
 - In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing;
 - In the case of joint holder, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing;
 - In the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing,
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto, and attested by a judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of UCO Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of UCO Bank, Finance Dept. (Share Section), 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata-700 001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of Saturday, the 22nd June, 2013.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is as per **Form "B"** and is duly stamped.
- An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of UCO Bank.

यूको बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) -अधिदेश फार्म

दिनांक:

मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि.
प्लॉट सं. 17 से 24, विठ्ठलराव नगर,
माधापुर,
हैदराबाद- 500081

प्रिय महोदय,

विषय : **ईसीएस अधिदेश**

उपर्युक्त के संदर्भ में मैं/हम सहर्ष इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) के विकल्प का प्रयोग करता हूँ /करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा के जरिए भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का विवरण नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ /कर रहे हैं : फोलियो सं.

बैंक का नाम (पूरा नाम)	
शाखा का नाम	
बैंक का पूरा पता	
बैंक द्वारा आपूरित चेक के एमआईसीआर पट्टी	
पर उल्लिखित 9 अंकों की कूट संख्या	
खाते का प्रकार(बचत/चालू /नकदी ऋण)	
खाता संख्या (चेक बुक पर यथाउल्लिखित)	

(कृपया बैंक का नाम, शाखा एवं कूट संख्या की विशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विधिवत निरस्त किए गए अपने बैंक के चेक की एक जेरोक्स प्रति संलग्न करें)।

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ /करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं। यदि अपूर्ण या असत्य सूचना के कारण लेनदेन में देर होती है तो मैं /हम कंपनी/रजिस्ट्रार को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा/ठहराऊंगी/ठहराएंगे। मैं/हम उक्त योजना के अधीन सहभागी के रूप में मुझसे/हमसे अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन करने का करार करता/करती हूँ /करते हैं।

फोलियो सं.	रजिस्ट्रीकृत धारक का (के) नाम	प्रथम धारक के हस्ताक्षर

UCO BANK ELECTRONIC CLEARING SERVICES (ECS) – MANDATE FORM

Date :

M/S. Karvy Computershare Private Ltd
Plot No. 17 to 24, Vittalrao Nagar,
Madhapur,
Hyderabad – 500 081

Dear Sirs,

Re : ECS Mandate

With reference to above, I/We are pleased to exercise the option for Electronic Clearing Services (ECS) and furnish hereunder the particulars of bank account to receive payments through Electronic Clearing Services :

Folio Number											
Name of the Bank (Full Name)											
Name of the Branch											
Full address of the Bank											
9 digit code number appearing on the MICR Band of the cheque supplied by the Bank	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>										
Account Type (Savings/Current/Cash Credit)											
Account Number (as appearing on the cheque book)											

(Please attach a photo copy of a cheque of your bank duly cancelled for ensuring accuracy of the bank name, branch and code number.)

I/We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed because of incomplete or incorrect information, I/we would not hold the Company/Registrar responsible. I/we agree to discharge the responsibility expected of me as a participant under the Scheme.

Folio No.	Name(s) of the Registered Holder	Signature of the First holder

यूको बैंक / UCO Bank
प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001
Head Office : 10, B. T. M. Sarani Kolkata - 700 001

<p>उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip (प्रवेश करते समय जमा करें) / (To be surrendered at the time of entry) दिनांक : शुक्रवार, 28 जून 2013, पूर्वाह्न 11.00 बजे स्थान : भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700 027 Date : Friday, 28th June, 2013 at 11.00 a.m. Venue : Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700 027</p>

मैं एतद्वारा बैंक की दसवीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ।
 I hereby record my presence at the Tenth Annual General Meeting of the Bank

शेयरधारक/परोक्षी/उपस्थित प्रतिनिधि का नाम Name of the Shareholder/Proxy/Representative present	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी / ग्राहक पहचान संख्या Regd. Folio / DPID/Client ID No.	शेयरो की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

<p>उपस्थिति पर्ची / Entry Pass (प्रवेश करते समय जमा करें) / (To be surrendered at the time of entry)</p>

सदस्य परोक्षी का नाम स्पष्ट अक्षरों में Name: (in BLOCK Letter) Member/Proxy	फोलियो / ग्राहक पहचान संख्या Folio / Client ID No.	शेयरो की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

दिनांक 28 जून 2013
 Dated 28th June 2013

शेयरधारक/परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of
Shareholder/Proxy/ Authorised Representative

शेयरधारकों/परोक्षी, प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि वे सभा-भवन में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें। प्रवेश पत्र वाले अंश को शेयरधारकों/परोक्षी/प्रतिनिधियों को वापस कर दिया जाएगा जिसे वे बैठक चलने तक अपने पास रखें। फिर भी आवश्यकता समझे जाने पर अतिरिक्त सत्यापन/जांच के उपरान्त प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में सभा-भवन के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

Shareholders/Proxy representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-Entry Pass signed, for admission to meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the shareholders/proxy/representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.


हमारा मिशन

कर्मचारियों की कार्यकुशलता
बढ़ाकर, उनकी
प्रभावी सहभागिता से एवं
नवीनतम प्रौद्योगिकी के
प्रयोग द्वारा कारबार तथा
लाभप्रदता में सतत वृद्धि
करते हुए एवं सर्वोत्तम ग्राहक
सेवा प्रदान कर
सामाजिक-आर्थिक दायित्वों को
पूरा करनेवाला
सर्वोत्कृष्ट श्रेणी का बैंक बनना।

OUR MISSION

“To be a top-class Bank, to achieve sustained growth of Business and Profitability, fulfilling socio-economic obligations, excellence in customer service through upgradation of skills of staff, their effective participation and making use of state-of-the art technology.”

बुक पोस्ट Book Post



सुपुर्दगी नहीं होने पर, कृपया इस पते पर लौटा दें
मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.
(इकाई : यूको बैंक)
प्लॉट नं. 17 से 24, विट्टलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद - 500 081

If undelivered, please return to :
M/s. Karvy Computershare Private Ltd.
(Unit : UCO Bank)
Plot Nos. 17 to 24 Vittal Rao Nagar
Madhapur, Hyderabad - 500 081



UCO BANK
HEAD OFFICE: KOLKATA

FORM B

(Format of covering letter of the Annual Audit Report to be filed with stock exchanges)

1	Name of the Company	UCO BANK
2.	Annual Financial statements for year ended	31 st March, 2013
3.	Type of Audit Qualification	<p>1) Accounting of commission earned on letter of credit and guarantee issued is on cash basis which is not in accordance with Accounting Standard -9 on 'Revenue Recognition' issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The quantum of such income has not ascertained.</p> <p>2) We are unable to express an opinion on the effect on the accounts if any due to non reconciliation and adjustment of outstanding entries in inter-branch transactions (refer to Note No. 10.16 of Schedule 18)</p>
4	Frequency of qualification	Repetitive since several years
5. a	Draw attention to relevant notes in the annual financial statements	<p>1) Refer Note No. 9.2 of Schedule 18 on Revenue Recognition.</p> <p>2) Refer Note No. 10.16 of Schedule 18 on Reconciliation.</p>
5.b	Management response to the qualification	<p>1) Bank is consistently recognizing commission earned on letter of credit and guarantee issued on cash basis. The commission earned on LCs and BGs constitutes 0.64% of total income. The impact of such recognition on accounts is not material.</p> <p>2) Most of the inter branch transactions are reconciled automatically with implementation of Centralized Banking Solution (CBS). Very few entries under inter branch accounts requires reconciliation.</p> <p>The reconciliation of the outstanding entries is done on ongoing basis. Adequate provision on unreconciled entries is made as per the applicable norms prescribed by RBI.</p>

		The consequential effect of non reconciliation and adjustment of outstanding entries in inter-branch transactions on revenue/ assets/ liabilities is not material.
6	Additional comments from the Board/ audit committee chair	The Audit Committee of the Board is closely monitoring the progress on reconciliation of outstanding entries at quarterly intervals.

P. Joshi
(P G Joshi)
Dy. General Manager

Anil Kumar
(Anil Kumar)
Chief Financial Officer

Manoj Kumar Gupta
(Manoj Kumar Gupta)
Chairman, ACB

Arun Kaul
(Arun Kaul)
Chairman & Managing Director

For Baweja & Kaul,
Chartered Accountants
Registration No.005834N

For SBA Associates,
Chartered Accountants
Registration No. 308136E

For Ved And Company,
Chartered Accountants
Registration No. 012019N


Sakshi Kaul Dhar
(CA Sakshi Kaul Dhar)
Partner
Membership No. 514325


Nilanjana Sen
(CA Nilanjana Sen)
Partner
Membership No. 061768


Pooja Gupta
(CA Pooja Gupta)
Partner
Membership No. 098551

For Dass Gupta & Associates,
Chartered Accountants
Registration No. 000112N

For Gupta Sharma & Associates,
Chartered Accountants
Registration No. 001466N

For A. Kayes & Co
Chartered Accountants
Registration No. 311149E


Pankaj Mangal
(CA Pankaj Mangal)
Partner
Membership No. 097890


Ashok Gupta
(CA Ashok Gupta)
Partner
Membership No. 017244


Amrul Kayes
(CA Amrul Kayes)
Partner
Membership No. 050363

Place: Kolkata
Date: 07.05.2013